

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु बनाए गए खरीदी केंद्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 2382) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों की खेती की जाती है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) कण्डिका 'क' की दलहनी फसलों की खरीदी का समर्थन मूल्य कितना है? किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीदी के लिए किन-किन जिलों में कितने खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों की खेती की जिलेवार, फसलवार, रकबावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कण्डिका 'क' की दलहनी फसलों की खरीद विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है-

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू./ किं.)
अरहर	7000
उड़द	6950
मूँग	8558
चना	5440
मसूर	6425

किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द एवं मूँग फसलों की खरीदी के लिए खरीद विपणन वर्ष 2022-23 में 20 जिलों में 20 केन्द्र बनाये गये थे, जिलेवार तथा कार्यक्षेत्रवार केन्द्रों की जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है। वर्ष 2023-24 में दलहनी फसलों का उपार्जन नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

सरगुजा संभाग अंतर्गत मांझी समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 1653) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या सरगुजा संभाग अंतर्गत "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटि सम्बन्धी कोई समस्या है ? यदि हाँ, तो क्या त्रुटि सुधार या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु क्या योजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां। सरगुजा संभाग अंतर्गत मांझी/माझी समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण जारी करने में जाति की मात्रात्मक त्रुटि संबंधी समस्या परिलक्षित है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों ही स्वरूप में जारी की गई है, जिसके अंग्रेजी वर्तनी की सूची में अनुक्रमांक 28 पर "MAJHI" उल्लेखित है जबकि हिन्दी वर्तनी की सूची में "मांझी" शामिल है। उक्त त्रुटि के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा बांटे गए पावर वीडर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 2282) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विगत 03 वर्षों में कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा कुल कितने पावर वीडर बांटे गए, पावर वीडर के सप्लायर कंपनियों के नाम एवं किस मॉडल के यंत्र कृषकों को दिये गये ? क्या पावर वीडर की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो क्या जाँच हुई एवं जाँच नहीं की गई तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विगत 03 वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में संचालनालय कृषि अंतर्गत कुल 1205 पावर वीडर कृषकों को अनुदान पर छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से प्रदाय किये गये है। वितरित किये गये पावर वीडर के मेक/मॉडल एवं प्रदायक संस्था की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। संचालनालय कृषि अंतर्गत अनुदान पर वितरित किये गये पावर वीडर की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय उद्यानिकी द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से 1726 पावर वीडर कृषकों को वितरित किये गये एवं 2478 कृषकों द्वारा योजनाओं के प्रावधान के अध्याधीन स्वयं के वित्तीय संसाधनों से क्रय किए गए पावर वीडर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अनुदान राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। पावर वीडर के सप्लायर कंपनियों के नाम एवं मॉडल की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब एवं प्रपत्र स अनुसार** है। जी, हां। प्रश्नाधीन अवधि में वितरित पावर वीडर की गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। तत्संबंध में संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को जांच कराने निर्देशित किया गया है।

जिला -बलौदाबाजार-भाटपारा अंतर्गत अवैध कॉलोनी पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 1998) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला - बलौदाबाजार-भाटपारा अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक ऐसी कितनी कॉलोनी डेव्हलप की गई हैं, जिनका पंजीयन रैरा अंतर्गत किया गया है ? यदि पंजीयन नहीं किया गया तो ऐसी कॉलोनी का नाम, कॉलोनाइजर का नाम सहित उन पर की गई कार्यवाही विकासखण्डवार, वर्षवार देवें ? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार कितनी कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है ? कितनी कॉलोनियों का नियमितिकरण किया गया है? विकासखण्डवार, कॉलोनीवार, वर्षवार जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में रैरा अंतर्गत 03 कॉलोनी पंजीकृत की गई है। जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया कर्ज

[वित्त]

5. (*क्र. 1616) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी संस्थाओं से, कितनी राशि का कर्ज लिया गया

? वित्तीय वर्षवार, राशिवार जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गये कुल कर्ज में कितना मूलधन एवं ब्याज की राशि को वापस जमा किया गया एवं अक्टूबर, 2023 की स्थिति में कितनी ऋण की राशि जमा किया जाना शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में संस्थावार लिये गये ऋण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार हैं। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में लिये गये कर्ज में मूलधन एवं ब्याज भुगतान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है एवं अक्टूबर 2023 की स्थिति में 92,311 करोड़ मूलधन जमा किया जाना शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो"\]](#)

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावासों हेतु सामग्री क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (*क्र. 1925) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कितने छात्रावास हैं ? विकासखण्डवार जानकारी बताएं? **(ख)** इन छात्रावासों में वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं रह रहे हैं ? संख्या बताएं ? **(ग)** शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लेकर प्रश्नावधि तक इन छात्रावासों में किन-किन सामग्रियों की खरीदी हुई है एवं विभाग द्वारा कौन-कौन सी सामग्री सप्लाई की गई है व कुल कितनी राशि खर्च की गई है ? **(घ)** क्या छात्रावासों में विगत 03 वर्षों में छात्र-छात्राओं के लिए राशन/भोजन सामग्री की खरीदी में व्यय की वर्षवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(घ)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"\]](#)

कलेक्टर (आदिवासी विकास) तथा एकी. आदि. वि. परियोजना कार्यालय दंतेवाड़ा द्वारा व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

7. (*क्र. 2275) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-2022 से दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक कलेक्टर आदिवासी विकास (सहायक आयुक्त) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस-किस मद से कितने कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के कार्यालयों को प्रश्नांकित अवधि में डी.एम.एफ.टी. मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो प्राप्त राशि को, किस-किस प्रयोजन हेतु कितना-कितना, व्यय किया गया ? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें । **(ग)** क्या प्रश्नांश "ख" के प्राप्त राशि को निर्माण / मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया ? यदि हाँ, तो कितने कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? कार्य एजेंसी/ ठेकेदार / सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जी, हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** जी, हां। कार्यों पर किये गये व्यय तथा कार्य एजेंसी/ठेकेदार/सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/व्यक्ति के नाम की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार"\]](#)

जिला जांजगीर - चांपा में अमानक बीज/दवा/खाद सप्लाई पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 2393) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चाम्पा में कृषि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं

2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के किन-किन संस्थानों/फर्मों से बीज/दवा की खरीदी की गई? खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया? कौन-कौन से बीज/खाद की खरीदी की गई? क्या गुणवत्ता जाँच की गई? (ख) प्रश्नांश 'क' अवधि में किन-किन संस्थानों/ फर्मों द्वारा अमानक बीज की सप्लाई की गई? इस संबंध में क्या विभाग को किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा खाद एवं बीज सप्लाई करने वाली संस्थानों/फर्मों का विगत तीन वर्षों में निरीक्षण किया गया? क्या संपल जाँच की गई? किन-किन कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई दवा/बीज की गुणवत्ता अमानक पाये गए? किन-किन संस्थानों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में कृषि विभाग द्वारा विगत तीन वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिसंबर 2023 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, खोखसा, जिला-जांजगीर-चाम्पा एवं राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर को बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाइजर एवं माइक्रोन्यूट्रियेंट की आपूर्ति हेतु प्रदायगी आदेश जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में छ.ग. राज्य के बाहर की किसी भी संस्था/फर्म को बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाइजर एवं माइक्रोन्यूट्रियेंट की आपूर्ति हेतु प्रदायगी आदेश जारी नहीं किया गया है। रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति हेतु किसी भी संस्था को कोई प्रदायगी आदेश उक्त अवधि में जारी नहीं किया गया है। उक्त जारी किए गए प्रदायगी आदेश राज्य शासन द्वारा आदान सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अधिकृत संस्थाओं को ही दिए गए हैं। आपूर्ति किए गए बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाइजर एवं माइक्रोन्यूट्रियेंट की वर्षवार, संस्थावार, सामग्रीवार नाम एवं गुणवत्ता परीक्षण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत क्रय किये गये बीज एवं खाद खरीदी का संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'इ' एवं प्रपत्र 'फ' अनुसार है।** क्रय किये गये बीज की गुणवत्ता की जाँच प्रदायकर्ता संस्था द्वारा कराया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत आपूर्तिकर्ता संस्थानों/फर्मों द्वारा अमानक बीज आपूर्ति किये जाने की जानकारी निरंक है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। विगत तीन वर्षों में विभागीय कीटनाशक/उर्वरक/बीज निरीक्षकों द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, खोखसा, जिला जांजगीर-चाम्पा का निरीक्षण कर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए हैं। प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण परिणाम के अनुसार सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए हैं, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

प्रदेश में फ्लाइएश उत्सर्जन की मात्रा, निराकरण एवं कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 2409) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) फ्लाइएश का उत्सर्जन करने वाले संयंत्रों की संख्या एवं वार्षिक मात्रा वर्तमान में जिलावार कितनी-कितनी है ? (ख) संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाइएश का नियमों के अनुसार निराकरण किस-किस प्रकार से, कितनी-कितनी मात्रा में वर्ष 2022-23 में किया गया ? संयंत्रवार बताएं ? नियमानुकूल निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ? उसका पालन हो रहा है या नहीं ? (ग) फ्लाइएश के अनियमित निराकरण के कितने-कितने प्रकरण, किस-किस संयंत्र के विरुद्ध 2021-22 से 2023-24 की अवधि में प्रकाश में आए ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितना-कितना अर्थदंड अधिरोपित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ में फ्लाइ एश उत्सर्जित करने वाले कुल 101 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित/संचालित है। वर्ष 2022-23 में जिलेवार विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लाइ एश मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ के कॉलम 04 अनुसार है।** (ख) संयंत्रों से उत्सर्जित राखड का नियमानुसार अपवहन की संयंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कॉलम 05, 06, एवं 07 अनुसार है।** विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाइएश अपवहन नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएँ

की गई है:- (1) फ्लाई एश लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाले राखड की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। (2) फ्लाई एश का परिवहन तारपोलीन से ढके हुये वाहनों से कराया जाता है। (3) फ्लाई एश का यथा संभव लाभकारी कार्यों यथा सी मेंट उत्पादन, ईट निर्माण, खदान भराव, सड़क निर्माण, भू-भराव आदि में उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा पालन सुनिश्चित कराया जाता है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (*क्र. 1603) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण दें? (ख) कंडिका "क" की योजना हेतु विभाग द्वारा 2022-23 में कितनी राशि आबंटित हुई थी एवं उनको कौन-कौन से मद में कितना-कितना खर्च किया गया है? विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

पैरादान व उसके परिवहन का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

11. (*क्र. 1574) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2023 तक किस योजना में शासन को कितना पैरा दान मिला? जिलावार अलग-अलग बताइये? (ख) पैरा का परिवहन किस दर से, किस वाहन से किया गया और परिवहन का दर किस आधार पर निर्धारित किया गया पैरा परिवहन का भुगतान राज्य शासन ने कौन से मद से किया? (ग) प्रश्नाश "ख" जिस मद से भुगतान किया गया, उस मद के खर्च के नियमों के तहत क्या पैरा परिवहन का भुगतान करने का प्रावधान था? भुगतान को जिलावार अलग-अलग बताने का कष्ट करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न योजना अंतर्गत प्रदेश के गोठान समितियों को 45.69 लाख किंटल पैरादान मिला। जिलावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) पैरा का परिवहन स्थानीय दर पर ट्रेक्टर एवं अन्य उपलब्ध वाहन से किया गया। परिवहन का दर दूरी के आधार पर किया गया है। परिवहन का भुगतान गोधन न्याय योजना, मूलभूत, 14 वें एवं 15 वें वित्त मद से किया गया है। (ग) जी हाँ। जिलावार वर्षवार भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गोबर खरीदी का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (*क्र. 2476) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने गोठानों का निर्माण किया गया? निर्माण हेतु किस मद से राशि उपलब्ध कराई गई? कितने गोबर की खरीदी की गई एवं कितना भुगतान किया गया तथा विभाग को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई एवं किन-किन शिकायतों का निराकरण किया गया ? वर्षवार शिकायतवार जानकारी दें? (ख) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना अंतर्गत कितने गोबर की खरीदी की गई ? कितना भुगतान किया गया एवं कितना भुगतान शेष है? (ग) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना अंतर्गत किन-किन हितग्राहियों को 30000 (तीस

हजार) या उससे अधिक मूल्य के गोबर की खरीदी का भुगतान किया गया? हितग्राहीवार, भुगतानवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी मे विगत 3 वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में 100 गोठानों का निर्माण किया गया है। गोठान निर्माण हेतु मदवार राशि का **विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** प्रश्नधीन अवधि में 96,959.84 किं. गोबर की खरीदी की गई एवं राशि रू. 193.92 लाख का भुगतान किया गया। विभाग को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी में प्रश्नांश "क" की अवधि में योजना अंतर्गत मात्रा 96,959.84 किं. गोबर खरीदी किया जाकर राशि रू. 193.92 लाख का भुगतान किया गया। भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी निरंक है। (ग) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी मे प्रश्नांश "क" की अवधि में हितग्राहियों को राशि रु. 30,000 या उससे अधिक मूल्य के गोबर की खरीदी का भुगतान की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का राशि आवंटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 2299) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-2022 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति प्राधिकरण को कुल कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया, वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्राधिकरण द्वारा प्रश्नांश (क) अवधि में किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य हेतु, किन-किन विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के दिये गये? इनमें कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण किए जायेंगे समयावधि बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3550.00 लाख वर्ष 2022-23 में 3550.00 लाख एवं 2023-24 में 3550.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है।

राज्य के जी.एस.टी. विभाग में पंजीकृत व्यवसायी

[वाणिज्यिक कर]

14. (*क्र. 2457) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कितने पंजीकृत व्यवसायी हैं? जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत कितने व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराये गये हैं? कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से कितने व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कुल 1,76,777 पंजीकृत व्यवसायी हैं। जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत 50,298 व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराये गये है। कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष में (दिनांक 14.02.2024 की स्थिति में) 13,760 व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है।

चिन्हांकित औद्योगिक क्षेत्रों के विरूद्ध वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (*क्र. 2349) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बिलासपुर, रायगढ़ एवं रायपुर अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कितना क्षेत्र चिन्हांकित है तथा इन

चिन्हांकित औद्योगिक क्षेत्रों के विरुद्ध कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना था तथा कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण नवम्बर, 2023 की स्थिति में किया गया है एवं कितने क्षेत्रों में शेष है ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के मापदण्ड अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में मापदण्ड के अनुसार ही वृक्षारोपण कराया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

जशपुर जिले में आदिवासी विकास परियोजना अन्तर्गत कार्यवार स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (*क्र. 1248) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जशपुर जिले में आदिवासी विकास परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2021से 2023 तक कितने कार्यों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विकास खण्डवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत व निरस्त कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (*क्र. 1365) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ से जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2023 तक के मध्य निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां तो प्रदेश में उक्त अवधि में कुल स्वीकृत कार्य की जिलेवार, विकास खंडवार, स्वीकृत राशि सहित कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने हेतु राज्य शासन से कोई निर्देश जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्या बिना राज्य शासन के निर्देश के व बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के सदस्य सचिव, कमिश्नर दुर्ग द्वारा अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हां तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 42/2023, क्रमांक/2520/एफ-2013-04-00224/ब-4 /चार, नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2023 में इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति के उपरांत ही प्रारंभ किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्र.2270/1883/2023/एक/6, नवा रायपुर दिनांक 15.12.2023 द्वारा राज्य में विगत वर्षों में जो राजनैतिक नियुक्तियां (विभिन्न निगम, मंडल, आयोग/सभा समिति आदि में) की गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। चूंकि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी, इसलिए जिलों से प्राप्त 153 अप्रारंभ कार्यों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1299,1301, 1303,1305, 1307,1309,1311,1313,1315, 1317, 1319, 1321, 1323,1325 तथा 1326, दिनांक 26.12.2023 को बिना अनुमोदन के निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति पश्चात् उपरोक्त निरस्त कार्यों के कार्योंत्तर अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में रखा जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2023 एवं वित्त विभाग के वित्त निर्देश दिनांक 20.12.2023 में दिये गये निर्देश के उपरांत निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। अतः उक्त कार्यवाही हेतु कोई भी अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता।

रायपुर जिले में कीटनाशक दवाईयों, खाद एवं बीजों की गुणवत्ता की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (*क्र. 2361) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिले में वर्ष 2023 में कीटनाशक दवाईयों, खाद एवं बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु किन विक्रेताओं से कितने सैम्पल लिए गए ? **(ख)** प्रश्न "क" के अंतर्गत कितने अमानक कीटनाशक दवाईयों, खाद एवं बीजों की बिक्री के कितने प्रकरण बनाए गए ? विक्रेताओं के नाम सहित की गई कार्यवाही की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रायपुर जिले में वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक) में कृषि विभाग द्वारा गुणवत्ता जांच हेतु कीटनाशी रसायनों के 85 विक्रेताओं से कुल 157 नमूनें, उर्वरकों के 85 विक्रेताओं से कुल 292 नमूनें तथा बीजों के 49 विक्रेताओं से कुल 161 नमूनें लिए गए। आदानवार विक्रय केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', प्रपत्र 'ब' एवं प्रपत्र 'स' अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग द्वारा रायपुर जिले में वर्ष 2023 में बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु 5 विक्रेताओं से 15 सैम्पल लिए गए। आदानवार विक्रय केन्द्रवार **जानकारीपुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार लिये गये नमूनों में से मानक, अमानक पाये गये नमूनों एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', प्रपत्र 'ब', प्रपत्र 'स' एवं प्रपत्र 'द' अनुसार है।**

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियमों का निर्वहन

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (*क्र. 2424) श्री दलेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण, जल 1974 एवं वायु 1981 की धारा 4 के तहत अधिनियमों/नियम में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यालय-भिलाई-दुर्ग के संबंधित जिलों में उल्लंघनकारी लघु, मध्यम, बड़े उद्योगों के विरुद्ध जारी की गई नोटिस एवं विद्युत विच्छेदन, उत्पादन बंद करने का निर्देश उद्योगवार, प्रकरणवार, राशिवार, जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

राखड़ परिवहन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाइड लाइन का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (*क्र. 2024) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(ख)** क्या केंद्र सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाइड लाइन में वन भूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डालने हेतु प्रतिबंधित है ? क्या कोरबा जिले के वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल) एवं कृषि भूमि पर बड़ी संख्या में राखड़ डालने की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां तो दोषियों के खिलाफ जांच या क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है। कोरबा जिला अंतर्गत वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) पर राखड़ डालने की अनुमति नहीं दी गयी है। कोरबा जिला के अंतर्गत भू-भराव हेतु भू-स्वामी के सहमति के आधार पर ही राखड़ भराव हेतु अनुमति जारी की जाती है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (*क्र. 2486) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को धान के बोनस की बकाया राशि नहीं मिली है? किस-किस कारण से बकाया बोनस राशि का भुगतान लंबित है? विकासखण्डवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सरायपाली एवं बसना में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु लंबित किसानों की संख्या एवं लंबित होने के कारण की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु लंबित किसानों की संख्या		भुगतान लंबित होने के कारण
		वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	
1	2	3	4	5
1	सरायपाली	1501	1731	बोनस भुगतान करते समय बैंक खाता नंबर त्रुटि पूर्ण होने अथवा बैंक खाता बंद होने आदि कारणों से ट्रांजेक्शन फेल हुये हैं जिससे कुछ कृषकों को राशि भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे संबंधित कृषकों से आवेदन प्राप्त कर तहसील मॉड्यूल से बैंक खातों में सुधार किया जा रहा है जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है उनके वैद्य वारिस से आवेदन प्राप्त कर बैंक खाता की जानकारी सत्यापित कर शीघ्र राशि भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
2	बसना	2300	2097	
योग		3801	3828	-

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत योजनाओं व मदों से प्राप्त राशि व स्वीकृति कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (*क्र. 1930) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? संचालित योजनाओं में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक कौन-कौन से मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त मदों से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये हैं? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना संचालित है तथा इनके अतिरिक्त महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एवं जिला खनिज न्यास निधि के मद से कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक) तक प्राप्त आबंटन एवं स्वीकृत कार्य के अद्यतन स्थिति की वर्षवार, योजनावार एवं अन्य मदवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

जिला जांजगीर- चांपा में संचालित आश्रम छात्रावास हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (*क्र. 2108) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर- चांपा में कुल कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के कन्या एवं बालक आश्रम

छात्रावास , कितनी -कितनी क्षमता के संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांक "क" के तहत संचालित आश्रम-छात्रावासों हेतु वर्ष 2022-23 में किस-किस मद से, कौन -कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, क्रय की गई? क्या उक्त हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कब -कब? वर्षवार बताएं। (ग) सामग्री आपूर्ति करने हेतु किस- किस संस्था / फर्म को कायदेशि कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति हेतु दिया तथा सम्बंधित को कितनी-कितनी मात्रा का भुगतान किस-किस दर से किया गया? (घ) क्या आपूर्ति की गई सामग्री के गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सामग्री एवं पूर्तियां-25 एवं अन्य व्यय-006 मद अंतर्गत क्रय की गई। जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

रायपुर जिले में उद्योगों के विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण जनसुनवाई

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (*क्र. 2315) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 1.1.2021 से दिनांक 30.11.2023 तक की अवधि में रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में किन-किन उद्योगों द्वारा अपने प्लांटों के विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण जनसुनवाई की गई ? जनसुनवाई में क्या आपत्तियां आईं तथा क्या निराकरण किया गया ? उद्योगवार, वर्षवार जानकारी दें ? (ख) क्या एन.जी.टी. ने सिलतरा क्षेत्र को प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया है ? यदि हां, तो किन-किन मानकों में उक्त क्षेत्र खराब स्थिति में था ? (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार जनसुनवाई पश्चात तथा बिना जनसुनवाई के उक्त अवधि में किन-किन उद्योगों को कब, किस कार्य के लिए विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई है ? क्या जायसवाल निको.लि. सिलतरा रायपुर के द्वारा विस्तारीकरण हेतु अनुमति चाही गई है? यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है व क्या इस उद्योग के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उसका निराकरण किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियां/सुझाव मूल रूप से लोक सुनवाई दस्तावेज के साथ निराकरण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित की जाती है।(ख)जी हाँ. प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नंबर 1038/2018 में माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक10/07/2019 के अनुसार जल तथा वायु प्रदूषण की स्थिति मानकों से अधिक होने तथा समग्र पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) 70 से अधिक होने के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा को क्रिटिकली पालूटेड एरिया घोषित किया गया था।(ग)जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हां। मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा का ब्लास्ट फर्नेश से पिग आयरन उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु संचालन सम्मति बाबत आवेदन विचाराधीन है। जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हेतु चयनित जिले

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (*क्र. 2395) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा किन-किन जिलों का चयन किया गया? जिलों के नाम बतावें ? किन-किन जिलों को विद्युत सेक्टर में कितनी-कितनी राशि प्रावधानित की गई है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के प्रावधानित राशि से इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना की बजाय सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो क्या इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" हेतु निविदा प्रक्रिया तथा भण्डार

क्रय नियम का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों/ कार्य एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के छात्रावास/आश्रम में अहाता निर्माण की स्वीकृति**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (क्र. 336) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने छात्रावास/आश्रम अहाता विहीन हैं? (ख) अहाता विहीन छात्रावास/आश्रम का अहाता निर्माण कार्य कब स्वीकृत किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 15 छात्रावास एवं 02 आश्रम अहाता विहीन हैं। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र आरंग अंतर्गत ग्राम भण्डारपुरी धाम में विकास कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (क्र. 1212) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक आरंग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत भण्डारपुरी धाम हेतु किस - किस विभाग के क्या -क्या निर्माण कार्य/योजना बजट में शामिल है ? पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से अक्टूबर 2023 तक किस -किस कार्य की घोषणा की गयी, विभागवार जानकारी बतावें। (ख) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किस- किस विभाग द्वारा कितने -कितने लागत राशि का निर्माण कार्य कराया गया है ? निर्माण कार्य की एजेंसी कौन थे , निर्माण कार्य हेतु क्या समय सीमा तय की गई थी ? (ग) कितने निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, विभाग वार /बजट राशि की उपलब्धता अनुसार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक आरंग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत भण्डारपुरी धाम हेतु जिला रायपुर अंतर्गत निर्माण कार्य/योजना बजट में कोई कार्य शामिल नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से अक्टूबर 2023 तक की गई घोषणा की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कोई निर्माण नहीं कराया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है। तथा बजट राशि उपलब्ध नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये संचालित योजनाएं एवं व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (क्र. 1249) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2021 से जून, 2023 तक जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जन जातियों के लिये किन-किन योजनाओं के नाम पर, कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम की जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। राज्य में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझामाड़िया एव बिरहोर है, मे से जशपुर जिले मे "पहाड़ी कोरवा" एवं "बिरहोर" विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवासरत हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का गठन एवं वित्तीय-भौतिक स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

4. (क्र. 1549) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम गौठान प्रबंधन समिति कब गठित की गयी? इसका उद्देश्य क्या है? इसका पंजीयन कराया गया है कि नहीं? अब तक कितनी समितियों का गठन किया गया है व इसमें अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन होंगे? इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? कितने गौठानों में गौठान प्रबंध समितियां कार्यरत हैं? (ख) उक्त समिति के लिये कौन-कौन से वर्ष में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया है? गौठान समितियों को कितनी राशि प्रदान की गयी ? शासन द्वारा उस राशि के व्यय के संबंध में क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये है? उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप राशि का व्यय की गयी है कि नहीं? यदि नहीं, तो उन समितियों के ऊपर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है ।

प्रदेश की राजधानी में निर्मित क्रीस क्लब के निर्माण का उद्देश्य

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (क्र. 1594) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में विधायकों के लिए क्रीस क्लब का निर्माण किया गया था? (ख) कंडिका "क" के क्लब का निर्माण कब, किस उद्देश्य और कहां पर किया गया था और इसका उद्घाटन कब होना था? विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" के तहत विधायकों को उसमें क्या-क्या सुविधाएं दी जानी थी? विवरण देवें? क्रीस क्लब कहां है, उसका संचालन कौन कर रहा है? विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां। (ख) क्रीस क्लब का निर्माण वर्ष 2009 से 2011 में पूर्ण किया गया। इसका उद्देश्य शहर के गणमान्य नागरिकों के लिए आराम, व्यायाम एवं खुली हवा का आनंद लेने के लिए टॉप एण्ड कास्मोपोलिटन सोशल और हेल्थ क्लब का निर्माण करना है। क्रीस क्लब का निर्माण व्ही.आई.पी. रोड़ में होटल बेबीलॉन के बाजू में किया गया है तथा इसका लोकार्पण 23 दिसम्बर, 2011 को किया गया। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। क्रीस क्लब व्ही.आई.पी.रोड़ में होटल बेबीलॉन के बाजू में स्थित है एवं इसका संचालन इमिनेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, गोविन्द धाम सिविल लाईन, रायपुर के द्वारा किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

प्रदेश सरकार को जीएसटी कलेक्शन एवं आबंटन से प्राप्त होने वाली राशि

[वाणिज्यिक कर]

6. (क्र. 1604) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है? वर्षवार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी से प्रदेश सरकार को कुल कितने प्रतिशत राशि दिये जाने का प्रावधान है? विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" के वर्षों में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से कुल कितनी जीएसटी की राशि आबंटित की गयी है? विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश को वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल जी.एस.टी.(SGST+IGST) राशि रू. 28707.00 करोड़ कलेक्शन हुआ है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2020-21	7925.10
2021-22	9483.48
2022-23	11298.42
योग	28707.00

(ख) जी.एस.टी. से प्राप्त कुल राशि में से 50.50 अनुपात में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का हिस्सा होता है। केन्द्र सरकार को जी.एस.टी. से प्राप्त 50 प्रतिशत हिस्से में से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्यों को 42 प्रतिशत (जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 1 प्रतिशत) अंतरित किया जाता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 3.407 प्रतिशत निर्धारित है। (ग) उक्त प्रश्नांश की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

महासमुंद जिलान्तर्गत वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 1617) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट के सम्बन्ध में क्या नीति नियम निर्धारित हैं? (ख) महासमुंद जिले में कितने उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और कितने उद्योगों ने अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किया? (ग) वृक्षारोपण नहीं करने वाले उद्योगों पर क्या नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी? क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को विभाग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत जारी की जाने वाली सम्मति में उद्योग के कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 33 प्रतिशत (एक-तिहाई क्षेत्रफल) क्षेत्र में वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने की शर्त निहित की जाती है। (ख) महासमुंद जिले में संचालित सभी 07 वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किया गया है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिपेक्ष्य में शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत गौठान निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (क्र. 1649) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कितने गौठान का निर्माण हुआ है? गौठान के निर्माण हेतु कितनी राशि, किस-किस मद से खर्च की गई? गौठानवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 44, वर्ष 2021-22 में 37 एवं वर्ष 2022-23 तक 01 गौठान इस प्रकार कुल 82 गौठानों का निर्माण हुआ है। गौठानों के निर्माण में मदवार व्यय राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में धान बोनस की राशि का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

9. (क्र. 1875) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में प्रश्न दिनांक तक पिछले किन-किन दो वर्षों के धान बोनस की कितनी राशि, कुल कितने कृषकों को भुगतान की गयी है ? (ख) कितने कृषकों को उक्त बोनस की राशि भुगतान किया जाना शेष है? शेष कृषकों को कब तक बोनस की राशि भुगतान की जावेगी? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्त किसान संख्या एवं भुगतान की गई राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड

डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु शेष किसान संख्या एवं राशि तथा शेष किसानों को भुगतान किए जाने की वर्षवार, विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा नेट हाउस/पैक हाउस से लाभांवित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 1931) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में विभाग द्वारा नेट हाउस/पैक हाउस हेतु वर्ष 2021-22 से दिसंबर, 2023 तक किन-किन वर्ग (जाति वर्ग) के हितग्राहियों को लाभांवित किया गया ? आबंटन पश्चात् निर्माण एजेंसी किसे नियुक्त किया गया? एजेंसी को कितना भुगतान किया गया? एजेंसी की चयन प्रक्रिया क्या थी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 से दिसम्बर 2023 तक नेट हाउस/पैक हाउस निर्माण का लाभ सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमशः 74, 31 एवं 10 कृषकों को लाभांवित किया गया है। नेट हाउस/पैक हाउस के निर्माण हेतु एजेंसी का चयन या नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अपितु कृषकों द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के प्रावधान अनुसार कृषकों के बैंक खाते में अनुदान राशि का अंतरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों पर कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 1946) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने के कितने-कितने प्रकरण किस-किस विभाग को प्राप्त हुए हैं ? (ख) प्रश्नांश 'क' में प्राप्त शिकायतों की जांच क्या उच्च स्तरीय छानबीन समिति से करायी गयी है ? यदि हां, तो कितने प्रकरणों पर शिकायत सही पायी गई ? कृपया विभागवार जानकारी प्रदाय करें ? (ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संबंधित विभागों से संकलित की जा रही है। (ख) जी हां। छानबीन समिति द्वारा जांच किए गए कुल 277 प्रकरणों में शिकायतें सही पायी गईं। विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी संबंधित विभागों से संकलित की जा रही है।

प्रदेश में कृषि यंत्रों हेतु दी जा रही सब्सिडी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 1953) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि यंत्रों हेतु दी जा रही सब्सिडी योजनाओं का राशिवार विवरण वर्ष 2021-22 से 28.01.2024 की स्थिति में बताएं ? (ख) महासमुंद जिले में वर्ष 2022 से 28.01.2024 तक कृषि यंत्रों में दी गई सब्सिडी का ब्यौरा विकासखंडवार, कृषि यंत्रवार, कुल हितग्राही की संख्यावार बताएं ? (ग) 28.01.2024 की स्थिति में कृषि यंत्रों हेतु आवेदित लंबित प्रकरणों की संख्या विकासखंडवार बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021-22 से 28.01.2024 की स्थिति में प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु दी जा रही अनुदान राशि का योजनावार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत विवरण क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र घ अनुसार** है। (ख) महासमुंद जिले में वर्ष 2022 से 28.01.2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु दी गई अनुदान राशि एवं लाभांशित हितग्राहियों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार, यंत्रवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब, स एवं द अनुसार** है तथा संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं वर्षवार, विकासखंडवार, कृषि यंत्रवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र च अनुसार** है। (ग) महासमुंद जिले में वर्ष 2022 से 28.01.2024 की स्थिति में कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु आवेदित लंबित प्रकरणों की योजनावार, वर्षवार, विकासखण्डवार संचालनालय कृषि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र इ, क, ख एवं ग अनुसार** तथा संचालनालय उद्यानिकी की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र छ अनुसार** है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा प्राप्त कृषकों को प्रदत्त खाद, बीज एवं कृषि उपकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (क्र. 2109) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टाधारक कृषकों को वर्ष 2021- 22 एवं 2022 -23 में कितनी - कितनी मात्रा में खाद, बीज एवं कृषि उपकरण प्रदाय किये गए हैं ? (ख) प्रश्नांक "क" में कृषकों का खाद, बीज एवं कृषि उपकरण वितरण हेतु कितना आबंटन प्राप्त हुआ ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई भी व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय नहीं किया गया है, अतः वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में वन अधिकार पत्र धारकों को खाद, बीज एवं कृषि उपकरण के वितरण की जानकारी निरंक है। (ख) उपरोक्तानुसार जानकारी निरंक है।

जिला सरगुजा में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कराये गए निर्माण कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 2250) श्री रामकुमार टोप्यो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सरगुजा जिले के परियोजना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-2022 से 2023 -2024 में 30 जनवरी, 2024 तक कितने निर्माण कार्य कराये गए? तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति व कार्यदिश की जानकारी वर्षवार दें? (ख) वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 में 30 जनवरी, 2024 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक अंतर्गत कुल 90 निर्माण कार्य कराये गये है। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति व कार्यदिश की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्वीकृत 90 निर्माण कार्यों में से 75 कार्य पूर्ण, 07 कार्य प्रगतिरत एवं 08 कार्य अप्रारंभ है। कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

गोधन न्याय योजनान्तर्गत गोबर खरीदी एवं वर्कमी कम्पोस्ट विक्रय सम्बंध में

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (क्र. 2276) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक कुल कितने गोठान का निर्माण किया गया तथा कितने सुचारू रूप से संचालित हैं ? विकासखंडवार गोठानों के

नाम/ ग्राम , पंचायत का नाम तथा बंद / चालू की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के किन-किन गोठानों में, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी राशि की गोबर खरीदी की गई ? इस हेतु किन-किन स्वसहायता समूहों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? वर्षवार , गोठानवार / स्वसहायता समूहवार , पंचायतों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें । **(ग)** प्रश्नांश "ख" के खरीदे गए गोबर से कितनी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट बनाया गया तथा उसके विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार , गोठानवार / स्वसहायता समूहवार, पंचायतों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं, अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड कुआकोण्डा, कटेकल्याण, दंतेवाड़ा एवं गीदम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक कुल 35 गोठानों का निर्माण किया गया। जिनमें से 18 गोठान सुचारू रूप से संचालित है। निर्मित गोठान एवं गोठानों के बंद/चालू होने की विकासखण्डवार, वर्षवार, गोठानवार, ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश क के गोठानों में क्रय गोबर मात्रा एवं राशि का विकासखण्डवार, वर्षवार, गोठानवार, पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** गोबर क्रय हेतु स्व-सहायता समूहों को कोई राशि प्रदान नहीं की जाती, शेष जानकारी निरंक । **(ग)** प्रश्नांश "ख" के क्रय गोबर से निर्मित वर्मी कम्पोस्ट एवं विक्रय किए गए वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा तथा विक्रय से प्राप्त राशि की विकासखण्डवार, वर्षवार, गोठानवार, ग्रामपंचायतवार, समूहवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"\]](#)

रायपुर विकास योजना, 2031 में भू-उपयोग परिवर्तन

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (क्र. 2316) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या रायपुर विकास योजना, 2031 में साईंस कॉलेज ग्राउंड तथा अन्य संलग्न क्षेत्रों को शैक्षणिक उपयोग के स्थान पर मिश्रित उपयोग, रायपुर एम्स की जगह को मिक्सड लैंड यूज, टाटीबंध व चंदनीडीह नदी के किनारे लगभग 40-50 एकड़ को मिक्सड उपयोग तथा ग्राम सरोना का खसरा क्र. 27, 29 एवं 48 एवं अन्य रकबा लगभग 150 एकड़ दलदली भूमि, जो खारून नदी से लगी हुई है, उसे आवासीय कर दिया गया है? यदि हां, तो यह परिवर्तन किस आधार पर किये गये? **(ख)** विकास योजना लाने के नियम क्या हैं? पुरानी विकास योजना में अलग-अलग प्रयोजनार्थ सुरक्षित भू-उपयोग को नवीन विकास योजना में परिवर्तित करने का आधार क्या रहता है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर विकास योजना(पुनर्विलोकित)2031में साईंस कॉलेज ग्राउण्ड तथा अन्य संलग्न क्षेत्र जैसे राजकुमार कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, एन.आई.टी. एवं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, का भू-उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजन दर्शित है। रायपुर एम्स का भू-उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मिश्रित दर्शित है। टाटीबंध व चंदनीडीह नदी के किनारे मिक्सड उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया है, किन्तु उक्त ग्रामों पर स्थित एन.एच. 53 के दोनों तरफ मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। ख.क्रं. 27, 29 एवं अन्य का भू-उपयोग आवासीय प्रस्तावित किया गया है तथा ख.क्रं. 48 पर पूर्व से औद्योगिक गतिविधि संचालित होने से औद्योगिक भू-उपयोग दर्शाया गया है, उक्त खसरे खारून नदी से लगकर नहीं है। खारून नदी से आर.आर. 05 तक की भूमि का भू-उपयोग आमोद-प्रमोद प्रस्तावित किया गया है। यह परिवर्तन पूर्व विकास योजना 2021 के वर्तमान परिदृश्य के परीक्षण उपरांत असंगत भूमि उपयोग को सुव्यवस्थित करने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) आधारित भू-उपयुक्तता विश्लेषण, तथा शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजनाएं निर्माण और कार्यान्वयन(यूआरडीपीएफआई) दिशा-निर्देशों के आधार पर किये गये है। **(ख)** छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत विकास योजना प्रभावशील किया जाता है। पुरानी विकास योजना में अलग-अलग प्रयोजनार्थ सुरक्षित भू-उपयोग को नवीन विकास योजना में परिवर्तन इन आधार पर किये गये है:-मौजूदा भूमि उपयोग सर्वेक्षण, शहरी एवं क्षेत्रीय

विकास योजनाएं निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशा-निर्देश, भूमि उपयुक्तता विश्लेषण, शहरीकरण के कारण विभिन्न भू-उपयोग की आवश्यकता, सुनवाई के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 17-क अंतर्गत गठित समिति के द्वारा परिस्थितिजन्य निर्णय।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वीकृत राशि एवं कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 2339) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत किन-किन ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित किया गया है ? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावधि तक किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? जानकारी देवें? **(ग)** स्वीकृत कार्य एवं राशि के विरुद्ध कितने कार्य, किस एजेंसी, से कितनी लागत से प्रश्नांश 'क' के ग्रामों में कराये गये हैं ? क्या किसी निजी एजेंसी को कार्य दिया गया है ? ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात कितने कार्य दिये गये? पूर्ण विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** 29 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। जी हाँ, निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए 02 निजी एजेंसी को कार्य दिए गए हैं। ग्राम पंचायत अनुमोदन पश्चात् 19 कार्य दिए गए।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

जिला सक्ति में आश्रम शाला एवं छात्रावासों की मरम्मत

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (क्र. 2341) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती के अंतर्गत कितने आश्रम शाला व छात्रावास हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त आश्रम शाला एवं छात्रावासों के मरम्मत कार्य, रखरखाव एवं सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? वर्ष 2021 से जनवरी, 2024 तक वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग कितने कार्यों में किया गया ? किस एजेंसी/फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार जानकारी देवें? **(घ)** क्या प्रभावधि तक कहीं गुणवत्ताहीन मरम्मत कार्य एवं सामग्री क्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कहां? बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सक्ती विकास खंड में 04 आश्रम, 10 छात्रावास। जैजैपुर विकास खंड में 08 आश्रम 11 छात्रावास। डभरा विकास खंड में 03 आश्रम, 08 छात्रावास तथा मालखरौदा विकास खंड में 02 आश्रम, 09 छात्रावास हैं। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

ऋण हेतु गारंटी लेने या देने के प्रकरणों/प्रस्तावों का परीक्षण/प्रतिवेदन

[वित्त]

19. (क्र. 2350) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक राज्य सरकार को करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के तथा ऋण हेतु गारंटी लेने या देने के कितने प्राप्त प्रकरणों/प्रस्तावों पर विभाग द्वारा परीक्षण एवं प्रतिवेदन दिया गया है ? **(ख)** कंडिका **(क)** अवधि में ऋण हेतु गारंटी लेने या देने के

प्रकरणों में कितनी एवं कौन-कौन सी प्रतिभूतियां दी व रखी गयी हैं ? क्या यह सही है कि कुछ प्रतिभूतियों की जब्ती/नीलामी भी की गई है ? यदि हां, तो क्यों व कौन सी प्रतिभूति की की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक राज्य सरकार को करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के कुल 41 प्रकरणों/प्रस्तावों पर तथा ऋण हेतु गारंटी देने के कुल 13 प्रकरणों/प्रस्तावों पर विभाग द्वारा परीक्षण एवं प्रतिवेदन दिया गया है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में ऋण हेतु गारंटी लेने या देने के प्रकरणों में ना ही कोई प्रतिभूति दी गई है और ना ही कोई प्रतिभूति रखी गयी है। किन्हीं भी प्रतिभूतियों की जब्ती/नीलामी भी नहीं की गई है।

जिला - बस्तर अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों में नियमित अधीक्षकों की पदस्थापना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 2372) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला - बस्तर अंतर्गत कुल कितने आश्रम एवं छात्रावास संचालित हैं तथा इनमें से कितने में नियमित अधीक्षक व कितने में प्रभारी अधीक्षक कार्यरत हैं? (ख) क्या सरकार प्रभारी अधीक्षकों के स्थान पर अधीक्षकों की नियमित पदस्थापना कर प्रभारियों को उनके मूल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भेजने कोई कार्ययोजना बना रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत 102 आश्रम एवं 129 छात्रावास संचालित है। इनमें 26 छात्रावासों में नियमित अधीक्षक एवं 205 आश्रम/छात्रावासों में प्रभारी अधीक्षक कार्यरत हैं। (ख) हां, विभाग द्वारा प्रभारी अधीक्षकों के स्थान पर नियमित भर्ती हेतु 300 पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। भर्ती उपरांत प्रभारियों को मूल पदस्थापना स्थान में भेजा जावेगा।

जिला कबीरधाम में हरित क्रांति योजना के तहत चेक डैम/डबरी/कुओं का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (क्र. 2374) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कबीरधाम जिले के अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2021 से वर्ष दिसम्बर, 2023 तक हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कितने चेक डैम/डबरी/कुओं के निर्माण कार्य, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि के कराए गए हैं? कितने कार्य राशि आहरित करने के पश्चात् भी अपूर्ण हैं? वर्षवार/विकासखण्डवार जानकारी दीजिये? (ख) क्या प्रश्नांश 'क' के उल्लेखित कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कबीरधाम जिले के अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक हरित क्रांति विस्तार योजना संचालित नहीं थी, अतः जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

जिला जांजगीर - चांपा में स्थाई/अस्थायी नियुक्ति में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 2394) श्री राघवेंद्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में कब-कब शासकीय पदों एवं कलेक्टर दर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रसारित किया गया? विज्ञापन की कापी उपलब्ध कराएं? (ख) कलेक्टर दर पर विगत तीन वर्ष 2021-22 से 2023-24 में कितने लोगों को

स्थाई/अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गयी? क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चांपा के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में शासकीय पदों एवं कलेक्टर दर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रसारित नहीं किया गया है। (ख) जिला जांजगीर चांपा में विभाग अंतर्गत कलेक्टर दर पर प्रश्नाधीन अवधि तक स्थाई/अस्थाई नियुक्ति संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है, और ना ही इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, परन्तु प्रश्नाधीन अवधि में कलेक्टर दर पर 55 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियम विरूद्ध मौखिक आधार पर छात्रावास/आश्रमों में रखे जाने से अतिशेष की शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के जांच उपरांत छ0ग0 शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 3-6/2023/25-1 दिनांक 05.12.2023 द्वारा श्री एच.के. सिंह उईके, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला जांजगीर चांपा को निलंबित किया गया है।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में क्रय किये गये गोबर एवं निर्मित वर्मी कम्पोस्ट

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 2396) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बिलासपुर अंतर्गत गोधन न्याय योजनांतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक गौठानों में कुल कितनी मात्रा में गोबर का क्रय किया गया एवं कितना भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के खरीदे गये गोबर से कितनी-कितनी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर प्लस कम्पोस्ट का निर्माण किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश "ख" के निर्मित उत्पाद को कितनी-कितनी मात्रा में विक्रय किया गया एवं विक्रय से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) क्या प्रश्नांश "ग" के विक्रय से प्राप्त राशि में से जिला-बिलासपुर अंतर्गत स्वसहायता समूह / सहकारी समिति को बोनस वितरित किया गया ? यदि हाँ तो किन-किन समूहों/समितियों को कितनी-कितनी राशि वितरित की गई ? समूह/समिति के नामवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-बिलासपुर में गोधन न्याय योजनांतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक गौठानों में कुल 4,10,968.07 किंटल गोबर का क्रय किया जाकर राशि रु. 811.59 लाख का भुगतान किया गया। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के खरीदे गये गोबर से कुल 1,02,014.90 किंटल वर्मी कम्पोस्ट, 16,503.33 किंटल सुपर कम्पोस्ट एवं 401.20 किंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस का निर्माण किया गया। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "ख" के निर्मित उत्पाद में से 81,814.59 किंटल वर्मी कम्पोस्ट, 15,751.07 किंटल सुपर कम्पोस्ट एवं 46.20 किंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस का विक्रय किया गया। वर्मी कम्पोस्ट विक्रय से राशि रु. 817.42 लाख, सुपर कम्पोस्ट से राशि रु. 94.51 लाख एवं सुपर कम्पोस्ट प्लस से राशि रु.0.30 लाख प्राप्त हुई । वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश "ग" के विक्रय से प्राप्त राशि में से नहीं अपितु कम्पोस्ट उत्पादन में संलग्न स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप बोनस का वितरण पृथक से किया गया है। वितरित बोनस का समूहवार, समितिवार विवरण पुस्तकालय रखे प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।

धान का उत्पादन तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत राशि का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 2410) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2019 से खरीफ वर्ष 2023 तक धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ था ? वर्षवार बताएं ? (ख) राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत वर्षवार कितने-कितने किसानों को कुल कितनी राशि

का भुगतान किया गया ? बताएं ? क्या भुगतान हेतु कोई राशि शेष है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खरीफ वर्ष 2019 से 2023 तक धान उत्पादन की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	धान उत्पादन (मे. टन)
1	2019	12854050
2	2020	13874529
3	2021	12597045
4	2022	14855875
5	2023	16450865

(ख) राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2019 से खरीफ 2023 तक भुगतान की गई तथा भुगतान हेतु शेष राशि एवं किसान संख्या तथा भुगतान शेष रहने के कारण की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। शेष राशि की भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (क्र. 2411) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खरीफ वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में कितने-कितने किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराया तथा कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया? (ख) उक्त फसल बीमा के कारण वर्षवार कितने-कितने किसानों को फसल क्षतिपूर्ति बतौर कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ग) (क) और (ख) अन्तर्गत ऋणी तथा अऋणी किसानों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसील पामगढ़ एवं नवागढ़ में खरीफ 2021 में 6,689 कृषकों के फसल बीमा हेतु रु. 81.65 लाख, खरीफ 2022 में 5,424 कृषकों हेतु रु. 55.01 लाख तथा खरीफ 2023 में 3,729 कृषकों हेतु रु. 52.81 लाख प्रीमियम राशि (कृषक अंश) के रूप में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को भुगतान की गई है। वर्षवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार फसल क्षति के कारण खरीफ 2021 में कुल 994 कृषकों को 76.68 लाख का बीमा दावा भुगतान किया गया है। खरीफ 2022 में दावा भुगतान की जानकारी निरंक है तथा खरीफ 2023 में दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" अनुसार ऋणी एवं अऋणी कृषकों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

फलोद्यान रोपण योजना तथा फल क्षेत्र विस्तार योजना की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

26. (क्र. 2417) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत फलोद्यान रोपण योजना तथा फल क्षेत्र विस्तार योजनांतर्गत 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक की अवधि में कितने-कितने रकबे में रोपण किया गया तथा उस पर कितना-कितना अनुदान दिया गया ? वर्षवार बताएं ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में 31 दिसम्बर,

2023 की स्थिति में फलवार रोपण का रकबा कितना-कितना है ? शासकीय तथा निजी का पृथक-पृथक बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत फलोद्यान रोपण योजना तथा फल क्षेत्र विस्तार योजनांतर्गत 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक की अवधि में कुल 790.86 हेक्ट. रकबा में रोपण किया गया है जिस पर कुल राशि 56.99 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्षवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है।** (ख) जिला जांजगीर-चांपामें 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में निजी क्षेत्र में 11,178 हेक्ट. तथा शासकीय क्षेत्र में 16.76 हेक्ट. में रकबा फलोद्यान है। फलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब एवं प्रपत्र स अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्वाईस"\]](#)

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड का संचालन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 2423) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिला में वर्ष 2020-21 से प्रश्नावधि तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड, डेव्हलपमेंट, कम्पोनेन्ट (IWMP) का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत कितनी आबंटन राशि प्राप्त हुई है? क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न संरचना एवं कार्यों में व्यय का प्रावधान है? बजट संगठक कार्य के आधार पर बजट प्रतिशतता, किये गये कार्यों में व्यय की बजट संगठकवार, स्थलवार, संरचनावार, एजेंसीवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हाँ, राजनांदगांव जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेव्हलपमेंट कम्पोनेन्ट (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22 तक क्रियान्वित थी, भारत सरकार द्वारा परियोजना को मार्च 2022 में समाप्त किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में परियोजना के तहत रू. 802.69 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न संरचना एवं कार्यों में व्यय का प्रावधान है। बजट संघटक कार्य, बजट प्रतिशतता, बजट संघटकवार की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** तथा संरचनावार, एजेंसीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"\]](#)

राजनांदगांव जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

28. (क्र. 2430) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में वर्तमान में आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर आश्रम एवं बालक/बालिका छात्रावास संचालित हैं ? कितने-कितने छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका"क" के आश्रमों एवं छात्रावासों में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं ? विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्तमान में विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के आश्रमों एवं छात्रावासों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की विकासखंडवार संस्थावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"\]](#)

प्रदेश में स्थापित गौठानों में गोबर खरीदी का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

29. (क्र. 2435) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभाग में अगस्त, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने गौठान कहां-कहां स्थापित किए गए ? इसमें कुल कितनी राशि किन-किन योजनाओं / मद से खर्च की गई ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कुल कितने किंटल गोबर की खरीदी की गई एवं विक्रेताओं को कितना-कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश 'क' में खरीदे गये गोबर से कुल कितने-कितने उत्पाद, कितनी-कितनी मात्रा में निर्मित किए गये एवं विक्रय किये गये ? कितना लाभ-हानि हुई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्नांश 'ग' के विक्रय से प्राप्त लाभांश का बोनस, स्व सहायता समूह एवं सहकारी सोसाइटी को वितरित किया गया ? यदि हां, तो कुल कितनी-कितनी राशि वितरित की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है ।

छात्रावास एवं आश्रम में सामग्री की सप्लाई का भुगतान

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 2448) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2021-22 से 2023- 24 में दिसम्बर, 2023 तक किन-किन छात्रावास एवं छात्रावास आश्रम में किन-किन सामग्रियों की सप्लाई की गयी ? इसके लिए निविदा की क्या प्रक्रिया थी ? निविदा में कितने लोगों/फर्मों ने आवेदन किया एवं निविदा पश्चात किनका चयन किया गया और किन-किन सामग्रियों की सप्लाई के लिए, किन-किन एजेंसी/फर्मों को भुगतान किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : सामग्रियों की सप्लाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। सामग्रियों की क्रय हेतु निविदा जारी नहीं की गयी है, बल्कि सी एस आई डी सी द्वारा अनुबंधित फर्मों से सामग्री का क्रय किया गया है। सामग्रियों की सप्लाई के लिए एजेंसी/फर्मों को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

कोंडागांव जिले में केंद्र से प्राप्त तथा व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

31. (क्र. 2477) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कोंडागांव जिले हेतु केंद्र सरकार की क्या -क्या योजनाएं संचालित हैं एवं इन योजनाओं हेतु विगत 3 वर्षों में केंद्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं उक्त राशि का किन- किन योजनाओं में उपयोग किया गया है तथा कितनी राशि व्यय हेतु शेष है? (ख) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से कितना आबंटन प्राप्त हुआ एवं उक्त प्राप्त आबंटन को किन- किन कार्यों में व्यय किया गया तथा कितनी राशि आज दिनांक तक व्यय हेतु शेष है ? आबंटनवार, व्ययवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ब) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

32. (क्र. 2487) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के तहत कितने गौठानों में वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक कुल कितने क्विंटल गोबर और गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है ? उक्त खरीदी के एवज में कितना भुगतान किया गया था ? विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** उक्त गौठानों में कितने क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, कितने लीटर ब्रम्हास्त्र तथा जीवाश्म का उत्पादन किया गया है ? उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट, ब्रम्हास्त्र, जीवाश्म की कब-कब कितनी मात्रा में बिक्री की गई है ? वर्तमान में कितनी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट, ब्रम्हास्त्र तथा जीवाश्म किन-किन गौठानों में बचे हैं ? गौठानवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** क्या वर्तमान में गौठानों में गोबर की खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बसना एवं सरायपाली में गोधन न्याय योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक कुल 24 गौठानों में कुल 21,598.63 क्विंटल गोबर खरीदी किया जाकर राशि रू. 43.19 लाख का भुगतान किया गया। उक्त गौठानों में गौमूत्र खरीदी नहीं की गई है। **विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में उक्त गौठानों में कुल 6,835.70 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। ब्रम्हास्त्र तथा जीवाश्म का उत्पादन निरंक है। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट में से 5,821.30 क्विंटल की बिक्री गई है तथा 1014.40 क्विंटल गौठानों में शेष हैं। **गौठानवार वर्षवार जानकारी प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** वर्तमान में गौठानों में गोबर की खरीदी एवं वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण नहीं हो रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****बिलासपुर जिले में अनियमित आवासों का नियमितीकरण**

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 626) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर जिले में अनियमित आवासों का नियमितीकरण करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये थे? कितने आवासों का नियमितीकरण किया गया है? कितने आवासों का नियमितीकरण किन कारणों से लंबित हैं? नियमितीकरण के प्रकरणों से कितनी राशि शासन को प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : कुल 7978 आवेदन प्राप्त हुये थे। 1775 आवासों का नियमितीकरण किया गया। 6203 प्रकरण-स्थल निरीक्षण, शास्ति राशि जमा नहीं करने तथा अपूर्ण दस्तावेज होने के कारणों से लंबित है। नियमितीकरण के प्रकरणों में कुल राशि 18,22,27,501.00 रूपये शासन को प्राप्त हुई है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जैविक खेती मिशन से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (क्र. 815) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जैविक खेती मिशन आज पर्यन्त संचालित है? **(ख)** यदि हाँ, तो अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 तक कितने किसानों को क्या-क्या लाभ योजना अंतर्गत प्रदान किया गया ? कृषया विकासखण्डवार जानकारी देवे ? **(ग)** योजना अंतर्गत पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** हां, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन राज्य में अद्यतन संचालित है। **(ख)** विधानसभा अभनपुर से संबंधित विकासखण्ड अभनपुर एवं आरंग है। जैविक खेती हेतु चयनित विकासखण्ड आरंग में ही राज्य पोषित जैविक खेती मिशन संचालित है। विकासखण्ड आरंग अंतर्गत प्रश्राधीन अवधि में योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, जैविक कृषि तकनीकी पर फसल प्रदर्शन, जैविक क्षेत्रों के सामुहिक जैविक प्रमाणीकरण, ऑन फार्म जैविक खाद/कम्पोस्ट उत्पादन हेतु सहायता, किसान मेला सह प्रदर्शनी एवं किसान सम्मेलन गतिविधियां आयोजित कर किसानो को लाभान्वित किया गया। वर्षवार-गतिविधिवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** राज्य पोषित जैविक खेती मिशन अंतर्गत किसानो की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तें निम्नानुसार है :- जैविक खेती हेतु राज्य के चयनित जिला एवं विकासखण्ड में ही योजना का क्रियान्वयन होना, जैविक खेती के अनुकूल क्षेत्र में रूचि रखने वाले कृषकों के न्यूनतम 50 हे. रकबा का क्लस्टर चयन, क्लस्टर हेतु एक ही ग्राम अथवा समीपस्थ ग्राम का चयन, चयनित क्लस्टर में कृषक के 0.40 हेक्टेयर रकबा में जैविक फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान सहायता, लघु-सीमांत कृषक, महिला कृषक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता, जैविक खेती हेतु किसानो से अनुबंध।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)**अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषक समग्र विकास योजना से लाभान्वित कृषक**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (क्र. 816) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कृषक समग्र विकास योजना आज पर्यन्त संचालित है? **(ख)** यदि हाँ, तो अभनपुर विधानसभा क्षेत्र

अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 तक कितने किसानों को क्या-क्या लाभ योजना अंतर्गत प्रदान किया गया ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) योजना अंतर्गत पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हों। (ख) जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 तक अभनपुर विधानसभा से संबंधित विकासखण्ड अभनपुर एवं आरंग में "कृषक समग्र विकास योजना" की उपयोगना "अक्ती बीज संवर्धन योजना" एवं "दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत लाभांवित कृषकों का वर्षवार/योजनावार विवरण **संलग्न प्रपत्रअनुसार** है। (ग) उपयोजनावार पात्रता का विवरण निम्नानुसार है:- **1. अक्ती बीज संवर्धन योजना:- बीज उत्पादन पर अनुदान:-**बीज उत्पादन पर अनुदान ऐसे बीज उत्पादक कृषक जो छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत हो तथा जिन कृषकों ने बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालनालय कृषि अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से लिया हो, को संचालनालय कृषि अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से आधार/प्रमाणित बीज की पैकड मात्रा पर देय होगा। **प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान:-** समस्त वर्ग के कृषक धान, कोदो-कुटकी, रागी, गेहूं एवं तिलहनी फसलों का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त करने पात्र है। **2. दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना:-** सभी वर्ग के कृषकों को योजना से लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। कृषकों का चयन वित्तीय वर्ष में उपलब्ध मदवार बजट के अनुरूप सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया जायेगा। एक कृषकों को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक उत्पादन अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना की पात्रता की शर्तें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

4. (क्र. 817) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना आज पर्यन्त संचालित है? **(ख)** यदि हाँ, तो अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 तक किन-किन समुदायों/व्यक्तियों को क्या-क्या लाभ इस योजना अंतर्गत प्रदान किया गया? **(ग)** इस योजना अंतर्गत पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हों (ख) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक कुल 99 कृषकों को राज्य पोषित नवीन नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों के प्रोत्साहन की योजना के तहत बीज, भूमि उपचार, माइक्रोन्यूट्रियेंट, उर्वरक, कीटनाशक एवं फफूंदनाशक पर अनुदान प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। वर्षवार, विकासखण्डवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।(ग) नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता निम्नानुसार है:- नदी के कछार/तटीय क्षेत्र में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक होना चाहिये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।

कम्यूनिटी फेंसिंग योजना की पात्रता की शर्तें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

5. (क्र. 818) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कम्यूनिटी फेंसिंग योजना आज पर्यन्त संचालित है? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 तक किन-किन समुदायों/व्यक्तियों को क्या-क्या लाभ इस योजना अंतर्गत प्रदान किया गया? **(ग)** इस योजना अंतर्गत पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी, हों। (ख) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से

संबंधित विकासखण्डों में सामुदायिक फेसिंग योजना के तहत जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक कुल 13 समूहों को फेसिंग सामग्री यथा सीमेंट पोल एवं चैनलिंग पर अनुदान प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। वर्षवार, विकासखण्डवार लाभान्वित समूहों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** सामुदायिक फेसिंग योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता निम्नानुसार है:- (1) सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक। (2) भूमि क्षारीय एवं जलमग्नता वाली नहीं होनी चाहिये। (3) वर्ष भर उद्यानिकी फसल लेने हेतु स्वयं का सिंचाई स्त्रोत होना चाहिए।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना के अंतर्गत वितरित ट्रेक्टर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

6. (क्र. 1044) श्री दीपेश साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) सत्र 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने कृषकों को ट्रेक्टर प्रदान किया गया है? वित्तीय वर्षवार, जाति वर्ग एवं विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी देने की कृपा करें। (ख) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी मापदंडों का पालन किया गया है? नहीं तो क्या दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना संचालित नहीं है, अतः जानकारी **निरंक** है। (ख) उपरोक्त "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी **निरंक** है।

एनटीपीसी सीपत के राख प्रबंधन एजेंसी के संबंध में

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 1109) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत एनटीपीसी सीपत से निकलने वाली राख को दिसंबर, 2023 की स्थिति में किन-किन एजेंसियों को निकालने की अनुमति प्राप्त है? (ख) एनटीपीसी सीपत राख परिवहन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? (ग) क्या एनटीपीसी सीपत से निकलने वाली राख के ओवरलोडिंग परिवहन करने वालों पर कोई कार्यवाही की गयी है? (घ) एनटीपीसी सीपत में राख प्रबंधन किये जा रहे परिवहन से प्रभावित और आसपास के गांवों प्रदूषण को रोकने एवं इस पर नियंत्रण हेतु एनटीपीसी सीपत पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) मेसर्स एनटीपीसी सीपत, जिला-बिलासपुर से निकलने वाले राखड़ के निपटान हेतु एजेंसी तय करने की जिम्मेदारी उद्योग की स्वयं की है। अतः जानकारी **निरंक** है। (ख) उद्योग को जारी की गई सम्मति में राखड़ का परिवहन तारपोलिन के माध्यम से ढके हुये ट्रकों द्वारा किये जाने की शर्त दी गई है। (ग) जी हों। परिवहन विभाग द्वारा जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक की अवधि में 10 वाहनों पर कार्यवाही की जाकर रूपये 1,63,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। (घ) एनटीपीसी सीपत में राखड़ प्रबंधन हेतु दी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत क्रमशः दिनांक 31/05/2022 एवं 29/08/2023 को नोटिस जारी किया गया।

विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी के अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 1174) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31-12-2023 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी में कुल कितने छात्रावास/आश्रम संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत प्रत्येक छात्रावास/आश्रमों की स्वीकृत सीट एवं भरे सीट की पृथक-पृथक विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कुल 12 छात्रावास एवं 02 आश्रम संचालित हैं। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

बिलासपुर जिला अंतर्गत छात्रावास एवं आश्रम में मरम्मत और सुधार कार्य हेतु स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 1287) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20-01-2024 तक बिलासपुर जिला अंतर्गत किस-किस छात्रावास एवं आश्रम में मरम्मत और सुधार कार्य कितनी लागत से किया गया है ? (ख) उपरोक्त कार्य किस एजेंसी द्वारा किये गये हैं ? कार्यवार, एजेंसीवार, वर्षवार, व्यय राशि सहित जानकारी दें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में छात्रावास हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 1537) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में छात्रावासों के लिए क्या-क्या सामग्री, किस दर से एवं किस फर्म से क्रय की गई? क्या कोरोना काल में भी छात्रावासों के लिए सामग्री की खरीदी की गयी है। यदि हां तो विवरण देवें? (ख) क्या उक्त सामग्री क्रय में छ.ग. शासन के क्रय भण्डार के नियम का पालन किया गया है? यदि नहीं तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जी नहीं (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

कसडोल विधानसभा क्षेत्र में छात्रावास /आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 1538) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कसडोल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए सामग्री खरीदी हेतु किस-किस मद से कितना आबंटन प्राप्त हुआ? मदवार जानकारी देवें? (ख) उक्त सामग्री को किन-किन छात्रावास/आश्रमों में वितरित किया गया? वर्षवार, संस्थावार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

विधानसभा क्षेत्र कसडोल में कृषकों हेतु कृषि यंत्रों का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 1539) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कसडोल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 में शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को कौन-कौन से प्रशिक्षण दिये गये? (ख) उक्त

प्रशिक्षण के दौरान कृषि यंत्रों को क्रय करने हेतु, कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा किन-किन संस्था/फर्म के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संकलित नहीं की जाती। कसडोल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड बलौदाबाजार, पलारी, कसडोल में वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में उक्त आयोजित प्रशिक्षण के दौरान कृषि यंत्रों को क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

कसडोल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित योजनाओं से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 1540) श्री संदीप साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) वर्ष 2022 एवं 2023 में कितने किसानों द्वारा प्रश्नांश "क" की योजनांतर्गत लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा कितने किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कसडोल विधानसभा से संबद्ध विकासखण्डों पलारी, बलौदाबाजार, कसडोल में कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) वर्ष 2022 एवं 2023 में प्रपत्र-अ में उल्लेखित योजनाओं में से जिन योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं के संबंध में कृषकों द्वारा लाभ हेतु प्रस्तुत आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार संलग्न** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

वनीय भूमि में कास्त कर रहे परिवारों को वनाधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 1541) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2023 तक किन-किन जिलों में वनीय भूमि में कास्त कर रहे कितने परिवारों को वनाधिकार पट्टा प्रदाय करने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था? उनमें से कितने परिवारों को, कितने रकबा की भूमि का पट्टा वितरण किया गया तथा कितने लंबित हैं? कितने प्रकरण को, किस कारण से निरस्त किया गया? जिलावार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

प्रदेश में रेल्वे रेक पाइंट बनाने पर पर्यावरण नियम उल्लंघन की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 1545) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में रेल्वे रेक पाइंट किस-किस जिले में, कहां-कहां पर, किस-किस प्रकार के माल लदान के लिए संचालित हैं ? इन में से कितने रेक पाइंट को, किन शर्तों के तहत पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमति दी गई ? कौन-कौन सी रेक के खिलाफ पर्यावरण नियम उल्लंघन करने की शिकायत वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक प्राप्त हुई है? दिनांक 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में उनके ऊपर, क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रपत्र में उल्लेखित सभी रेल्वे साइडिंग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति प्रदान की गयी है। जारी किये गए सम्मति में मुख्यतः आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किये जाने, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका का पालन करने, लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान होने वाले फ्यूजिटीव उत्सर्जन के रोकथाम की व्यवस्था करने तथा वृक्षारोपण करने आदि की शर्तें दी गयी है। जिन रेल्वे साइडिंग के विरुद्ध प्रश्नाधीन अवधि में शिकायत प्राप्त हुई है उन पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र -ब के कालम 4 एवं 5 अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

नवा रायपुर डब्लपमेंट अथॉरिटी (एन.आर.डी.ए.) द्वारा संपादित कार्यों की स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (क्र. 1576) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर डब्लपमेंट अथॉरिटी (एन.आर.डी.ए.) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 (30 नवंबर, 2023) तक कौन-कौन से नवीन निर्माण/संधारण कार्य, किस एजेंसी द्वारा किए गए? इन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी? कितनी-कितनी राशि, किन-किन संस्थानों से, किस ब्याज दर पर, कितनी अवधि के लिये ली गयी है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं और वर्तमान में प्रगतिशील हैं कि बंद हैं? वर्षवार बताएं।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब के कालम 10 अनुसार है।

आवासीय कॉलोनी/ परिसर एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के उल्लंघन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

17. (क्र. 1608) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आवासीय कालोनी/ परिसर एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन-कौन से बिंदुओं के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है? विस्तृत विवरण दें? **(ख)** कंडिका "क" का उल्लंघन करने पर उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही का प्रावधान है ? विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** आवासीय कालोनी/ परिसर एवं व्यावसायिक क्षेत्रों हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची में क्रमांक 8**(क)** पर उल्लेखित भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं (20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र और 1,50,000 वर्गमीटर से कम के निर्मित क्षेत्र के परियोजनाएं) तथा 8**(ख)** पर उल्लेखित नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं (50 हेक्टेयर या उससे अधिक को सम्मिलित करते हुए और या 1,50,000 हेक्टेयर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र के परियोजनाएं) के प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति मुख्य रूप से पर्यावरण प्रबन्धन योजना, प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तावित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था, प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था, ले-आउट प्लान, प्रस्तावित वृक्षारोपण आदि बिंदुओं के परीक्षण उपरांत दी जाती है। **(ख)** कंडिका "क" का उल्लंघन किये जाने वाले संस्थानों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की धारा 5 के तहत निर्देश देने एवं धारा 15 के तहत वैधानिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

महासमुंद जिले के उद्योगों का नियमित निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

18. (क्र. 1615) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद जिले में स्थापित उद्योगों में कितने उद्योग ऐसे हैं, जो पर्यावरण को अधिक प्रभावित करते हैं? क्या उक्त उद्योगों का विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है? पर्यावरण संतुलन के मानकों का पालन क्या उद्योगों द्वारा किया जा रहा है? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में ऐसे कितने उद्योगों का निरीक्षण किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : महासमुंद जिले में स्थापित उद्योगों में से 05 उद्योग अति प्रदूषणकारी प्रकृति (लाल श्रेणी) के हैं। जी हाँ, विभाग द्वारा उक्त उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जी हाँ, उक्त उद्योगों द्वारा उत्सर्जन मानकों का पालन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में उक्त सभी 05 उद्योगों का निरीक्षण किया गया है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

बालोद जिला में वन अधिकार पत्र का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

19. (क्र. 1702) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक कितने वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है ? उक्त अवधि में कितने वन अधिकार पत्र हेतु दावा प्राप्त हुआ है? विकासखण्डवार बतावें ? **(ख)** कितने वन अधिकार पत्र के मामले लंबित हैं ? कब तक वितरण किया जावेगा ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

कृषि मंडी में फल एवं सब्जियों पर लगने वाला टैक्स

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

20. (क्र. 1870) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्तमान समय में सब्जी मंडी में किसानों से फल एवं सब्जियों का कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाता है? **(ख)** क्या फसलों को टैक्स-फ्री करने की कोई योजना प्रस्तावित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्तमान समय में सब्जी मंडी में किसानों से फल एवं सब्जियों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक।

बालोद जिले में कन्या आश्रमों/छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षक

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 1873) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले में विभिन्न कन्या आश्रम/छात्रावासों में कितने-कितने महिला एवं पुरूष अधीक्षक अथवा प्रभारी पदस्थ हैं ? जानकारी दें ? **(ख)** कन्या आश्रमों/छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बालोद जिले में 19 कन्या आश्रम/छात्रावासों में महिला अधीक्षक पदस्थ हैं, जिनमें से 15 प्रभारी हैं। पुरूष अधीक्षक पदस्थ नहीं हैं। **(ख)** कन्या आश्रम

शालाओं में बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अहाता युक्त भवन का निर्माण किया गया है। महिला चौकीदार की व्यवस्था है, महिला होमगार्ड की नियुक्ति की गई है। जिनके लिए परिसर में ही रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही सभी कन्या आश्रम शालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए गए हैं।

डौण्डीलोहारा विधानसभा में कृषको को प्रदत्त फसल बीमा के लाभ

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (क्र. 1874) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान कितने कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** उपरोक्त कृषकों में से कितने कृषकों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा से संबन्धित तहसीलों में कृषि फसलों के बीमा हेतु क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में क्रमशः 45,823 एवं 46,811 तथा उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु क्रियान्वित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में क्रमशः 222 एवं 226 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, बीमित कृषकों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में फसलों का किया गया बीमा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 1932) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक किन-किन फसलों का बीमा किया गया?कुल बीमित रकबा की जिलावार,वर्षवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या ऐसा भी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें किसानों द्वारा किसी खसरा नं. पर धान बेचा गया, उसी खसरा नं. पर उद्यानिकी फसल दिखाकर बीमा राशि ली गयी हो ?यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी उपरांत क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृषक का नाम पता सहित, की गई कार्यवाही, जांचकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रकरणवार, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला-राजनांदगांव व खैरागढ़ में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कृषि फसलों हेतु क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलों हेतु क्रियान्वित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित फसलों हेतु बीमित रकबा की जिलावार, वर्षवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** वर्ष 2022-23 में जिला कलेक्टर राजनांदगांव को प्राप्त बेनामी शिकायत में वर्ष 2021-22 में श्रीमति पुष्पाबाई वर्मा एवं श्री लालचंद वर्मा ग्राम मुढिया, तहसील डोंगरगढ़ द्वारा जमीन मालिक श्री धरमदास निवासी-सहसपुर विकासखण्ड-डोंगरगढ़ एवं श्रीमति रगेंतीन बाई ग्राम-भर्रोटोला विकासखण्ड-छुरिया से जमीन लीज में लेकर वर्ष 2021-22 में उद्यानिकी फसल लगाई गई तथा उसी खसरे में जमीन मालिक द्वारा सोयाबीन, धान लगाये जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 06 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक संचालक उद्यान राजनांदगांव, श्री टीकम सिंह ठाकुर, सहायक संचालक कृषि राजनांदगांव, श्री सौरभ मिश्रा, ई चिप्स मैनेजर राजनांदगांव, श्री प्रमोद कुमार वर्मा, वरि.कृ.वि.अ. डोंगरगढ़, श्री आमिर खुर्शीद, जोनल मैनेजर बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं श्री नोहर दास बंजारे, जिला समन्वयक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ

इंडिया लिमिटेड सदस्य थे। जांच दल द्वारा यह पाया गया कि जमीन मालिक द्वारा बेचे गये धान के खसरे एवं लीज पर लिये गये खसरे, जिसमें खरीफ में उद्यानिकी फसल लगाई गई थी वे सभी खसरे अलग-अलग थे तथा शेष खसरे जो समान थे उनमें धान का विक्रय मौसम खरीफ में किया गया था तथा उद्यानिकी फसलों के बीमा का लाभ रबी मौसम में लिया गया था इस प्रकार जांच समिति द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि एक ही खसरे में कृषकों द्वारा एक ही मौसम में धान बिक्री एवं उद्यानिकी फसल के बीमा का लाभ नहीं लिया गया है

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री बीमा योजना के असफल भुगतान पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 1933) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक प्रधानमंत्री बीमा योजना अंतर्गत कितने किसानों का पंजीयन किया गया? पंजीयन उपरांत कितने किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया गया? ऐसे कितने किसान हैं, जिनका पंजीयन होने के पश्चात् बीमा राशि का भुगतान असफल रहा या बीमा राशि का भुगतान कृषकों को नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार भुगतान असफल नहीं करने की स्थिति में बीमा कंपनी पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? भुगतान असफल होने की स्थिति में जवाबदारी किसकी है? बीमा असफल होने का कारण, जांचकर्ता अधिकारी का नाम पदनाम, विकासखंडवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक में बीमित कृषकों की संख्या, दावा राशि प्राप्त कृषकों की संख्या, असफल दावा भुगतान से संबंधित कृषक एवं दावा भुगतान लंबित/असफल होने का कारण की जिलावार, वर्षवार, मौसमवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** वर्ष 2021-22 में 383 बीमित कृषकों का बैंक खाता क्रियाशील नहीं होने के कारण से दावा भुगतान लंबित है, इसके निराकरण हेतु बीमा कंपनी को दिये गये निर्देशों के परिपालन में बीमा कंपनी एवं विभागीय मैदानी अमले द्वारा कृषकों से बैंक खाता विवरण प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में बीमा दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल द्वारा डिजी क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कुल 1,872 कृषकों का दावा भुगतान विभिन्न कारणों से असफल हुआ है। बीमा पोर्टल में असत्यापित/विफल जानकारी के सत्यापन पश्चात् बीमा कंपनी को प्राप्त सत्यापित जानकारी अनुसार दावा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली को निराकरण के लिये अनुरोध किया गया है। असफल दावा भुगतान पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण जांचकर्ता अधिकारी एवं जवाबदेही की जानकारी निरंक है। वर्ष 2023-24 अंतर्गत दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टों का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 1947) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि के दौरान कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया है ? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या वन अधिकार पट्टा वितरण में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है ? **(ग)** यदि हां तो शिकायत पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान 124 व्यक्तिगत वन अधिकार एवं 519 सामुदायिक वन

अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वन अधिकार पत्र वितरण में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

धमतरी जिला में छात्रावास/आश्रम में कोचिंग/चिकित्सा, रखरखाव में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 1948) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-धमतरी जिला के अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक छात्रावास/आश्रम में कितनी राशि कोचिंग, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं रख-रखाव पर व्यय हुई? छात्रावास/आश्रमवार जानकारी दी जावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास" \]](#)

जिला- महासमुंद में आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास उत्थान हेतु एन.जी.ओ. को स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

27. (क्र. 1955) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-महासमुंद में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास उत्थान हेतु वर्ष जनवरी 2021 से 28 जनवरी, 2024 तक किस-किस कार्य हेतु किन-किन एन.जी.ओ. को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? बताएं ? **(ख)** उक्तावधि में सामग्री वितरण व प्रशिक्षण में प्राप्त अनियमितता की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में किसी भी एन.जी.ओ. को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला-महासमुंद में पाली हाउस हेतु प्रदत्त स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 1956) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-महासमुंद में वर्ष 2022 से 28 जनवरी, 2024 तक पाली हाउस हेतु दी गई स्वीकृति व सब्सिडी की जानकारी बतायें ? **(ख)** उक्तावधि में पाली हाउस हेतु स्वीकृति तथा सब्सिडी में हुई अनियमितता में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** उक्त योजना में अनियमितता रोकने क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला-महासमुंद में वर्ष 2022 से 28 जनवरी, 2024 तक पाली हाउस हेतु कृषकों को कुल 57028 वर्गमीटर की स्वीकृति दी गई, जिनमें से कृषकों को 43884 वर्गमीटर के लिये कुल राशि रूपये 191.27448 लाख की सब्सिडी दी गई है। **(ख)** उक्तावधि में महासमुंद जिले में पाली हाउस स्वीकृति तथा सब्सिडी की अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश ख के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

अविभाजित जिला राजनांदगाँव में कृषि भूमि की रजिस्ट्री

[वाणिज्यिक कर]

29. (क्र. 1985) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2020 से आज दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक अविभाजित राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सहित) जिले में 25 (पच्चीस) एकड़ या उससे अधिक की कृषि या अन्य प्रकार के भूखंड की रजिस्ट्री का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वर्ष 2020 से आज दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक अविभाजित राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सहित) जिले में 25 (पच्चीस) एकड़ या उससे अधिक की कृषि या अन्य प्रकार के भूखंड की रजिस्ट्री के संबंध में एक दस्तावेज क्रमांक 2748 दिनांक 01.12.2022 को उप पंजीयक कार्यालय खैरागढ़ में रजिस्ट्री हुई है।

महासमुंद जिले में संचालित कृषि उपज मंडी समिति को प्राप्त व व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

30. (क्र. 2028) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद जिले में कितने कृषि उपज मंडी समिति संचालित हैं ? उक्त मंडी समितियों को वर्ष 2021-22 से लेकर दिनांक 15/01/2024 तक कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों से प्राप्त हुई है ? उक्त राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई है ? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध कराएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : महासमुंद जिले में 05 कृषि उपज मंडी समितियां संचालित है। उक्त मंडी समितियों को वर्ष 2021-22 से लेकर दिनांक 15.01.2024 तक राशि रू. 1,02,35,38,469.00 विभिन्न मदों में प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से विभिन्न कार्यों हेतु राशि रू. 78,72,49,495.00 खर्च की गई है। प्राप्त राशि तथा खर्च राशि की मंडीवार, वर्षवार, मदवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

सक्ती जिले के आश्रमों एवं छात्रावासों में अहाता, पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

31. (क्र. 2111) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सक्ती जिले में कुल कितने आश्रम/छात्रावास संचालित हैं और कितने आश्रमों में अहाता निर्माण (बाउंड्रीवाल), पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है और कितने स्थानों में प्रस्तावित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : सक्ती जिले में 17 आश्रम एवं 38 छात्रावास संचालित हैं। 17 आश्रमों में से 08 आश्रमों में अहाता निर्माण (बाउंड्रीवाल) है। सभी 17 आश्रमों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। अहाता (बाउंड्रीवाल) विहीन 09 आश्रमों में अहाता निर्माण डी.एम.एफ. मद में प्रस्तावित है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ईट उत्पादन की इकाईयां तथा उत्पादन क्षमता

[आवास एवं पर्यावरण]

32. (क्र. 2117) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लाल ईट भट्टा तथा फ्लाईऐश से ईट निर्माण की इकाईयों की संख्या, उत्पादन क्षमता तथा फ्लाईऐश की खपत की मात्रा की जानकारी दें? (ख) लाल ईट भट्टों में से चिमनी वाली तथा बिना चिमनी वाली कितनी-कितनी इकाईयां है तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है? (ग) चिमनी

वाले लाल ईट के भट्टों में से किनके-किनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल से आवश्यक अनुमति/सम्मति प्राप्त किये बिना भट्टे का संचालन किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। फ्लाई एश की खपत की मात्रा की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सभी 03 लाल ईट भट्टों में चिमनी स्थापित है। क्षमता की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

जिला-जशपुर अंतर्गत परियोजना मद से संबंधित जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

33. (क्र. 2257) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जशपुर के जनपद पंचायत फरसाबहार में विगत अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को परियोजना मद से कितनी-कितनी राशि हस्तांतरण की गई है? (ख) क्या संबंधित अधिकारी के द्वारा हस्तांतरित की गई राशि के लिये शासन या जिला के कलेक्टर से अनुमति ली गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी जानकारी दें। (ग) यदि नहीं ली गई है तो क्या उस अवधि में प्रदाय राशि को ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत वापस लिया गया है? यदि नहीं तो तत्कालीन पदस्थ अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 01 ग्राम पंचायत को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार के द्वारा राशि रुपये 20.00 लाख हस्तांतरण की गई है। (ख) जी, नहीं। (ग) जी, नहीं। कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रदत्त लाभ

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

34. (क्र. 2297) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है? (ख) कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसील स्तर पर एवं बीमित राशि का निर्धारण प्रति हेक्टेयर में किया जाता है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलो मुंगेली, पथरिया, तथा जरहागांव में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में (दिनांक 31 जनवरी 2024 तक) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार एवं फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित "क" की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषकों तथा क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को भुगतान की गई प्रीमियम राशि (कृषक अंश) की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

जिला-मुंगेली अंतर्गत कृषकों के ऋण की माफी

[वित्त]

35. (क्र. 2298) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मुंगेली जिले में किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत कितने किसानों का सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक बैंक व अन्य बैंकों से लिया गया ऋण माफ करना था तथा कितने किसानों का ऋण माफ किया गया? कितने किसानों का ऋण माफ किया जाना शेष है व कब तक किया जावेगा? क्या डीफाल्टर किसानों के ऋण माफी के संबंध में कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों का ऋण माफ किया गया व कितने किसानों का कब तक माफ किया जावेगा, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : मुंगेली जिला में अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 एवं 2019 अंतर्गत सहकारी बैंकों के पात्र 27990 किसानों को तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के पात्र 19006 किसानों का ऋण माफ किया जाना था। सहकारी बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के पात्र सभी 46996 किसानों का ऋण माफ किया गया है। अतः किसी भी किसान का ऋण माफ किया जाना शेष नहीं है। प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार 19006 किसानों में से मुंगेली जिले में एन.पी.ए. खातों की कुल संख्या 4158 थी। इन एन.पी.ए. खातों हेतु 43.99 करोड़ ऋण माफ किया गया है तथा सहकारिता विभाग द्वारा 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया 27990 किसानों में समस्त अल्पकालीन ऋण/मध्यकालीन परिवर्तित/मध्यकालीन पुनःपरिवर्तित ऋण को माफ किया गया है जिसमें किसानों का कालातीत ऋण भी शामिल है। वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कोई भी ऋण सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के द्वारा माफ नहीं किये गये है क्योंकि ऋण माफी योजना के प्रावधान के अंतर्गत 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में ऋण माफी की गई है। मुंगेली जिला के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण माफ किये गये किसानों की जानकारी विधानसभावार संधारित नहीं की गई थी। अतः व्यावसायिक बैंकों की ऋण माफ किये गये किसानों की जिलावार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है तथा सहकारी बैंकों द्वारा ऋण माफ किये गये किसानों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना

[वित्त]

36. (क्र. 2309) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश के समस्त विभागों एवं योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है ,यदि हां ,तो कितने संविदा कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : प्रदेश के समस्त विभाग एवं योजनाओं में कार्यरत ऐसे संविदा कर्मचारी जिनका संविदा वेतन वित्त निर्देश 16/2019 के द्वारा निर्धारित किया गया था उनके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी के घोषणा के अनुरूप 27 प्रतिशत वृद्धि कर वित्त निर्देश 22/2023, दिनांक 02.08.2023 जारी किये गये है। (निर्देश के प्रति प्रपत्र-अ पर दर्शित है) राज्य शासन के 36 विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार बढ़ी हुई संविदा वेतन का लाभ राज्य शासन के संविदा वेतन में कार्यरत 4421 संविदा कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। विभागों से प्राप्त जानकारी "संलग्न प्रपत्र- ब" पर दर्शित है। शेष विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

कौशिल्या विहार (कमल विहार योजना) में एम्यूजमेंट पार्क हेतु सुरक्षित भूमि का विक्रय
[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 2317) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कमल विहार (कौशिल्या विहार) रायपुर विकास प्राधिकरण की योजना में प्रारंभिक/पश्चात वर्ती प्लान में एम्यूजमेंट पार्क निर्माण हेतु भूमि सुरक्षित रखी गई थी? यदि हां तो किस स्थान पर, कितनी भूमि रखी गई थी? पूर्ण विवरण देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' में एम्यूजमेंट पार्क हेतु सुरक्षित रखी गई भूमि को रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर ने बिना सक्षम अनुमति या लैंड यूज परिवर्तित कराये विक्रय कर दिया? यदि हां, तो कब तथा क्यों? **(ग)** क्या रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को यह अधिकार है कि वह बिना सक्षम स्वीकृति के अथवा लैंड यूज परिवर्तन किये बिना एम्यूजमेंट पार्क की भूमि विक्रय कर दे? यदि हां, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं तो इस विक्रय के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)**प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)**प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा भंडार क्रय नियम के उल्लंघन पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

38. (क्र. 2318) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 1.1.2019 से 30.11.2023 के बीच कृषि विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा भंडार क्रय नियम उल्लंघन एवं सीवीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी की प्रारंभिक जांच में कितने अधिकारी दोषी पाये गये? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** 01.01.2019 से 30.11.2023 के बीच कृषि विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा भंडार क्रय नियम उल्लंघन एवं सीवीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी की प्रारंभिक जांच में 108 अधिकारी दोषी पाये गये। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित कृषि विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भंडार क्रय नियम उल्लंघन में की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" प्रपत्र "ब" प्रपत्र "स"** अनुसार, सीवीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड में कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "द"** अनुसार, उद्यानिकी विभाग का भंडार क्रय नियम उल्लंघन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ई"** अनुसार तथा सीवीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड में की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "फ"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिदोला में एकलव्य आश्रम शाला की स्वीकृति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

39. (क्र. 2326) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिदोला में बालकों के लिए 150 एवं बालिकाओं के लिए 150 सीटों के 02 एकलव्य आश्रम शाला की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाकर पूर्ण किया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड मैनपुर के ग्राम-छिदोला में एक 420 सीटर (210 बालक एवं 210 बालिका) संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत है। ग्राम-छिदोला में भूमि आरक्षित कर ली गई है, निर्माण कार्य अप्रारंभ है, निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेसी द्वारा किया जाना है अतएव कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य में जीएसटी विभाग में पंजीकृत व्यवसायी

[वाणिज्यिक कर]

40. (क्र. 2327) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राज्य में 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जीएसटी विभाग में कुल कितने पंजीकृत व्यवसायी हैं? जीएसटी लागू होने के उपरांत कितने व्यवसायियों के द्वारा पंजीयन निरस्त कराया गया है? कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से कितने व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : राज्य में 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कुल 1,76,777 पंजीकृत व्यवसायी हैं। जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत 50,298 व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराया गया है। कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष में (दिनांक 14.02.2024 की स्थिति में) 13,760 व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है।

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

41. (क्र. 2340) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में अनु.जाति एवं अनु.जनजातियों के कल्याण एवं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है ? विवरण दें? **(ख)** वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं हेतु विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने में स्वीकृति प्रदान की गई है ? कितने लंबित हैं ? वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** संचालित योजनाओं में किस-किस प्रकार के स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा प्रश्नांश 'ख' अवधि में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विकासखण्डवार विवरण दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स कैरियर योजना, आटो पैसेन्जर योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों का विवरण **संलग्न प्रपत्र - 'अ'** अनुसार है। **(ग)** छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा सेवा उद्योग परिवहन, कृषि क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय जैसे:- ट्रेक्टर ट्राली, गुड्स कैरियर, आटो पैसेन्जर, स्माल बिजनेस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुग्ध डेयरी, फास्ट-फूड, हॉटल व्यवसाय, फेब्रिकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, दवाई दुकान, जनरल स्टोर्स, कोचिंग सेन्टर, सिलाई सेन्टर, रेडीमेट कपड़ा दुकान, बुटीक सेन्टर आदि हितग्राही के पसन्द अनुसार विभिन्न व्यवसाय हेतु सहायता प्रदान किया जाता है। स्वीकृत प्रकरणों की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त बीज की गुणवत्ता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

42. (क्र. 2343) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत खरीफ एवं रबी सीजन हेतु वर्ष 2021-22 से 2023-24 में प्रश्न अवधि में सहकारी केंद्रों को किन-किन एजेंसियों द्वारा किन-किन फसलों के बीज की सप्लाई की गई है ? वर्षवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्न **(क)** के अनुसार प्रदाय बीजों के गुणवत्ताहीन होने की कितनी शिकायतें, प्राप्त हुई हैं ? संबंधित फर्म एवं एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की गई है? विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार

क्या बीज के उपयोग के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार कृषकों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या वर्तमान खरीफ फसल खरीफ एवं रबी सीजन हेतु संस्थाओं द्वारा सरकारी केंद्रों को बीज उपलब्ध कराया गया है ? एजेंसियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में वर्ष 2021-22 से 2023-24 (दिनांक 05.02.2024 तक) तक खरीफ एवं रबी मौसम में सहकारी समितियों में प्रमाणित बीज की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा की गई है, जिसकी वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसमवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदाय प्रमाणित बीजों के गुणवत्ताहीन होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रमाणित बीजों के उपयोग से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (घ) जी हां। खरीफ वर्ष 2023 एवं रबी वर्ष 2023-24 हेतु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा की सहकारी समितियों में भण्डारित बीजों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

निंदानाशक दवाई वितरण के भुगतान में अनियमिता की जांच एवं कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

43. (क्र. 2351) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विभाग द्वारा निंदानाशक दवाई वितरण के भुगतान में अनियमितता के संबंध में छ.ग. बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर के प्रबंध संचालक द्वारा पत्र क्रमांक 1911, दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से जानकारी व जांच प्रतिवेदन चाहा गया था ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन में क्या अनियमितता पाई गई व क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** क्या कार्यालय, आयुक्त, दुर्ग संभाग के पत्र 4447, दिनांक 04.12.2023 के द्वारा कलेक्टर, कबीरधाम को जांच/ कार्यवाही कर अवगत कराये जाने बाबत लेख किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किसके विरुद्ध क्या शिकायत की जांच हेतु लेख किया गया था? जांच का निष्कर्ष क्या था?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) हां। जांच अधिकारी प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर के पत्र क्र. 1911 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्रभारी उप संचालक कृषि कबीरधाम से निंदानाशक दवाई वितरण के भुगतान में अनियमितता के संबंध में जानकारी चाही गई। जांच अधिकारी (प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर) के पत्र क्र. 2185 दिनांक 11.02.2024 द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन में मुख्यतः प्रभारी उप संचालक कृषि कबीरधाम द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के उपनियम 4.3.2 व 4.3.3 का पालन नहीं किया जाना, डी.बी.टी. का पूर्णतः पालन नहीं करना (डी.बी.टी. के माध्यम से कृषक के खाते में राशि जमा न कर प्रदायक संस्था के खाते में जमा करना) एवं विभागीय अमले द्वारा कीटनाशक का वितरण न करना जैसी अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** हां, कार्यालय, आयुक्त दुर्ग संभाग के पत्र 4447, दिनांक 04.12.2023 के द्वारा कलेक्टर कबीरधाम को जांच/कार्यवाही कर अवगत कराये जाने बाबत लेख किया गया था। उक्त पत्र में दवाई आपूर्तिकर्ता सृष्टि आर्गेनिक के विरुद्ध शिकायत की जांच हेतु लेख किया गया है। जांच की कार्यवाही कार्यालय कलेक्टर जिला-कबीरधाम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

रायपुर जिले में कृषकों को तालाब निर्माण योजना तथा नलकूप खनन योजना के तहत प्राप्त अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

44. (क्र. 2362) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिले में कृषकों हेतु लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण योजना तथा नलकूप खनन योजना के तहत कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी? वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक

वित्तीय वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्न "क" के अंतर्गत कितने कृषकों को योजनानुसार कितना अनुदान प्रदान किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजनांतर्गत कृषकों को अनुदान प्रदाय नहीं किया जाता, अपितु शासकीय भूमि पर शत-प्रतिशत शासकीय व्यय से लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्मित किये जाते हैं। रायपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 में लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण के लिए कुल राशि रू. 138.06 लाख एवं किसान समृद्धि योजनांतर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर अनुदान हेतु कुल राशि रू.18.34 लाख आंबटन दिया गया था। वर्षवार आंबटित राशि की जानकारी निम्नानुसार है

(राशि रू.लाख में)

क्र	योजना का नाम	विवरण	वर्ष2020-21	वर्ष2021-22	वर्ष2022-23	योग
1	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना	लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण	19.91	70.00	48.15	138.06
2	किसान समृद्धि योजना	नलकूप खनन/पम्प प्रतिष्ठापन	7.50	6.34	4.50	18.34

(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किसान समृद्धि योजनांतर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिष्ठापन पर कुल 105 कृषकों को राशि रू. 18.26 लाख प्रदाय किया गया है।

प्रदेश में संचालित गौठानों हेतु बजट प्रावधान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

45. (क्र. 2363) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला - रायपुर में कितने गौठान संचालित हैं? इनके लिये कितने बजट का प्रावधान वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किस मद अंतर्गत किया गया है? दिसम्बर, 2023 तक कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्षवार, विकासखंडवार विवरण दें? **(ख)** प्रश्न "क" के अंतर्गत गौठानों को भुगतान की कितनी राशि लंबित है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ग)** प्रदेश में संचालित गौठानों में कितनी गायों की मृत्यु हुई है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-रायपुर में 325 गोठान संचालित है, इनके लिए वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को छोड़कर अन्य समस्त विभाग में पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी घटकों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के अभिसरण कर योजनाओं में निहित प्रावधानों के अध्याधीन सक्षम अनुमोदन उपरांत राशि व्यय किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अद्योसंरचना मद में राशि रू. 57.33 लाख एवं मनरेगा अंतर्गत राशि रू. 852.65 लाख के कार्य स्वीकृत किया गया। जिसमें से दिसंबर, 2023 तक अधोसंरचना मद की राशि रू. 38.11 लाख तथा मनरेगा अंतर्गत राशि रू. 607.45 लाख का व्यय किया गया है। **वर्षवार, विकासखंडवार, विवरण प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" के अंतर्गत गोठानों को कुल राशि रु. 122.64 लाख का भुगतान लंबित है। वर्षवार विकासखण्डवार **विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रदेश के संचालित गोठानों में 59 गायों की मृत्यु हुई है। **वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र- ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

राज्य में "चिराग" योजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

46. (क्र. 2373) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. राज्य के किन-किन जिलों को "चिराग" योजना में सम्मिलित किया गया तथा इस योजना के तहत क्या-क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है? कृपया बतावें? **(ख)** इस योजना के तहत कुल कितनी राशि प्रावधानित थी तथा अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी? **(ग)** स्वीकृत राशि में से कितने कार्य किये गये? कार्यवार किये गये व्यय व इन कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** चिराग परियोजना में राज्य के कुल 15 जिलों यथा- बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, काँकर, कोंडागाँव, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मुंगेली को सम्मिलित किया गया है। परियोजना के तहत ग्राम स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं का गठन, सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्धन करना, लक्षित परिवार के आहार विविधता में सुधार लाना, सकारात्मक पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना, ग्राम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त लाभ लेते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से जलवायु अनुकूल लचीली कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना, मूल्य संवर्धन एवं बाजार अंतर्गत किसान कृषक संगठन के माध्यम से कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के बाजार से जोड़ना आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **(ख)** चिराग परियोजना हेतु कुल राशि रू. 1735 करोड़ प्रावधानित है। इस योजना के तहत वर्षवार बजट प्रावधान एवं स्वीकृत/आबंटित राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** स्वीकृत राशि में से किये गये कार्यवार व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

कबीरधाम जिला अंतर्गत कृषक बीमा एवं फसल बीमा की लैम्पस द्वारा जमा की गई राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 2376) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान कितने कृषकों की कृषक बीमा एवं फसल बीमा की राशि लैम्पस के द्वारा जमा की गई थी? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** कितने बीमित कृषकों की मृत्यु हुई? क्या मृत्यु उपरांत कृषक बीमा की राशि संबंधित परिवारों को उपलब्ध कराई गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी विकासखण्डवार नहीं अपितु तहसीलवार की जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक कबीरधाम जिले से संबंधित तहसील बोडला एवं पंडरिया में लैम्पस द्वारा वर्ष 2021-22 में 18,827, वर्ष 2022-23 में 21,746 एवं वर्ष 2023 में 19,209 कृषकों के फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा की गई है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार बीमित कृषकों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** लैम्पस द्वारा कृषकों का कृषक बीमा नहीं किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार बीमित कृषक के मृत्यु के संबंध में कोई भी आवेदन अथवा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीन के क्रय एवं स्थापना में ऑडिट आपत्तियां

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

48. (क्र. 2377) श्रीमती भावना बोहरा (श्री सुशांत शुक्ला) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीन के क्रय एवं स्थापना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में स्टेट ऑडिट विभाग (स्थानीय निधि संपरीक्षा) द्वारा ऑडिट रिपोर्ट दी गई है ? यदि हाँ, तो कब-कब ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां किस-किस जिले के

सन्दर्भ में थी? रिपोर्ट में इस हेतु किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार/दोषी कराया गया है एवं उन पर विभाग की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की गई ? अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीन के क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में स्टेट ऑडिट विभाग (स्थानीय निधि संपरीक्षा) द्वारा वर्ष 2003-04 से 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 11.03.2011 को दी गई है। (ख) प्रश्नांश 'क' की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2003-04 से 2008-09 के कंडिका क्रमांक 38 में सीड एवं फल सब्जी ग्रेडिंग मशीन प्लांट का क्रयण मूलदर से क्रय नहीं करने पर अधिक भुगतान के फलस्वरूप राशि रू. 35,19,647.00 की हानि एवं अन्य अनियमितताएं संबंधी आपत्ति है, अंकेक्षण की कंडिका क्रमांक 38 में ली गई आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। अंकेक्षण आपत्ति में जिले का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में इस हेतु किसी भी अधिकारी के जिम्मेदार/दोषी होने का उल्लेख नहीं है, अपितु उत्तरदायी से आक्षेपित राशि रू. 35,19,647.00 की वसूली का उल्लेख है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

तिल, सरसों, मूँगफली, सोयाबीन एवं अन्य तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

49. (क्र. 2383) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) तिलहनी फसल सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरण्डी आदि की खेती प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने रकबे पर की जाती है? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्या कण्डिका 'क' की तिलहनी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इनकी खरीदी का समर्थन मूल्य कितना है? किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीदी के लिए किन-किन जिलों में कितने खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरण्डी आदि तिलहनी फसलों की खेती की जिलेवार, फसलवार, रकबावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) जी हां। भारत सरकार की योजना "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम में कण्डिका 'क' की तिलहनी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रावधान है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है-

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू./ क्वि.)
तिल	8635
राई/सरसों	5650
सोयाबीन	4600
सूर्यमुखी	6760
मूँगफली	6377
कुसुम	5800
रामतिल	7734
अरण्डी	भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं
अलसी	भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं

प्रदेश में तिलहनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय नहीं लिया गया है। शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

बालोद जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयास

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 2384) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पिछले 02 वर्षों में बालोद जिले में कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं व कृषि विभाग, जिला बालोद द्वारा इस दिशा में क्या-क्या पहल की गयी है? क्या विभाग के प्रयासों से जैविक खेती करने वाले किसानों की आय एवं खेती के रकबे में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो विवरण दें? **(ख)** कण्डिका 'क' की योजनाओं/कार्यक्रमों से दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विगत दो वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बालोद जिला के विकासखण्ड-डौण्डी में ही राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना संचालित है। विकासखण्ड-डौण्डी को पूर्ण जैविक विकासखण्ड बनाने हेतु जैविक खेती के लिए अनुकूल क्षेत्र का चयन किया गया है तथा इस क्षेत्र के जैविक खेती में रूचि रखने वाले किसानों का चयन कर उन्हें योजना से जोड़ा गया तथा योजना में प्रावधान अनुसार कृषक के खेतों का मृदा परीक्षण, कृषक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, जैविक क्षेत्रों के सामुहिक जैविक प्रमाणीकरण, जैविक कृषि तकनीकी पर फसल प्रदर्शन, जैविक उत्पाद का ब्रांडिंग, पैकेजिंग, किसान मेला गतिविधियाँ आयोजित की गयी। इन प्रयासों से जैविक खेती करने वाले किसानों की कास्त लागत में कमी आने, उत्पादित जैविक उत्पाद के बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होने से किसानों की आय में वृद्धि हुई। जैविक खेती के रकबा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 185.60 हे., 2022-23 में 3.80 हे. तथा 2023-24 (5 फरवरी, 2024 तक) में 504.00 हे. रकबा में वृद्धि हुई। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 (5 फरवरी, 2024 तक) कुल 450 किसान तथा परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 831 किसान, वर्ष 2022-23 में निरंक तथा वर्ष 2023-24 (5 फरवरी, 2024 तक) में 626 किसान लाभान्वित हुए।

कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियों के उपयोग हेतु जारी परिपत्र

[वाणिज्यिक कर]

51. (क्र. 2398) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि स्टांप एक्ट के तहत कलेक्टर ऑफ स्टांप प्रथम कर निर्धारण अधिकारी होता है? क्या यह सही है कि कलेक्टर ऑफ स्टांप अपील अधिकारी नहीं होता? **(ख)** कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियां राज्य में किन-किन अधिकारियों को दी गई है? **(ग)** कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियों के प्रयोग के विषय में राजस्व मंडल द्वारा क्या-क्या परिपत्र जारी किए गए हैं? परिपत्र उपलब्ध करावें ? **(घ)** कलेक्टर ऑफ स्टांप के द्वारा किए गए कर निर्धारण में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था प्रचलित है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** यह सही नहीं है कि स्टांप एक्ट के तहत कलेक्टर ऑफ स्टांप प्रथम कर निर्धारण अधिकारी होता है। यह सही है कि कलेक्टर ऑफ स्टांप अपील अधिकारी नहीं होता है। **(ख)** कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियां राज्य में पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त समस्त पंजीयकों को दी गई है। **(ग)** कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियों के प्रयोग के विषय में राजस्व मंडल द्वारा जारी परिपत्र की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** कलेक्टर ऑफ स्टांप के द्वारा किए गए कर निर्धारण में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए अपील का प्रावधान है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण द्वारा आमोद-प्रमोद की भूमि का आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 2407) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आमोद-प्रमोद के उपयोग हेतु कुल कितनी भूमि थी? इसके आबंटन/अंतरण की शर्तें तथा दरें क्या-क्या हैं ? **(ख)** उक्त प्राधिकरण के द्वारा आमोद-प्रमोद की भूमि में से वर्ष 2019 से 2023 तक किसको-किसको, कितनी-कितनी भूमि किन-किन दरों पर, दी गई ? वर्षवार बताएं। **(ग)** वर्तमान में प्राधिकरण के स्वामित्व में आमोद-प्रमोद की कितनी भूमि, कितने स्थानों पर शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आमोद-प्रमोद के उपयोग हेतु कुल 1427.752 हेक्टेयर भूमि थी। आबंटन/अंतरण की शर्तें तथा दर **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में प्राधिकरण के स्वामित्व में आमोद-प्रमोद की लगभग 1042.292 हेक्टेयर भूमि सेक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40 में शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौसठ" \]](#)

रिक्त पदों पर भर्ती एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

[वित्त]

53. (क्र. 2408) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जनवरी 2019 से नवम्बर, 2023 तक कितने रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने तथा कितने नवीन पदों के सृजन की स्वीकृतियां/ अनुमतियां प्रदान की गई ? विभागवार, श्रेणीवार बताएं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : प्रश्नाधीन अवधि में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति की विभागवार/श्रेणीवार जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** अनुसार है तथा नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति संबंधी विभागवार/श्रेणीवार जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ" \]](#)

अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा तथा कोचिंग की व्यवस्था

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

54. (क्र. 2412) श्रीमती शोषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं ? **(ख)** उक्त संचालित योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या 2021-22 तथा 2022-23 में कितनी-कितनी रही है? यदि ऐसी योजनाएं नहीं हैं तो क्या योजना बनाई जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। **(ख)** उक्त संचालित योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या 2021-22 तथा 2022-23 में **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 से संचालित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" \]](#)

जिला-जांजगीर-चांपा में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

55. (क्र. 2413) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में कहां-कहां एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा कहां-कहां संचालन हेतु प्रक्रियाधीन हैं ? इनमें स्वीकृत सीट की बालक और कन्या हेतु संख्या कितनी-कितनी है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कितने विद्यालय स्वयं के भवन में हैं तथा अन्य कितने किन-किन भवनों में हैं? स्वयं के भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है ? क्या सभी विद्यालयों में खेल के मैदान भी हैं? **(ग)** इन विद्यालयों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त संख्या कितनी-कितनी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है और न ही संचालन हेतु प्रक्रियाधीन है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित नहीं होने से सीट संख्या का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश "क" के उत्तर में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

राजनांदगांव जिले में किसानों को कृषि यंत्र एवं खाद बीज हेतु प्रदत्त अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

56. (क्र. 2427) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव जिले के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक कितने किसानों को कृषि यंत्र खरीदी, खाद, बीज हेतु अनुदान प्रदाय किया गया है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** कंडिका"क" के अनुसार किन-किन कृषि यंत्रों एवं खाद बीज हेतु अनुदान दिया जाता है ? इसके मापदंड क्या हैं ? कृपया बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक अनुदान पर बीज, उर्वरक (सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/जैविक खाद) एवं कृषि यंत्र/उपकरण प्राप्त किसानों की वर्षवार, विकासखण्डवार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र स अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार अनुदान पर प्रदाय किये जाने वाले प्रमाणित/संकर बीज, उर्वरक (सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/जैविक खाद) एवं कृषि यंत्र/उपकरण तथा अन्य सामग्री के अनुदान मापदण्ड की योजनावार, सामग्रीवार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब एवं प्रपत्र द अनुसार है।**

खाद, बीज, दवाओं की गुणवत्ता की जांच एवं कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

57. (क्र. 2429) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक खाद, दवाई एवं बीज संस्थानों में अमानक रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के गुणवत्ता की जांच कराई गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों में, किन-किन संस्थाओं के खाद, बीज एवं दवाई अमानक स्तर पर पाए गए हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** गुणवत्ताविहीन संस्थानों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ! जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के गुणवत्ता की जांच कराई गई है, जांच में उर्वरक के कुल 13, कीटनाशक रसायनों के कुल 09 तथा बीज के कुल 10 नमूने परीक्षण में अमानक पाए गए। अमानक पाए गए खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की वर्षवार, संस्थावार एवं विकासखण्डवार

जानकारीसंलग्न प्रपत्र "अ" प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" अनुसार हैं।(ख) गुणवत्ताविहीन संस्थानों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की वर्षवार, संस्थावार एवं विकासखण्डवार जानकारीसंलग्न प्रपत्र "अ" प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" अनुसार हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

ग्रेडिंग मशीन क्रय में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

58. (क्र. 2436) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2023 तक कृषि उपज मंडी समितियों हेतु ग्रेडिंग मशीन क्रय की गयी है ? यदि हां, तो कितनी संख्या में एवं किस-किस दर पर ? वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' की खरीदी गई ग्रेडिंग मशीन के क्रय एवं स्थापना में भ्रष्टाचार के संबंध में स्टेट ऑडिट विभाग द्वारा (स्थानीय निधि संपरीक्षा) द्वारा ऑडिट रिपोर्ट दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? (ग) प्रश्नांश 'क' की रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां, किस-किस जिले के संदर्भ में प्राप्त हुई थी ? रिपोर्ट में इस हेतु किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार / दोषी बताया गया है एवं उन पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? अधिकारियों के नाम पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं। वर्ष 2021से दिसम्बर, 2023 तक कृषि उपज मंडी समितियों हेतु ग्रेडिंग मशीन क्रय नहीं की गयी है। शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक। (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक।

राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा परफॉर्मन्स ऑडिट

[वित्त]

59. (क्र. 2437) श्री किरण देव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी योजनाओं पर परफॉर्मन्स ऑडिट कराया जाना था एवं किन-किन योजनाओं का किया गया ? आगामी वर्षों में किन-किन योजनाओं की दक्षता जांच हेतु परफॉर्मन्स ऑडिट किया जाना प्रस्तावित है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में परफॉर्मन्स ऑडिट की गई योजनाओं का विभागवार एवं आगामी वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 की योजनाओं की दक्षता जांच परफॉर्मन्स ऑडिट कराये जाने की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

जिला-गौरेला -पेंडा-मरवाही में निर्मित आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

60. (क्र. 2442) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला-गौरेला-पेंडा-मरवाही में वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा कितने आवासों का निर्माण कराया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी निरंक है।

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में सामग्री क्रय में नियमों का पालन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

61. (क्र. 2449) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सामग्री मद अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक किन-किन मदों से किस-किस सामग्री की खरीदी की गई एवं इसके लिए निविदा कब-कब जारी की गई ? क्या इसमें नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सामग्री मद अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक खरीद गयी सामग्री, जारी निविदा तथा नियमों का पालन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जी हाँ। उक्त सामग्री खरीदी में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित नियम 2004 के नियमों का पालन किया गया है। अतः दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में उद्यानिकी विभाग में कार्यों की स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

62. (क्र. 2451) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में पाली हाउस या ग्रीन हाउस के संबंध में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर 2023 तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ? वर्षवार, विकासखडवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश अवधि में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में उद्यानिकी विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? संबंधित एजेंसियों/फर्मों को कितना - कितना भुगतान किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक पाली हाउस या ग्रीन हाउस से लाभान्वित कृषकों की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश अवधि में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध किये गये भुगतान की योजनवार, वर्षवार, तिथिवार, एजेंसीवार/फर्मवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

ओल्ड पेंशन योजना हेतु लंबित आवेदन

[वित्त]

63. (क्र. 2460) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ओल्ड पेंशन योजना कब लागू की गयी है ? लागू होने के उपरांत कितने पात्र लोगों को जनवरी, 2024 की स्थिति में ओल्ड पेंशन योजना तहत राशि प्रदान की जा रही है ? जानकारी दीजिए ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छ.ग. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। (अधिसूचना **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है) जनवरी, 2024 की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत कुल 75 पात्र लोगों को पेंशन भुगतान की कार्यवाही की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

राखड़ (फ्लाई ऐश) परिवहन एवं डंपिंग की गाईडलाईन का पालन न होने पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

64. (क्र. 2479) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि राखड़ (फ्लाई ऐश) परिवहन हेतु केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा बनाए गए गाईडलाईन का पालन न करते हुए टेंकर-बनाकर बंद ट्रकों की बजाय खुली ट्रकों से राखड़ परिवहन किया जा रहा है? सरकार के गाईड -लाईन का पालन कराने हेतु क्या कदम उठाया गया है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाईडलाईन में वन भूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डालने हेतु प्रतिबंधित किया गया है? क्या वर्ष 2021 -22 से प्रश्नावधि तक कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले के वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) एवं कृषि भूमि पर भारी मात्रा में राखड़ डालने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो दोषियों के खिलाफ जांच/क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या यह सही है कि कोरबा जिले में गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए जल स्रोतों से 500 मीटर से सुरक्षित दूरी के पश्चात् राखड़ डालने की बजाय नदी नाले के तट से लगे हुए ग्राम कनकी, कुदुरमाल, तरदा, कटबितला में लाखों टन राखड़ डालने की अनुमति देकर राखड़ डाल दी गई है?यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कर कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का परिवहन खुले ट्रक से न किया जाकर तारपोलिन से ढके हुये ट्रकों द्वारा किया जा रहा है। फ्लाई ऐश परिवहन बिना ढके ट्रकों से किया जाना पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2021-22 से 31-01-2024 तक की अवधि में कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले में बिना तिरपाल ढके परिवहन करने वाले वाहनों से कुल 3,42,400 रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।**(ख)**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है। प्रश्नाधीन अवधि में कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले में वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) पर राखड़ डालने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। उक्त दोनों जिलों में भू-भराव हेतु भू-स्वामी के आवेदन एवं सहमति के आधार पर राखड़ भराव की अनुमति दी गयी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**कोरबा में ग्राम कनकी, कुदुरमाल, तरदा, कटबितला के निचले क्षेत्रों में भू-भराव हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका अनुसार अनुमति प्रदान की गयी है। ग्राम तरदा व कटबितला में फ्लाई ऐश भराव स्थल पर पर्याप्त मिट्टी की परत न बिछाया जाना/फ्लाई ऐश नियमों का उल्लंघन होना पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उद्योगों में वायु एवं जल प्रदूषण की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

65. (क्र. 2480) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत संचालित उद्योगों के द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? **(ख)** "क" अनुसार वायु एवं जल प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 से प्रश्नावधि तक अनियमितता पाये जाने वाले उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों द्वारा दूषित जल उपचार के लिये दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों द्वारा आवश्यकतानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ई.एस.पी./ बैग फिल्टर/ वेट स्क़रबर/ सायक्लोन सेप्रेटर की स्थापना की गई है।**(ख)****जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

आवासीय कॉलोनी हेतु व्यपवर्तित भूमि में अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी संबंधी नियम

[आवास एवं पर्यावरण]

66. (क्र. 2554) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या आवासीय कॉलोनी हेतु व्यपवर्तित भूमि के अतिरिक्त, आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित भूमि पर आवागमन हेतु मार्ग छोड़कर बार-बार टुकड़ों में विक्रय किया जा सकता है ? क्या इस प्रकार का विक्रय अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी की श्रेणी अंतर्गत हैं अथवा नहीं है ? **(ख)** उक्त प्रकार की भूमि का अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी निर्माण अंतर्गत होने से भूमि विक्रय पंजीयन एवं नामांतरण पर रोक संबंधी क्या नियम हैं? विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं। जी हां, इस प्रकार का विक्रय अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी की श्रेणी अंतर्गत है। **(ख)** भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3, 36 एवं 59 के प्रावधानों के तहत अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी निर्माण अंतर्गत होने से भूमि विक्रय पंजीयन के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। शिकायत प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 31 के तहत सुनवाई कर कार्यवाही की जाती है।

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आवासीय कालोनी की प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

67. (क्र. 2556) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023 -24 में जनवरी, 2024 तक कितने-कितने रकबे में, किस-किस स्थान पर आवासीय कालोनी निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है? आवासीय कालोनी निर्माण हेतु शासन के क्या प्रावधान हैं, किस-किस विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? **(ख)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कालोनी निर्माण की कितनी शिकायतें किनके-कितने विरुद्ध विभाग को प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** प्रश्नांश अवधि तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के कितने आवासीय कालोनाईजर्स से कालोनी निर्माण तथा विक्रय करने हेतु आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या सभी निर्माणाधीन कालोनी शासन के मापदंड अनुसार हैं? यदि नहीं तो उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी निरंक है। आवासीय कालोनी निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्ति नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत संबंधित नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) में निहित है। आवासीय कालोनी हेतु एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन ग्राह्य एवं निराकरण किये जाते हैं। विभागों की अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" \]](#)

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 2382) की जानकारी

प्रपत्र अ

वर्ष 2022 में खरीफ दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन की जानकारी


इकाई-हेक्टेयर

क्र.	जिला	उडद	तूअर	मूंग	कुल्थी
1	2	3	4	5	6
1	कबीरधाम	544.01	3908.13	25.20	3.31
2	कांकेर	3406.51	93.33	34.97	2418.46
3	कोंडागांव	8332.18	12.00	5.99	2420.06
4	कोरबा	1073.01	512.42	2.08	1071.35
5	कोरिया	2011.32	1743.33	4.15	572.90
6	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	454.39	2117.69	5.08	0.48
7	गरियाबंद	1278.17	524.40	16.69	244.39
8	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	1176.63	408.99	22.81	167.43
9	जशपुर	12932.88	5372.26	60.11	1784.87
10	जांजगीर-चांपा	10.25	14.48	0.45	0.00
11	दन्तेवाडा	570.59	106.25	70.12	201.88
12	दुर्ग	43.56	1132.86	4.94	0.00
13	धमतरी	362.85	28.61	3.83	44.74
14	नारायणपुर	1139.85	6.29	0.23	782.93
15	बेमेतरा	127.98	2792.18	21.99	0.00
16	बलरामपुर-रामानुजगंज	2798.09	3958.09	1.88	395.97
17	बलौदाबाजार-भाटापारा	108.56	273.50	7.65	0.45
18	बस्तर	1630.90	128.60	2.67	843.74
19	बालोद	337.80	186.34	5.00	35.52
20	बिलासपुर	17.16	134.13	1.42	75.14
21	बीजापुर	153.46	2.31	109.37	44.88
22	मुंगेली	40.85	851.90	3.62	0.00
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1429.08	2416.97	4.57	562.56

२१

इकाई-हेक्टेयर

क्र.	जिला	उडद	तूरर	मूंग	कुल्थी
1	2	3	4	5	6
24	महासमुंद	6010.45	75.73	892.07	1.22
25	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	156.04	223.87	2.83	444.94
26	राजनांदगांव	163.56	886.77	4.65	18.11
27	रायगढ़	9731.01	1709.66	180.64	516.03
28	रायपुर	19.95	86.98	15.26	0.00
29	सक्ती	236.11	10.26	4.69	0.00
30	सुकमा	243.29	203.49	629.64	129.11
31	सरगुजा	4241.92	3122.66	2.87	749.87
32	सूरजपुर	4276.17	2906.23	23.19	767.44
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1562.63	20.13	155.80	2.17
	कुल	66621.22	35970.82	2326.47	14299.93



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

वर्ष 2022-23 में रबी दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन की जानकारी

इकाई-हेक्टेयर

क्र.	जिला	चना	मटर	मसूर	उड़द	लाख तिवडा	मूंग	कुल्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कबीरधाम	53856.62	70.19	1396.52	21.75	6977.41	14.78	4.44
2	कांकेर	183.85	32.46	81.87	43.09	81.20	1.42	8.56
3	कोंडागांव	19.45	4.47	2.26	6.23	0.00	1.32	0.77
4	कोरबा	2.73	6.24	6.16	0.30	36.40	0.00	0.00
5	कोरिया	96.02	93.74	36.64	0.44	56.55	2.12	0.00
6	खैरागढ़	64472.54	22.19	1308.13	32.42	885.99	27.21	0.41
7	गरियाबंद	178.74	17.09	7.81	1.84	645.48	74.87	0.00
8	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	116.67	43.47	59.01	13.00	157.14	0.41	0.00
9	जशपुर	5.04	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
10	जांजगीर-चांपा	3.22	1.82	0.11	7.87	7.85	0.34	0.00
11	दन्तेवाडा	1.22	2.50	1.90	5.78	0.00	21.17	1.25
12	दुर्ग	13678.43	54.76	479.79	24.28	6910.72	21.67	3.76
13	धमतरी	3215.30	52.96	34.06	44.10	4054.40	6.68	0.10
14	नारायणपुर	35.45	23.57	1.29	3.03	0.43	0.00	0.24
15	बेमेतरा	59252.67	645.37	3384.65	19.26	27914.82	13.93	1.02
16	बलरामपुर	228.78	173.57	73.04	7.34	0.00	7.45	0.82
17	बलौदाबाजार	428.25	65.73	92.34	6.63	1247.85	0.26	0.00
18	बस्तर	148.73	26.44	54.51	68.32	1.70	11.74	0.02
19	बालोद	5013.35	369.66	174.30	275.36	16606.10	37.07	0.81
20	बिलासपुर	323.19	30.45	19.04	6.64	1879.92	2.66	1.31
21	बीजापुर	0.00	0.20	0.20	30.83	0.00	167.27	11.78
22	मुंगेली	17180.95	88.58	223.80	29.16	51839.42	8.47	13.38

५

इकाई-हेक्टेयर

क्र.	जिला	चना	मटर	मसूर	उडद	लाख तिवडा	मूंग	कुल्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	मनेन्द्रगढ़	25.19	7.96	3.08	0.10	0.83	0.00	0.00
24	महासमुंद	12.37	10.18	10.67	45.12	56.71	510.34	0.14
25	मोहला-मानपुर	673.55	137.94	165.26	396.43	5508.36	59.04	66.62
26	राजनांदगांव	35002.14	113.75	2500.33	44.08	14317.06	53.91	6.19
27	रायगढ़	47.17	60.23	32.77	279.32	43.54	116.09	0.61
28	रायपुर	564.55	70.39	273.49	27.63	3010.49	28.26	1.38
29	सक्ती	2.64	0.26	0.00	84.29	0.00	1.44	0.00
30	सुकमा	1.78	0.48	2.31	4.71	0.00	48.97	2.03
31	सरगुजा	8.06	13.06	17.17	1.38	0.00	0.00	0.14
32	सूरजपुर	118.02	147.53	131.74	22.43	88.61	0.42	2.45
33	सारंगढ़	5.17	9.91	0.35	16.00	3.32	16.97	0.00
	कुल	254901.85	2397.23	10574.61	1569.21	142332.30	1256.25	128.21



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र स

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम. आशा) के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में खरीदी केन्द्र एवं जिले का नाम की जानकारी

क्र.	जिला	फसल	उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण केन्द्र	उपार्जन केन्द्र से सम्बद्ध जिले
1	2	3	4	5
1	बलौदाबाजार	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. बिलाईगढ़	बलौदाबाजार, रायपुर
2	गरियाबंद	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. गरियाबंद	गरियाबंद, धमतरी
3	महासमुंद	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. बसना	महासमुंद
4	दुर्ग	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. दुर्ग	दुर्ग, बालोद
5	बेमेतरा	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. थानखम्हरिया	बेमेतरा
6	कबीरधाम	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. पंडरिया	कबीरधाम
7	राजनांदगांव	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. राजनांदगांव	राजनांदगांव
8	मुंगेली	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. मुंगेली	मुंगेली, बिलासपुर
9	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. मरवाही	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही
10	जांजगीर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. बोड़ासागर	जांजगीर
11	कोरबा	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. कोरबा	कोरबा
12	बलरामपुर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. राजपुर	बलरामपुर
13	सूरजपुर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. सूरजपुर	सूरजपुर
14	सरगुजा	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. अंबिकापुर	सरगुजा
15	जशपुर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. बगीचा	जशपुर
16	कोरिया	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. मनेन्द्रगढ़	कोरिया
17	कोंडागांव	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. कोंडागांव	दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव
18	कांकेर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. कांकेर	कांकेर
19	रायगढ़	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. लोहारसिंह 2	रायगढ़
20	नारायणपुर	अरहर, मूंग एवं उड़द	सी.जी.एस.डब्ल्यू.सी. नारायणपुर	बीजापुर, नारायणपुर


(अमित कुमार सिंह)

अवर सांचेव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जव प्राद्यागिकी विभाग

(राशि करोड़ में)

प्रश्नांकित अवधि में लिये गये ऋणों का संस्थावार विवरण


ऋण के स्रोत/संस्था का नाम				
	जनवरी 2021 से मार्च 2021	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	5,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	547.31	1,104.27	1,210.50	812.08
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	2,659.36	5,776.50	3,700.13	2,311.18
योग-	8,206.66	10,880.77	6,910.63	9,123.26
महायोग	35,121.32			

* वर्ष 2020-21 में केन्द्र से प्राप्त ऋण में 143 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता तथा जीएसटी ऋण रूप में 2431.96 करोड़ शामिल है।

**वर्ष 2021-22 में 423 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता राशि तथा 4965 करोड़ जीएसटी ऋण शामिल है।

***वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता राशि 2942 करोड़ शामिल है।

****वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता राशि 2020 करोड़ शामिल है।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दित्त विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर, अटल नगर


प्रपत्र- ब

(राशि करोड़ में)

प्रश्नांकित अवधि में किये गये मूलधन एवं ब्याज भुगतान का संस्थावार विवरण

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	जनवरी, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक	
	मूलधन	ब्याज
भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	-	1437.45
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	130.62
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण#	-	371.5
योग-	-	1,939.57


महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त ऋणों पर ब्याज भुगतान प्रश्नाधीन अवधि में किया गया कुल ब्याज भुगतान है।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर, अटल नगर

परोक्ष - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1925) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	विधान सभा का नाम	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	निवासरत छात्र-छात्राओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.01	50	43
2	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.02	25	25
3	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	20	20
4	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर	25	25
5	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोडासियां	45	40
6	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लमडांड	50	33
7	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला	50	29
8	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	50	25
9	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बीरसिंघा	50	30
10	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50	65
11	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मुकडेगा	50	50
12	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोडासियां	50	55
13	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50	66
14	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा	50	48
15	लैलूंगा	लैलूंगा	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव	50	7
16	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गोढ़ी	50	82
17	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50	65
18	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50	50
19	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा	50	35
20	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा	45	35
21	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	25	25
22	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	50	8
23	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	20	20
24	लैलूंगा	तमनार	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हमीरपुर	20	16
25	लैलूंगा	तमनार	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50	34
26	लैलूंगा	तमनार	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50	52
27	लैलूंगा	तमनार	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	50	26
योग				1175	1009


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र - ब

क	सामग्री का नाम	संख्या	राशि (रूपये में)
वर्ष 2021-22			
1	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 45 वाट	100	224000
2	तकिया	220	62400
4	थाली	300 नग (159 कि.ग्रा.)	47700
5	गिलास	300 नग (37.5 कि.ग्रा.)	13500
6	पलंग	100 नग	459000
7	चौमुखा	16 (21.55 कि.ग्रा.)	7759
8	एल.ई.डी. बल्ब 12 वाट	100	16900
9	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट	50	18450
10	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट 90 वाट	15	57000
11	एल.ई.डी. बल्ब 20 वाट	100	28000
12	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट 40 वाट	50	41250
13	परात	15 (48.01 कि.ग्रा.)	12484
15	गंज स्टील (4 कि.ग्रा.)	30 (120 कि.ग्रा.)	3600
16	गद्दा	180	684000
18	चादर	700	237608
19	कम्प्यूटर सेट टेबल कुर्सी सहित + एक नग प्रिंटर (2500)	5 नग	317390
20	तकिया कव्हर	100	7669
21	अनाज कोठी	30	48000
22	जूता स्डेण्ड	40	49600
23	स्टूडेण्ट टेबल	30	57000
24	स्टूडेण्ट बेंच	30	36000
25	डस्टबीन	51	93177
42	पलंग	300 नग	1377000
45	गद्दा	80	304000
48	अनाज कोठी	40	64000
49	जूता स्डेण्ड	60	74400
50	स्टूडेण्ट टेबल	40	76000
51	स्टूडेण्ट कुर्सी	40	48000
योग			4465887
वर्ष 2022-23			
1	तकिया	50	21050
2	मच्छरदानी	320	82560
3	चौमुखा	5 (6.75 कि.ग्रा.)	2430
4	स्टील जग (5 कि.ग्रा.)	30 नग (15 कि.ग्रा.)	5400

क	सामग्री का नाम	संख्या	राशि (रूपये में)
5	गंज स्टील	15	20287
6	गद्दा	150	484850
7	फिनाईल	600 li	59400
8	चादर	500	215730
9	डस्टबीन	49	78400
10	एल्युमिनियम गंज	15	30177.45
11	एल्युमिनियम ढक्कन	15	5775
12	एल्युमिनियम कढ़ाई	15	27300
13	पानी टंकी स्टील	15	15990
14	प्लास्टिक बाल्टी	79	23700
15	विजिटर चेयर	30	62370
16	कम्बल	90	62962
17	पंखा	50	101500
18	रेगूलेटर	50	10500
19	प्लास्टिक मग्गा	60	2400
20	दाल पात्र (0.849 कि.ग्रा.)	10 (8.49 कि.ग्रा.)	3056
21	कटोरी (0.075 कि.ग्रा.)	360 नग (27 कि.ग्रा.)	9720
22	मच्छरदानी	580	149640
23	स्टील जग (5 कि.ग्रा.)	20 नग (10 कि.ग्रा.)	3600
24	स्टील गंज	20	27050
25	फिनाईल	760 li	75240
26	चादर	700	302022
27	डस्टबीन	68	108800
28	एल्युमिनियम गंज (5.1 कि.ग्रा.)	20	40236.6
29	एल्युमिनियम ढक्कन	20	7700
30	एल्युमिनियम कढ़ाई	20	36400
31	पानी टंकी स्टील	20	21320
32	प्लास्टिक बाल्टी	16	4800
33	कम्बल	90	62962
35	प्लास्टिक मग्गा	34	1360
36	दाल पात्र (0.849 कि.ग्रा.)	23 (19.52 कि.ग्रा.)	7030
37	कटोरी (0.075 कि.ग्रा.)	274 नग (20.55 कि.ग्रा.)	7398
योग			2181116
वर्ष 2023-24			
1	मच्छरदानी	205	52890
2	थाली	35	7560
3	गिलास	190	8550
4	पलंग	46	178664
5	गद्दा	25	95000
6	फिनाईल	120	11880
7	पंखा	26	52780
8	कटोरी	50	1350


क	सामग्री का नाम	संख्या	राशि (रूपये में)
9	वाल माउन्टेन फैन	20	67780
10	मच्छरदानी	820	227140
11	थाली	140	30240
12	गिलास	240	10800
13	गद्दा	39	148200
14	फिनाईल	420	41580
15	पंखा	26	52780
16	कटोरी	195	5265
17	वाल माउन्टेन फैन	20	67780
योग			1060239



अनुभाग अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

क्र	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	भोजन पर व्यय (रूपये में)			योग (रूपये में)
				2021-22	2022-23	2023-24	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.01	50	43	124573	196049	303680	624302
2	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.02	25	25	62186	150744	215033	427963
3	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50	65	124699	380361	385771	890831
4	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बिरसिंधा	50	30	60643	281203	189185	531031
5	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	20	20	57273	238034	145135	440442
6	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मुकडेगा	50	50	168303	367739	357493	893535
7	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर	25	25	28476	126294	185564	340334
8	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	50	25	17027	127030	171816	315873
9	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोड़ासियाँ	45	40	57082	128688	301524	487294
10	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोड़ासियाँ	50	55	79062	406814	375382	861258
11	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास केशला	50	29	73809	206781	158736	439326
12	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लमडाँड़	50	33	37286	175114	206769	419169
13	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा	50	48	130004	124318	281416	535738
14	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	50	66	126166	356130	419200	901496
15	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव	50	7	9938	7081	13920	30939
16	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गोढ़ी	50	82	308898	658027	659020	1625945
17	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50	65	241001	592247	631859	1465107
18	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50	50	97157	480560	361299	939016
19	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा	50	35	77000	294596	303000	674596
20	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा	45	35	124590	290900	310500	725990
21	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	25	25	65955	125496	178532	369983
22	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	50	8	40394	109196	67900	217490
23	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	20	20	107802	183764	162427	453993
24	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हमीरपुर	20	16	13300	100000	141850	255150
25	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	50	34	106959	244274	247400	598633
26	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	50	52	144088	319140	370800	834028
27	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	50	26	140000	157500	187200	484700
योग		1175	1009	2623671	6828080	7332411	16784162


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2275) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राशि लाखों में

क.	वर्ष	सहायक आयुक्त/ परियोजना प्रशासक	मद का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय की गयी राशि
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	परियोजना प्रशासक, एकी.आदि. वि.परि. दंतेवाड़ा	संविधान के अनु.275(1)मद	7	722.42558
			अनुरक्षण मद/लघु निर्माण	55	153.28
		सहायक आयुक्त, आदि. विकास, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	निर्माण कार्य	4	153.27
			देवगुड़ी का रख रखाव	16	20.00
			बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	1053	1911.85
2	2022-23	परियोजना प्रशासक, एकी.आदि. वि.परि. दंतेवाड़ा	संविधान के अनु.275(1)मद	156	778.21
			अनुरक्षण मद/लघु निर्माण	77	233.3
		सहायक आयुक्त, आदि. विकास दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	निर्माण कार्य	11	166.39
			देवगुड़ी का रख रखाव	16	24.00
			बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	990	1796.98
3	30 जनवरी 2024 तक	परियोजना प्रशासक, एकी.आदि. वि.परि. दंतेवाड़ा	संविधान के अनु.275(1)मद	राशि अप्राप्त है	
			अनुरक्षण मद/लघु निर्माण	40	141.18
		सहायक आयुक्त, आदि. विकास, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	निर्माण कार्य	0	0
			देवगुड़ी का रख रखाव	10	15.00
			बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	731	773.23



अनुभाम अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लार सयपुर

क.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतवाड़ा	हां	ऑडियोरियम दंतवाड़ा में आवश्यक व्यवस्था संबंधी विभिन्न कार्य	100.000	100.000
2				ऑडियोरियम जावंगा में आवश्यक व्यवस्था संबंधी विभिन्न कार्य	19.900	19.900
3				जिले के 10 आदर्श छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं के शारीरिक बौद्धिक विकास हेतु ओपन जिम स्थापना कार्य	47.500	47.500
4				कन्या आश्रम समेली में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.150	2.150
5				कन्या आश्रम मैलावाड़ा में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	3.760	3.760
6				कन्या छात्रावास किरंदुल में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.150	2.150
7				बालक छात्रावास किरंदुल में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	3.760	3.760
8				प्री.मै.बालक छात्रावास किरंदुल में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.100	2.100
9				बालक आश्रम गुमियापाल में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.100	2.100
10				बालक आश्रम जबेली में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.150	2.150
11				बालक आश्रम टिकनपाल में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	3.760	3.760
12				बालक आश्रम अरनपुर में विद्युत मरम्मत एवं नवनीकरण कार्य	2.100	2.100
13				जिले में संचालित इंग्लिश मिडियम विद्यालय कुआकोण्डा में विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य	83.407	83.400
14				जिले में संचालित इंग्लिश मिडियम विद्यालय जावंगा में विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य	120.585	120.580
15				जिले में संचालित इंग्लिश मिडियम विद्यालय कटेकल्याण में विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य	114.564	114.560
16				जिले के लक्ष्य प्रतिस्पर्धा केन्द्र में कोचिंग कार्य/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/छात्राओं की संख्या 66) भाग-एक	27.984	25.734
17				जिले के लक्ष्य प्रतिस्पर्धा केन्द्र में कोचिंग कार्य/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/छात्राओं की संख्या 34) भाग-दो	14.416	14.416
18				बालक आश्रम कासोली में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य	49.971	49.971
19				कन्या आश्रम टिकनपाल में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य	49.971	49.971
20				बालक आश्रम चेरपाल का जिर्णोद्धार कार्य	1.428	1.400
21				बालक आश्रम गुमलनार का जिर्णोद्धार कार्य	1.460	1.400


क.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)			
22	2021-22	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	हां	बालक आश्रम छोटेतुमनार का जीर्णोद्धार कार्य	2.324	2.300			
23				जिले में 50 आश्रम छात्रावासों में सौर उर्जा स्ट्रीट लाईट आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	158.440	158.440			
24				जिले में संचालित 47 आश्रम/छात्रावासों में आर.ओ. वाटर फिल्टर सामग्री प्रदाय कार्य	138.650	138.640			
25				जिले में संचालित 37 कन्या आश्रम/छात्रावास में सी.सी.टी.वी.मरम्मत कार्य	10.000	10.000			
26				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में विद्युतिकरण कार्य	59.580	54.510			
27				जिले में सेनेटरी नेपकीन वेडिंग मशीन एवं भस्कम मशीन (इन्सीनरेटर) स्थापना प्रदाय कार्य भाग-एक	59.280	59.280			
28				जिले में सेनेटरी नेपकीन वेडिंग मशीन एवं भस्कम मशीन (इन्सीनरेटर) स्थापना प्रदाय कार्य भाग-दो	93.499	93.499			
29				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तखत स्टोरेज सहित मच्छरदानी प्रदाय कार्य	70.058	70.050			
30				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों हेतु आवश्यक सामग्री हेतु एंगल आयरन तखत फोम गद्दा प्रदाय कार्य	76.110	76.100			
31				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	20.966	20.960			
32				जिले में आश्रम/छात्रावासों के लिए आवश्यक सामग्री (डायनिंग चेर, डायनिंग टेबल इत्यादी) प्रदाय कार्य	153.516	153.510			
33				जिले के आश्रम/छात्रावासों के लिए अग्नि शमन यंत्र सामग्री प्रदाय कार्य	40.000	40.000			
34				जिले में आश्रम/छात्रावासों के संचालन हेतु उपयोगी सामग्री प्रदाय कार्य	98.320	98.320			
35				जिले में आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को खेल प्रतिस्पर्धा हेतु स्पोर्ट कीट प्रदाय कार्य	55.940	55.940			
36				इंग्लिश मिडियम विद्यालय जावंगा में आवश्यक निर्माण कार्य	14.970	14.970			
37				इंग्लिश मिडियम विद्यालय कटेकल्याण में आवश्यक निर्माण कार्य	25.160	25.100			
38				कन्या आश्रम समलुर में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	2.170	2.100			
39				कन्या आश्रम घोटपाल में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.670	1.600			
40				2021-22			कन्या आश्रम बड़ेतुमनार में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.780	1.700
41							कन्या आश्रम पीनाबचेली में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	2.340	1.300
42	बालक आश्रम गदापाल में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.760	1.700						
43	बालक आश्रम पोंदुम में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.860	1.800						
44	बालक आश्रम चंदेनार में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.820	1.800						
45	बालक आश्रम बड़ेसुरेखी में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	2.160	2.100						
46	बालक आश्रम कारली में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.340	1.300						

क्र.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)
47	2022-23	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा	हां	प्री.मै.कन्या छात्रावास छोटेतुमनार में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	2.170	2.100
48				प्री.मै.बालक छात्रावास बारसुर में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	2.260	2.200
49				पोस्ट मै.बालक छात्रावास कासोली में रंगाई-पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य	1.500	1.450
1				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में सी.सी.टी. व्ही.स्थापना कार्य	106.564	106.566
2				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत/ निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष हेतु फोम गद्दा प्रदाय कार्य	99.946	99.946
3				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत आदिवासी छात्र/छात्राओं को खेल प्रतिस्पर्धा हेतु स्पोर्ट्स कीट प्रदाय कार्य	130.162	130.162
4				नलकूप खनन सह पंप स्थापना कार्य	98.130	98.130
5				दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण/राजस्व भूमि धारी कृषकों को समूह फेंसिंग, नलकूप खनन एवं ड्रिप सिंचाई स्थापना कार्य	40.000	40.000
6				जिले के विभिन्न ग्रामों के पारा टोला बासाहटों में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप खनन सह हैण्डपंप स्थापना कार्य	200.000	200.000
7				जिले के विभिन्न ग्रामों के पारा टोला बासाहटों में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप खनन सह हैण्डपंप स्थापना कार्य पार्ट-02	40.000	40.000
8				जिले के आश्रम/छात्रावासों में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य	100.340	100.340
9				जिले में 50 आश्रम छात्रावासों में सौर उर्जा स्ट्रीट लाईट आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	158.080	158.080
10				जिले के आश्रम/छात्रावासों के लिये डिजिट कुलर सामग्री प्रदाय कार्य	40.000	40.000
11				जिले के आश्रम/छात्रावासों में फोम गद्दा सामग्री प्रदाय कार्य	54.680	54.680
12				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत / निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष के लिये मच्छरदानी फाल सहित सामग्री प्रदाय कार्य	40.000	40.000
13				जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत/ निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर के लिये तखत सामग्री प्रदाय कार्य	29.532	29.532
14				बालक आश्रम शाला बिजाम का जीर्णोद्धार कार्य।	8.370	8.370
15				जिला दंतेवाड़ा के पुराना बाजार (इंडोर स्टेडियम) के पास शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण कार्य भाग-1	19.680	19.680
16	जिला दंतेवाड़ा के पुराना बाजार (इंडोर स्टेडियम) के पास शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण कार्य भाग-2	19.680	19.680			
17	जिला दंतेवाड़ा के पुराना बाजार (इंडोर स्टेडियम) के पास कैंटिन एवं मेन गेट का निर्माण कार्य	10.240	10.240			
18	जिला दंतेवाड़ा के इंडोर स्टेडियम में बाउण्ड्रीवाल एवं मेन गेट का निर्माण कार्य	12.716	12.710			

क्र.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)
19	2022-23	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा	हां	जिला दंतेवाड़ा के इंडोर स्टेडियम में सीसी एप्रोच मार्ग निर्माण कार्य	9.330	9.330
20				जिला दंतेवाड़ा के हाईस्कूल ग्राउण्ड में मेन गेट एवं मैदान के चारों ओर वेल्डेड ग्रील निर्माण कार्य	7.210	7.210
21				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-1	15.920	15.920
22				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-2	15.980	15.980
23				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-3	15.980	15.980
24				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-4	15.980	15.980
25				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-5	15.900	15.900
26				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-6	15.900	15.900
27				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-7	4.700	4.700
28				सी.जी.पी.एस.सी. एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अध्यापन/कोचिंग कार्य।	9.000	9.000
29				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल भोगाम में उन्नयन एवं जीर्णोद्धार (स्वागत गेट निर्माण) कार्य	0.000	0.000
30				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल भोगाम में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	0.000	0.000
31				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल भोगाम में उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य	0.000	0.000
32				नवा दंतेवाड़ा गारमेट फेक्ट्री किरंदुल का शेड निर्माण कार्य भाग-1	6.070	6.070
33				नवा दंतेवाड़ा गारमेट फेक्ट्री किरंदुल का शेड निर्माण कार्य भाग-2	7.880	7.880
34				नवा दंतेवाड़ा गारमेट फेक्ट्री किरंदुल का पार्किंग में पेवर ब्लॉक एवं गार्ड रूम निर्माण कार्य	3.800	3.800
35				नवा दंतेवाड़ा गारमेट फेक्ट्री किरंदुल में रिटर्निंगवॉल निर्माण कार्य	7.830	7.830
36				नवा दंतेवाड़ा गारमेट फेक्ट्री किरंदुल का ब्रांडिंग निर्माण कार्य	3.910	3.910
37				आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार अवसर प्रदाय करने आवश्यक कार्य भाग-1	12.930	12.930
38				आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार अवसर प्रदाय करने आवश्यक कार्य भाग-2	12.790	12.790
39				आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार अवसर प्रदाय करने आवश्यक कार्य भाग-3	15.740	15.740
40				आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार अवसर प्रदाय करने आवश्यक कार्य भाग-4	15.650	15.650
41				आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार अवसर प्रदाय करने आवश्यक कार्य भाग-5	8.630	8.630
42				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-एक	17.410	17.410
43				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दो	17.700	17.700


क्र.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)
44				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-तीन	4.990	4.990
45				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-चार	10.180	10.180
46				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-पांच	6.120	6.120
47				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-छः	16.980	16.980
48				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-सात	5.900	5.900
49				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-आठ	13.300	13.300
50				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-नौ	10.460	10.460
51				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दस	5.510	5.510
52				मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-ग्यारह	4.900	4.900
1				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-8	15.420	15.420
2				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-9	15.960	15.960
3				बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-10	15.960	15.960
4				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में आहाता एवं गेट निर्माण कार्य	2.800	2.800
5				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-1	2.780	2.780
6				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-2	8.420	8.420
7				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-3	8.840	8.840
8				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में प्रयोगशाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य	7.568	7.560
9				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम मुख्य भवन का जीर्णोद्धार कार्य	9.680	9.680
10				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल मोखपाल में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	22.040	22.040
11	2023-24	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा	हां	स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल मोखपाल में आहाता निर्माण कार्य	7.060	7.060
12				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना भवन चितालुर में रेनोवेशन कार्य	10.710	10.710
13				स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल चितालुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	7.630	7.630
14				स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल चितालुर में प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य	0.950	0.950
15				जिला दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य	35.130	30.000
16				जिला दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य भाग-1	14.190	14.190
17				जिला दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य भाग-2	10.440	10.440
18				नवगुरुकुल कोडिंग क्लासेस के आवासीय छात्र-छात्राओं आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	15.980	12.220
19				बीपीओ छात्रावास में नवीनीकरण ग्राउंड फ्लोर कार्य।	10.600	10.600
20				बीपीओ छात्रावास में नवीनीकरण प्रथम कार्य।	8.760	8.760
21				बीपीओ छात्रावास में नवीनीकरण द्वितीय फ्लोर कार्य।	9.100	9.100

क.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	प्रयोजन का नाम	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि (लाख में)
22				बीपीओ कक्ष जीर्णोद्धार कार्य।	2.720	2.720
23				उच्च शिक्षा कौशल विकास पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं में लिये कोचिंग क्लास संचालन कार्य।	19.580	9.000
योग :-					3559.877	3531.167


अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

क.	वर्ष	कार्यालय का नाम	डी.एम.एफ.टी.मद से प्राप्त राशि	क्या प्राप्त राशि का व्यय निर्माण/मरम्मत तथा सामग्री खरीदी हेतु किया गया ?	यदि हां तो कार्यों की संख्या	कार्यों में व्यय की गई राशि	कार्य एजेंसी का नाम	उकेदार/ सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021-22	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	171245700.00	हों	47	170548100.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	पीसी वर्ल्ड, एमडी कॉर्पोरेशन, यश एंटरप्राइजेज, मां गंगा एंटरप्राइजेज, इकोनोमिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जागेश्वरी एंटरप्राइजेज, साई इंटरप्राइजेज आरएसयू ए.जेडजेड हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, सिंघानिया समूह और उद्योग, मेसर्स स्वास्तिक सेल्स, अरविंद इंडस्ट्रीज रायपुर, नमो इंटरप्राइजेज, गुरुदेव ट्रेडर्स, जनती ट्रेडर्स, खंडेवाल इंटरप्राइजेज, मेसर्स मां चंद्रहासिनी उद्योग, जीएस इंटरप्राइजेज, विश्व डेकोर, के.एम.सी. निर्माण, कायना एंटरप्राइजेज, मेसर्स नेहरू राम कोमरे, श्रीमती टारिशाक्या राणा, मेसर्स पुखराज सुराणा, मेसर्स सूर्योदय कंस्ट्रक्शन
2	2022-23	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	153370200.00	हों	51	153369600.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	ईव विज़न, श्री राम कंप्यूटर, संचार प्रणाली, अरिहंत वास्ट्रालय और वास्ट्रा उडहोग, जगेश्वरी एंटरप्राइजेज, एम/एस प्रदीप देशमुख, एम/एस एसपीएल कंस्ट्रक्शन, दांतेशवरी ड्रिलिंग कं, यश एंटरप्राइजेज, इकोनोमिक्स वेंचर्स पीवीटी लिमिटेड, एम/एस शिवा इंटरेशनल, बाला जी ट्रेडर्स, सिंघानिया समूह और उद्योग, विवेक राज सिंह, मेसर्स सनशाइन एंड डेवलपर्स, मेसर्स रॉयडिंगा कंस्ट्रक्शन, मेसर्स अंजलि कंस्ट्रक्शन, मेसर्स तमो कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, श्रीमती टारिशाक्या राणा
3	2023-24	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	24273800.00	हों	22	23384000.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दतेवाड़ा	श्रीमती टारिशाक्या राणा, मेसर्स तमो कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, मेसर्स पंकज इंटरप्राइजेज, साई इंटरप्राइजेज, ईशा एन, महारानी स्टील कॉर्पोरेशन, राघव कॉर्पोरेशन
Total -			34889700.00		120	347301700.00		


अनुभ्रम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुरूपित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बका रायपुर

पारोशेट - पाँच
तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 2393) की जानकारी


प्रपत्र -अ

जांजगीर-चाम्पा में बीज आपूर्ति की वर्षवार, संस्थावार, फसलवार जानकारी

क्र.	वर्ष	फसल (बीज) का नाम	किस्म	प्रदायक संस्था का नाम	क्या भण्डारित मात्रा के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लिया गया (हाँ/नहीं)	परिणाम	
						मानक	अमानक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-22	धान	पूसा बहामती	राष्ट्रीय बीज निगम रायपुर	हाँ	1	-
2			छ.ग. सुगंधित धान		हाँ	1	-
3			पूसा बासमती		हाँ	1	-
4			राजेश्वरी		हाँ	1	-
5		मक्का	एन.एम.एच.-803		हाँ	1	-
6		अरहर	राजीव लोचन		हाँ	1	-
7			राजीवलोचन		हाँ	1	-
8		उड़द	प्रताप-1		नहीं	0	-
9			प्राताप-1, सी-11		नहीं	0	-
10		मूंग	आई.पी. 410		हाँ	1	-
11			शिखा		नहीं	0	-
12	2021-22	मूंगफली	के. 1812	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	नहीं	0	-
13		गेहूँ	एच.आई. 1544		हाँ	1	-
14			सुजाता		नहीं	0	-
15			राज-4238		हाँ	1	-
16			राज-4238-सी-11		हाँ	1	-
17		चना	जी.एन.जी. 2171		नहीं	0	-
18			आर.वी.जी-202		हाँ	1	-
19		सरसों	पी.एम. 25		हाँ	1	-
20			पी.एम. 25सी-1		हाँ	1	-
21		तिल	टी.के.जी.		नहीं	0	-
21		रागी	व्ही.एल.मडुवा -352		हाँ	1	-
योग 2021-22						15	

क.	वर्ष	फसल (बीज) का नाम	किस्म	प्रदायक संस्था का नाम	क्या मण्डारित मात्रा के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लिया गया (हां/नहीं)	परिणाम	
						मानक	अमानक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-23	धान	छ.ग. देवभोग	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जाजगीर	हाँ	1	-
2			एम.टी.यू-1156		हाँ	1	-
3			राजेश्वरी		हाँ	1	-
4		अरहर	राजीव लोचन		हाँ	1	-
6			इंदिरा-1		हाँ	1	-
7		उड़द	प्रताप 1 - सी II		हाँ	1	-
8			एम.यू 2 के.पी.यू 405-सी 1		नहीं	0	-
9			एम.ए.एस.-479-एफ 1		हाँ	1	-
10		मूंग	शिखा		हाँ	1	-
11		मूंगफली	के. 1813		नहीं	0	-
12		गेहूँ	एच.आई. 1544		हाँ	1	-
13			एच.आई. 1544-सी - सी II		हाँ	1	-
14		चना	आर.वी.जी.-202		हाँ	1	-
15		सरसों	सी.जी.एस.ए.आर.एस.ओ -1- सी-1		हाँ	1	-
16		अलसी	जे.एल.एस- 79 सी.आई		हाँ	1	-
17		रागी	वी-मंजूवा-352		हाँ	1	-
योग 2022-23						14	
1	2023-24 में दिसंबर 2023 तक	धान	छ.ग. देवभोग	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जाजगीर	हाँ	1	-
2		अरहर	राजीव लोचन		हाँ	1	-
3		उड़द	इंदिरा - 1- सी 1		हाँ	1	-
4			प्रताप-2		हाँ	1	-
5		मूंग	शिखा		हाँ	1	-
6		मूंगफली	के. 1813		नहीं	0	-
7		गेहूँ	सी.जी.04-सी. II		हाँ	1	-
8			जी.डबल्यू 367		हाँ	1	-
9		चना	आर.व्ही.जी. 203		हाँ	1	-
10			आर.वी.जी-202		हाँ	1	-
11		मसूर	आर.व्ही.एल.-11-7		हाँ	1	-
12		मटर	आई.पी.एफ.डी. -11		हाँ	1	-
13		अलसी	जे.एल.एस. 96		नहीं	0	-
14		रागी	व्ही.एल.मंडुवा -353		हाँ	1	-
15			वी.एल.मंडुवा ए-352-सी II		हाँ	1	-
योग 2023-24 में दिसंबर 2023 तक						13	
महायोग						42	

टीप : - जिन सामग्रीयों के नमूने के परीक्षण नहीं कराये गये हैं उन सामग्रीयों के बीज निगम से गुणवत्ता परीक्षण परिणाम मानक स्तर का प्राप्त हुआ है।



अवर-सोपर्व

छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र - ब

जिला जांजगीर-चाम्पा में

कीटनाशी रसायन आपूर्ति की वर्षवार, संस्थावार, कीटनाशकवार जानकारी

क.	वर्ष	कीटनाशी रसायन का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	क्या भण्डारित मात्रा के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लिया गया (हां/नहीं)	परिणाम	
					मानक	अमानक
1	2	3	5	6	7	8
1	2021-22	क्लोरोपायरीफॉस 50% + सायपरमेथिन 5%	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	
2		प्रोफेनफॉस 40% + सायपरमेथिन 5%		हाँ	1	
3		फेनॉक्साकार्प		नहीं	0	
4		ट्राईसायक्लाजोन		नहीं	0	
5		एजाडासरेक्टिन 3000पी.पी.एम.		नहीं	0	
6		कॉर्बेन्डाजिम + मेनकोजेब डब्लू.पी.		नहीं	0	
योग 2021-22					2	
1	2022-23	एजाडासरेक्टिन 3000पी.पी.एम.	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	नहीं	0	
2		क्लोरोपायरीफॉस 50% + सायपरमेथिन 5%		हाँ	1	
योग 2022-23					1	
1	2023-24 में दिसंबर 2023 तक	एजाडासरेक्टिन 3000पी.पी.एम.	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	
2		डिप्रोडाक्लोरप्रिड 30.5%		नहीं	0	
3		क्लोरोपायरीफॉस 50% + सायपरमेथिन 5%		हाँ	1	
4		प्रोफेनफॉस 40%		हाँ	1	
योग 2023-24 में दिसंबर 2023 तक					3	
महायोग					6	

टीप : - जिन सामाग्रीयों के नमूने के परीक्षण नहीं कराये गये है उन सामाग्रीयों के बीज निगम से गुणवत्ता परीक्षण परिणाम मानक स्तर का प्राप्त हुआ है।




अवर सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जांजगीर-चाम्पा में बायोफर्टिलाइजर आपूर्ति की वर्षवार, संस्थावार, बायोफर्टिलाइजरवार जानकारी


क्र.	वर्ष	बायोफर्टिलाइजर का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	क्या भण्डारित मात्रा के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लिया गया (हाँ/नहीं)	परिणाम	
					मानक	अमानक
1	2	3	5	6	7	8
1	2021-22	पी.एस.बी.	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	नहीं	0	-
2		जेड.एस.बी.		हाँ	1	-
3		के.एम.बी.		नहीं	0	-
4		बायोम		नहीं	0	-
5		माईकोराईजा		हाँ	1	-
	योग 2021-22				2	-
1	2022-23	के.एम.बी.	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	-
2		जेड.एस.बी.		हाँ	1	-
3		माईकोराईजा		हाँ	1	-
4		पी.एस.बी.		हाँ	1	-
	योग 2022-23				4	-
1	2023-24 में दिसंबर 2023 तक	माईकोराईजा	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	-
2		जेड.एस.बी.		हाँ	1	-
3		के.एम.बी.		हाँ	1	-
4		पी.एस.बी.		हाँ	1	-
	योग 2023-24 में दिसंबर 2023 तक				4	-
	महायोग				10	-

टीप : - जिन सामाग्रीयों के नमूने के परीक्षण नहीं कराये गये है उन सामाग्रीयों के बीज निगम से गुणवत्ता परीक्षण परिणाम मानक स्तर का प्राप्त हुआ है।


 अवर सचिव
 छ.ग.शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जांजगीर-चाम्पा में माईक्रोन्यूट्रियेन्ट आपूर्ति की वर्षवार, संस्थावार, माईक्रोन्यूट्रियेन्टवार जानकारी

क.	वर्ष	माईक्रोन्यूट्रियेन्ट का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	क्या भण्डारित मात्रा के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लिया गया (हां/नहीं)	परिणाम	
					मानक	अमानक
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	बोरॉन	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	-
2		जिंक एडिटा		हाँ	1	-
योग 2021-22					2	
1	2022-23	बोरॉन	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	-
2		जिंक एडिटा		हाँ	1	-
योग 2022-23					2	
1	2023-24 में दिसंबर 2023 तक	बोरॉन	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड खोखसा जांजगीर	हाँ	1	-
2		जिंक एडिटा		हाँ	1	-
योग 2023-24 में दिसंबर 2023 तक					2	
महायोग					6	



अवर सचिव

छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


प्रपत्र-इ

क्र.	वर्ष	उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला जाजगीर-भागा में क्रय किये गए बीज का विवरण						आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम
		बीज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रु.)	राशि (लाख में)	8	
1	2							
		3	4	5	6	7		
		भिण्डी	100.00	कि.ग्रा.	650	0.650		
		बरबटी	49.88	कि.ग्रा.	700	0.349		
		तराई	4.75	कि.ग्रा.	1400	0.067		
		भिर्च	5.00	कि.ग्रा.	1500	0.075		
		पालक	195.00	कि.ग्रा.	575	1.121		
		मूली	20.70	कि.ग्रा.	670	0.139		
		बैंगन	7.00	कि.ग्रा.	1500	0.105		
		कद्दू	1.00	कि.ग्रा.	1400	0.014		
		टमाटर	5.00	कि.ग्रा.	1500	0.075		
		कुसुमभाजी	3.00	कि.ग्रा.	490	0.015		
		भिण्डी	381.80	कि.ग्रा.	688	2.627		
		बरबटी	381.80	कि.ग्रा.	780	2.978		
		तराई	38.18	कि.ग्रा.	2580	0.985		
		बीन्स	171.81	कि.ग्रा.	910	1.563		
		भिर्च	38.18	कि.ग्रा.	3535	1.350		
		धनिया	100.00	कि.ग्रा.	600	0.600		
		बैंगन सफ़ेद	1.00	कि.ग्रा.	1200	0.012		
		बैंगन	1.00	कि.ग्रा.	550	0.006		
		टमाटर	3.00	कि.ग्रा.	800	0.024		
		लोकी	3.50	कि.ग्रा.	1350	0.047		
		तोकी	71.91	कि.ग्रा.	1350	0.971		
		मेथी	30.00	कि.ग्रा.	475	0.143		
1	2021-22							शासकीय बीजोत्पादन एवं प्रगुणन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर
								राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नाफ़ेड), इंदौर
								कृषि विज्ञान केंद्र जाजगीर
								सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़
								शा.उ.रो.करनौद, जाजगीर
								सहायक संचालक उद्यान, कबीरधाम

क्र.	वर्ष	उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला जांजगीर-बाँपा में क्रय किये गए बीज का विवरण						आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम
		बीज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रु.)	राशि (लाख रु.)	8	
1	2021-22	धानिया	4	5	6	7	कृषि विज्ञान केन्द्र मुंगेली	
		मेथी	195.00	कि.ग्रा.	300	0.585		
		पालक	250.00	कि.ग्रा.	300	0.750		
		मेथी	18.00	कि.ग्रा.	25	0.005		
		पालक	20.00	कि.ग्रा.	300	0.060		
		धानिया	48.00	कि.ग्रा.	250	0.120		
		टमाटर	14.00	कि.ग्रा.	200	0.028		
		बरबटी	1.00	कि.ग्रा.	3500	0.035		
		लौकी	39.00	कि.ग्रा.	650	0.254		
		तरुई	13.00	कि.ग्रा.	1350	0.176		
		तरुई	20.00	कि.ग्रा.	1350	0.270		
2	2022-23	तरुई	12.00	कि.ग्रा.	1350	0.162	शास.उ.रो.नेवनारा बेमेतरा	
		भिण्डी बीज	333.38	कि.ग्रा.	4500	15.002		
		करेला बीज	101.36	कि.ग्रा.	14800	15.002		
		लौकी बीज	138.94	कि.ग्रा.	10800	15.005		
		टमाटर बीज	25.88	कि.ग्रा.	58000	15.008		
		भिर्च बीज	61.60	कि.ग्रा.	65000	40.040		
		कुल योग (2021-22)	2904.66			116.414		
		बरबटी	71.00	कि.ग्रा.	650	0.462		
		सेम	27.00	कि.ग्रा.	550	0.149		
		टमाटर	8.50	कि.ग्रा.	1500	0.128		
		बैंगन	5.50	कि.ग्रा.	1500	0.083		
पालक	33.00	कि.ग्रा.	575	0.190				
लालभाजी	4.00	कि.ग्रा.	1100	0.044				
कुसुमभाजी	1.00	कि.ग्रा.	490	0.005				
भिर्च	4.00	कि.ग्रा.	1300	0.052				
मेथी	14.00	कि.ग्रा.	475	0.067				
हल्दी	2000.00	कि.ग्रा.	60	1.200				
जिमीकंद	2000.00	कि.ग्रा.	60	1.200				
हल्दी	4700.00	कि.ग्रा.	60	2.820				
भिण्डी	62.00	कि.ग्रा.	650	0.403				
अमारी बीज	17.00	कि.ग्रा.	670	0.114				
मेथी	122.00	कि.ग्रा.	475	0.580				
							शासकीय बीजोत्पादन एवं प्रगुणन क्षेत्र, बांणा रायपुर	
							ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर	
							कृषि विज्ञान केन्द्र, कोरिया	
							शा.उ.रो.पुटपुरा, जांजगीर	

क्र.	वर्ष	उद्यमिकी विभाग अंतर्गत जिला जाजगीर-चापा में क्रय किये गए बीज का विवरण					
		बीज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रु.)	राशि (लाख में)	आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-23	अमारी बीज	49.00	कि.ग्रा.	670	0.328	शा.उ.रो.चारपाया, जाजगीर
		पालक	110.00	कि.ग्रा.	575	0.633	शा.उ.रो.भुलहा, जाजगीर
		मेथी	123.00	कि.ग्रा.	475	0.584	शा.उ.रो.अमोरा, जाजगीर
		धनिया	60.00	कि.ग्रा.	300	0.180	कृषि विज्ञान केन्द्र जाजगीर
		मेथी	20.00	कि.ग्रा.	400	0.080	शा.उ.रो.चारपाया, जाजगीर
		बरबटी	124.00	कि.ग्रा.	650	0.090	शा.उ.रो.अमोरा, जाजगीर
		भिण्डी	242.00	कि.ग्रा.	650	0.000	शा.उ.रो.अमोरा, जाजगीर
		बरबटी	145.00	कि.ग्रा.	650	0.000	शा.उ.रो.पुटपुरा, जाजगीर
		तराई	145.85	कि.ग्रा.	1350	0.000	शा.उ.रो. डोडकी, जाजगीर
		लौकी	24.00	कि.ग्रा.	1350	0.324	
		भिण्डी	270.00	कि.ग्रा.	600	1.620	
		बरबटी	168.00	कि.ग्रा.	650	1.100	
		चौलाई	4.00	कि.ग्रा.	1100	0.044	शासकीय बीजोत्पादन एवं प्रगुणन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर
सम	73.00	कि.ग्रा.	550	0.401			
पालक	15.00	कि.ग्रा.	575	0.086			
मेथी	12.00	कि.ग्रा.	475	0.057			
बरबटी	250.00	कि.ग्रा.	700	1.750	कृषि विज्ञान केन्द्र, रामपुर		
भिण्डी	70.00	कि.ग्रा.	500	0.350			
तराई	42.00	कि.ग्रा.	1350	0.567	शास.उ.रो.बन्हनी महासमुद		
तराई	40.00	कि.ग्रा.	1350	0.540	शास.उ.रो.कसही महासमुद		
लौकी	111.00	कि.ग्रा.	1350	1.498	शास.उ.रो. पोडीलाफा, कोरवा		
भिण्डी	34.00	कि.ग्रा.	450	0.153	कृषि विज्ञान केन्द्र बलसामपुर		
बरबटी	40.00	कि.ग्रा.	450	0.180			
		योग (2022-23)	11240.85		17.969		

क्र.	वर्ष	उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला जांजगीर-बापा में क्रय किये गए बीज का विवरण						आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम
		बीज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रु.)	राशि (लाख रु.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	टमाटर	2.50	कि.ग्रा.	1500	0.038	शासकीय बीजोत्पादन एवं प्रगुणन प्रक्षेत्र, बाना शम्पुर	
		बैंगन	4.00	कि.ग्रा.	1500	0.060		
		बधुआ	3.50	कि.ग्रा.	1000	0.035		
		लालभाजी	5.00	कि.ग्रा.	1100	0.055		
		मूली	170.00	कि.ग्रा.	675	1.148		
		पालक	210.00	कि.ग्रा.	575	1.208	शा.उ.सौ.चारपासा, जांजगीर	
		योग (2023-24)	395.00			2.543		
		कुल योग	14540.51			136.926		


अवर सचिव
उ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

ii = &O

क्र.	वर्ष	उद्योगिकी विभाग अंतर्गत जिला जाजगीर-चापा में क्रय किये गए खाद का विवरण					
		खाद का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रु.)	राशि (लाख में)	आपूर्तिकर्ता संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-22	वर्मीकम्पोस्ट	155100	कि.ग्रा.	10	15.510	सेवा सहकारी समिति
2	2022-23	वर्मीकम्पोस्ट	141000	कि.ग्रा.	10	14.100	सेवा सहकारी समिति
3	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	वर्मीकम्पोस्ट	90000	कि.ग्रा.	10	9.000	सेवा सहकारी समिति
		योग	386100			38.610	



अवर सचिव

छ.ग.शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1603) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्र शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा		वर्ष 2022-23 में योजनावार खर्च की जानकारी
	संचालित योजनाएं	वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आबंटित राशि	
1.	राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम,	रूपये 99,82,666.00/-	संचालन एवं संधारण मद - रूपये 63,60,754.00/-
2.	राष्ट्रीय जल प्रबोधन कार्यक्रम,	रूपये 19,50,490.00/-	संचालन एवं संधारण मद - रूपये 15,69,970.00/-
3.	प्रदूषण न्यूनिकरण के लिये सहायता कार्यक्रम,	रूपये 1,13,30,000.00/-	<ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशाला उन्नयन एवं जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु मॉनिटरिंग एवं विश्लेषण:- रूपये 8,38,272.00/- जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार:- रूपये 40,04,251.00/- वेतन एवं स्थापना हेतु वित्तीय सहायता:- रूपये 56,65,000.00/- ई-गवर्नेन्स तथा आई. टी. उपयोग:- रूपये 8,22,477.00/-
4.	राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम,	कोई राशि आबंटित नहीं	-
5.	पर्यावरण सूचना केन्द्र (इनवीस)	रूपये 20,88,306.00/-	स्थापना एवं अन्य:- रूपये 20,88,306/-
6.	नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, (कोरबा क्षेत्र हेतु)	रूपये 1,94,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> 02 नग वाटर केनन मशीन क्रय:- रूपये 81,00,000.00/- 04 मुख्य चौक चौराहों में फाउंटेन प्रदाय एवं स्थापना कार्य:- रूपये 23,00,000.00/-


 अ. वि. वि. वि.
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1574) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	पराधान प्राप्ति विवरण				परिवहन भुगतान विवरण			
			मात्रा (कि.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	परिवहन का आधार	योजना	राशि (लाख में)	योजना में प्रावधान (है/नहीं)
1	गरियाबंद	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोपन-न्याय योजना	गोठान प्रबन्धन समिति द्वारा सुविधागुस्तर ट्रैक्टर एवं अन्य वाहन से	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन-न्याय योजना	0.00	11
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	76723.00						52.75	
		2022-23	144658.00						99.7	
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00						0.00	
योग			221381.00					152.45		
1	धमतरी	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोपन-न्याय योजना	ट्रेक्टर एवं अन्य	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन-न्याय योजना	0.00	है
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	244585.00						85.60	
		2022-23	215635.05						99.00	
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00						0.00	
योग			460220.05					184.60		
3	बलीदाबाजार	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोपन-न्याय योजना	ट्रेक्टर एवं गोठान प्रबन्धन समिति के सुविधा गुस्तर अन्य सामानों द्वारा	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन-न्याय योजना	0.00	है
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	85986.00						104.40	
		2022-23	102770.00						138.50	
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00						0.00	
योग			188756.00					242.90		

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	परादान प्राप्ति विवरण			परिवहन भूगतान विवरण			योजना में प्रावधान (₹/नहीं)	
			मात्रा (₹.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	निर्धारण का आधार	योजना		राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	दुर्गा	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	ट्रेक्टर	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	₹
		2020-21	0.00						110.00	₹
		2021-22	51594.00						113.80	₹
		2022-23	88524.00						0.00	₹
		योग (01.04.2023 से 30.09.2023)	1,40,118.00					223.80		
9	बालोद	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	1. ट्रेक्टर 2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा सुविधा अनुसार अन्य वाहन 3. कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	₹
		2020-21	0.00						96.80	₹
		2021-22	59738.00						130.20	₹
		2022-23	65203.00						0.00	₹
		योग (01.04.2023 से 30.09.2023)	1,24,941.00					217.00		
10	बेमेतरा	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	ग्राम स्तर पर उपलब्ध सुविधा अनुसार	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	32338.00						0.00	₹
		2020-21	36852.00						71.20	₹
		2021-22	73704.00						101.40	₹
		2022-23	81504.00						0.00	₹
		योग (01.04.2023 से 30.09.2023)	2,39,438.00					172.60		
11	मोहना मानपुर, अण्वाकी	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	ग्राम स्तर पर उपलब्ध सुविधा अनुसार	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	₹
		2020-21	0.00						0.00	₹
		2021-22	7374.50						65.50	₹
		2022-23	36915.00						0.00	₹
		योग (01.04.2023 से 30.09.2023)	1,21,72.13					65.50		
12	राजमंडगाँव	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	1. ट्रेक्टर 2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा सुविधा अनुसार अन्य वाहन 3. कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से।	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	₹
		2020-21	0.00						146.40	₹
		2021-22	10943.50						37.80	₹
		2022-23	100369.99						0.00	₹
		योग (01.04.2023 से 30.09.2023)	1,62,61.64					184.20		

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	पैसादान प्राप्त विवरण			परिवहन भुगतान विवरण					
			मात्रा (₹.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	परिवहन दर निर्धारण का आधार	योजना	राशि (₹/लीटर)	योजना में प्राक्धान (₹/लीटर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	कोरबा	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00							0.00	
		2019-20	0.00	गोपन न्याय योजना	ट्रेक्टर एवं गोठान प्राक्धान समिति द्वारा सुविधा अनुसार अन्य वाहन के द्वारा	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन न्याय योजना	0.00		
		2020-21	0.00							0.00	
		2021-22	31345.00							92.80	₹
		2022-23	12722.19							79.20	₹
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	471.00						0.00		
		योग	44538.19						172.00		
14	गोरखा-पंचक- मरवाही	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00							0.00	
		2019-20	4492.00	गोपन न्याय योजना	ट्रेक्टर, गोठान समिति द्वारा अथवा किसान द्वारा सुविधाप्रकार उपलब्ध वाहन से।	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन न्याय योजना	0.00		
		2020-21	5824.00							0.00	
		2021-22	6173.00							27.20	
		2022-23	5638.30							48.30	
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00						0.00		
		योग	22127.30						75.50		
15	जाजगीर	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00							0.00	₹
		2019-20	0.00	गोपन न्याय योजना						0.00	₹
		2020-21	28031.10							122.11	₹
		2021-22	88797.00							84.40	₹
		2022-23	175682.00							79.10	₹
		2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00						0.00	₹	
		योग	292510.10						289.61		

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	पैरादान प्राप्त विवरण				परिवहन भुगतान विवरण				योजना में प्रावधान (है/नहीं)
			मात्रा (₹.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	परिवहन दर निर्धारण का आधार	योजना	राशि (लाख में)		
16	बिलासपुर	2018-19	0.00	गोधन न्याय योजना	ट्रेक्टर, ट्रैली	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	-	0.00	-	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00								
		2019-20	0.00								
		2020-21	52368.00								
		2021-22	100836.00								
		2022-23	88019.00								
2023-24	10.00										
(01.04.2023 से 30.09.2023)			241233.00								
17	मुंगेली	2018-19	0.00	गोधन न्याय योजना	ट्रेक्टर	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	-	0.00	-	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00								
		2019-20	0.00								
		2020-21	6879.80								
		2021-22	23841.62								
		2022-23	22255.25								
2023-24	20211.88										
(01.04.2023 से 30.09.2023)			73288.55								
18	रायगढ़	2018-19	0.00	गोधन न्याय योजना	1. ट्रेक्टर 2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा संचालित 3. कुषको द्वारा स्वयं के साधन से।	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	-	0.00	-	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	3431.00								
		2019-20	34196.00								
		2020-21	228431.00								
		2021-22	220941.50								
		2022-23	0.00								
2023-24	486999.50										
(01.04.2023 से 30.09.2023)			0.00								
19	सर्की	2018-19	0.00	गोधन न्याय योजना	ट्रेक्टर	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	-	0.00	-	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00								
		2019-20	13878.00								
		2020-21	62804.00								
		2021-22	75995.00								
		2022-23	0.00								
2023-24	152677.00										
(01.04.2023 से 30.09.2023)			0.00								
			1395.18								

क्र.	ज़िले का नाम	वित्तीय वर्ष	पैदावान प्राप्ति विवरण				परिवहन भुगतान विवरण			
			माता (₹.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	परिवहन दर निर्धारण का आधार	योजना	राशि (लाख में)	योजना में प्रावधान (₹/लीटर)
24	एनेन्द्राढ़- चिरमिरी-भरतपुर	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	डॉक्टर, गौठान समिति द्वारा अर्थात् किसानों द्वारा सुविधा/कार उपलब्ध वाहन से।	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	0.00						0.00	
		2022-23	24876.00						0.00	
2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00	24876.00	0.00	0.00						
25	सरगुजा	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	डॉक्टर	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	27591.00						0.00	
		2022-23	70920.00						0.00	
2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00	98511.00	0.00	213.20						
26	सुरजपुर	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	डॉक्टर टॉली	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	29890.00						0.00	
		2022-23	50571.00						0.00	
2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	0.00	80461.00	0.00	205.90						
27	काकर	2018-19 (01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00	गोधन न्याय योजना	डॉक्टर	स्थानीय दर पर भुगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोधन न्याय योजना	0.00	₹
		2019-20	0.00						0.00	
		2020-21	0.00						0.00	
		2021-22	65410.35						0.00	
		2022-23	65048.84						0.00	
2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)	59272.56	189731.75	0.00	309.40						

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	पैदावार प्राप्ति विवरण				परिवहन भूगतान विवरण			
			मात्रा (कि.)	योजना का नाम	परिवहन किस वाहन से हुआ (वाहन का नाम)	परिवहन दर	निर्धारण का आधार	योजना	राशि (लाख में)	योजना में प्रावधान (ह्रास/वर्गी)
31	बखार	2018-19	0.00						0.00	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00						0.00	
		2019-20	2125.00	गोपन न्याय योजना	1. ट्रैक्टर	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन न्याय योजना	0.00	
		2020-21	11698.00		2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा सुविधा				82.80	हैं
		2021-22	13431.00		3. कृषकों द्वारा स्वयं के सामन से।				86.70	हैं
		2022-23	75901.00					0.00		
		2023-24	103155.00					169.50		
		(01.04.2023 से 30.09.2023)	103155.00					0.00		
32	बीजापुर	2018-19	0.00						0.00	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00						0.00	
		2019-20	0.00	गोपन न्याय योजना	1. ट्रैक्टर	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन न्याय योजना	0.00	
		2020-21	22844.00		2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा अपना किसान द्वारा सुविधानुसार उपलब्ध वाहन से।				41.30	हैं
		2021-22	13543.00						27.90	हैं
		2022-23	0.00					0.00		
		2023-24	38387.00					69.20		
		(01.04.2023 से 30.09.2023)	38387.00					0.00		
33	सुकमा	2018-19	0.00						0.00	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00						0.00	
		2019-20	0.00	गोपन न्याय योजना	1. ट्रैक्टर	स्थानीय दर पर भूगतान किया गया।	दूरी के आधार पर	गोपन न्याय योजना	0.00	हैं
		2020-21	15308.00		2. गौठान प्रबंधन समिति द्वारा अपना किसान द्वारा सुविधानुसार उपलब्ध वाहन से।				35.30	हैं
		2021-22	19881.60						37.20	हैं
		2022-23	0.00					0.00		
		2023-24	35189.60					72.40	हैं	
		(01.04.2023 से 30.09.2023)	35189.60					0.00		
महायोग		2018-19	0.00						0.00	
		(01.01.2019 से 31.03.2019)	0.00						0.00	
		2019-20	40261.00						174.61	हैं
		2020-21	183015.90						2339.38	हैं
		2021-22	1769533.61						26866.80	हैं
		2022-23	2314505.01					34.47	हैं	
		2023-24	261681.13					5264.72	हैं	
		(01.04.2023 से 30.09.2023)	4568996.65					0.00		

(अमित कुमार शर्मा)

अपर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशिए - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2476) की जानकारी

प्रपत्र
इकाई मात्रा (किं) में राशि (लाख) में

क्र.	विधान समा का नाम	सम्मिलित जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	निर्मित गोठान की संख्या	निर्माण हेतु मदवार राशि विवरण			गोबर खरीदी		
					मद का नाम	राशि	मात्रा	भुगतान राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	
1	कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	2020-21	80	मन्रेगा	599.23	30272.22	60.54	0.00	
					स्वच्छ भारत मिशन	7.68				
					14 वा वित्त	8.52				
					15 वा वित्त	16.50				
					नवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी	19.11				
					रुबन मिशन	32.97				
					जिला खनिज न्यास	8.60				
					राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7.04				
					मन्रेगा	104.61				
2	कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	2021-22	17	रुबन मिशन	16.76	28809.61	57.62	0.00	
					जिला खनिज न्यास	8.44				
					पंचायत प्रोत्साहन	14.41				
					मन्रेगा	8.93				
					15 वा वित्त	28.35				
					रुबन मिशन	11.40				
					जिला खनिज न्यास	1.20				
3	कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	2022-23	3		893.75	96959.84	193.92	0.00	
					महायोग :-					

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2349) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिला में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की जानकारी


क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अनुमोदित ले-आउट प्लान में खुली भूमि, कट आफ एवं हरित क्षेत्र हेतु चिन्हित भूखण्ड का रकबा (हेक्टेयर में)	किया गया वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टेयर)	शेष क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	उरला	334.25	31.15	31.15	निरंक
2	सिलतरा	1154.43	104.31	104.31	निरंक
3	मेटलपार्क	95.671	13.04	13.04	निरंक
4	तेंदुआ	20.99	2.40	2.40	निरंक
5	रावांभाठा	37.18	-	2.21	निरंक
6	भनपुरी	164.37	47.91	10.00	37.91
7	सोनडोंगरी	14.01	3.68	1.05	3.63
8	गोगांव	14.05	4.60	1.60	3.00
9	गौदवारा	12.46	1.24	-	1.24
10	आमासिवनी	11.83	-	0.75	निरंक

बिलासपुर जिला में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की जानकारी

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हांकित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किया गया वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टेयर)	रिमार्क
1	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी	356.052	12.00	12.00	-
2	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा	55.87	-	-	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा पूर्व से विकसित पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि चिन्हांकित नहीं है।
3	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी सेक्टर डी	26.156	1.50	1.50	-
4	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी	249.93	1.06	-	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी जिला बिलासपुर पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें वृक्षा रोपण हेतु क्षेत्र चिन्हांकित नहीं है। वर्तमान में उपविभाजन किये गये क्षेत्र में 1.06 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित है, जिस पर वृक्षा रोपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा।
5	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सेलर	38.457	1.834	-	औद्योगिक क्षेत्र सेलर नवीन औद्योगिक क्षेत्र है जिसका विकास कार्य प्रगति पर है। वृक्षा रोपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।

रायगढ़ जिला में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण की जानकारी


क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हांकित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किया गया वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टेयर)	रिमार्क
1	औद्योगिक क्षेत्र सियारपाली-मौहापाली	27.001	1.433	-	औद्योगिक क्षेत्र सियारपाली-मौहापाली जिला रायगढ़ में 1.433 हेक्टेयर भूमि ग्रीन के लिए आरक्षित है। वन विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।


 अक्षय सिंह
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरिशेट - दस
तारांकेत प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1248) की जानकारी

प्रपत्र

क	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	(राशि लाखों में)
				स्वीकृत राशि
1	2021-22	जशपुर	2	475.99
		पत्थलगांव	2	88.78
		बगीचा	8	68.50
		कुनकुरी	4	6.73
		योग	16	640.00
2	2022-23	जशपुर	4	30.05
		पत्थलगांव	4	20.62
		मनोरा	5	214.80
		कुनकुरी	7	157.48
		कांसाबेल	2	3.48
		बगीचा	6	201.00
		दुलदुला	1	10.00
		योग	29	637.43
3	2023-24	राशि स्वीकृत नहीं		


अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोक्ष - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2424) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 09 फरवरी 2024 तक की स्थिति में उल्लंघनकारी वृहद/मध्यम एवं लघु उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत जारी नोटिस

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	दिनांक
1.	मेसर्स आर.सी. एल्युमिनियम, प्लाट नम्बर 54-55, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला-दुर्ग	05/04/2022
2.	मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 149, 150 व 151, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	12/04/2022
3.	मेसर्स अवंता इजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 18-19, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	13/04/2022
4.	मेसर्स कोमल वायर्स, प्लाट नम्बर 11/D, भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	19/05/2022
5.	मेसर्स जयश्री साल्वेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बोर्डे इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा जिला- दुर्ग	17/06/2022
6.	मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 149, 150 व 151, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	18/11/2022
7.	मेसर्स जया हाउस होल्ड प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 12/J, 13, भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- - दुर्ग	18/11/2022
8.	मेसर्स श्री शिव इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 61-62, इजीनियरिंग पार्क, भिलाई, जिला- दुर्ग	18/11/2022
9.	मेसर्स आयुश इण्डस्ट्रीज, भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	28/11/2022
10.	मेसर्स खेतान केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- फरहद जिला- राजनांदगांव	28/11/2022
11.	मेसर्स श्री सत्यानारायण पोहा उद्योग, ग्राम-भेड़ीकला, जिला- राजनांदगांव	30/11/2022
12.	मेसर्स सरिता पोहा उद्योग, ग्राम- गठुला, जिला- राजनांदगांव	30/11/2022
13.	मेसर्स जसराज पोहा उद्योग, ग्राम- गठुला, जिला- राजनांदगांव	30/11/2022
14.	मेसर्स सोना बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड, बोर्डे इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा, जिला- दुर्ग	09/02/2023
15.	मेसर्स श्री शिव इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 61-62, इजीनियरिंग पार्क, भिलाई, जिला- दुर्ग	03/04/2023
16.	मेसर्स जायका ऑटोमोबाईल प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 84, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, भिलाई, जिला- दुर्ग	25/05/2023
17.	मेसर्स आयुश इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 17-जी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	22/06/2023
18.	मेसर्स स्टार एक्स टार प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 147-बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	22/12/2023
19.	मेसर्स ओमकमल स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 16-जी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
20.	मेसर्स आर.एस. ट्रेडिंग, प्लाट नम्बर 6-एम, 6-आर, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
21.	मेसर्स मेटा फ्लक्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 5-जे, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
22.	मेसर्स श्री श्याम केमिकल्स, प्लाट नम्बर 13/डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
23.	मेसर्स आशीष वायर, प्लाट नम्बर 4/एम, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
24.	मेसर्स रोहित ट्रेडर्स, प्लाट नम्बर 7-डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
25.	मेसर्स जयश्री इजीनियरिंग एण्ड कास्टिंग, प्लाट नम्बर 11/ओ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
26.	मेसर्स रोवर फेरोटेक प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 5-जी-ए, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
27.	मेसर्स कलकत्ता टार प्रोडक्ट, प्लाट नम्बर 17, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
28.	मेसर्स श्री कालुका स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 15-ई, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
29.	मेसर्स कोमल वायर, प्लाट नम्बर 11/डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
30.	मेसर्स एस.आर. इंटरप्राइजेस, प्लाट नम्बर 3/के, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	8/01/2024
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन बंद करने व सीएसपीडीएल को विद्युत विच्छेदन का जारी निर्देश		
1.	मेसर्स आर.सी. एल्युमिनियम प्लाट नम्बर 54-55, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला-दुर्ग	12/04/2022
2.	मेसर्स अवंता इजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 18-19, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	28/04/2022
3.	मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज प्लाट नम्बर 149, 150 व 151, इजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	28/04/2022
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत जारी नोटिस		
1.	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोर्डे, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	11/02/2022
2.	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, बोर्डे, औद्योगिक विकास केन्द्र, जिला- दुर्ग	01/06/2022
3.	मेसर्स श्री सीता फूड एग्री प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-2, ग्राम- अरसनारा, जिला- दुर्ग	09/12/2022
4.	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम- मलपुरी खुर्द, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग	05/01/2023
5.	मेसर्स क्रस्ट स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- जोरातराई, जिला- राजनांदगांव	08/02/2023

अव...
छत्तीसगढ़ शासन
अव्वास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

6.	मेसर्स जे.डी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 8 एवं 11, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	08/02/2023
7.	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, प्लाट नम्बर 75 एवं 76 औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	08/02/2023
8.	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बोरई, औद्योगिक विकास केन्द्र, जिला- दुर्ग	08/02/2023
9.	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	08/02/2023
10.	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, प्लाट नं. 75 एण्ड 76, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	21/02/2023
11.	मेसर्स मित्तल सेल्स स्टोन क्रशर, ग्राम- पथरिया, जिला- दुर्ग	13/04/2023
12.	मेसर्स अभिषेक अग्रवाल, ग्राम- करेली, जिला- बेमेतरा	13/04/2023
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत जारी नोटिस		
1.	मेसर्स सिंह वाहिनी गुड़ उद्योग, ग्राम- चरखुरा, जिला- कबीरधाम	14/01/2022
2.	मेसर्स के.के. गुड़ उद्योग, ग्राम- कन्झेटा, जिला- कबीरधाम	02/02/2022
3.	मेसर्स मुनि गुड़ उद्योग, ग्राम- कन्झेटा, जिला- कबीरधाम	02/02/2022
4.	मेसर्स मॉ यशोदा गुड़ उद्योग, ग्राम- कन्झेटा, जिला- कबीरधाम	02/02/2022
5.	मेसर्स रोहणी गुड़ उद्योग, ग्राम- कन्झेटा, जिला- कबीरधाम	02/02/2022
6.	मेसर्स रज्जु गुड़ उद्योग, ग्राम- कन्झेटा, जिला- कबीरधाम	02/02/2022
7.	मेसर्स कमल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- सोमनी, जिला- राजनांदगांव	05/04/2022
8.	मेसर्स श्री बालाजी वायर इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 6-एफ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	27/05/2022
9.	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, प्लाट नं. 75 एण्ड 76, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	01/06/2022
10.	मेसर्स महामाया दुल्की माईन्स, महामाया, जिला- बालोद	06/06/2022
11.	मेसर्स जयश्री साल्वेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा, जिला- दुर्ग	23/08/2022
12.	मेसर्स श्री सीता रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- अरसनारा, जिला- दुर्ग	09/12/2022
13.	मेसर्स श्री सीता एडिबल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- अरसनारा, जिला- दुर्ग	09/12/2022
14.	मेसर्स भिलाई, स्टील प्लांट, भिलाई, जिला- दुर्ग	25/04/2023
15.	मेसर्स कमल साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- खुटेरी सोमनी, जिला- राजनांदगांव	13/07/2023
16.	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	24/08/2023
17.	मेसर्स ओमकमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर-16 जी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	24/08/2023
18.	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	24/08/2023
19.	मेसर्स एन.टी.पी.सी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम- पुरेना, जिला- दुर्ग	21/11/2023
20.	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, प्लाट नम्बर 75 एवं 76 औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	21/11/2023
21.	मेसर्स खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजेशन लिमिटेड, ग्राम- फरहद, जिला- राजनांदगांव	21/11/2023
22.	मेसर्स टापवर्थ स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	21/11/2023
23.	मेसर्स क्रस्ट स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम- जोरातराई, जिला- राजनांदगांव	21/11/2023
24.	मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम- रामेपुर, तहसील- बोड़ला, जिला- कबीरधाम	21/11/2023
25.	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	21/11/2023
26.	मेसर्स दंतेश्वरी मैय्या शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम- करकाभाट, जिला- बालोद	21/11/2023
27.	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	30/11/2023
28.	मेसर्स जयश्री पेड्डी प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- चिखली, जिला- दुर्ग	29/01/2024
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने व सीएसपीडीएल को विद्युत विच्छेदन का जारी निर्देश		
1.	मेसर्स पंकज इंटरनेशनल, ग्राम- अकलोरडीह, हथखोज, जिला- दुर्ग	05/01/2022
2.	मेसर्स गोलछा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, प्लाट नम्बर 46, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	05/01/2022
3.	मेसर्स कामधेनु एग्रो प्रोडक्ट, ग्राम- सिंगरपुरी, जिला- कबीरधाम	14/01/2022
4.	मेसर्स खेमगिरि गुड़ उद्योग, ग्राम- खरहट्टा, तहसील- बोड़ला, जिला- कबीरधाम	14/01/2022
5.	मेसर्स एबीस बोन चाइना, ग्राम- डुमरडीहकला, जिला- राजनांदगांव	14/01/2022
6.	मेसर्स केच बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- टेकवा, जिला- राजनांदगांव	14/01/2022
7.	मेसर्स कुलेश्वर गुड़ उद्योग, ग्राम- भलपहरी, जिला- कबीरधाम	14/01/2022
8.	मेसर्स आंचल इंटरप्राइजेस, प्लाट नं. 156, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	12/04/2022
9.	मेसर्स गेल्वो वायर टेक, प्लाट नं. 90, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	12/04/2022
10.	मेसर्स एस.एस. फेब्रीकेटर्स इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लाट नं. 209, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	13/04/2022
11.	मेसर्स वल्स इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 6-जी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	19/05/2022
12.	मेसर्स गुडलक टेडर्स, प्लाट नं. 38, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	24/05/2022

अवसर

छत्तीसगढ़ शासन
अवसा एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

13.	मेसर्स जैन इंटरप्राइजेस, प्लाट नं. 95, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	27/05/2022
14.	मेसर्स सफायर इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 03, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	27/05/2022
15.	मेसर्स यश रिफायनरी, नियर श्रीराम फर्नीचर, कदाम्बरी नगर दुर्ग	19/07/2022
16.	मेसर्स मितल कन्स्ट्रक्शन हॉट मिक्स प्लांट, ग्राम- अचानकपुर, तहसील- पाटन, जिला- दुर्ग	03/01/2023
17.	मेसर्स श्री मावले इण्डस्ट्रीज, 166, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	03/04/2023
18.	मेसर्स तनिष्का लुब्रीकेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 15-डी, औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	30/05/2023
19.	मेसर्स शिव जल इण्डस्ट्रीज, गण्डई, जिला- खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	13/07/2023
20.	मेसर्स ओम इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी, ग्राम- बरगही, जिला- राजनांदगांव	09/10/2023
21.	मेसर्स आशीष वायर, प्लाट नम्बर 5/के, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	08/01/2024
22.	मेसर्स श्री बालाजी वायर इंटरप्राइजेस, प्लाट नम्बर 6/एफ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	08/01/2024

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में जानकारी


क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	मंडल का पत्र दिनांक	अधिरोपित राशि	प्राप्ति दिनांक	प्राप्त राशि
1.	मेसर्स अवंता इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 18-19, इंजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला- दुर्ग	04.05.2022	400000	06.05.2022	400000
2.	मेसर्स आर.सी. एल्युमिनियम, प्लाट नम्बर 54-55, इंजीनियरिंग पार्क भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई, जिला-दुर्ग	04.05.2022	137500	11.05.2022	137500
3.	मेसर्स सोना बेवेरेज प्राइवेट लिमिटेड, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा, जिला- दुर्ग	09.02.2023	18437	27.02.2023	18437
	कुल		555937		555937

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में जानकारी

क्र-	उद्योग का नाम एवं पता	मंडल का पत्र दिनांक	अधिरोपित राशि	प्राप्ति दिनांक	प्राप्त राशि
1.	मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, प्लाट नं. 75 एण्ड 76, औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, रसमड़ा, जिला- दुर्ग	21.02.2023	62500	27.02.2023	62500
	कुल		62500		62500

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	मंडल का पत्र दिनांक	अधिरोपित राशि	प्राप्ति दिनांक	प्राप्त राशि
1.	मेसर्स आंचल इंटरप्राइजेस, प्लाट नं. 156, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	04.05.2022	25000	11.05.2022	25000
2.	मेसर्स एस.एस. फेब्रीकेटर्स इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लाट नं. 209, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	04.05.2022	12500	11.05.2022	12500
3.	मेसर्स गेल्बो वायर टेक, प्लाट नं. 90, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	04.05.2022	25000	11.05.2022	25000
4.	मेसर्स जयश्री साल्वेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रसमड़ा, जिला- दुर्ग	23.08.2022	18437	02.09.2022	18437
	कुल		80937		80937


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रश्न

राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में प्राप्त राशि एवं स्वीकृत कार्य की मदवार, योजनावार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
1			राज्य पोषित योजना	आमनवीन रोपण पोषण बाड़ी सामुदायिक फेसिंग नदी कछार योजना योग	3.77 45.00 21.79 4.70 75.26	3.66 45.00 17.26 4.70 70.61	149 4500 42 160 4851	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण
2			सबमिशन ऑन एगोफारेस्ट्री	बाउण्ड्री प्लान्टेशन	1.80	1.80	33	पूर्ण
3			पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा		2568.09	2568.09	5936	पूर्ण
				केला क्षेत्र विस्तार	45.85	45.85	114	पूर्ण
				पपीता क्षेत्र विस्तार	9.51	9.51	54	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार	5.64	5.64	51	पूर्ण
				केला क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	12.87	12.87	57	पूर्ण
				पपीता क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	4.40	4.40	41	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	0.90	0.90	17	पूर्ण
				टमाटर क्षेत्र विस्तार	35.00	35.00	252	पूर्ण
				बैंगन क्षेत्र विस्तार	20.00	20.00	144	पूर्ण
				गोंदा क्षेत्र विस्तार	15.34	15.34	124	पूर्ण
				धनिया क्षेत्र विस्तार	12.00	12.00	154	पूर्ण
				मिर्च क्षेत्र विस्तार	24.71	24.71	250	पूर्ण
				अदरक क्षेत्र विस्तार	8.10	8.10	81	पूर्ण
				सामुदायिक तालाब खनन (प्लेन एरिया)	60.00	60.00	23	पूर्ण
				व्यक्तिगत तालाब खनन (प्लेन एरिया)	4.50	4.50	6	पूर्ण
				शेडनेट हाऊस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर)	134.90	134.90	16	पूर्ण
				नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाऊस	32.11	32.11	3	पूर्ण
				कास्ट ऑफ प्लांटिंग मेटेरियल एंड क्लटीवेशन ऑफ कारनेशन एंड जरबेरा अंडर पाली हाऊस / शेडनेट हाऊस	16.80	16.80	2	पूर्ण
				प्लास्टिक मल्टिप्लिंग	16.00	16.00	96	पूर्ण
				वर्मिकम्पोस्ट पक्का टांका	44.50	44.50	89	पूर्ण
				हनी बी कालोनी, बी-व्हीस, हनी एक्सट्रेक्टर	8.80	8.80	10	पूर्ण
				ट्रेक्टर (अप टू 20 पी.टी.ओ.)	1.00	1.00	1	पूर्ण
				पॉवर स्प्रेयर नैपसेक	2.94	2.94	30	पूर्ण
4	राजनांदगांव	2021-22	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना					

क्र.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
4			राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	पॉवर वीडर पल्पराईजर पैक हाऊस राज्य के अंदर प्रशिक्षण योग	4.10 1.63 60.00 0.50 582.09	4.10 1.63 60.00 0.50 582.09	13 6 30 50 1714	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण
5			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई	ड्रीप स्प्रिंकर योग	296.27 110.65 406.92	296.27 110.65 406.92	368 782 1150	पूर्ण पूर्ण पूर्ण
6	राजनांदगांव	2021-22	मनरेगा	पौध उत्पादन कार्य, बरगा सामुदायिक बाड़ी, अंजोरा सडक किनारे वृक्षारोण दीवानभेड़ी सडक किनारे वृक्षारोण, खपरीकला भूमि विकास एवं मांदा निर्माण, सुखरी सामुदायिक बाड़ी, कोकपुर सामुदायिक बाड़ी, नांदिया सामुदायिक बाड़ी, सुखरी सामुदायिक बाड़ी, दीवानभेड़ी सामुदायिक बाड़ी, कोपेडीह पौध उत्पादन कार्य, अछोली सामुदायिक बाड़ी, सहसपुर पौध उत्पादन कुकुरमुड़ा सामुदायिक बाड़ी झीकादाह सामुदायिक बाड़ी जंगलपुर योग	4.78 1.20 5.05 5.05 17.95 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 6.25 0.50 6.25 0.45 0.50 50.58 3684.73	3.98 1.19 2.58 3.20 8.90 0.43 0.47 0.11 0.30 0.34 4.72 0.44 4.49 0.39 0.26 31.79 3661.30	- 10 - - - 9 10 8 9 10 - 10 - - 9 10 85 13769	पूर्ण पूर्ण प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण
7	राजनांदगांव	2022-23	राज्य पोषित योजना	आमनचीन रोपण पोषण बाड़ी सामुदायिक फेसिंग राज्य पोषित योजना, सूक्ष्म सिंचाई-ड्रीप नदी कछार योजना योग	4.76 45.00 26.82 36.07 4.70 117.35	4.76 45.00 26.80 36.07 4.70 117.33	188 4500 47 46 160 4941	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण

क्र.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
8			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई	ड्रिप	305.73	305.73	394	पूर्ण
9			पुनर्गठित बांस मिशन	स्प्रिंकर	81.99	81.99	497	पूर्ण
10			पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा	योग	387.72	387.72	891	
11			जिला खनिज न्यास निधि	बाउण्ड्री प्लांटेशन	12.75	12.75	0	32
				सामुदायिक बाड़ी चोरतलाब केला/पपीता	4130.22	4130.22	8536	पूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी चोरतलाब ड्रिप स्थापना	1.40	1.40	8	पूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी फल्लेपुर केला/पपीता रोपण	0.71	0.71		पूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी फल्लेपुर में ड्रिप स्थापना	1.39	0.00	-	अपूर्ण
				महिला स्व. सहा. समूह. को पल्लवशर्जर वितरण	0.88	0.71	-	पूर्ण
				योग	30.37	30.37	126	पूर्ण
				केला क्षेत्र विस्तार	34.75	33.19	134	
				पपीता क्षेत्र विस्तार	50.88	50.88	103	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार	18.00	18.00	46	पूर्ण
				केला क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	5.75	5.75	57	पूर्ण
				पपीता क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	13.70	13.70	100	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	2.60	2.60	45	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)	1.49	1.49	42	पूर्ण
				अमरुद क्षेत्र विस्तार (तृतीय वर्ष)	1.18	1.18	38	पूर्ण
				टमाटर क्षेत्र विस्तार	20.00	20.00	117	पूर्ण
				प्याज क्षेत्र विस्तार	10.00	10.00	101	पूर्ण
				बैंगन क्षेत्र विस्तार	10.00	10.00	51	पूर्ण
				गेंदा क्षेत्र विस्तार	15.95	15.95	127	पूर्ण
				धनिया क्षेत्र विस्तार	8.40	8.40	129	पूर्ण
				मिर्च क्षेत्र विस्तार	11.78	11.78	144	पूर्ण
				अदरक क्षेत्र विस्तार	6.00	6.00	58	पूर्ण
				शेडनेट हाऊस (ट्युबलर स्ट्रक्चर)	88.75	88.75	10	पूर्ण
				नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाऊस	33.76	33.76	2	पूर्ण
				कास्ट ऑफ प्लांटिंग मेटेरियल एंड क्लटीवेशन	4.20	4.20	2	पूर्ण
				ऑफ हाई वेल्थु वेजीटेबल ग्रीन इन पॉली हाऊस	28.00	28.00	2	पूर्ण
				कास्ट ऑफ प्लांटिंग मेटेरियल एंड क्लटीवेशन				
				ऑफ कारनेशन एंड जरबेरा अंडर पाली हाऊस / शेडनेट हाऊस				
12	राजनांदगांव	2022-23	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना					

क्र.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लामान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
				प्लारिस्टिक मलिन्यांग	48.00	48.00	260	पूर्ण
				हनी बी कालोनी, बी-व्हीस, हनी एक्सट्रेक्टर	10.56	10.56	12	पूर्ण
				पॉवर स्प्रेयर नैपसेक	2.99	2.99	30	पूर्ण
				पॉवर वीडर	3.96	3.96	10	पूर्ण
				पेक हाऊस	20.00	20.00	10	पूर्ण
				माली प्रशिक्षण	12.32	12.32	75	पूर्ण
				राज्य के अंदर प्रशिक्षण	7.50	7.50	250	पूर्ण
				राज्य के बाहर भ्रमण	2.10	2.10	30	पूर्ण
				जिले के अंदर भ्रमण	0.30	0.30	100	पूर्ण
				नर्सरी अपग्रेडेशन	10.00	10.00	-	पूर्ण
				सेमीनार	2.00	2.00	-	पूर्ण
				योग :-	450.17	450.17	1951	
				सामुदायिक बाड़ी गोपालपुर	0.42	0.13	8	पूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी, धीरी	0.24	0.09	10	पूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी, कोकपुर	0.42	0.05	8	प्रगतिरत
				सामुदायिक बाड़ी, नादिया	0.42	0.20	10	प्रगतिरत
				सामुदायिक बाड़ी, तेंदुनाला	0.42	0.00	-	अपूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी, रामपुर	0.42	0.19	10	प्रगतिरत
				सामुदायिक बाड़ी, रातापायली	0.42	0.26	10	प्रगतिरत
				सामुदायिक बाड़ी, बांकल	0.24	0.00	-	अपूर्ण
				सामुदायिक बाड़ी, देहान	0.42	0.00	-	अपूर्ण
				फल पौध उत्पादन कार्य कुकुरमुड़ा नर्सरी	10.83	1.75	-	प्रगतिरत
				योग	14.27	2.69	56	
				योग 2022 -23	5147.23	5134.06	16509	
				आमनवीन रोपण	2.74	2.70	94	पूर्ण
				पोषण बाड़ी	55.86	48.39	7000	
				सामुदायिक फोसिंग	22.33	16.74	31	
				राज्य पोषित योजना.सूक्ष्म सिंचाई - ड्रीप	10.43	10.43	15	पूर्ण
				नदी कछार योजना	3.76	3.68	128	
				योग	95.12	81.95	7268	
12	राजनांदगांव	2022-23	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना					
13			मनरेगा					
14	राजनांदगांव	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	राज्य पोषित योजना					

क्र.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
15			पुनर्गठित बांस मिशन	बाजण्डी प्लांटेशन	5.00	5.00	16	
16			नीति आयोग निधि	पल्लराईजर (मसाला पिसाई मशीन)	117.16	117.16	0	पूर्ण
17			पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा		0.00	0.00	2198	कृषकों के फसलों का बीमा किया गया है।
18	राजनांदगांव	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	टमाटर क्षेत्र विस्तार	7.59	7.59	203	पूर्ण
				बैंगन क्षेत्र विस्तार	9.34	9.34	111	पूर्ण
				ग्लोडियोलस बल्ब क्षेत्र विस्तार	18.75	18.75	56	पूर्ण
				शेडनेट हाफस-ट्यूबलर स्ट्रक्चर	49.70	49.70	4	पूर्ण
				यंत्रिकरण-पॉवर विडर	1.85	1.85	5	पूर्ण
				मानव संसाधन विकास-राज्य के अंदर प्रशिक्षण	1.00	1.00	100	पूर्ण
				योग :-	88.23	88.23	479	
19	राजनांदगांव	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	मनरेगा	नवीन अस्थायी नर्सरी पौध उत्पादन कार्य, बैगाटोला	2.17	0.00	-	प्रगतिरत
				ट्रेच खुदाई कार्य, बैगाटोला	2.97	2.88	-	पूर्ण
				रीपा गौठान में पौध उत्पादन, अजोरा	2.99	0.00	-	प्रगतिरत
				रीपा गौठान में पौध उत्पादन बघेरा	2.99	0.11	-	प्रगतिरत
				मिश्रित फलोद्यान वृक्षारोपण बैगाटोला	5.64	0.34	-	प्रगतिरत
				मिश्रित फलोद्यान वृक्षारोपण सांकरा	4.86	0.60	-	प्रगतिरत
				पौध उत्पादन कार्य अछोली	10.83	3.06	-	प्रगतिरत
				नवीन अस्थायी नर्सरी पौध उत्पादन कार्य कलकसा	2.17	0.30	-	प्रगतिरत
				रीपा गौठान में पौध उत्पादन, सहसपुर	2.99	0.38	-	प्रगतिरत
				पौध उत्पादन कार्य सुखरी	10.83	0.00	-	अपूर्ण
				नवीन अस्थायी नर्सरी पौध उत्पादन कार्य, तुमडीबोडी	2.17	0.00	-	अपूर्ण
				ट्रेच खुदाई कार्य, तुमडीबोड	1.65	0.06	-	प्रगतिरत
				रीपा गौठान में पौध उत्पादन झीका	2.99	0.00	-	अपूर्ण

क्र. सं.	जिला	वर्ष	संचालित योजना का नाम	स्वीकृत कार्य/घटक का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लामान्वित कृषक संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8
23			पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	-	0.00	0.00	995	कृषकों के फसलों का बीमा किया गया है।
24	खैरागढ़-छुईखदान -गडई (छ.ग.)	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	मनरेगा	रीपा गौठान में पौध उत्पादन शासकीय उद्यान रोपणी कुकुरमुड़ा में पौध उत्पादन योग	11.95 45.97 57.92	0.41 0.00 0.41	0	कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ होगा
25			डी.एम.एफ.	ड्रिप सिंचाई संयंत्रों की स्थापना	21.80	0.00		पी.एम.के.एस.वाय. में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण राशि व्यय नहीं हुई है।
				योग (खैरागढ़-छुईखदान-गडई वर्ष 2023-24)	248.70	115.01	3144	
				योग (वर्ष 2023-24) (खैरागढ़-छुई-ग.+राजनांदगांव) महायोग (वर्ष 2021-22 से 2023-24)	654.57 9486.53	427.97 9223.33	13105 43383	



(अमित कुमार सिंह)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	वि.खं. का नाम	छात्रावास का नाम	सीट क्षमता	प्रवेशित सीट
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति कन्या आश्रम				
1	बलौदा	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम पन्तोरा	50	50
योग			50	50
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास				
2	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास जांजगीर	50	74
3	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास नवागढ़	50	50
4	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास केरा	50	37
5	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास सलखन	50	31
6	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास कुटुरा	50	30
7	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास अमोदा	50	24
8	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास अकलतरा	50	64
9	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास नरियरा	50	48
10	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पोंड़ीदल्हा	50	50
11	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास कापन	50	27
12	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास कोटमीसोनार	50	52
13	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे	50	50
14	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास तिलई	50	36
15	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बलौदा	50	50
16	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बुड़गहन	50	50
17	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पहरिया	50	50
18	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पामगढ़	50	62
19	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास खरौद	50	41
20	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास भुईगांव	50	45
21	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास तनौद	50	35
22	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास ससहा	50	50
23	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास चांपा	20	18
24	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास चोरिया	50	50
25	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास अफरीद	50	55
26	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बिरा	50	50
योग			1220	1129
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास				
27	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास जांजगीर	50	38
28	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास नवागढ़	20	20
29	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास अकलतरा	50	50
30	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बलौदा	50	39

क्र.	वि.खं. का नाम	छात्रावास का नाम	सीट क्षमता	प्रवेशित सीट
1	2	3	4	5
31	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास खिसोरा	20	31
32	बलौदा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास खैजा	50	20
33	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पामगढ़	70	78
34	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास खरौद	50	50
35	पामगढ़	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास राहौद	50	50
36	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास झरना	20	17
37	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बम्हनीडीह	20	18
38	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास सारागांव	20	19
39	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास चांपा	20	35
40	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बिरा	50	50
योग			540	515
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास				
41	अकलतरा	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास अकलतरा	50	69
42	बलौदा	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास चारपारा(ब.)	50	46
43	बलौदा	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास जर्वे (पहरिया)	50	24
44	नवागढ़	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास जांजगीर	50	60
45	नवागढ़	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास जांजगीर	50	50
46	पामगढ़	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पामगढ़	50	67
योग			300	316
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास				
47	अकलतरा	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास अकलतरा	50	34
48	पामगढ़	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पामगढ़	50	50
49	पामगढ़	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास राहौद	50	50
योग			150	134
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास				
50	नवागढ़	प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास जांजगीर	50	30
51	अकलतरा	प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास अकलतरा	50	63
52	बलौदा	प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बलौदा	50	43
53	बम्हनीडीह	प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बिरा	50	50
योग			200	186
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास				
54	नवागढ़	पो.मै.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास जांजगीर	50	50
55	बम्हनीडीह	पो.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चांपा	50	32
योग			100	82
महायोग			2560	2412



अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्स रायपुर

वर्ष 2022-23 में कय की गई सामग्री

क्रं.	क्रय की गयी सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर प्रतिनग (रूपये में)	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	सामग्री की मात्रा	क्रय का माध्यम (निविदा/कोटेशन/ई-मानक)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शू रैक	53	2950	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	53	ई-मानक	156350
2	गैस चूल्हा	40	5325	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	40	कोटेशन	213000
3	अलमारी	10	10684	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	10	ई-मानक	106837
4	शू रैक	79	1929	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	79	ई-मानक	152391
5	कजास्ट पंखा	37	1400	राजेश कुमार अग्रवाल जांजगीर	37	कलेक्टर दर	51800
6	पी.स.पंखा	6	10291	श्रीबाला जी इंटरप्राइसेस बाकीमोंगरा	6	ई-मानक	61744
7	दवाईयों	—	—	थवाईत मेडिकल स्टोर्स पामगढ़	—	कोटेशन	65912
8	तकिया कव्हर	1050	250	जिदल जनरल स्पलायर सुरजपुर	1050	कोटेशन	262500
9	दरी रंगीन	2	1941	छ.ग.राज्य हथकरघा रायपुर	2	निर्धारित दर	3882
10	शू रैक	38	2950	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	38	ई-मानक	112100
11	चक्का	15	94	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	15	निर्धारित दर	1416
12	बैटरी	1	28379	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	1	निर्धारित दर	28379
13	एकजास्ट पंखा	1	2378	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	1	निर्धारित दर	2378
14	तालपतरी	1	4968	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	1	निर्धारित दर	4968
15	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	13650	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराद्वार	1	कोटेशन	13650
16	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	12600	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराद्वार	1	कोटेशन	12600
17	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	25200	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराद्वार	1	कोटेशन	25200
18	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	13650	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराद्वार	1	कोटेशन	13650
19	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	17850	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराद्वार	1	कोटेशन	17850
20	सिलिंग पंखा	20	2410	आर.के. डेटिंग रायपुर	20	ई-मानक	48195
21	अलमारी	10	10684	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	10	ई-मानक	106837
22	गद्दा	12	4511	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	12	ई-मानक	54131
23	शू रैक	71	1929	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	71	ई-मानक	136959
24	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	10	23600	सिंधानिया गुप इंडस्ट्रीज बनारी	10	कोटेशन	236000
25	कम्प्यूटर सेट	1	49500	गायत्री इंटरप्राइसेस जांजगीर	1	निर्धारित दर	49500

क्रं.	क्रय की गयी सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर प्रतिनग (रूपये में)	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	सामग्री की मात्रा	क्रय का माध्यम (निविदा/ कोटेशन/ ई-मानक)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	एक्जास्ट पंखा	135	1400	राजेश कुमार अग्रवाल जांजगीर	135	निर्धारित दर	189000
27	दवाईयों	—	—	थवाईत मेडिकल स्टोर्स पामगढ़	—	निर्धारित दर	29670
28	दवाईयों	—	—	थवाईत मेडिकल स्टोर्स पामगढ़	—	निर्धारित दर	42287
29	टॉवेल	500	410	जिंदल जनरल स्पलायर सुरजपुर	500	कोटेशन	205000
30	कढ़ाई	350	394	छ.ग.सुपर सेल्स सुरजपुर	350	ई-मानक	138067
31	सिलिंग पंखा	27	2410	आर.के.ट्रेडिंग रायपुर	27	ई-मानक	65064
32	सिलिंग पंखा	100	2410	अर्बन स्पलायर रायपुर	100	ई-मानक	240977
33	अलमारी	14	10684	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	14	ई-मानक	149572
34	तखत	50	4748	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	50	ई-मानक	237416
35	गद्दा	11	4511	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	11	ई-मानक	49620
36	कुलर	16	12702	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	16	ई-मानक	203228
37	पी.स.पंखा	30	10291	श्रीबाला जी इंटरप्राइसेस बाकीमोंगरा	30	ई-मानक	308723
38	दवाईयों	—	—	श्री धनवतरी मेडिकल स्टोर्स चांपा	—	निर्धारित दर	9877
39	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	14082
40	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	12271
41	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	6289
42	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	5382
43	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	18282
44	सेनेटरी पैड	30000	6	नलीन मेडिकल स्टोर्स सुरजपुर	30000	ई-मानक	178253
45	दरी	4	1942	छ.ग.राज्य हथकरघा रायपुर	4	निर्धारित दर	7766
46	टावेल	200	410	जिंदल जनरल स्पलायर सुरजपुर	200	कोटेशन	82000
47	गद्दा कव्हर	365	810	जिंदल जनरल स्पलायर सुरजपुर	365	कोटेशन	295650
48	ड्रेसिंग टेबल	7	5322	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	7	कोटेशन	37253
49	पी.स.पंखा	4	10291	श्रीबाला जी इंटरप्राइसेस बाकीमोंगरा	4	ई-मानक	41163
50	रैक	29	1929	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	29	ई-मानक	55941
51	कुलर	21	9734	सिंधानिया गुप इंडस्ट्रीज बनारी	21	ई-मानक	204415
52	गणवेश	310	568	श्री ज्योति इंटरप्राइसेस सक्ती	310	ई-मानक	176080
53	क्वास्ट पंखा	10	1400	वासुदेव एंजेसी जांजगीर	10	कोटेशन	14000
54	ल.ई.डी.बल्ब	200	200	वासुदेव एंजेसी जांजगीर	200	कोटेशन	40000
55	स्ट्रीट लाईट	5	2000	वासुदेव एंजेसी जांजगीर	5	कोटेशन	10000
56	सिलिंग पंखा	10	1650	वासुदेव एंजेसी जांजगीर	10	कोटेशन	16500
57	रूम कुलर	5	10800	वासुदेव एंजेसी जांजगीर	5	कोटेशन	54000
58	बर्तन सामग्री	341	388	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	0	ई-मानक	132325
59	कम्प्यूटर सेट	1	49800	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	1	कोटेशन	49800
60	लेटर प्रिंटर	1	25100	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	1	कोटेशन	25100
61	शु रैक	9	2950	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	9	ई-मानक	26550

क्रं.	क्रय की गयी सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	दर प्रतिनग (रूपये में)	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	सामग्री की मात्रा	क्रय का माध्यम (निविदा/ कोटेशन/ ई-मानक)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
62	बर्तन सामग्री	700	394	छ.ग. सुपर सेल्स सुरजपुर	700	ई-मानक	276134
63	फिनायल	6500	101	नलीन मेडिकल स्टोर्स सुरजपुर	6500	ई-मानक	656941
64	सेनेटरी पैड	87500	8	नलीन मेडिकल स्टोर्स सुरजपुर	87500	ई-मानक	704956
65	तकिया	100	352	सिंघानिया ग्रुप इंडस्ट्रीज बनारी	100	ई-मानक	961297
66	तखत	100	4720		100	ई-मानक	
67	गद्दा	100	4484		100	ई-मानक	
68	स्वच्छता सामग्री	4401	243	छ.ग. सुपर सेल्स सुरजपुर	4401	ई-मानक	1070092
69	फर्नीचर सामग्री	6	11395	सिंघानिया ग्रुप इंडस्ट्रीज बनारी	6	ई-मानक	68370
70	स्टील सिढ़ी	1	5162	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	1	निर्धारित दर	5162
71	अलमारी	111	10684	श्री शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	111	ई-मानक	1185893
72	गद्दा	95	4511	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	95	ई-मानक	428535
73	लोहा तखत	50	4748	सिंघानिया ग्रुप इंडस्ट्रीज बनारी	50	ई-मानक	237416
74	अलमारी	100	9497	शिव शंकर इंडस्ट्रीज चांपा	100	ई-मानक	949664
75	कुलर	58	12679	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	58	ई-मानक	735361
76	पेंटिंग चित्रकारी कार्य	1	18900	लक्ष्य कंस्ट्रक्शन बाराहार	1	निर्धारित दर	18900
77	कुलर	78	11277	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	78	ई-मानक	879626
78	फिनायल	5000	118	नलीन मेडिकल स्टोर्स सुरजपुर	5000	ई-मानक	587604
79	फिनायल	900	118	धनवतरी केमिकल्स पेण्डारोड	900	ई-मानक	105762
80	फिनायल	2000	118	धनवतरी केमिकल्स पेण्डारोड	2000	ई-मानक	235026
81	दवाईयों	—	—	महेश मेडिकोज जांजगीर	—	निर्धारित दर	18644
82	दवाईयों	—	—	राम अंजनेय जांजगीर	—	निर्धारित दर	650
83	दवाईयों	—	—	स.जे. लैब जांजगीर	—	निर्धारित दर	2450
84	दवाईयों	—	—	रेडक्रास जांजगीर	—	निर्धारित दर	765
85	दवाईयों	—	—	प्रकाश मेडिकल स्टोर्स जांजगीर	—	निर्धारित दर	136
86	दवाईयों	—	—	थवाईत मेडिकल पामगढ़	—	कोटेशन	4798
87	दवाईयों	—	—	गरीमा मेडिकोज पामगढ़	—	निर्धारित दर	3270
88	तकिया	1500	585	छ.ग.इंटरप्राइसेस सूरजपुर	1500	निर्धारित दर	877845
89	तकिया	850	585	छ.ग.इंटरप्राइसेस सूरजपुर	850	ई-मानक	497445
90	दरी	12	1942	छ.ग.राज्य हथकरघा रायपुर	12	निर्धारित दर	23298


अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर


पारोशेष्ट - चौदह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2315) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/11/2023 तक की अवधि में रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई संबंधी जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	लोक सुनवाई की तिथि	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियां एवं निराकरण
वर्ष 2021				
1.	मेसर्स हिन्दुस्तान काईल्स लिमिटेड, प्लॉट नं. 19-20, फेज-1, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, तहसील व जिला-रायपुर	29/01/2021	क्षमता विस्तार के तहत एम.एस. बिलेट (थ्रू इंडक्शन फर्नेस) क्षमता- 60,000 टन प्रतिवर्ष से 1,58,400 टन प्रतिवर्ष एण्ड री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू आनलाईन चार्जिंग) क्षमता- 56,745 टन प्रतिवर्ष से 1,50,480 टन प्रतिवर्ष	पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार - लोक सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता मानिटरिंग कार्य, सड़कों पर जल छिड़काव, मुनरेठी नाले में जल निस्सारण नहीं किया जाना, जल गुणवत्ता मापन, ग्राम के लोगों को रोजगार एवं श्रमिक सुरक्षा आदि के संबंध में सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये. उक्त मुद्दों के निराकरण हेतु उद्योग द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के समक्ष परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानिटरिंग, सड़कों में जल छिड़काव, मुनरेठी नाले में औद्योगिक जल निस्सारण नहीं किये जाने, शिक्षित बेरोजगारों एवं स्थानीय लोगों को योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार रोजगार में प्राथमिकता एवं श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में कथन किया गया.
2.	मेसर्स इस्पात इंडिया प्लाट नं. 4 एवं 9, ग्राम-सिलतरा, सिलतरा इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2 तहसील व जिला-रायपुर	29/01/2021	क्षमता विस्तार के तहत इंडक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स) क्षमता- 59,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,520 टन प्रतिवर्ष एवं रोल्ड स्टील प्रोडक्ट क्षमता- 55,000 टन प्रतिवर्ष से 1,39,194 टन प्रतिवर्ष	पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार - लोक सुनवाई के दौरान संबंधित ग्रामों के स्थानीय लोगों को रोजगार, जन सुनवाई की सूचना नहीं होने, क्षेत्र में काला डस्ट होने के कारण स्किन डिजीज, फेफड़े संबंधी बीमारियाँ, अस्थमा, आँख की तकलीफ आदि से शिकार, प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित उपाय, सी.एस.आर. मद से विकास कार्य आदि के संबंध में सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये. उक्त मुद्दों के निराकरण हेतु उद्योग द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष शिक्षित बेरोजगारों एवं स्थानीय लोगों को योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार रोजगार में प्राथमिकता, जन सुनवाई की प्रक्रिया ई.आई.ई. अधिसूचना, 2006 के अनुसार कराये जाने, उद्योग द्वारा कोयले का उपयोग नहीं किये जाने, सी.एस.आर. मद के तहत व्यय के संबंध में कथन किया गया.
3.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर-96, 97, सिलतरा फेस-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर	08/07/2021	क्षमता विस्तार के तहत इण्डक्शन फर्नेस क्षमता-36,000 टन/वर्ष से 72,000 टन/वर्ष	पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार - लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिये उद्योग के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में कार्ययोजना प्रस्तुत की गई.
वर्ष 2022				
4.	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, तहसील व जिला-रायपुर	18/04/2022	इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हाट बिलेट्स)-36,000 टन प्रतिवर्ष से 1,50,000 टन प्रतिवर्ष न्यू रोलिंग मिल (री-रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर राड)-1,50,000 टन प्रतिवर्ष	पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार - लोक सुनवाई के दौरान शिक्षित बेरोजगार को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किये जाने, उद्योग के विस्तारीकरण से प्रदूषण के बढ़ने, उद्योग की वाहनों के आवागमन से आस-आस के सड़क मार्ग प्राभावित होने, उद्योग के अंदर वृक्षारोपण आदि के संबंध में सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये, जिनके निराकरण हेतु उद्योग द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों, प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फ़िल्टर की स्थापना, सड़कों में मशीन से सफाई एवं जल छिड़काव, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, उद्योग में वृक्षारोपण आदि के संबंध में कथन किया गया.
5.	मेसर्स द मेटालिक एलॉयज, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा फेस-2, जिला-रायपुर	21/04/2022	फेरो एलायज-8,000 टन प्रतिवर्ष से 38,000 टन प्रतिवर्ष (1x6 एमव्हीए समग्रुड आर्क फर्नेस के स्थान पर 1x9 एमव्हीए समग्रुड आर्क फर्नेस एवं नई 1x9 एमव्हीए समग्रुड आर्क फर्नेस)	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 13/06/2022 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है.
6.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज-2, सिलतरा, जिला-रायपुर	19/05/2022	क्षमता विस्तार स्पंज आयरन 2,16,000 टन प्रतिवर्ष से 2,73,900 टन प्रतिवर्ष (कच्चे माल समिश्रण में परिवर्तन से) कैप्टिव पावर प्लांट 24 मेगावाट से 37 मेगावाट (स्थानिक कोयले के स्थान पर आयातित कोयले का उपयोग, अतिरिक्त नये टरबाईन के साथ मौजूदा बायलर एवं टरबाईन के आधुनिकीकरण द्वारा), विद्युत प्लांट (वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित)-14 मेगावाट से 22 मेगावाट, 1x18 एमव्हीए एवं 4x1.5 एमव्हीए सबमर्ज आर्क फर्नेस से फेरो एलायज 36,000 टन प्रतिवर्ष से 85,200 टन प्रतिवर्ष, सिंटर प्लांट-66,000 टन प्रतिवर्ष एवं ब्रिक्यूट प्लांट-16,500 टन प्रतिवर्ष	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 22/06/2022 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है.


 अनील कुमार
 छत्तीसगढ़ शासन
 अस्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


7.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, जिला-रायपुर	25/05/2022	एकीकृत स्टील प्लांट का क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण ब्लास्ट फर्नेस 0.75 से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष, सिंटर प्लांट-0.8 से 2.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष, पैलेट प्लांट - 1.5 से 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष, कोक ओवन-0.2 से 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आक्सीजन प्लांट-510 से 1500 टन प्रतिदिन, स्टील मेल्टिंग शाप-1.2 से 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल-1.2 से 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट - 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष, प्रोड्यूसर गैस प्लांट -1,16,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, पावर प्लांट-26 से 130 मेगावाट, स्पंज आयरन प्लांट -0.27 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष, पावर प्लांट - 30 मेगावाट (2x15 मेगावाट डब्ल्यूएचआरबी एवं एएफबीसी)	पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार - लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिये उद्योग के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में पुनरीक्षित कार्ययोजना प्रस्तुत की गई.
8.	मेसर्स हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, यूनिट-2, उरला इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, जिला-रायपुर	21.07.2022	फेरो एलाय क्षमता 48,000 टन प्रतिवर्ष से 64,000 टन प्रतिवर्ष	लोक सुनवाई में मुख्य रूप से धूल डस्ट की समस्या, सड़कों पर जल छिड़काव नहीं किये जाने बाबत आपत्ति प्राप्त हुई थी. जिन्हें भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को लोक सुनवाई दस्तावेज के साथ प्रेषित किया गया था.
9.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-गोंदवारा, उरला इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, जिला-रायपुर	07.10.2022	क्षमता विस्तार स्टील मेल्टिंग शाप-1 (6 टन गुणा 6 नग) क्षमता-1,05,600 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (12 टन गुणा 4 नग) क्षमता-1,42,560 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल-1(हॉट चार्जिंग) क्षमता-59,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,35,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्टिंग शाप-2 (15 टन गुणा 6 नग) क्षमता-2,22,750 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल-2 क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल गैसीफायर आधारित) से बढ़ाकर 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग)	लोक सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 6531 दिनांक 19/12/2022 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये गये है.
वर्ष 2023				
10	मेसर्स श्याम स्टील इण्डस्ट्रीज, प्लांट नं. - 151/1, ग्राम - चरौदा, धरसीवा, जिला - रायपुर	11/04/2023	क्षमता विस्तार के तहत बिलेट्स क्षमता - 30,000 टन/वर्ष से 1,89,000 टन/वर्ष एवं प्रस्तावित हाट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता - 1,80,000 टन/वर्ष	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 29/05/2023 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है.
11	मेसर्स श्रीराम नवीन कुमार एण्ड सन्स इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, प्लांट नं. 104, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर फेज-2, सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर	27/04/2023	क्षमता विस्तार के तहत रि-रोलड प्रोडक्ट्स थ्रू रोलिंग मिल बाई हाट चार्जिंग-59,400 टन/वर्ष से 1,18,800 टन/वर्ष एवं इन्स्टालेशन आफ 1x3.6 एमव्हीए सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस (एसएएफ)	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 22/05/2023 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है.
12	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड प्लांट नं. 428/2 फेज-1 इंडस्ट्रीयल एरिया सिलतरा जिला-रायपुर	15/09/2023	क्षमता विस्तार आयरन और बेनिफिकेशन प्लांट -3.284 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 5.657 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरन और पैलेटाईजेशन प्लांट - 2.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 4.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर 92,000 सामान्य घनमीटर/घंटा से 1,51,500 सामान्य घनमीटर/घंटा, मिनरल ग्राइंडिंग प्लांट-0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 5763 दिनांक 16/10/2023 के माध्यम से लोक सुनवाई दस्तावेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है.


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


प्रपत्र-ब

दिनांक 01/01/2021 से 30/11/2023 तक की अवधि में रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के क्षमता विस्तार के लिये जारी स्थापना सम्मति संबंधी जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की तिथि	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थापना सम्मति जारी करने की तिथि	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता
1	2	3	4	5
वर्ष 2021				
1.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, प्लॉट नं.-428/2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	लोक सुनवाई उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01/12/2020 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	10/03/2021	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयरन और पैलेट प्लांट -21 लाख टन प्रतिवर्ष से 24 लाख टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर-86,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा से 92,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, स्टील बिलेट-4 लाख टन प्रतिवर्ष से 7 लाख टन प्रतिवर्ष, एचबी वायर-1 लाख टन प्रतिवर्ष से 2 लाख टन प्रतिवर्ष, आयरन ओर बेनिफिकेशन-10 लाख टन प्रतिवर्ष से 32.84 लाख टन प्रतिवर्ष, आर्क फर्नेस के स्थान पर इण्डक्शन फर्नेस-5,000 टन प्रतिवर्ष, स्लेग क्रशिंग प्लांट-1.75 लाख टन प्रतिवर्ष एवं मिनरल ग्राइंडिंग प्लांट-2 लाख टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है.
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, फेज-1, सिलतरा, जिला-रायपुर	लोक सुनवाई उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/12/2020 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	12/03/2021	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयरन और पैलेट-6.0 लाख टन/वर्ष से 8.0 लाख टन/वर्ष हेतु स्थापना सह संचालन सम्मति जारी की गई है.
3.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बहेसर, फेस-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	04/05/2021	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बायोमास बेस्ड पावर प्लांट-04 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है.
4.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज-2 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	29/05/2021	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट-08 मेगावाट से 10 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है.
5.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, ग्राम-मादर, जिला-रायपुर	लोक सुनवाई उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/12/2020 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	23/08/2021	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयरन ओर ग्राइंडिंग युनिट-0.7 मिलियन टन/वर्ष को अपग्रेड कर आयरन ओर ग्राइंडिंग युनिट एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट - 1.0 मिलियन टन/वर्ष, आयरन ओर ग्राइंडिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता-20,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष, एवं अतिरिक्त आयरन ओर पैलेट क्षमता-12,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष, कोल गैसीफायर (20 नग) 54,092 घनमीटर/घंटा एवं डक्टाईल आयरन पाईप्स विथ इंडक्शन फर्नेस (4x15 टन) क्षमता-4,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
6.	मेसर्स श्री हरे कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड, प्लांट नं. 106, फेस-II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	28/08/2021	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वेस्ट हीट रिकवरी आधारित पावर प्लांट क्षमता- 03 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
7.	मेसर्स विप्रेक्षर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, ब्लाक-धरसीवा, जिला-रायपुर	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 28/06/2021 को बी-2 श्रेणी के आधार पर बगैर लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	03/11/2021	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स (थू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-30,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 59,500 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु क्षमता विस्तार के तहत स्थापना सम्मति जारी की गई.
वर्ष 2022				
8.	मेसर्स शिवम स्टील कार्पोरेशन, खसरा नं. 295/(1,4-5, 7-8), 296/(2-3), 297/(1,3), 300/1, 300/7, ग्राम-सांकरा, धरसीवा, जिला-रायपुर	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 28/06/2021 को बी-2 श्रेणी के आधार पर बगैर लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	14/01/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्षमता विस्तार के तहत एम.एस.स्टीप्स, एम.एस. राउण्ड, सीटीसी बार, चैनल, एंगल, राड इत्यादि (थू रि-हिटिंग फर्नेस विथ गैसीफायर) क्षमता- 59,500 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
9.	मेसर्स हिन्दुस्तान काईल लिमिटेड, प्लांट नं. 19 एवं 20, फेस-I, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	लोक सुनवाई उपरान्त राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 28/06/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	16/02/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स थू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता- 60,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,58,400 मीट्रिक टन/वर्ष एवं रि-रोल्ल स्टील प्रोडक्ट क्षमता-56,745 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,50,480 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु क्षमता विस्तार के तहत स्थापना सम्मति जारी की गई.


अनिल कुमार
 छत्तीसगढ़ शासन
 अन्वय एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

10.	मेसर्स इस्पात इंडिया प्लाट नं. 4 एवं 9, फेज-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलतरा, जिला-रायपुर	लोक सुनवाई उपरान्त राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 28/06/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	16/02/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एम.एस. बिलेट्स (थू इण्डक्शन फर्नेस)-59,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,46,520 मीट्रिक टन/वर्ष एवं रि-रोल प्रोडक्ट्स-55,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,39,194 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु क्षमता विस्तार के तहत स्थापना सम्मति जारी की गई.
11.	मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम-मुरेठी, सिलतरा, धरसीवा, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	28/02/2022	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रि-रोल प्रोडक्ट्स (थू इंडक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता-30,000 मीट्रिक टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट- 04 मेगावाट, बायोमास बेस्ड पावर प्लाट-08 मेगावाट एवं ब्रिक्स प्लाट-30,000 नग/दिन स्थापना सम्मति जारी की गई.
12.	मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज-2, तहसील व जिला- रायपुर	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 28/06/2021 को बी-2 श्रेणी के आधार पर बगैर लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	12/05/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रोलिंग मिल- (थू हाट चार्जिंग) - 48,000 मीट्रिक टन /वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
13.	मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, फेब्रिकेशन एण्ड पाईप डिजीनिंग, ग्राम-सोण्डा, ब्लाक-धरसीवा, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	01/08/2022	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फेब्रिकेटेड स्टील प्रोडक्ट्स-1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फेब्रिकेशन आफ एम.एस. ब्लैक पाईप/सेक्शांस-1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, गैल्वनाईज्ड स्टील-50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
14.	मेसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, के फेस-1, सिलतरा, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	07/09/2022	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्षमता विस्तार के तहत एल.पी.जी. क्षमता-90,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
15.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं.-428/2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, रायपुर	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रदूषण भार में वृद्धि किये बगैर उत्पादन क्षमता में वृद्धि आदि संबंधी अधिसूचना दिनांक 02/03/2021 के आधार पर.	14/09/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयरन और पैलेट प्लांट-2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सह संचालन सम्मति जारी की गई.
16.	मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज-2 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 18/05/2022 को बी-2 श्रेणी के आधार पर बगैर लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	07/10/2022	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा हाट चार्ज रोलिंग मिल-57,800 मीट्रिक टन/वर्ष थू एग्जीस्टिंग इण्डक्शन फर्नेस / विथ सीसीएम मर्जर आफ यूनिट-2 एवं यूनिट-3 हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
वर्ष 2023				
17.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड, फेज-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, सिलतरा, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	20/01/2023	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बायोमास बेस्ड पावर प्लांट -06 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
18.	मेसर्स श्री हरे कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड, प्लाट नं. 106, फेस-II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	31/03/2023	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बायोमास बेस्ड पावर प्लांट - 02 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
19.	मेसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट महामाया स्पंज के पास, सीएसआईडीसी, सिलतरा, फेज-1, बिलासपुर रोड, जिला-रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	06/04/2023	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा टेस्टिंग एण्ड पॉटिंग फेसेलिटी फार एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट क्षमता-3,00,000 सिलिण्डर/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
20.	मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 103 (पार्ट) एवं 104, फेज-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, जिला-रायपुर	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 20/09/2021 को बी-2 श्रेणी के आधार पर बगैर लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई.	26/05/2023	पर्यावरणीय स्वीकृति उपरान्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एम.एस. बिलेट्स क्षमता-30,000 मीट्रिक टन/वर्ष से रि-रोल प्रोडक्ट्स हाट चार्जिंग रोलिंग मिल (थू -इण्डक्शन फर्नेस (3 x 10 टन) विथ सीसीएम) - 59,500 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
21.	मेसर्स अवा इण्डस्ट्रीज प्लाट नं. 14 14अ, अविनाश लाजिस्टिक पार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलतरा, रायपुर	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं.	10/08/2023	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रिसायक्लिंग /प्रोसेसिंग आफ यूज्ड लुब्रिकेंट आयल क्षमता-1,200 किलोलीटर/वर्ष एवं ग्रीस मेनुफेक्चरिंग-650 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई.
22.	मेसर्स एपीआई इस्पात एण्ड पावरटेक (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, नियर फेस-02, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रदूषण भार में वृद्धि किये बगैर उत्पादन क्षमता में वृद्धि आदि संबंधी अधिसूचना दिनांक 02/03/2021 के आधार पर.	14/11/2023	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रोलिंग मिल का क्षमता विस्तार 3,45,250 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 4,74,718 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सह संचालन सम्मति जारी की गई.


 अनांद सिंह
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


पारिशेष - पन्द्रह

प्रपत्र

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2395) की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र.	चयनित जिला का नाम	विद्युत सेक्टर में प्रावधानित राशि
1	जगदलपुर	654.79
2	कोण्डागांव	1426.60
3	नारायणपुर	240.57
4	सरगुजा	336.70
5	सूरजपुर	476.11
6	बलरामपुर-रामानुजगंज	141.70
7	जांजगीर-चांपा	15.00
योग :-		3291.47



अनुभाव अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पॉरीशेष्ट - सोलह

प्रपत्र

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1212) की जानकारों

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	राशि (राशि रु. लाखों में)
1	लोक निर्माण विभाग	भंडारपुरी से गैतरा मार्ग निर्माण कार्य	800.00
2	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	रंगमंच निर्माण (सतनाम समागम स्थल)	39.00
3	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सतनाम भवन निर्माण	37.95
4	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	समतलीकरण कार्य मंच के सामने	39.86

Seena

अनुभाग अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर


परिशेष - सत्रह
परिवाहृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1249) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि लाखों में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4
1	01 जनवरी 2021 से मार्च 2022	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	43.028
2		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	49.500
3		मनरेगा	14.154
4		ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना	73.800
5		प्री./पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.440
6		सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	6.000
7		स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना	0.615
8		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	3.150
9		सामाजिक सहायता कार्यक्रम	12.530
10		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	4377.070
11		पूरक पोषण आहार	110.472
12		बाल संदर्भ	3.060
13		मातृ वंदना योजना	0.350
		योग	4697.169
1	2022-23	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	11.759
2		छात्र-छात्रों के भ्रमण कार्यक्रम हेतु डी.एम.एफ मद से	0.970
3		ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना	80.800
4		प्री./पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.586
5		पोस्ट मैट्रिक ऑनलाईन छात्रवृत्ति	0.480
6		बैल जोड़ी वितरण 80 पहाड़ी कोरवा परिवारों को डी.एफ.एफ मद	2.800
7		प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	3.950
8		मनरेगा	71.285
9		सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	40.989
10		स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना	3.251
11		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	4.500
12		सामाजिक सहायता कार्यक्रम	12.142
13		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2671.340
14		ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन/हैण्डपंप स्थापना कार्य (डी.एफ.एफ.मद)	0.000
15		पूरक पोषण आहार	111.832
16		बाल संदर्भ	3.010
17		मातृ वंदना योजना	0.700
		योग	3023.394

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	व्यय राशि
1	2023-24	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	17.360
2		ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना	140.250
3		प्री./पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.643
4		मनरेगा	0.692
5		सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	34.244
6		स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना	3.204
7		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	8.285
8		सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8.826
9		पूरक पोषण आहार	27.958
10		बाल संदर्भ	2.970
11		मातृ वंदना योजना	4.300
		योग	251.732
		महायोग	7972.295


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का सयपुर

परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1594) की जानकारी

प्रपत्र

क्वीस क्लब के विशेष सदस्यों अर्थात् माननीय विधायकों एवं सांसदों, जिन्हें विशेष आवासीय योजना के अन्तर्गत पुरैना में भवन आबंटित किया गया है एवं उनके परिवार के सदस्यों (पत्नि एवं नाबालिक बच्चे) के लिए सुविधाओं की जानकारी

क्र.	विवरण	शुल्क
1	प्रवेश शुल्क	निःशुल्क
2	वार्षिक सदस्यता (अनिवार्य)	3,000.00
3	बिलियर्ड	1,000.00
4	बैडमिन्टन	1,000.00
5	टेनिस	1,000.00
6	टेबल टेनिस	1,000.00
7	स्क्वैश	1,000.00
8	हेल्थ क्लब:- अ. जिम्नेजियम ब. मसाज़ स. स्टीम द. साउना ई. जाकूजी,	सामान्य दर से 30 प्रतिशत कम की विशेष छूट
9	ब्रीज रूम	
10	स्वीमिंग पूल	
11	अन्य सुविधाएँ	आपसी समझौते के आधार पर ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
संभलपुर, रायपुर

पारोशिए - उन्नोस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1604) की जानकारी प्रपत्र

(राशि करोड़ में)

माह	2020-21	2021-22	2022-23
अप्रैल	579.48	523.33	652.56
मई	579.48	523.33	652.56
जून	427.93	523.33	652.56
जुलाई	427.93	523.33	652.56
अगस्त	427.93	523.33	1305.12
सितम्बर	427.93	523.33	652.56
अक्टूबर	424.45	523.33	652.56
नवंबर	424.45	1046.66	1305.11
दिसंबर	424.45	523.33	652.56
जनवरी	424.45	1046.66	652.56
फरवरी	253.03	1301.88	655.73
मार्च	1247.39	1046.66	655.73
कुल योग	6068.90	8628.50	9142.17
महायोग	23839.57		

परोशेष्ट - बीस
परोवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1649) की जानकारी

प्रपत्र
(राशि रु.लाख में)

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष	सम्बलित विकासखण्ड का नाम	निर्मित गोठान का नाम	मद का नाम								योग
					मनरेगा	14 वाँ वित्त	15 वाँ वित्त	जिला खनिज न्यास	सौर सृजना योजना (क्रेडा)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सरगुजा विकास प्राधिकरण	लो.स्वा.यां. विभाग (राज्य मद)	
1		2020-21	अम्बिकापुर	अडुबी	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2020-21			2.62	0	4.44	0	0	0	0	0	7.06
2		2020-21		करी	3.40	0	0	0	0	0	0	0	3.40
3		2020-21		मोतीपुर	1.80	0	0	0	0	0	0	0	1.80
4		2020-21		ढुकीडोली	9.57	0	0	1.66	4.82	0	0	0.51	16.56
5		2020-21		एरण्ड	8.65	0	0.24	0	2.52	0	0	0.51	11.92
6		2020-21		सहनपुर	5.55	0	4.32	0	0	0	0	0	9.87
7		2020-21		बमलोया	3.17	0	2.22	0	0	0	0	0	5.39
8		2020-21		रापकरा	3.52	0	0.51	0	0	0	0	0	4.03
9		2020-21		केरजू	7.54	0	0	0	0	0	0	0	7.54
10	सीतापुर	2020-21		ललाती	8.71	0	0	0	0	0	0	0	8.71
11		2020-21		नवापाराकला	6.59	0	0	0	1.78	0	0	0	8.37
12		2020-21		ललितपुर	5.55	0	0	0	2.98	0	0	0	8.53
13		2020-21		रजौटी	6.49	0	0	0	0	0	0	0	6.49
14		2020-21		बन्दना	4.06	0	0.75	0	2.52	0	0	0.94	8.27
15		2020-21		कमलेश्वरपुर	4.85	0	1.50	0	0	0	0	1.60	7.95
16		2020-21		कंसरा	4.13	0	0.70	0	0	0	0	0	4.83
17		2020-21		पिडिया	4.16	0	0.46	0	0	0	0	0	4.62
18		2020-21		पेट	3.01	0	1.15	0	0	0	0	0.56	4.82

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष	सम्मिलित विकासखण्ड का नाम	निर्मित गोठान का नाम	मद का नाम							योग			
					मनरेगा	14 वॉ वित्त	15 वॉ वित्त	जिला खनिज न्यास	सौर सृजना योजना (क्रेडा)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सरगुजा विकास प्राधिकरण		लो.स्वा.गं. विभाग (राज्य मद)		
19	सीतापुर	2020-21	मैनपाट	हरामार	3.75	0	0.50	0	0	0	0	0.94	5.18		
20		2020-21		जामकानी	2.80	0	0.75	0	0	0	0	0	0	3.55	
21		2020-21		कुनकुरी खर्द	3.04	0	0.60	0	0	0	0	0	0	3.64	
22		2020-21		सलाईनगर	2.77	0	0.62	0	0	0	0	0	0	3.39	
23		2020-21		कदमई	2.68	0	0.70	0	0	0	0	0	0	3.38	
24		2020-21		तुरेना	4.35	0	1.50	0	0	0	0	0	0	5.85	
25		2020-21		असकरा	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	3.17	
26		2020-21		पथरई	5.22	0	0	0	0	1.60	0	0	0.51	7.33	
27		2020-21		महाशानीपुर	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.03	
28		2020-21		उरगा	5.87	0	0.80	0	0	0	0	0	0	6.67	
29		2020-21		कुदासिडिह	3.85	0	0.20	0	0	0	0	0	0	4.05	
30		2020-21		परपाटिया	5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	5.18	
31		2020-21		सपनादर	3.84	0	0	0	0	0	0	0	0	3.84	
32		2020-21		नमदापुर	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.43	
33		2020-21		कतकाली	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	
34		2020-21		असगवा	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.98	
35		2020-21		चैनपुर	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.71	
36		2020-21		सुपलगा	3.16	0	0	0	0	0	0	0	0	3.16	
37		2020-21		सरगजा	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65	
38		2020-21		सरमना	5.03	0.66	0.53	0	0	0	0	0	0	6.22	
39		2020-21		झरगवा	4.08	0.78	0.63	0	0	0	0	0	0	5.49	
40		2020-21		गोविन्दपुर	6.37	0.55	0.59	0	2.63	0	0	0	0	10.14	
41		2020-21		खडुधोवा	5.35	0.43	0.55	0	2.63	1.60	0	0	0	10.56	
42		2020-21		बासन	4.15	0.44	0.62	0	2.63	0	0	0	0	7.84	
43		2020-21		टेङगा	5.35	0.65	0.60	0	0	0	0	0	0	6.60	
44		2020-21		टीरंग	4.68	0.53	0.66	0	2.63	1.60	0	0	0	10.10	
						44	183.61	4.04	26.14	1.66	25.12	4.80	0.00	5.67	251.03

योग

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष	सम्मिलित विकासखण्ड का नाम	निर्मित गोठान का नाम	मद का नाम									
					मनरेगा	14 वॉ वित्त	15 वॉ वित्त	जिला खनिज न्यास	सौर सृजना योजना (क्रेडा)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सरयुजा विकास प्राधिकरण	लो.स्वा.यां. विभाग (राज्य मद)	योग	
1	सीतापुर	2021-22	अम्बिकापुर	पोड़ीकला	4.58	0	1.55	0	0	0	0	0	0	6.13
2		कुनियाकला		4.36	0	4.34	0	0	0	0	0	0	0	8.70
3		बरावा		2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13
4		पम्मापुर		3.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.88
5		खजुरी		2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.37
6		रजपुरी		3.74	0	2.50	0	0	0	0	0	0	0	6.24
7		ढेलसरा		1.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.58
8		बरीमा		2.28	0	0.80	0	0	0	0	0	0	0	3.08
9		बटईकेला		5.35	0.64	0.42	0	0	0	0	0	0	0.94	7.35
10		बेलकोटा		6.12	0.53	0.46	0	0	0	0	0	0	0	7.11
11		सुवारपासा	5.12	0.67	0.53	0	0	0	0	0	0	0.94	7.26	
12		बोदा	4.15	0.64	0.48	0	0	0	0	0	0	0.94	6.21	
13		महेशपुर	3.13	0.63	0.37	0	0	0	0	0	0	0	4.13	
14		तरगी	4.21	0.63	0.40	0	5.58	1.60	0	0	0	0	13.42	
15		बतौली	4.26	0.55	0.46	0	0	0	0	0	0	1.87	7.14	
16		शिवपुर	5.34	0.46	0.45	1.66	0	0	0	0	0	0.94	8.84	
17		कपाटबहरी	4.26	0.63	0.45	0	0	0	0	0	0	0.94	6.28	
18		मंगारी	5.35	0.47	0.49	1.66	4.82	1.60	0	0	0	0.94	15.32	
19		कुनकुरी	4.15	0.53	0.55	0	0	0	0	0	0	0.94	6.17	
20		सेवम	3.45	0.53	0.53	0	0	0	0	0	0	0	4.51	
21		बालमपुर	4.45	0.59	0.66	0	0	0	0	0	0	0	5.70	
22		नकना	4.78	0.34	0.78	0	0	0	0	0	0	0.94	6.84	
23		घोघरा	3.35	0.52	0.44	0	0	0	0	0	0	0.94	5.25	
24		करदना	5.45	0.60	0.65	0	0	0	0	0	0	0	6.70	
25		चिपरकाया	6.56	0.66	0.53	0	0	0	0	0	0	0	7.75	
26		तेलाईधार	5.36	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0.94	7.20	

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वर्ष	सम्मिलित विकासखण्ड का नाम	निर्मित गोठान का नाम	मद का नाम							योग			
					मनरेगा	14 वॉ वित्त	15 वॉ वित्त	जिला खनिज न्यास	सौर सृजना योजना (क्रेडा)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सरगुजा विकास प्राधिकरण		लो.स्वा.या. विभाग (राज्य मद)		
27	सीतापुर	2021-22	बतौली	मानपुर	4.68	0.48	0.58	0	0	0	0	0.94	6.68		
28		विशुनपुर		5.87	0.42	0.64	0	0	0	0	0.94	7.87			
29		बिरीमकेला		4.78	0.46	0.53	0	0	0	0	0.94	6.71			
30		सिलमा		4.23	0.53	0.67	0	0	0	0	0	5.43			
31		कालीपुर		5.35	0.48	0.73	0	0	0	0	0	6.56			
32		पोपरेगा		5.89	0.37	0.73	0	0	0	0	0	6.99			
33		शुटरापासी		4.64	0.40	0.73	0	0	0	0	0	5.77			
34		चिरगा		5.63	0.46	0.55	0	0	0	0	0	6.64			
35		पोकसरी		5.67	0.45	0.46	0	0	0	0	0	6.58			
36		सल्याडोह		4.53	0.35	0.63	0	0	0	0	0	5.51			
37		किलासपुर		5.68	0.49	0.47	0	0	0	0	0	6.64			
योग					166.71	14.96	25.01	3.31	11.40	3.20	0.00	14.04	238.63		
1				2022-23	सीतापुर	खड़दोरना	1.96	0	0	0	0	0	0	0	1.96
योग					1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96		
महायोग					352.28	19.00	51.15	4.97	36.52	8.00	0.00	19.71	491.63		



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - इक्कीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1875) की जानकारी

विकासखण्ड डीण्डी एवं डीण्डीलोहार में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 के प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं भुगतान हेतु शेष किसान संख्या एवं राशि तथा शेष रहने के कारण की वर्षवार, विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी

प्रपत्र अ

राशि रु. लाख में

क्र.	विकासखण्ड का नाम	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2014-15												
		अपेक्स बैंक के माध्यम से				बीज निगम के माध्यम से				योग				
		भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		
कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	भुगतान शेष रहने के कारण		
1	डीण्डी	6717	802.03	16	4.09	0	0.00	0	0.00	6717	802.03	16	4.09	भुगतान शेष रहने के कारण
2	डीण्डीलोहार	22257	3168.10	216	37.52	18	5.09	0	0.00	22275	3173.19	216	37.52	भुगतान शेष रहने के कारण
	योग	28974	3970.13	232	41.61	18	5.09	0	0.00	28992	3975.22	232	41.61	

सचिव
कृषि
ख.ग. रायपुर

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

विकासखण्ड डोण्डी एवं डोण्डीलोहारा में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 के प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं भुगतान हेतु शेष किसान संख्या एवं राशि तथा शेष रहने के कारण की वर्षवार, विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी

पपत्र-ब

राशि रु. लाख में

क.	विकासखण्ड का नाम	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015-16														
		अपेक्स बैंक के माध्यम से				बीज निगम के माध्यम से				भुगतान शेष रहने के कारण		योग				
		भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान शेष रहने के कारण	भुगतान हेतु शेष	भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		
		कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि			कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	डोण्डी	5698	578.74	8	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5698	578.74	8	0.46	भोनसा भुगतान करते समय बैंक खाता नंबर त्रुटि होने अथवा बैंक खाता बंद होने आदि कारणों से किसानों को राशि भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे संबंधित कृषकों से आवेदन प्राप्त कर तहसील मॉड्यूल से बैंक खातों में सुधार किया जा रहा है। जिन किसानों की प्रत्यु हो चुकी है उनके वैद्य वारिस से आवेदन प्राप्त कर बैंक खाता की जानकारी सत्यापित कर शीघ्र राशि भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
2	डोण्डीलोहारा	17973	2064.61	131	9.47	34	12.90	0	0.00	18007	2077.51	131	9.47	भोनसा भुगतान करते समय बैंक खाता नंबर त्रुटि होने अथवा बैंक खाता बंद होने आदि कारणों से किसानों को राशि भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे संबंधित कृषकों से आवेदन प्राप्त कर तहसील मॉड्यूल से बैंक खातों में सुधार किया जा रहा है। जिन किसानों की प्रत्यु हो चुकी है उनके वैद्य वारिस से आवेदन प्राप्त कर बैंक खाता की जानकारी सत्यापित कर शीघ्र राशि भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।		
	योग	23671	2643.35	139	9.93	34	12.90	0	0.00	23705	2656.25	139	9.93			


(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
शुद्ध विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालक कृषि
रु.ग. रायपुर

जिला सरगजा में जलग्रहण परियोजनांतर्गत करार गए निर्माण कार्यों की जानकारी

(राशि रु. लाख में)


प्रपत्र

क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक	विकास खंड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	कार्य संख्या	तकनीकी स्वीकृति			प्रशासकीय स्वीकृति			व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		
								राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक	राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक		पूर्ण	प्रगतिस्त	अप्रारम्भ
1	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बकोई	बकोई	वाटरहार्वरिंटिंग टैंक	1	6.88	715	30-03-2021	6.88	11	05-04-2021	6.87	1	0	0
2	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बकोई	बकोई	सिल्ट कलेक्शन टैंक	1	4.27	716	30-03-2021	4.27	11	05-04-2021	4.26	1	0	0
3	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बकोई	बकोई	वाटरहार्वरिंटिंग टैंक	1	4.15	713	30-03-2021	4.15	11	05-04-2021	4.15	1	0	0
4	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बकोई	बकोई	वाटरहार्वरिंटिंग टैंक	1	6.60	712	30-03-2021	6.60	11	05-04-2021	6.57	1	0	0
5	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बकोई	बकोई	परकोलेशन टैंक	1	6.74	714	30-03-2021	6.74	11	05-04-2021	6.71	1	0	0
6	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बुले	बुले	परकोलेशन टैंक	1	6.96	711	30-03-2021	6.96	11	05-04-2021	6.96	1	0	0
7	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	1	6.75	709	30-03-2021	6.75	13	06-04-2021	6.75	1	0	0
8	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	1	6.76	708	30-03-2021	6.76	13	06-04-2021	6.76	1	0	0
9	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	1	3.87	707	30-03-2021	3.87	13	06-04-2021	3.87	1	0	0
10	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	1	6.00	706	30-03-2021	6.00	13	06-04-2021	6.00	1	0	0
11	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	1	6.00	705	30-03-2021	6.00	13	06-04-2021	6.00	1	0	0
12	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	वाटरहार्वरिंटिंग टैंक	1	5.85	710	30-03-2021	5.85	13	06-04-2021	5.82	1	0	0
13	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	50	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.95	1	0	0
14	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	51	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.97	1	0	0
15	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	52	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.97	1	0	0
16	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	53	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.98	1	0	0
17	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	54	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.98	1	0	0
18	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	55	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.95	1	0	0
19	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	केदमा	केदमा	फार्म पॉण्ड	1	2.00	56	06-04-2021	2.00	21	09-04-2021	1.94	1	0	0
20	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-15	उदयपुर	बड़ेगाव	बड़ेगाव	भूमि समतलीकरण	1	16.50	49	06-04-2021	16.50	21	09-04-2021	16.43	1	0	0
21	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	1	4.94	37	06-04-2021	4.94	17	08-04-2021	4.92	1	0	0
22	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	1	5.61	36	06-04-2021	5.61	17	08-04-2021	5.60	1	0	0
23	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	1	6.50	35	06-04-2021	6.50	17	08-04-2021	6.49	1	0	0
24	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	फार्म पॉण्ड	1	2.00	40	06-04-2021	2.00	17	08-04-2021	2.00	1	0	0
25	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	फार्म पॉण्ड	1	2.00	34	06-04-2021	2.00	17	08-04-2021	1.99	1	0	0
26	2021-22	उख्यू.डी.सी.(आई.उख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	फार्म पॉण्ड	1	2.00	38	06-04-2021	2.00	17	08-04-2021	2.00	1	0	0

क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक	विकास खंड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	कार्य सख्खा	तकनीकी स्वीकृति			प्रशासकीय स्वीकृति			व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		
								राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक	राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक		पूर्ण	अग्रगण्य	
27	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	मोतीपुर	मोतीपुर	तटबंध निर्माण	1	6.90	39	06-04-2021	6.90	17	08-04-2021	6.89	1	0	0
28	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	अभिकापुर	मोतीपुर	मोतीपुर	तटबंध निर्माण	1	6.90	41	06-04-2021	6.90	17	08-04-2021	6.89	1	0	0
29	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	48	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	2.00	1	0	0
30	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	47	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	2.00	1	0	0
31	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	46	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.99	1	0	0
32	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	45	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.97	1	0	0
33	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	44	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.74	1	0	0
34	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	43	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	2.00	1	0	0
35	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	जमनावां	जमनावां	फार्म पॉण्ड	1	2.00	42	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.70	1	0	0
36	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	अमलशिंदी	जयपुर	फार्म पॉण्ड	1	2.00	62	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.98	1	0	0
37	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	अमलशिंदी	जयपुर	फार्म पॉण्ड	1	2.00	61	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	2.00	1	0	0
38	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	अमलशिंदी	जयपुर	फार्म पॉण्ड	1	2.00	60	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	1.96	1	0	0
39	2021-22	उत्ख्यू.डी.सी.(आर्इ.उत्ख्यू.एम.पी.)-16	लखनपुर	अमलशिंदी	जयपुर	फार्म पॉण्ड	1	2.00	59	06-04-2021	2.00	19	09-04-2021	2.00	1	0	0
							योग	39	160.18		160.18			158.98	39	0	0
40	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी निर्माण	1	3.50	220	24-05-2022	3.50	123	31-10-2022	2.95	1	0	0
41	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी निर्माण	1	3.50	221	24-05-2022	3.50	123	31-10-2022	1.87	1	0	0
42	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी निर्माण	1	3.50	222	24-05-2022	3.50	123	31-10-2022	3.48	1	0	0
43	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	फिट्टी बांध निर्माण कार्य	1	7.50	2019	24-05-2022	7.50	123	31-10-2022	7.49	1	0	0
44	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	कुन्गी	कुन्गी	उबरी निर्माण	1	2.97	711	23-10-2022	2.97	167	04-01-2023	2.97	1	0	0
45	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.50	1150	23-02-2023	2.50	210-A	17-03-2023	2.50	1	0	0
46	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.50	1146	23-02-2023	2.50	210-A	17-03-2023	1.25	1	0	0
47	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.50	1152	23-02-2023	2.50	210-A	17-03-2023	1.25	0	1	0
48	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.25	1151	23-02-2023	2.25	210-A	17-03-2023	2.24	1	0	0
49	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.50	1143	23-02-2023	2.50	210-A	17-03-2023	2.50	1	0	0
50	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	कुन्गी	रामनगर	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	1	19.76	707	25-10-2022	19.76	185	24-02-2023	19.75	1	0	0
51	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	1	18.38	709	25-10-2022	18.38	185	24-02-2023	18.37	1	0	0
52	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	1	9.98	710	25-10-2022	9.98	185	24-02-2023	9.98	1	0	0
53	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	अमृत सरोवर कार्य	1	14.92	1130	08-02-2023	14.92	219	30-03-2023	14.92	1	0	0
54	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-1	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	अमृत सरोवर कार्य	1	18.00	1184	01-03-2023	18.00	219	30-03-2023	16.20	0	1	0
55	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	बोल्डर चेक निर्माण	1	0.43	786	07-11-2022	0.43	169	04-01-2023	0.43	1	0	0
56	2022-23	उत्ख्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वा.वा. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	बोल्डर चेक निर्माण	1	0.28	787	07-11-2022	0.28	169	04-01-2023	0.28	1	0	0

क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक	विकास खंड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	कार्य संख्या	लक्ष्य की स्वीकृति			प्रशासकीय स्वीकृति			व्यय		कार्य की भौतिक स्थिति	
								राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक	राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक	राशि	पूर्ण	प्रगतिस्व	अग्रसं
57	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	बोल्डर बैंक निर्माण	1	0.23	788	07-11-2022	0.23	169	04-01-2023	0.23	1	0	0
58	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	गैरिशन निर्माण	1	1.38	789	07-11-2022	1.38	169	04-01-2023	1.38	1	0	0
59	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	गैरिशन निर्माण	1	1.19	790	07-11-2022	1.19	169	04-01-2023	1.17	1	0	0
60	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	गैरिशन निर्माण	1	1.76	791	07-11-2022	1.76	169	04-01-2023	1.39	1	0	0
61	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	उबरी निर्माण	1	3.56	801	07-11-2022	3.56	169	04-01-2023	3.54	1	0	0
62	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	लिविगी	मानपुर	उबरी निर्माण	1	3.53	794	07-11-2022	3.53	169	04-01-2023	3.51	1	0	0
63	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	लिविगी	लिविगी	उबरी निर्माण	1	1.70	795	07-11-2022	1.70	169	04-01-2023	1.70	1	0	0
64	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	बोडेया	कुन्नी	उबरी निर्माण	1	3.53	792	07-11-2022	3.53	169	04-01-2023	3.53	1	0	0
65	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	तुरगा	कुन्नी	उबरी निर्माण	1	3.41	793	07-11-2022	3.41	169	04-01-2023	3.41	1	0	0
66	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	तुरगा	कुन्नी	सिंघाई नाली निर्माण	1	14.37	799	07-11-2022	14.37	187	24-02-2023	14.37	1	0	0
67	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	तुरगा	तुरगा	सिंघाई नाली निर्माण	1	14.37	800	07-11-2022	14.37	187	24-02-2023	14.37	1	0	0
68	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	तटबंध निर्माण कार्य	1	7.70	798	07-11-2022	7.70	187	24-02-2023	7.70	1	0	0
69	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	लिविगी	लिविगी	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	0.83	796	07-11-2022	0.83	187	24-02-2023	0.83	1	0	0
70	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	लिविगी	लिविगी	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	3.15	797	07-11-2022	3.15	187	24-02-2023	3.14	1	0	0
71	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	बोडेया	कुन्नी	उबरी निर्माण कार्य	1	3.45	1432	17-02-2023	3.45	210c	17-03-2023	3.43	1	0	0
72	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	बोडेया	कुन्नी	उबरी निर्माण कार्य	1	3.43	1431	17-02-2023	3.43	210c	17-03-2023	3.43	1	0	0
73	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	बोडेया	कुन्नी	उबरी निर्माण कार्य	1	3.56	1433	17-02-2023	3.56	210c	17-03-2023	3.56	1	0	0
74	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	पोंडी	कुन्नी	उबरी गार्डरीकरण	1	3.45	1429	17-02-2023	3.45	210c	17-03-2023	3.45	1	0	0
75	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	पोंडी	मानपुर	उबरी गार्डरीकरण	1	2.05	1435	17-02-2023	2.05	210c	17-03-2023	2.05	1	0	0
76	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	पोंडी	मानपुर	उबरी गार्डरीकरण	1	3.45	1434	17-02-2023	3.45	210c	17-03-2023	3.45	1	0	0
77	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	पोंडी	लिविगी	उबरी गार्डरीकरण	1	2.55	1436	17-02-2023	2.55	210c	17-03-2023	2.54	1	0	0
78	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	लिविगी	लिविगी	अमृत सरोवर कार्य	1	14.90	1467	03-03-2023	14.90	217	30-03-2023	10.82	0	1	0
79	2022-23	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	अमृत सरोवर कार्य	1	14.73	1430	17-02-2023	14.73	217	30-03-2023	13.08	0	1	0
80	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-2	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	बृक्षारोपण / पीवरोपण	40	227.24			227.24			214.49	36	4	0
81	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	पुन्नी	सामनार	बृक्षारोपण / पीवरोपण	1	2.20	1	17-08-2023	2.20	68	18-08-2023	1.75	0	1	0
82	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	पुन्नी	सामनार	बृक्षारोपण / पीवरोपण	1	2.20	3	28-08-2023	2.20	79	31-08-2023	1.73	0	1	0
83	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	2.50	1148	23-02-2023	2.50	120	29-01-2024	0.00	0	0	1
84	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी निर्माण कार्य	1	3.50	1153	23-02-2023	3.50	120	29-01-2024	0.00	0	0	1
85	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	उबरी निर्माण कार्य	1	2.50	1138	23-02-2023	2.50	120	29-01-2024	0.00	0	0	1
86	2023-24	उत्खू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय. (2.0)-1	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	उबरी गार्डरीकरण कार्य	1	1.99	1129	08-02-2023	1.99	120	29-01-2024	0.00	0	0	1

क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक	विकास खंड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	कार्य संख्या	तकनीकी स्वीकृति			प्रशासकीय स्वीकृति			व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति			
								राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक	राशि	आदेश क्रमांक	दिनांक		पूर्ण	प्रगतिवत्	अप्रारम्भ	
87	2023-24	उत्क्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.(2.0)-1	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	डबरी गहरीकरण कार्य	1	2.00	1126	08-02-2023	2.00	120	29-01-2024	0.00	0	0	1	
88	2023-24	उत्क्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.(2.0)-1	उदयपुर	शिरमिट्टी	शिरमिट्टी	सिंचाई नाली निर्माण	1	10.00	1131	08-02-2023	10.00	120	29-01-2024	0.00	0	0	1	
89	2023-24	उत्क्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.(2.0)-1	उदयपुर	शिरमिट्टी	शिरमिट्टी	कुर्छों निर्माण कार्य	1	3.00	1128	08-02-2023	3.00	120	29-01-2024	0.00	0	0	1	
90	2023-24 (30 जनवरी 2024 तक)	उत्क्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.(2.0)-1	उदयपुर	शिरमिट्टी	शिरमिट्टी	कुर्छों निर्माण कार्य	1	3.00	1127	08-02-2023	3.00	120	29-01-2024	0.00	0	0	1	
							योग	11	35.28		35.28			5.63	0	3	8	
							कुल योग	90	422.69			422.69			379.10	75	7	8


(अनिल कुमार सिंह)
 अवर साखि
 उत्तरीसखर शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सही/-
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 CGSWMA

पारोक्षिक - तेईस
पारोक्षिक अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2276) की जानकारी

प्रश्न

दत्तेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड कुआकोण्डा, कटेकल्याण, दत्तेवाड़ा एवं गीदम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी 2024 तक निर्मित एवं बंद/चालू गोठान, क्रय गोबर मात्रा एवं राशि, निर्मित एवं विक्रय किये गये वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा एवं उससे प्राप्त राशि तथा स्व-सहायता समूहों को प्रदाय लाभांश राशि की विकासखण्डवार, वर्षवार, गोठानवार, ग्रामपंचायतवार एवं स्व-सहायता समूहवार जानकारी

क्र.	दत्तेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष	निर्मित गोठान ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	गोठान सक्रियता की स्थिति (चालू/बंद)	गोबर खरीदी विवरण		स्व-सहायता समूह का नाम	स्व-सहायता समूह का प्रदाय गोबर मात्रा	वर्मी कम्पोस्ट				स्व-सहायता समूह को प्राप्त राशि	स्व-सहायता समूह को प्राप्त			
						मात्रा	राशि			निर्मित	मात्रा	राशि	विक्रय			मात्रा	राशि	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	दत्तेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	2021-22	गीदम	गीदम	चालू	51.57	0.10	दुर्गा स्व सहायता समूह	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2			गदमिरी	गदमिरी	चालू	252.14	0.50	रुकमणी स्व सहायता समूह	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3			कडमपाल	कडमपाल	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			मदाडी	मदाडी	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कुआकोण्डा	2022-23	गीदम	गीदम	चालू	210.65	0.42	दुर्गा स्व सहायता समूह	210.65	52.79	0.53	52.79	0.53	0.53	0.53	0.17		
6			गदमिरी	गदमिरी	चालू	226.00	0.45	रुकमणी स्व सहायता समूह	226.00	103.20	1.03	3.30	0.03	0.03	0.03	0.01		
7			कडमपाल	कडमपाल	चालू	432.54	0.87	ओपम स्व सहायता समूह	432.54	43.87	0.44	43.87	0.44	0.44	0.44	0.14		
8			मदाडी	मदाडी	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	दत्तेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	2023-24 (31.01.2024 तक)	गीदम	गीदम	चालू	257.56	0.52	दुर्गा स्व सहायता समूह	257.56	43.87	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10			गदमिरी	गदमिरी	चालू	273.03	0.55	रुकमणी स्व सहायता समूह	273.03	214.20	2.14	168.60	1.69	1.69	1.69	0.55		
11			कडमपाल	कडमपाल	चालू	398.77	0.80	ओपम स्व सहायता समूह	398.77	52.79	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			मदाडी	मदाडी	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	कटेकल्याण	2021-22	विक्रपाल	विक्रपाल	3 चालू	2102.26	4.20		2102.26	510.72	5.11	268.56	2.69	2.69	0.88			
14			बोगलूर	बोगलूर	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15			मार्कूम	मार्कूम	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16			मदाडी	मदाडी	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17			तेलम	तेलम	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18			रेटम	रेटम	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19			रेटपाल	रेटपाल	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20			गुडसे	गुडसे	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21			तुमकपाल	तुमकपाल	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22			महाराकरका	महाराकरका	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23			धनीकरका	धनीकरका	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24			रेडपाल	रेडपाल	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	भुसारास	भुसारास	बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

(एकपई मात्रा/कि. एवं राशि लाख के)


क्र.	दूधेबाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष	निर्मित गोठान ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	गोठान सक्रियता की स्थिति (घाणू/बंद)	गोबर खरीदी विवरण		स्व-सहायता समूह का नाम	स्व-सहायता समूह को प्रदाय गोबर मात्रा	वर्मी कम्पोस्ट			स्व-सहायता समूह को प्राप्त राशि	स्व-सहायता समूह को प्राप्त राशि	
						मात्रा	राशि			निर्मित	विक्रय	विक्रय से प्राप्त राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
98						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99				आहनार	आहनार	502.65	1.01	कैचो देवी स्व सहायता समूह	502.65	42.60	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	गीदम	2023-24 (31.01.2024 तक)		निरक	निरक	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103				फुडरी	फुडरी	0.00	0.00	सरस्वती स्व-सहायता समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104					02 घाणू	937.51	1.88		937.51	45.90	0.46	3.30	0.03	0.03	0.01
	योग		6		18	22849.89	45.70		22849.89	7780.94	77.81	2515.62	25.16	25.16	8.23
	महायोग		35												

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - चौबीस
पारोवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2339) की जानकारी प्रपत्र- अ

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित ग्रामों की सूची

क्र.	चयनित ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिला	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या		
				कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कुसमुल	डभरा	सक्ती	2498	1816	72.70
2	बरतुंगा	डभरा	सक्ती	2149	1132	52.68
3	सुखापाली	डभरा	सक्ती	1484	1269	85.51
4	छोटेसीपत	मालखरौदा	सक्ती	1526	1436	94.10
5	बड़ेमुडुपार	मालखरौदा	सक्ती	1848	1117	60.44
6	चारपारा	मालखरौदा	सक्ती	1591	1522	95.66
7	खरकेना	डभरा	सक्ती	1615	810	50.15
8	मेढ्रापाली	डभरा	सक्ती	1145	1058	92.40
9	सारसकेला	मालखरौदा	सक्ती	1251	962	76.90
10	अण्डा	मालखरौदा	सक्ती	1168	770	65.92
11	अण्डी	मालखरौदा	सक्ती	774	759	98.06
12	बड़ेपाडरमुडा	मालखरौदा	सक्ती	1246	730	58.59
13	जमगहन	मालखरौदा	सक्ती	1355	839	61.92
14	लटियाडीह	डभरा	सक्ती	694	550	79.25
15	बांधापाली	डभरा	सक्ती	784	434	55.36
16	कौड़िया	डभरा	सक्ती	536	530	98.88
17	तुलसीडीह	मालखरौदा	सक्ती	568	529	93.13
18	छोटेकोट	मालखरौदा	सक्ती	580	409	70.52
19	तौलीपाली	मालखरौदा	सक्ती	642	495	77.10
20	धुरकोट	डभरा	सक्ती	2378	1107	46.55
21	कटेकोनी छोटे	डभरा	सक्ती	1852	786	42.44
22	जवाली	डभरा	सक्ती	1822	858	47.09
23	खुरघट्टी	डभरा	सक्ती	1321	565	42.77
24	गोबरा	डभरा	सक्ती	2164	1056	48.80
25	केनापाली	डभरा	सक्ती	1283	595	46.38
26	मालखरौदा	मालखरौदा	सक्ती	3998	1998	49.97
27	नवापारा	मालखरौदा	सक्ती	1506	623	41.37
28	फगुरम	मालखरौदा	सक्ती	3177	1443	45.42
29	सिंघरा	मालखरौदा	सक्ती	3198	1463	45.75


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
विद्यदा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक स्वीकृत कार्य एवं राशि की जानकारी

क्र०	वर्ष	चयनित ग्राम का नाम	वि.खं. का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	प्रदाय की गयी राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	बांधापाली	डभरा	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
2	2021-22	बांधापाली	डभरा	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
3	2021-22	बांधापाली	डभरा	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य	6.00
4	2021-22	कौडिया	डभरा	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य	5.00
5	2021-22	कौडिया	डभरा	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
6	2021-22	कौडिया	डभरा	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
7	2021-22	लटियाडीह	डभरा	पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी टैंकर गाड़ी की स्थापना	3.50
8	2021-22	लटियाडीह	डभरा	पेयजल व्यवस्था हेतु बोरखनन कार्य	2.50
9	2021-22	लटियाडीह	डभरा	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
10	2021-22	लटियाडीह	डभरा	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
11	2021-22	तुलसीडीह	मालखरौदा	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य	8.00
12	2021-22	तौलीपाली	मालखरौदा	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य	10.00
13	2021-22	तौलीपाली	मालखरौदा	अहाता निर्माण कार्य (शास० मिडिल स्कूल में)	15.00
14	2021-22	तौलीपाली	मालखरौदा	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
15	2021-22	तौलीपाली	मालखरौदा	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
16	2021-22	तौलीपाली	मालखरौदा	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य	10.00
17	2021-22	छोटेकोट	मालखरौदा	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
18	2021-22	छोटेकोट	मालखरौदा	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
19	2021-22	छोटेकोट	मालखरौदा	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य	5.00
				योग	90.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक स्वीकृत ग्रामों में कराये गये कार्यों की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र०	कार्य एजेंसी	चयनित ग्राम का नाम	वि.खं. का नाम	प्रदाय की गयी राशि	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत	तौलीपाली	मालखरौदा	15.00	अहाता निर्माण कार्य (शास0 मिडिल स्कूल में)
योग-				15.00	
1	सिंघानिया ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज जांजगीर	बांधापाली	डभरा	2.50	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
2		कौडिया	डभरा	2.50	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
3		लटियाडीह	डभरा	2.50	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
4		तौलीपाली	मालखरौदा	2.50	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
5		छोटेकोट	मालखरौदा	2.50	खेलकुद सामग्री/व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
योग-				12.50	
1	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर	बांधापाली	डभरा	2.50	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
2		बांधापाली	डभरा	6.00	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य
3		कौडिया	डभरा	2.50	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
4		लटियाडीह	डभरा	2.50	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
5		तुलसीडीह	मालखरौदा	8.00	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य
6		तौलीपाली	मालखरौदा	2.50	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
7		तौलीपाली	मालखरौदा	10.00	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य
8		छोटेकोट	मालखरौदा	2.50	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में)
9		छोटेकोट	मालखरौदा	5.00	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य
योग-				41.50	
1	अनुविभागीय यांत्रिकी विद्युत यांत्रिकी	कौडिया	डभरा	5.00	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य
2		लटियाडीह	डभरा	3.50	पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी टैंकर गाड़ी की सुविधा
3		लटियाडीह	डभरा	2.50	पेयजल व्यवस्था हेतु बोरखनन कार्य
4		तौलीपाली	मालखरौदा	10.00	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य
योग-				21.00	
महायोग-				90.00	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2341) की जानकारी प्रपत्र-अ


f

क	वर्ष	संचालित आश्रम एवं छात्रावासों हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)			
		मरम्मत कार्य	रखरखाव	सामग्री क्रय	योग
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	140.55	-	168.56	309.11
2	2022-23	98.5	-	164.24	262.74
3	2023-24 (जनवरी 2024 तक)	159.47	-	158.18	317.65
योग		398.52	-	490.98	889.50

Scanned
अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

क	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्यों की संख्या	एजेंसी/फर्म का नाम	एजेंसी/फर्म को भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	140.55	32	विभागीय	129.30
2	2022-23	98.5	8	विभागीय	10.00
			2	ग्रा.यां.वि.जांजगीर	17.86
			1	मु.का.अ.ज.पं. मालखरौदा	5.60
			11	योग	33.46
3	2023-24 (जनवरी 2024 तक)	159.47	7	विभागीय	39.16
			6	मु.का.अ.ज.पं. सक्ती	8.20
			5	मु.का.अ.ज.पं. मालखरौदा	7.20
			6	मु.का.अ.ज.पं. डभरा	12.00
			7	मु.का.अ.ज.पं. जैजैपुर	12.80
			31	योग	79.36
योग		398.52	74		242.12


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बल रायपुर

परिशेष - छब्वीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2410) की जानकारी

प्रपत्र

राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2019 से खरीफ वर्ष 2023 तक किसानों को भुगतान की गई राशि एवं किसान संख्या एवं भुगतान हेतु शेष राशि एवं किसान संख्या तथा भुगतान शेष रहने के कारण की वर्षवार जानकारी

क्र.	उत्पादन वर्ष	भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान शेष के कारण
		कृषक संख्या	राशि (करोड़ में)	कृषक संख्या	राशि	
1	खरीफ वर्ष 2019	1843370	5627.019	0	0.00	-
2	खरीफ वर्ष 2020	2059068	5553.078	0	0.00	-
3	खरीफ वर्ष 2021	2441007	7011.96	2543		<p>डुप्लीकेट खसरा होने के कारण, भुगतान बार-बार विफल होने के कारण, भुगतान का सत्यापन बैंक द्वारा नहीं किए जाने, पात्र एकबा 108 एकड़ से अधिक होने के कारण शेष है। सभी प्रकरणों में संबंधित किसानों का सत्यापन सहकारी समिति / तहसील / कलेक्टर स्तर से किया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त पात्रता एवं नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>चूंकि कृषको का सत्यापन शेष है और लॉबित कृषकों के भुगतान की गणना न होने के फलस्वरूप कृषकों की पात्र राशि दिया जाना संभव नहीं है। सत्यापन उपरान्त पात्र रकबे के आधार पर भुगतान राशि की गणना की जा सकेगी।</p>

क.	उत्पादन वर्ष	भुगतान प्राप्त		भुगतान हेतु शेष		भुगतान शेष के कारण
		कृषक संख्या	राशि (करोड़ में)	कृषक संख्या	राशि	
4	खरीफ वर्ष 2022 (तीन किस्त की राशि)	2528641	5563.75	6339	चूंकि कृषको का सत्यापन शेष है और लंबित कृषकों के भुगतान की गणना न होने के फलस्वरूप कृषकों की पात्र राशि दिया जाना संभव नहीं है। सत्यापन उपरांत पात्र रकबे के आधार पर भुगतान राशि की गणना की जा सकेगी।	भू-स्वामी का नाम त्रुटिपूर्ण होने, भू-स्वामी का प्रकार त्रुटिपूर्ण होने, भुगतान विफल होने, भूस्वामि का प्रकार शासकीय होने, वनपट्टाधिकारी किसानों का फसल विवरण नहीं मिलने, खाद्य विभाग द्वारा किसानों को डिलिट करने के कारण पुनः जांच करने, एक ही खाता क्रमांक 4 से अधिक कृषकों द्वारा पंजीकृत कराए जाने, वन पट्टा 10 एकड़ से अधिक होने एवं पात्र रकबा 108 एकड़ से अधिक होने के कारण शेष है। सभी प्रकरणों में संबंधित किसानों का सत्यापन सहकारी समिति/तहसील/कलेक्टर स्तर से किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत पात्रता एवं नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	खरीफ वर्ष 2023					निरंक।



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

विभाग

राजधानी, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - सत्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2411) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति एवं प्रीमियम राशि की जानकारी

जिला	तहसील	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			प्रीमियम राशि (कृषक अंश रू. लाख में)	दावा भुगतान (रू. लाख में)				योग		
				ऋणी	अऋणी	योग		ऋणी	दावा राशि	अऋणी	दावा राशि	कुल कृषक संख्या	कुल दावा राशि (रू. लाख में)	
[...]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		नवागढ़	2021	खरीफ	1731	115	1846	20.38	92	1.64	13	0.01	105	1.65
		पामगढ़			4839	4	4843	61.28	889	75.03	0	0.00	889	75.03
			खरीफ 2021 योग		6570	119	6689	81.65	981	76.67	13	0.01	994	76.68
		नवागढ़	2022	खरीफ	1164	25	1189	8.44						
		पामगढ़			4227	8	4235	46.58						
			खरीफ 2022 योग		5391	33	5424	55.01						
		नवागढ़	2023	खरीफ	695	57	752	10.15						
		पामगढ़			2872	105	2977	42.66						
			खरीफ 2023 योग		3567	162	3729	52.81						
		महायोग		15528	314	15842	189.47	981	76.67	13	0.01	994	76.68	

(आमत कुमार V/c)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर


परिशेष - अट्टाईस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2417) की जानकारी

प्रपत्र अ

जिला जांजगीर चांपा में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक की अवधि) में फलोद्यान रोपण योजना तथा फल क्षेत्र विस्तार योजनांतर्गत रोपित रकबे एवं प्रदत्त अनुदान की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	रोपित रकबा (हे.)	अनुदान राशि (लाख में)
1	2021-22	फलोद्यान रोपण योजना	220.00	8.73
2	2022-23		275.00	10.91
3	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)		145.00	5.75
	योग		640.00	25.39
1	2021-22	फल क्षेत्र विस्तार योजना	80.00	15.24
2	2022-23		70.86	16.36
3	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)		0.00	0.00
	योग		150.86	31.60
	महायोग		790.86	56.99



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जिला जांजगीर चांपा में 31 दिसम्बर 2023 तक की स्थिति में निजी क्षेत्र में फलवार रोपण रकबे की जानकारी

क्र.	फल का नाम	रोपित रकबा (हेक्ट.में)
1	आम	4035.00
2	अमरुद	1426.00
3	बेर	399.00
4	केला	887.00
5	लीची	12.00
6	नींबू	592.00
7	पपीता	774.00
8	सीताफल	66.00
9	कटहल	32.00
10	खरबुज	844.00
11	अनार	42.00
12	चीकु	15.00
13	मौसंबी	59.00
14	तरबुज	848.00
15	आंवला	92.00
16	अन्य	1055.00
	योग	11178.00 ✓



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

जिला जांजगीर-चांपा में 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में शासकीय क्षेत्र में फलवार रोपण रकबा (हेक्ट. में) की जानकारी

रकबा हेक्ट. में

क्र.	फल का नाम	शास.उद्यान रोपणी-पुटपुरा वि. ख.-नवागढ़	शास.उद्यान रोपणी-अमोरा वि.ख.-अकलतरा	शास.उद्यान रोपणी-मुड़पार वि. ख.-पामगढ़	शास.उद्यान रोपणी-चारपारा वि.ख.-बलौदा	शास.उद्यान रोपणी-करनौद वि.ख.बम्हनीडीह	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आम	1.62	2.380	1.650	1.940	1.630	9.220
2	अमरूद	0.62	0.340	0.480	0.513	0.500	2.453
3	बेर	0.15	0.090	0.253	0.100	0.148	0.739
4	नीबू	0.13	0.290	0.400	0.563	0.580	1.958
5	आंवला	0.06	0.060	0.200	0.040	0.080	0.440
6	चीकू	0.04	0.010	0.260	0.060	0.090	0.460
7	नारियल	0.04	0.180	0.160	0.200	0.140	0.720
8	अनार	0.00	0.000	0.330	0.000	0.000	0.330
9	कटहल	0.02	0.000	0.000	0.000	0.070	0.090
10	लीची	0.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350
	योग	3.02	3.350	3.733	3.416	3.238	16.760



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - उन्तीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2423) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला राजनांदागांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेव्लपमेंट कम्पौनेन्ट (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अंतर्गत संघटकवार, बजट प्रतिशतता एवं आबंटित राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	घटक का नाम	बजट का प्रतिशत	आबंटित राशि
1	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	50.43	120.28
2		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	40.33	120.29
3		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	प्रशासनिक	2.006	0.87
4		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	32.235	78.75
5	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	प्रशासनिक	5.44	2.37
6		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	उत्पादन प्रणाली	100.00	47.00
7		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	54.492	132.74
8		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	63.19	123.01
9		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	प्रशासनिक	1.44	0.50
10		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	उत्पादन प्रणाली	100.0	34.72
11		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	44.237	105.50
12		डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	उत्पादन प्रणाली	86.08	36.66
					योग	802.69

सही / -
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
CGSWMA


(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संजय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला राजनांदगांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेंट कम्पोनेन्ट (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अंतर्गत संरचनावार जानकारी
(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	परियोजना क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत	व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य एजेंसी
1	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	डाईक	3.04	2.78	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
2	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	पक्का चेकडेम	14.01	9.91	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
3	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.38	11.89	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
4	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.03	10.72	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
5	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	डाईक	2.68	2.61	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
6	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	डाईक	2.28	2.22	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
7	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	डाईक	1.88	1.81	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
8	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	पक्का चेकडेम	15.89	8.85	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
9	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	पक्का चेकडेम	16.72	7.66	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
10	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.02	9.92	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
11	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.02	8.58	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
12	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	पक्का चेकडेम	16.70	15.99	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
13	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	पक्का चेकडेम	14.80	14.35	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
14	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	पक्का चेकडेम	16.70	15.79	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
15	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	पक्का चेकडेम	14.80	13.99	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
16	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	तातोड़ा	उरवाही	पक्का चेकडेम	16.70	16.61	पूर्ण	जलग्रहण समिति तातोड़ा
17	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	आलकन्हार	आलकन्हार	पक्का चेकडेम	14.98	14.06	पूर्ण	जलग्रहण समिति आलकन्हार
18	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	आलकन्हार	आलकन्हार	पक्का चेकडेम	15.61	14.41	पूर्ण	जलग्रहण समिति आलकन्हार
19	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	चांपटोला	चांपटोला	पक्का चेकडेम	14.98	13.93	पूर्ण	जलग्रहण समिति चांपटोला

क्र.	वर्ष	परियोजना क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत	व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य एजेंसी
20	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	चांपाटोला	चांपाटोला	पक्का चेकडेम	15.61	14.75	पूर्ण	जलग्रहण समिति चांपाटोला
21	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	कोरवा	चांपाटोला	पक्का चेकडेम	14.98	14.12	पूर्ण	जलग्रहण समिति चांपाटोला
22	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	कोरामटोला	कोरामटोला	पक्का चेकडेम	14.98	14.71	पूर्ण	जलग्रहण समिति कोरामटोला
23	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	ढारनी	कोरामटोला	पक्का चेकडेम	13.45	13.24	पूर्ण	जलग्रहण समिति कोरामटोला
24	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	चांपाटोला	चांपाटोला	डाईक	2.31	2.26	पूर्ण	जलग्रहण समिति चांपाटोला
25	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	आलकन्हार	आलकन्हार	डाईक	2.31	2.29	पूर्ण	जलग्रहण समिति आलकन्हार
26	2020-21	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-14	मोहला	आलकन्हार	आलकन्हार	डाईक	2.31	2.29	पूर्ण	जलग्रहण समिति आलकन्हार
27	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.94	15.26	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
28	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.94	15.43	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
29	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.93	15.37	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
30	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	17.50	17.16	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
31	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	15.03	14.80	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
32	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	पक्का चेकडेम	13.71	13.66	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
33	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	पक्का चेकडेम	15.93	15.43	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
34	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	5.47	5.47	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
35	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	कुसुमकसा	कुसुमकसा	स्पीकलर पाईप	5.52	5.52	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
36	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	3.09	3.09	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
37	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	सिंगरायटोला	ओटेबांधा	स्पीकलर पाईप	3.36	3.36	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
38	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	साल्हे कुसुमकसा	कुसुमकसा	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	1.67	1.67	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा

क्र.	वर्ष	परियोजना क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत	व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य एजेंसी
39	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	साल्हे कुसुमकसा	कुसुमकसा	स्पीकलर पाईप	3.36	3.36	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुसुमकसा
40	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	4.52	4.52	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
41	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	ओटेबांधा	ओटेबांधा	स्पीकलर पाईप	3.36	3.36	पूर्ण	जलग्रहण समिति ओटेबांधा
42	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	4.52	4.52	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
43	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	दुवालगुंडरा	तिरपेमेटा	स्पीकलर पाईप	3.36	3.36	पूर्ण	जलग्रहण समिति दुवालगुंडरा
44	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	पेंदलकुही	पेंदलकुही	3 एच.पी. पेट्रोल पंप	4.52	4.52	पूर्ण	जलग्रहण समिति पेंदलकुही
45	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-9	चौकी	पेंदलकुही	पेंदलकुही	स्पीकलर पाईप	3.84	3.84	पूर्ण	जलग्रहण समिति पेंदलकुही
46	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	मरकाटोला	मरकाटोला	पक्का चेकडेम	18.28	16.67	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरकाटोला
47	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	मरकाटोला	मरकाटोला	पक्का चेकडेम	17.69	15.84	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरकाटोला
48	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	चिलमटोला	मोहला	पक्का चेकडेम	12.13	11.26	पूर्ण	जलग्रहण समिति मोहला
49	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	डाईक	2.86	2.29	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
50	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	डाईक	2.86	2.31	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
51	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	पक्का चेकडेम	17.60	17.46	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
52	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	पक्का चेकडेम	17.40	16.47	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
53	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कुंजामटोला	कुंजामटोला	पक्का चेकडेम	17.60	16.99	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुंजामटोला
54	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कुंजामटोला	कुंजामटोला	पक्का चेकडेम	17.40	15.62	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुंजामटोला
55	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कुंजामटोला	कुंजामटोला	डीजल पंप	1.77	1.77	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुंजामटोला
56	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कुंजामटोला	कुंजामटोला	बैटरी चलित स्प्रेयर	3.22	3.22	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुंजामटोला
57	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	डीजल पंप	2.47	2.47	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
58	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	भूसोटोला	धोबेदंड	बैटरी चलित स्प्रेयर	2.68	2.68	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
59	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	मोहला	मोहला	बैटरी चलित स्प्रेयर	3.65	3.65	पूर्ण	जलग्रहण समिति मोहला
60	2021-22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	चिलमटोला	मोहला	बैटरी चलित स्प्रेयर	2.68	2.68	पूर्ण	जलग्रहण समिति मोहला

क्र.	वर्ष	परियोजना क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत	व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य एजेंसी
61	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	छुरिया	मोहला	बैटरी चालित स्प्रेयर	0.59	0.59	पूर्ण	जलग्रहण समिति कुंजामटोला
62	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	वागिनसुर	धोबेदंड	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.34	1.34	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
63	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	मरकाटोला	मरकाटोला	बैटरी चालित स्प्रेयर	3.22	3.22	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरकाटोला
64	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	बोईरडीह	मरकाटोला	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.07	1.07	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरकाटोला
65	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	पुजारीटोला	कनेरी	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.82	1.82	पूर्ण	जलग्रहण समिति कहाड़कसा
66	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	धोबेदंड	धोबेदंड	बैटरी चालित स्प्रेयर	3.49	3.49	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
67	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कांडे	धोबेदंड	बैटरी चालित स्प्रेयर	3.22	3.22	पूर्ण	जलग्रहण समिति धोबेदंड
68	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-10	मोहला	कहाड़कसा	कनेरी	बैटरी चालित स्प्रेयर	2.15	2.15	पूर्ण	जलग्रहण समिति कहाड़कसा
69	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मरदेल	उरवाही	पक्का चेकडेम	21.90	19.33	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
70	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	तातोडा	उरवाही	पक्का चेकडेम	21.85	19.74	पूर्ण	जलग्रहण समिति तातोडा
71	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	तातोडा	उरवाही	पक्का चेकडेम	21.85	19.82	पूर्ण	जलग्रहण समिति तातोडा
72	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	पक्का चेकडेम	21.89	20.16	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
73	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मरदेल	उरवाही	डीजल पंप	3.18	3.18	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
74	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मरदेल	उरवाही	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.18	1.18	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
75	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	डीजल पंप	0.88	0.88	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
76	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	मुदियाल	मडियानवाड़वी	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.07	1.07	पूर्ण	जलग्रहण समिति मरदेल
77	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	तातोडा	उरवाही	डीजल पंप	5.30	5.30	पूर्ण	जलग्रहण समिति तातोडा
78	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	तातोडा	उरवाही	बैटरी चालित स्प्रेयर	2.68	2.68	पूर्ण	जलग्रहण समिति तातोडा
79	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	कनेरी	कनेरी	बैटरी चालित स्प्रेयर	7.51	7.51	पूर्ण	जलग्रहण समिति कनेरी
80	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	रामगढ़	रामगढ़	बैटरी चालित स्प्रेयर	4.02	4.02	पूर्ण	जलग्रहण समिति रामगढ़
81	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	राजाडेग	रामगढ़	बैटरी चालित स्प्रेयर	1.34	1.34	पूर्ण	जलग्रहण समिति रामगढ़
82	2021--22	डब्ल्यू.डी.सी.पी.एम.के.एस.वाय.-11	मोहला	कंदाड़ी	कंदाड़ी	बैटरी चालित स्प्रेयर	6.71	6.71	पूर्ण	जलग्रहण समिति कंदाड़ी
					योग		743.29	674.62		
					प्रशासनिक मद अंतर्गत व्यय		-	1.76		
					कुल योग			676.38		

सही / -
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
CGSWMA


(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर


परिशेष - तीस
परिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2430) की जानकारी
प्रपत्र - अ

राजनांदगांव जिले में संचालित विभागीय छात्रावास/आश्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की जानकारी

क्र०	विकासखण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	2	3	4	5
		बालक छात्रावास		
1	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	100	81
2	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	100	100
3	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक परियोजना बालक छात्रावास राजनांदगांव	30	30
4	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव	100	49
5	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, घुमका	20	11
6	राजनांदगांव	प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव	80	71
7	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक पिछडा वर्ग बालक छात्रावास, राजनांदगांव	50	25
8	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक पिछडा वर्ग कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	50	50
		बालिका छात्रावास		
9	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	100	103
10	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	50	50
11	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक परियोजना कन्या छात्रावास राजनांदगांव	20	24
12	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	100	100
13	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, सोमनी	50	50
14	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	46	45
		बालक आश्रम		
15	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, पनेका (प्रा.शा.स्तर)	50	50
16	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, मुढीपार (मा.शा.स्तर)	50	50
		बालिका आश्रम		
17	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पनेका (प्रा.शा.स्तर)	50	50
		बालक छात्रावास		
18	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोठीटोला	50	45
19	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चारभांठा	40	39
20	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़	50	50
21	डोंगरगढ़	प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, मुसरा	50	63
22	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़	50	66
23	डोंगरगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, डोंगरगांव	50	50
24	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगांव	20	26
25	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, तुमड़ीबोड़	20	33
		बालिका छात्रावास		
26	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मड़ियान	50	31


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

क्र०	विकासखण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	2	3	4	5
27	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	50	38
28	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बोरतलाव	50	46
29	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोठीटोला	50	30
30	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	50	56
31	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, मोहारा	50	35
32	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	50	69
33	डोंगरगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगांव	50	50
34	डोंगरगांव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगांव	50	41
बालक आश्रम				
35	डोंगरगढ़	आदिवासी बालक आश्रम, दीवानटोला (मा.शा.स्तर)	50	74
बालिका आश्रम				
36	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, सीतागोटा (मा.शा.स्तर)	50	43
37	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, डोंगरगढ़ (मा.शा.स्तर)	50	66
बालक छात्रावास				
38	छुरिया	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	50	45
39	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कुमर्दा	50	40
40	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	20	33
41	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोडलवाही	50	30
बालिका छात्रावास				
42	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, छुरिया	50	58
43	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उमरवाही	50	37
44	छुरिया	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, छुरिया	50	58
बालक आश्रम				
45	छुरिया	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, बुचाटोला (प्रा.शा.स्तर)	50	53
बालिका आश्रम				
46	छुरिया	आदिवासी कन्या आश्रम, कुहीकला (प्रा.शा.स्तर)	50	50
योग-			2396	2294


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर


राजनांदगांव जिले में संचालित विभागीय छात्रावास/आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क.	विकासखण्ड	छात्रावास/आश्रम का नाम	अधीक्षक		चतुर्थ श्रेणी			कुल योग			
			स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	5	5	0	6	6	0
2	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	5	5	0	6	6	0
3	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	1	0	1	5	5	0	6	5	1
4	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	5	5	0	6	6	0
5	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, मुड़ीपार (मा.शा.स्तर)	1	1	0	7	6	1	8	7	1
6	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
7	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, राजनांदगांव	1	0	1	4	4	0	5	4	1
8	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, पनेका (प्रा.शा.स्तर)	1	1	0	5	5	0	6	6	0
9	राजनांदगांव	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पनेका (प्रा.शा.स्तर)	1	1	0	5	5	0	6	6	0
10	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, (पनेका) राजनांदगांव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
11	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सोमनी	1	1	0	4	4	0	5	5	0
12	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	5	5	0	6	6	0
13	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	5	5	0	6	6	0
14	राजनांदगांव	परियोजना बालक छात्रावास (कर्मचारी पुत्र) राजनांदगांव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
15	राजनांदगांव	परियोजना कन्या छात्रावास (कर्मचारी पुत्र) राजनांदगांव	1	0	1	4	4	0	5	4	1
16	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, घुमका	1	0	1	4	4	0	5	4	1
17	राजनांदगांव	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
योग-			17	13	4	79	78	1	96	91	5
18	छुरिया	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	1	0	1	4	4	0	5	4	1
19	छुरिया	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, बुचाटोला (प्रा.शा.स्तर)	1	0	1	5	5	0	6	5	1
20	छुरिया	आदिवासी कन्या आश्रम, कुहीकला (प्रा.शा.स्तर)	1	0	1	5	5	0	6	5	1

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

क.	विकासखण्ड	छात्रावास / आश्रम का नाम	अधीक्षक			चतुर्थ श्रेणी			कुल योग		
			स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोड़लवाही	1	1	0	4	3	1	5	4	1
22	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, छुरिया	1	1	0	4	4	0	5	5	0
23	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उमरवाही	1	0	1	4	3	1	5	3	2
24	छुरिया	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, छुरिया	1	1	0	4	4	0	5	5	0
25	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	1	1	0	4	4	0	5	5	0
26	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कुमर्दा	1	1	0	4	4	0	5	5	0
		योग-	9	5	4	38	36	2	47	41	6
27	डोंगरगाँव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, डोंगरगाँव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
28	डोंगरगाँव	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगाँव	1	0	1	4	4	0	5	4	1
29	डोंगरगाँव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगाँव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
30	डोंगरगाँव	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, तुमड़ीबोड़	1	1	0	4	4	0	5	5	0
31	डोंगरगाँव	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगाँव	1	0	1	4	4	0	5	4	1
		योग-	5	3	2	20	20	0	25	23	2
32	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, सीतागोटा (मा.शा.स्तर)	1	0	1	7	3	4	8	3	5
33	डोंगरगढ़	आदिवासी बालक आश्रम, दीवानटोला (मा.शा.स्तर)	1	0	1	7	4	3	8	4	4
34	डोंगरगढ़	आदिवासी कन्या आश्रम, डोंगरगढ़ (मा.शा.स्तर)	1	1	0	7	5	2	8	6	2
35	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	1	1	0	4	4	0	5	5	0
36	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़	1	0	1	4	4	0	5	4	1
37	डोंगरगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मड़ियान	1	0	1	4	3	1	5	3	2
38	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोठीटोला	1	1	0	4	4	0	5	5	0
39	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, चारमांडा	1	1	0	4	3	1	5	4	1
40	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बोरतलाव	1	1	0	4	4	0	5	5	0
41	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	1	1	0	4	3	1	5	4	1
42	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, मुसरा	1	1	0	4	4	0	5	5	0
43	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, मोहारा	1	0	1	4	4	0	5	4	1

क.	विकासखण्ड	छात्रावास/आश्रम का नाम	अधीक्षक			चतुर्थ श्रेणी			कुल योग		
			स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास, डोंगरगढ़	1	1	0	4	4	0	5	5	0
45	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोठीटोला	1	0	1	4	4	0	5	4	1
46	डोंगरगढ़	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, डोंगरगढ़	1	0	1	4	4	0	5	4	1
योग-			15	8	7	69	57	12	84	65	19
महायोग-			46	29	17	206	191	15	252	220	32


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - इकतीस

परिवाहित अतारोकेत प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2487) की जानकारी

प्रपत्र-अ

गोबर, गोमूत्र क्रय एवं भुगतान की जानकारी

इकाई मात्रा (किं) राशि (लाख) में

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	वर्ष	निर्मित गोठान की संख्या	सक्रिय गोठान की संख्या	गोठानों में गोबर खरीदी			गोठानों में गोमूत्र खरीदी		
						मात्रा	भुगतान राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	मात्रा (ली.)	भुगतान राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2021-22	5	5	1037.28	2.07	0	0	0	0
		बसना	2022-23	0	0	1012.18	2.02	0	0	0	0
			2023-24 (31.01.2024 तक)	0	0	917.72	1.84	0	0	0	0
1	सरायपाली		2021-22	19	19	3889.86	7.78	0	0	0	0
		सरायपाली	2022-23	0	0	7734.91	15.47	0	0	0	0
			2023-24 (31.01.2024 तक)	0	0	7006.68	14.01	0	0	0	0
		योग		24	24	21598.63	43.19	0	0	0	0

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सम्मिलित विकास खण्ड का नाम	वर्ष	गोठान का नाम	वर्षी कम्पोस्ट						ब्रह्मरत्न						जीवाणु			
					उत्पादित मात्रा	राशि	विक्रय मात्रा	राशि	शेष मात्रा	उत्पादन (ली.)	राशि	विक्रय (ली.)	राशि	उत्पादन (ली.)	राशि	विक्रय (ली.)	राशि	उत्पादन (ली.)	राशि	शेष मात्रा
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	सरायपाली	सरायपाली	2023-24 (31.01.2024 तक)	जलगाढ (नानकपाली)	249.80	2.50	249.80	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				कवरपाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				कसलबा	308.60	3.09	308.60	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				कसडोल	96.40	0.96	80.40	0.80	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				केटुयां	202.50	2.03	156.60	1.57	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				लमकेनी	117.90	1.18	117.90	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				पण्डरीपानी	114.00	1.14	114.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				पुटका	109.50	1.10	109.50	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				रुङ्गा	158.40	1.58	158.40	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				सरायपाली (गिधामुण्डा)	57.90	0.58	57.90	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				सरायपाली नगर	619.80	6.20	619.80	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				योग	3431.80	34.32	3028.60	30.29	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				योग	623.10	6.23	467.40	4.67	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				योग	2423.80	24.24	2082.30	20.82	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				योग	3788.80	37.89	3271.60	32.72	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				योग	6835.70	68.36	5821.30	58.21	1014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पारिशेष्ट - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 815) की जानकारी

प्रपत्र

जैविक खेती मिशन अन्तर्गत वर्षवार - गतिविधिवार लाभान्वित कृषक संख्या

विकास खण्ड का नाम	वर्ष	प्रत्यक्ष सहायता						अप्रत्यक्ष सहायता	
		कृषक प्रशिक्षण	शैक्षणिक भ्रमण	जैविक फसल प्रदर्शन	पी.जी.एस. इंडिया जैविक प्रमाणीकरण अंतर्गत जारी स्कोप सर्टिफिकेट	ऑन फार्म जैविक खाद/कम्पोस्ट उत्पादन हेतु सहायता - वर्मी टांका	किसान मेला सह प्रदर्शनी	किसान सम्मेलन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2021 से 31.03.2021	50	0	158	158	0	0	0	
आरंग	01.04.2021 से 31.03.2022	115	24	315	315	68	425	610	
	01.04.2022 से 31.03.2023	195	24	315	315	0	465	650	
	01.04.2023 से 31.12.2023	259	24	315	315	0	0	710	

टीप:- विकासखण्ड-अभनपुर अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में जैविक खेती मिशन का संचालन नहीं किया गया। अतः गतिविधिवार लाभान्वित कृषक संख्या निरंक है।

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

संचालक कृषि
(अ.छ. ग. रायपुर)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संचालय, महामंदी भवन, नवा रायपुर

पारोशष्ट - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 816) की जानकारी

प्रपत्र

दि

अक्ति बीज संवर्धन योजना :- बीज वितरण


क्र.	वर्ष	विकासखंड	फसल (बीज)	वितरित मात्रा (क्वि.)	किसान संख्या
1	2020-21 (01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021)	अमनपुर	-	-	-
		आरंग	-	-	-
2	2021-22	अमनपुर	धान	8259.90	9510
			गेहूँ	69.60	87
		आरंग	धान	10373.40	6742
			गेहूँ	386.00	346
3	2022-23	अमनपुर	धान	6723.90	7980
			गेहूँ	64.80	90
		आरंग	धान	10413.90	6942
			गेहूँ	281.80	280
4	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक)	अमनपुर	धान	5358.60	6725
			गेहूँ	72.40	102
		आरंग	धान	11197.30	7564
			गेहूँ	392.00	342

अक्ति बीज संवर्धन योजना :- बीज उत्पादन

क्र.	वर्ष	विकासखंड	फसल (बीज)	उत्पादित मात्रा (क्वि.)	किसान संख्या
1	2020-21 (01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021)	अमनपुर	धान	6229.05	80
			गेहूँ	18.54	1
			सरसों	1.20	1
			सूगफल्ली	10.80	1
		आरंग	धान	17282.82	123
			गेहूँ	117.81	4
2	2021-22	अमनपुर	धान	6419.56	85
			रागी	6.05	2
		आरंग	धान	12272.75	117
3	2022-23	अमनपुर	धान	7318.17	97
			रागी	2.11	1
			सरसों	1.17	1
		आरंग	धान	13505.93	127
			रागी	24.93	5
			सरसों	3.49	1
4	2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक)	संसाधन कार्य प्रगति पर है।			

दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना :- बीज उत्पादन

क्र.	वर्ष	विकासखंड	फसल (बीज)	उत्पादित मात्रा (क्वि.)	किसान संख्या
1	2020-21 (01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021)	अमनपुर	चना	19.46	5
		आरंग	चना	39.38	2
2	2021-22	आरंग	चना	5.20	2
3	2022-23	आरंग	चना	33.30	1
4	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक)	निरंक			


 (अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 उत्तीसगढ़ शासन
 विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालक कृषि
 छ.ग. रायपुर
 14/2/24

पारोशेष्ट - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 818) की जानकारी


प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कम्युनिटी फेसिंग योजनांतर्गत लाभान्वित समूहों की विकासखण्डवार वर्षवार/समूहवार/सामग्रीवार प्रदत्त अनुदान की जानकारी

क.	वर्ष	समूह का नाम	वर्ग	ग्राम का नाम	वि.ख.	कृषकों द्वारा क्रय सामग्री का नाम	विभाग द्वारा प्रदाय अनुदान राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2019-2020 (1जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक)	1 "जय मां महामाया कृषक समूह"					
		श्री अवधेश साहू/श्री कलीराम साहू	पि.वर्ग	भलेरा	आरंग	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.33
		श्री चन्द्रहास साहू/श्री मनसुख साहू	पि.वर्ग	भलेरा	आरंग		
		श्री विशाल साहू/श्री प्रभूराम साहू	पि.वर्ग	भलेरा	आरंग		
						योग :-	1.33
2	2019-20	1 जय चंडी मां कृषक समिति					
		श्री जोहतुराम साहू/श्री मेहतरु राम	पि.वर्ग	बेलर भाटापारा	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	2.18
		श्री दुर्गेश कुमार साहू/श्री हृदय राम	पि.वर्ग	बेलर भाटापारा	अभनपुर		
		श्री पुरानिक लोहार/श्री तिलोचन लोहार	पि.वर्ग	बेलर भाटापारा	अभनपुर		
		श्री चिंतामणी साहू/श्री तिहारु साहू	पि.वर्ग	बेलर भाटापारा	अभनपुर		
						योग :-	2.18
3	2020-21	1 प्रगतिशील कृषक समूह					
		श्री रामकुमार बंजारे/स्व. थानूराम बंजारे	अ.जा.	कुम्हारी	आरंग	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	0.7083
		श्री धनेश कुमार साहू/स्व. काशीराम साहू	पि.वर्ग	कुम्हारी	आरंग		
4	2020-21	2 उन्नति कृषक समूह					
		श्री गोपाल चंद्राकर/स्व. बलराम चंद्राकर	पि.वर्ग	लिंगाडीह	आरंग	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	2.51
		श्रीमती नीतू चंद्राकर/श्री गोपाल चंद्राकर	पि.वर्ग	लिंगाडीह	आरंग		
		श्री उत्कर्ष चंद्राकर/श्री गोपाल चंद्राकर	पि.वर्ग	लिंगाडीह	आरंग		
						योग :-	2.51
						कुल योग :-	3.21
	2021-22	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	2022-23	1 जय कृष्णा स्व सहायता समूह					
		श्री उमेश यादव/श्री खेलूराम यादव	पि.वर्ग	सुंदरकेरा	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.63
		श्री कमलेश यादव/श्री खेलूराम यादव	पि.वर्ग	सुंदरकेरा	अभनपुर		
		श्रीमती सुमीत्रा बाई/श्री खेलूराम यादव	पि.वर्ग	सुंदरकेरा	अभनपुर		
						योग :-	1.63

क.	वर्ष	समूह का नाम	वर्ग	ग्राम का नाम	वि.ख.	कृषकों द्वारा क्रय सामग्री का नाम	विभाग द्वारा प्रदाय अनुदान राशि लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6		2 ज्वाला माता स्व-सहायता समूह						
		श्री हरजीत सिंह/श्री दीवान सिंह	सामा.	लमकेनी	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.63	
		श्रीमती अमरजीत कौर/श्री दीवान सिंह	सामा.	लमकेनी	अभनपुर			
		श्री मनजीत सिंह/श्री रणजीत सिंह	सामा.	लमकेनी	अभनपुर			
					योग :-	1.63		
7	2022-23	3 जय सतनाम कृषक समूह						
		श्री रामूदास कार्ले/श्री बुधारू कार्ले	अ.जा.	भोथीडीह	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं	0.72	
		श्री टोपेश्वर साहू/श्री गंगूराम साहू	पि.वर्ग	भोथीडीह	अभनपुर			
					योग :-	0.72		
8	2022-23	4 चतुर्वेदी पौता कृषक समूह						
		श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी/श्री रमाकांत चतुर्वेदी	सामा.	पौता	आरंग	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.39	
		श्रीमती रीता चतुर्वेदी/श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी	सामा.	पौता	आरंग			
					योग :-	1.39		
						कुल योग :-	5.39	
9	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	1 मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह						
		श्री पवन कुमार साहू/श्री आसरित साहू	पि.वर्ग	मानिकचौरी	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.63	
		श्री भूपेन्द्र कुमार साहू/श्री बाबूलाल साहू	पि.वर्ग	मानिकचौरी	अभनपुर			
		श्री खेमन साहू/श्री बाबूलाल साहू	पि.वर्ग	मानिकचौरी	अभनपुर			
		श्री डेमन साहू/श्री बाबूलाल साहू	पि.वर्ग	मानिकचौरी	अभनपुर			
		श्री शीतल कुमार साहू/श्री बाबूलाल साहू	पि.वर्ग	मानिकचौरी	अभनपुर			
				योग :-	1.63			
10	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	2 जय माता रानी स्व सहायता समूह						
		श्री देवशरण साहू/श्री पुनीत राम साहू	पि.वर्ग	उपरवारा	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.42	
		श्री चंद्रकांत साहू/श्री देवशरण साहू	पि.वर्ग	उपरवारा	अभनपुर			
					योग :-	1.42		
11	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	3 भोले किसान समिति						
		श्री गोवर्धन यादव/श्री पंचकौड़ यादव	पि.वर्ग	सुंदरकेरा	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.41	
		श्रीमती अहिल्या बाई यादव/श्री गोवर्धन यादव	पि.वर्ग	सुंदरकेरा	अभनपुर			
					योग :-	1.41		
12	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	4 श्री कृष्ण स्व सहायता समूह						
		श्री आनंद राम यादव/श्री श्यामलाल	पि.वर्ग	लमकेनी	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	5.12	
		श्री माखन यादव/श्री श्यामलाल	पि.वर्ग	लमकेनी	अभनपुर			
		श्री भागरथी यादव/श्री श्यामलाल	पि.वर्ग	लमकेनी	अभनपुर			
		श्री जीवन लाल यादव/श्री श्यामलाल	पि.वर्ग	लमकेनी	अभनपुर			
श्री लिलेश्वर यादव/श्री श्यामलाल	पि.वर्ग	लमकेनी	अभनपुर					
					योग :-	5.12		

क.	वर्ष	समूह का नाम	वर्ग	ग्राम का नाम	वि.ख.	कृषकों द्वारा क्रय सामग्री का नाम	विभाग द्वारा प्रदाय अनुदान राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
13	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	5 जय श्री कृष्ण स्व सहायता समूह					
		श्री शिव कुमार सोनकर/श्री टेटकूराम सोनकर	पि.वर्ग	जुलूम	अभनपुर	चैनलिक (तार जाली) एवं सीमेंट पोल	1.09
		श्रीमती किर्ती बाई सोनकर/श्री शिव कुमार सोनकर	पि.वर्ग	जुलूम	अभनपुर		
						योग :-	1.09
						कुल योग :-	10.67
						महायोग :-	21.45



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मस्तूरी विधानसभा अतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों की स्वीकृत सीट एवं भरे सीट की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	भरे सीट
1	2	3	4	5
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास				
1	मस्तूरी	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	50	50
2	मस्तूरी	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	100	50
योग :-			150	100
प्री.मैट्रिक छात्रावास				
1	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मानिकचौरी	50	45
2	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भटचौरा	50	40
3	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहर्सी	50	50
4	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बुढ़ीखार	50	50
5	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	50	50
6	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	50
7	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेड़ी	50	28
8	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोन(लोहर्सी)	50	58
9	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	100	61
10	मस्तूरी	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सीपत	50	50
योग :-			550	482
आश्रम				
1	मस्तूरी	अनुसूचित जाति बालक आश्रम मल्हार	50	50
2	बिल्हा	आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द	400	295
योग :-			450	345
कुल योग :-			1150	927


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

पारोशेष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1287) की जानकारी

प्रपत्र

छात्रावास एवं आश्रमों में मरम्मत/सुधार कार्य की लागत एवं व्यय, कार्यवार, एजेंसीवार वर्षवार जानकारी
जिला-बिलासपुर

वर्ष 2021-22

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय राशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
1	अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द बिलासपुर में मरम्मत, वाटर सप्लाई, विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य	1.98	1.98	विभागीय
2	अनुसूचित जाति बालक आश्रम मल्हार में जीर्णोद्धार कार्य	4.25	4.25	विभागीय
3	अनुसूचित जाति बालक आश्रम सीपतरोड बिलासपुर में जीर्णोद्धार कार्य	4.56	4.54	विभागीय
4	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास सीपतरोड बिलासपुर में वाटर सप्लाई, विद्युतीकरण एवं शौचालय मरम्मत कार्य,	2.00	2.00	विभागीय
5	अनुसूचित बालक छात्रावास जरहाभाठा परिसर बिलासपुर में नाली निर्माण एवं पोताई कार्य	1.00	1.00	विभागीय
6	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास जरेली तखतपुर में वाटर सप्लाई, विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य,	1.50	1.50	विभागीय
7	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास तखतपुर में वाटर सप्लाई कार्य	0.50	0.50	विभागीय
8	पो.मै.अनु.जाति पी0जी0कन्या छात्रावास बृहस्पतिबाजार में मरम्मत कार्य	0.48	0.48	विभागीय
9	पो.मै.पी0जी0अनु.जाति बालक छात्रावास खमतलाई बिलासपुर में शौचालय मरम्मत कार्य	0.50	0.50	विभागीय
10	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी में वाटर सप्लाई कार्य	0.46	0.46	विभागीय
11	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गनियारी में जीर्णोद्धार कार्य	3.55	3.55	विभागीय
12	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बूढ़ीखार में जीर्णोद्धार कार्य	4.65	4.65	विभागीय

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय रशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
13	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास लोहर्सी में जीर्णोद्धार कार्य	4.45	4.45	विभागीय
14	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास तखतपुर में जीर्णोद्धार कार्य	5.09	5.09	विभागीय
15	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी में जीर्णोद्धार कार्य	10.52	10.50	विभागीय
16	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पचपेड़ी में जीर्णोद्धार कार्य	6.75	6.73	विभागीय
17	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास भटचौरा में जीर्णोद्धार कार्य	4.73	4.73	विभागीय
18	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी में बाउण्डीवाल निर्माण कार्य	2.60	2.60	विभागीय
19	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास शिवतराई में वाटर सप्लाई कार्य	0.48	0.48	विभागीय
20	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मिट्ठुनवागांव में पोटाई, पेंटिंग एवं वाटर सप्लाई कार्य	1.44	1.44	विभागीय
21	आदिवासी बालक आश्रम मोहली में जीर्णोद्धार कार्य	3.93	3.93	विभागीय
22	आदिवासी बालक आश्रम दवनपुर में जीर्णोद्धार कार्य	9.67	9.67	विभागीय
23	आदिवासी बालक आश्रम मिट्ठुनवागांव में जीर्णोद्धार कार्य	10.29	10.26	विभागीय
24	श्री-यूनित आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा बिलासपुर में जीर्णोद्धार कार्य	3.42	3.42	विभागीय
25	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सल्कानवागांव में बाउण्डीवाल का जीर्णोद्धार कार्य	1.94	1.94	विभागीय
26	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा बिलासपुर में 40 नग शौचालय/स्नानागार मरम्मत कार्य	3.31	3.31	विभागीय
27	बालक छात्रावास जरहाभाठा परिसर बिलासपुर में स्टीट लाईट कार्य	0.50	0.50	विभागीय
28	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास टेंगनमाड़ा में जीर्णोद्धार कार्य	3.78	3.78	विभागीय
29	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास चपोरा में वाटर सप्लाई कार्य	0.49	0.49	विभागीय
30	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास पोंडी मोहदा में वाटर सप्लाई कार्य	0.41	0.41	विभागीय
31	आदिवासी बालक आश्रम पुडू में विद्यतीकरण/मरम्मत/वाटर सप्लाई कार्य	1.91	1.91	विभागीय
32	आदिवासी कन्या आश्रम कोटा में वाटर सप्लाई कार्य	0.48	0.48	विभागीय
33	आदिवासी बालक आश्रम कंचनपुर में जीर्णोद्धार कार्य	4.44	4.44	विभागीय
34	आदिवासी बालक आश्रम बिरगहनी में जीर्णोद्धार कार्य	4.49	4.47	विभागीय

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय राशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
35	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाटा बिलासपुर में विद्युतीकरण	1.00	1.00	विभागीय
36	प्री.मै.बैगा आवासीय कन्या छात्रावास जरहाभाटा परिसर बिलासपुर के रसोई में टाइल्स का कार्य	0.50	0.50	विभागीय
37	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेलगहना में जीर्णोद्धार कार्य	4.10	4.10	विभागीय
38	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेलतरा में जीर्णोद्धार कार्य	5.00	5.00	विभागीय
39	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खोंगसरा में जीर्णोद्धार कार्य	5.00	4.91	विभागीय
40	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास भटचौरा में किचनशेड मरम्मत कार्य	0.38	0.38	विभागीय
41	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास तखतपुर में वाटर सप्लाय का कार्य	0.81	0.81	विभागीय
42	आदिवासी बालक आश्रम पुडु में मरम्मत एवं वाटर सप्लाय कार्य	0.50	0.50	विभागीय
43	नवीन पिछडा वर्ग बालक क्रीडा परिसर बिलासपुर में मरम्मत कार्य	0.50	0.50	विभागीय
44	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रा. मस्तूरी में नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य	6.77	4.13	विभागीय
45	प्री.मै.अनु.जाति कमला नेहरू कन्या छात्रावास बृहस्पति बाजार बिलासपुर में रेनोवेशन का कार्य	3.21	3.20	विभागीय
46	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पोंडीमोहदा में नवीनीकरण एवं अन्य मरम्मत कार्य	3.17	3.17	विभागीय
47	प्री.मै.अनु.जाति कमला नेहरू कन्या छात्रावास बिलासपुर में एप्रोच रोड निर्माण कार्य	0.31	0.31	विभागीय
		141.76	138.91	

वर्ष 2022-23

1	आदिवासी कन्या आश्रम कोटा में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	13.20	13.20	विभागीय
2	आदिवासी कन्या आश्रम तखतपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	12.68	12.68	विभागीय
3	आदिवासी बालक आश्रम बेलगहना में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	19.99	19.99	विभागीय
4	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कोटा में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	16.88	16.88	विभागीय
5	बैगा आवासीय कन्या छात्रावास बिलासपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	18.90	18.90	विभागीय

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय रशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास तखतपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	15.00	14.93	विभागीय
7	पो.मै.कर्मचारी पुत्र छात्रावास बिलासपुर में शौचालय का जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य	3.82	3.82	विभागीय
8	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिल्हा में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	9.70	9.70	विभागीय
9	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बिल्हा में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	16.55	16.55	विभागीय
10	पो.मै.पी.जी.अनु.जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	13.28	13.28	विभागीय
11	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बिलासपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	14.00	14.00	विभागीय
12	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रा.बिल्हा में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	7.11	7.11	विभागीय
13	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास तखतपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य	18.00	17.92	विभागीय
14	आदिवासी बालक आश्रम दवनपुर में विद्युतीकरण कार्य	0.50	0.50	विभागीय
15	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बूढीखार में छत का मरम्मत कार्य	0.99	0.99	विभागीय
16	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास लोहर्सी में छत का मरम्मत कार्य	0.99	0.99	विभागीय
17	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में छत का केमिकल कार्य	2.00	2.00	विभागीय
18	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास तखतपुर में छत का मरम्मत कार्य	0.50	0.50	विभागीय
19	आदिवासी बालक आश्रम नेवसा में मरम्मत कार्य	2.00	2.00	विभागीय
20	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिलासपुर में नाली निर्माण एवं किचन शेड निर्माण कार्य	1.50	1.50	विभागीय
21	श्री-यूनिट आदिवासी बालक छात्रावास जरहामाठा बिलासपुर में सेप्टिक टैंक निर्माण	0.376	0.37	विभागीय
		187.96	187.81	

वर्ष 2023-24 (दिनांक 20-01-2024 की स्थिति में)


1	श्री-यूनिट आदिवासी बालक छात्रावास जरहामाठा बिलासपुर में नवीन टाइल्स एवं छत मरम्मत तथा अन्य कार्य	16.98	16.98	विभागीय
2	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी में तीन कमरे के पुराने छत को तोड़कर नवीन छत निर्माण, टाइल्स कार्य एवं अन्य कार्य	18.00	16.85	विभागीय
3	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	0.00	विभागीय
4	अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द बिलासपुर में वार्षिक मरम्मत कार्य	9.00	9.00	विभागीय

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय राशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
5	अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द बिलासपुर में नवीन आहाता निर्माण कार्य	7.60	0.00	विभागीय
6	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेड़ी के तीन कमरों के पुराने छत को तोड़कर नवीन छत निर्माण एवं टाईल्स कार्य	18.00	13.00	विभागीय
7	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेड़ी भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
8	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गनियारी नवीन बाउण्ड्रीवाल निर्माण फर्श में टाईल्स, छत मरम्मत एवं अन्य कार्य	18.00	17.84	विभागीय
9	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गनियारी भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	0.00	विभागीय
10	आदिवासी कन्या आश्रम कोटा में नवीन बोर खनन एवं अन्य कार्य	2.00	0.00	विभागीय
11	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रतनपुर भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
12	आदिवासी बालक आश्रम बगदेवा में नवीन अहाता निर्माण, फर्श में टाईल्स, छत मरम्मत एवं अन्य कार्य	15.72	10.00	विभागीय
13	आदिवासी बालक आश्रम बगदेवा भवन की रंगाई-पोताई(गोबर पेंट)	2.00	1.99	विभागीय
14	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रतनपुर में छत के ऊपर ढलाई कार्य	11.40	11.39	विभागीय
15	प्री.मै.अनुसूचित जाति कमला नेहरू नवीन कन्या छात्रावास बिलासपुर भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
16	प्री.मै.अनुसूचित जाति कमला नेहरू पुराना कन्या छात्रावास बिलासपुर भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
17	प्री.मै.आदिवासी कमला नेहरू कन्या छात्रावास बिलासपुर भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	1.99	विभागीय
18	आदिवासी बालक आश्रम नेवसा नवीन टाईल्स कार्य	5.00	4.99	विभागीय
19	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पोंड़ी मोहदा भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	0.00	विभागीय
20	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेलगहना भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
21	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सल्कानवांग भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
22	आदिवासी बालक आश्रम पुडु भवन की रंगाई-पोताई(गोबर पेंट)	2.00	0.00	विभागीय
23	आदिवासी बालक आश्रम बिरगहनी भवन की रंगाई-पोताई(गोबर पेंट)	2.00	0.00	विभागीय
24	आदिवासी बालक आश्रम कुरुवार नवीन टाईल्स, छत मरम्मत कार्य	10.00	9.98	विभागीय

(राशि रू. लाखों में)

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की लागत	व्यय राशि	कार्य एजेंसी
1	2	3	4	5
25	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बूढ़ीखार तीन कमरो के पुराने छत को तोड़कर नवीन छत निर्माण, टाईल्स कार्य एवं अन्य कार्य	18.00	17.99	विभागीय
26	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बूढ़ीखार भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	2.00	विभागीय
27	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रानीगांव नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य	12.00	7.65	विभागीय
28	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लखराम नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य	10.00	7.99	विभागीय
29	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लखराम नवीन बोर खनन एवं अन्य कार्य	2.00	0.00	विभागीय
30	अनुसूचित जाति बालक आश्रम सीपतरोड विलासपुर नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य	7.00	6.99	विभागीय
31	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास शिवतराई नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य	8.00	8.00	विभागीय
32	पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटा नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य	9.00	9.00	विभागीय
33	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तखतपुर में वार्षिक मरम्मत	4.70	0.00	विभागीय
34	पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तखतपुर चेकर टाईल्स एवं नवीन सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य	4.00	3.98	विभागीय
35	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा विलासपुर में अहाता निर्माण कार्य	5.00	3.23	विभागीय
36	पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लिकरोड विलासपुर भवन का जीर्णोद्धार कार्य	9.00	8.96	विभागीय
37	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहर्सी तीन कमरो के पुराने छत को तोड़कर नवीन छत निर्माण, टाईल्स कार्य एवं अन्य कार्य	18.00	17.98	विभागीय
38	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहर्सी भवन की रंगाई पोताई, गोबर पेंट	2.00	0.00	विभागीय
39	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा विलासपुर दो शेड निर्माण, सी.सी.रोड निर्माण, व स्टेडियम मरम्मत कार्य	10.00	5.00	विभागीय
	योग	278.40	224.78	


 अनुभाग अधिकारी
 भादिस जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर


पारोशेष्ट - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1537) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	दर (रूपये में)	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
1	2021-22	लोहा पलंग	5000.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
2		डस्टबीन (70 लीटर द्वींस डस्टबीन मॉउन्टेड ऑन एम.एस. स्टेण्ड)	6500.00	मेसर्स सारथी इंटरप्राइजेस दुर्ग
3		मच्छरदानी	200.00	मेसर्स नमो इंटरप्राइजेस रायपुर
4		मच्छरदानी	200.00	मेसर्स संजरी इंटरप्राइजेस रायपुर
5		ऐन्गल रेक	2718.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज जशपुर
6		स्टुडेण्ट डेस्क	1052.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
7		स्टुडेण्ट बेन्च	1232.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
8		कुर्सी	1185.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
9		टेबल	1242.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
10		बड़ा बाक्स (टीन बॉक्स 0.75 एम. एम.जी.पी.सीट)	2645.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
11		अनाज कोठी	1600.00	मेसर्स फेब्रीकेशन एंड इंडस्ट्रीज कुनकुरी
12		विजिटर चेयर	2079.00	मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज सक्ती
13		तकिया	300.00	मेसर्स अरविन्द इंडस्ट्रीज रायपुर
14		फिनाइल	85.00	मेसर्स अमर मेडिकल स्टोर अंबिकापुर
15		पंखा	1560.00	मेसर्स साई टेक्नो सेल्स रायपुर
16		दर्सी (15 x 6) मीटर	2227.00	छ.ग. ग्रामोद्योग रायपुर
17		टाटपट्टी (प्रति मीटर)	547.00	छ.ग. ग्रामोद्योग रायपुर
18		लोहा पलंग	4456.00	मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज सक्ती
19		पानी ड्रम	1556.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
20		थाली	224.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
21		थाली	250.00	मेसर्स मनीषा इंडस्ट्रीज जांजगीर-चांपा
22		ग्लास	45.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
23		स्टील पानी जग	264.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
24		ट्यूबलाइट (अनब्रान्ड 20 वॉट 6000 लूमेन 6300 के. एल.इ.डी ट्यूबलाइट)	450.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
25		बल्ब (अनब्रान्ड राउन्ड सेप एल.इ.डी बल्ब 15 वॉट)	600.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
26		कडाही (बड़ा)	6440.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
27		कुकर (30 लीटर)	9600.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
28		आलमारी	9615.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर


क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	दर (रूपये में)	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
29		गद्दा	3300.00	मेसर्स अरविन्द इंडस्ट्रीज रायपुर
30	2021-22	गद्दा	3800.00	मेसर्स अरविन्द इंडस्ट्रीज रायपुर
31		लोहा बाल्टी	790.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
32		सेनेट्राइजर	460.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
33		हैण्डवास	480.00	इंद्राजेनिक्स केयर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
34		फिनाईल 5 लीटर	85.14	मेसर्स नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर
35	2022-23	टेबल	1242	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर-चांपा
36		कुर्सी	1185	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर-चांपा
37		तखत	4590	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर-चांपा
38		तखत गद्दा वाला	5000	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर-चांपा
39		मच्छरदानी	250	मेसर्स छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स सूरजपुर
40		गद्दा	5200	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एण्ड इंडस्ट्रीज बिलासपुर
41		तकिया	590	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एण्ड इंडस्ट्रीज बिलासपुर
42		सेनेटरी पेड	5.9	मेसर्स नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर


अनुभाग अधिकारी
 आदिन जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

पारोशेष्ट - अड़तीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1538) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	वर्ष	मद	आबंटन (राशि लाख में)
1	2	3	4
1	2022-23	33-2225-02-001-0000-1483-25-001-V	0.04
2		41-2202-01-101-0102-0495-25-001-V	3.65
3		41-2202-02-109-0102-1395-25-001-V	0.67
4		64-2202-01-101-0103-0495-25-001-V	13.90
5		64-2202-02-109-0103-1395-25-001-V	1.16
6		66-2202-02-109-0101-1395-25-001-V	0.12
7		33-2225-02-001-0000-1483-04-003-V	0.40
8		41-2202-01-101-0102-0495-04-003-V	0.65
9		41-2202-02-109-0102-1395-04-003-V	0.80
10		64-2202-01-101-0103-0495-04-003-V	0.40
11		64-2202-02-109-0103-1395-04-003-V	0.50
12		41-2202-01-101-0102-0495-25-006-V	6.00
13		41-2202-02-109-0102-1395-25-006-V	0.25
14		64-2202-01-101-0103-0495-25-006-V	5.53
15		64-2202-02-109-0103-1395-25-006-V	1.49
16		66-2202-02-109-0101-1395-25-006-V	0.28
17		41-2202-01-101-0102-0495-25-007-V	0.27
18		41-2202-02-109-0102-1395-25-007-V	2.55
19		64-2202-01-101-0103-0495-25-007-V	0.91
20		64-2202-02-109-0103-1395-25-007-V	3.90
21		66-2202-02-109-0101-1395-25-007-V	0.05
22		41-2202-01-101-0102-0495-25-008-V	6.30
23		41-2202-02-109-0102-1395-25-008-V	1.10
24		64-2202-01-101-0103-0495-25-008-V	11.15
25		64-2202-02-109-0103-1395-25-008-V	2.93
26		66-2202-02-109-0101-1395-25-008-V	0.25
27		41-2202-01-101-0102-0495-25-004-V	0.45
28		41-2202-02-109-0102-1395-25-004-V	3.70
29		64-2202-01-101-0103-0495-25-004-V	1.16
30		64-2202-02-109-0103-1395-25-004-V	9.40
31		66-2202-02-109-0101-1395-25-004-V	0.12


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर


क्र.	वर्ष	छात्रावास/आश्रम का नाम
1	2	3
1	2022-23	प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बोरसी
2		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास राजादेवरी
3		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सोनाखान
4		प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास सोनाखान
5		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास असनींद
6		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चांदन
7		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चरौदा
8		अनु.जनजाति बालक आश्रम चरौदा
9		अनु.जनजाति कन्या आश्रम कसडोल
10		पो.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल
11		प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल
12		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल
13		पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल
14		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास थरगांव
15		पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल
16		अनु.जा.कन्या आश्रम गिरौदपुरी
17		अनु.जनजाति बालक आश्रम सोनाखान
18		अनु.जनजाति कन्या आश्रम बार
19		प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल
20		प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मटिया
21		प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास गिरौदपुरी
22		प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास कसडोल
23		प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास गिरौदपुरी
24		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बया
25		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बार
26		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बल्छाकछार
27		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कटगी
28		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास नवागांव



अनुभाग अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रावपुर


क्र.	वर्ष	छात्रावास/आश्रम का नाम
1	2	3
29		पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी
30		पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास पलारी
31		प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी
32		प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास लच्छनपुर
33		प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास पलारी
34	2022-23	अनु.जाति.कन्या आश्रम पलारी
35		अनु.जाति कन्या आश्रम देवसुन्दरा
36		प्री.मे.अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पलारी
37		प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास पलारी


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नरना रायपुर

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण की

वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण				
योजना का नाम	प्रशिक्षण का विषय	विकासखण्ड	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण दिनांक
1	2	3	4	5
केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (बीज ग्राम योजना)	फसल उत्पादन कार्यक्रम हेतु	बलौदाबाजार	खम्हारडीह	28.12.2022 02.02.2023 06.03.2023
			अमेरा	09.12.2022 13.01.2023 23.02.2023
		पलारी	कानाकोट	08.12.2022 14.01.2023 23.02.2023
			मोहतरा	21.11.2022 19.12.2022 02.03.2023
		कसडोल	देवरीकला	24.11.2022 22.12.2022 03.03.2023
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल)	फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण	बलौदाबाजार	कसियारा	07.07.2022 27.10.2022 27.12.2022 17.02.2023
			डोंगरा	09.07.2022 29.10.2022 29.12.2022 18.02.2023
			डोंगरीडीह	12.07.2022 01.09.2022 03.01.2023 22.02.2023
			सरखोर	21.07.2022 03.09.2022 06.01.2023 23.02.2023
			बाजारभाठा	23.07.2022 08.09.2022 10.01.2023 25.02.2023
		कसडोल	बरेली	13.06.2022 08.08.2022 10.10.2022 04.11.2022
			डेराडीह	09.06.2022 06.10.2022 05.08.2022 02.11.2022

वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण						
योजना का नाम	प्रशिक्षण का विषय	विकासखण्ड	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण दिनांक		
1	2	3	4	5		
टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टरफा) योजना	फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण	बलौदाबाजार	खम्हरिया	16.12.2022 16.01.2023 08.02.2023 11.03.2023		
			करियारा	17.12.2022 08.01.2023 10.02.2023 15.03.2023		
			भाठागांव	29.12.2022 19.01.2023 13.02.2023 17.03.2023		
			सलौनी	21.12.2022 21.01.2023 14.02.2023 20.03.2023		
			कोलियारी	22.12.2022 23.01.2023 16.02.2023 22.03.2023		
		कसडोल	खर्सी	07.11.2022 06.12.2022 03.01.2023 20.02.2023		
			डुमरपाली	10.11.2022 12.12.2022 09.01.2023 23.02.2023		
			दर्सी	15.11.2022 15.12.2022 12.01.2023 28.01.2023		
		जैविक खेती मिशन योजना	जैविक खेती कृषक प्रशिक्षण	कसडोल	दौनाडार	10.07.2022 11.07.2022
					भण्डोरा	14.07.2022 15.07.2022
					नदनिया	18.07.2022 19.07.2022
					बगार	01.08.2022 02.08.2022
					फुरफुदी	09.08.2022 10.08.2022
					कटवाडार	13.08.2022 14.08.2022
सुकदा	23.07.2022 24.07.2022					
भरका	18.08.2022 19.08.2022					
खुडमुडी	20.08.2022 21.08.2022					


 (अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रशिक्षण विभाग
 मंत्रालय, मजानदी बंधर, मन्ना रायपुर

संचालक
 छ.ग. रायपुर
 2/24

परिशेष - चालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1540) की जानकारी

प्रपत्र—अ

कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

क्र.	योजना का नाम
I.	केन्द्र प्रवर्तित योजना
1	नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन टेक्नालॉजी
i	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन - एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा)
ii	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
iii	कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना
	कम्पौनेट-3 शक्ति चलित/हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान
	कम्पौनेट-4 फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना
	कम्पौनेट-6 चयनित ग्रामों में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना
2	नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत
i	रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना
ii	स्वायल हैल्थ कार्ड योजना
iii	परंपरागत कृषि विकास योजना
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
i	पर ड्रॉप मोर क्रॉप
ii	एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)
5	टारगैटिंग राईस फेलो एरिया
I	टी.आर.एफ.ए.- दलहन
II	टी.आर.एफ.ए.-तिलहन
6	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
i	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - धान
ii	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - दलहन
iii	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - मोटा अनाज
iv	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - न्यूट्री सीरियल

क्र.	योजना का नाम
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
9	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
II.	राज्य पोषित योजनाएँ
1	गोधन न्याय योजना
2	राजीव गांधी किसान न्याय योजना
3	कृषक समग्र विकास योजना
i	अक्ती बीज संवर्धन योजना।
iii	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
4	फसल प्रदर्शन योजना
i	उपयोजना –द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
ii	उपयोजना –ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
iii	फसल प्रदर्शन योजनान्तर्गत पेडी ट्रांसप्लॉटर से धान रोपाई पर अनुदान
5	धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना
6	जैविक खेती मिशन
7	शाकम्भरी योजना
8	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण
9	किसान समृद्धि योजना


(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - इकतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1541) की जानकारी

प्रपत्र

क.	अवधि	जिला का नाम	वनीय भूमि में कास्त कर रहे परिवारों की व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदाय हेतु पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्र	वितरित/ मान्य वन भूमि (हे. में)	वितरण हेतु शेष वन अधिकार पत्र	लंबित/ प्रक्रियाधीन आवेदन	निरस्तीकरण	
								संख्या	निरस्तीकरण के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 जनवरी	कोरिया	959	959	681.165	0	0	0	-
2	2019 से 30 नवंबर 2023 तक	मनेन्द्रगढ़	618	618	565.234	0	0	0	-
3		सरगुजा	1102	1102	474.179	0	0	0	-
4		जशपुर	3328	3328	1060.528	0	0	0	-
5		रायगढ़	8097	3313	1367.365	25	0	4599	13.12.2005 के पूर्व कब्जा साक्ष्य नहीं होना और वन मद की भूमि होने के कारण
6		सारगढ़	661	661	230.072	0	0	103	सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण
7		कोरबा	11362	11362	4720.203	0	0	57	योग
8		जाजगीर-चापा	56	56	18.903	0	0	4759	योग
9		सक्ती	29	29	13.335	0	0	0	-
10		बिलासपुर	365	285	186.801	0	0	77	दिनांक 13.12.2005 के पूर्व का कब्जा प्रमाणित न होने के कारण
11		कबीरघाम	678	678	721.218	0	0	3	दावेदारों की मृत्यु हो जाने एवं कोई वारिस नहीं होने के कारण निरस्त
12		राजनांदगाव	3376	3376	2254.512	0	0	80	योग
13		खैरागढ़	96	95	62.247	0	0	1	13 दिसंबर 2005 के पूर्व काबिज नहीं होने के कारण
14		मोहला	84	84	76.401	0	0	0	-
15		महासमुंद	361	202	181.133	0	0	159	13 दिसंबर 2005 के पूर्व कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण

क.	अवधि	जिला का नाम	वनीय भूमि में कास्त कर रहे परिवारों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदाय हेतु पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्र	वितरित वन भूमि (हे. मी)	वितरण हेतु शेष वन अधिकार पत्र	लंबित/ प्रक्रियाधीन आवेदन	निरस्त प्रकरण		
								संख्या	निरस्तीकरण के कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2023 तक	धमतरी	423	423	421.992	0	0	0	-	
17		कांकेर	3798	3798	3480.64	0	0	0	-	
18		बस्तर	4362	4362	1849.93	0	0	0	-	
19		नारायणपुर	279	279	129.389	0	0	0	-	
20		दंतेवाड़ा	58	58	52.944	0	0	0	-	
21		बीजापुर	4113	4113	6618.128	0	0	0	-	
22		सुकमा	4004	3913	4743.513	0	91	0	-	
23			कोण्डागांव	1925	1606	1520.561	0	0	251	13.12.2005 के पूर्व काबिज नहीं होने के कारण अपात्र
24			गरियाबंद	1502	1126	1196.569	2	63	5	आवेदित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण अपात्र
25			बलौदाबाजार	2340	2340	1960.242	0	0	8	पूर्व में वनाधिकार पत्र जारी होने के कारण अपात्र (डुब्लिकेट)
26		बलरामपुर	5722	5722	2604.56	0	0	55	तीन पीढ़ी से निवासरत न होने के कारण	
27		सूरजपुर	1389	1389	834.65	0	0	319	योग	
28		बालोद	22	22	15.41	0	0	309	13.12.2005 के बाद का कब्जा होने के कारण	
29		मुंगेली	320	308	258.933	0	0	1	गैर वन भूमि होने के कारण	
30		गौरैला	1740	1740	631.884	0	0	1	आवेदित भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित होने के कारण	
		योग	63169	57347	38932.641	27	154	5641	दावित भूमि में जीविकोपार्जन हेतु किसी प्रकार की खेती या कृषि कार्य होना नहीं पाया गया।	

पारोशेष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1545) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित रेल्वे साइडिंग के सम्बन्ध में जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	रेल्वे साइडिंग का नाम एवं पता	किस प्रकार के माल लदान हेतु संचालित
1	2	3	4
1.	बस्तर	मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (कुम्हार मारेंगा रेल्वे साइडिंग प्रोजेक्ट), ग्राम-कुम्हार मारेंगा, तहसील-तोकापाल	लौह अयस्क
2.		जगदलपुर रेल्वे गुड्स शेड/साइडिंग, जगदलपुर रेल्वे स्टेशन, जगदलपुर	लौह अयस्क
3.		बड़े आरापुर रेल्वे गुड्स शेड/साइडिंग, बड़े आरापुर रेल्वे स्टेशन, ग्राम- बड़े आरापुर, तहसील-तोकापाल	लौह अयस्क
4.	बिलासपुर	मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड, ग्राम - गतौरा, तहसील - मस्तुरी	कोल
5.		मेसर्स नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-उदगम, पोस्ट आफिस - दगोरी, तहसील - बिल्हा	राँ मटेरियल एण्ड फिनिस्ड गुड्स
6.		मेसर्स जयराम नगर गुड्स शेड, ग्राम - भनेसर, तहसील - मस्तुरी	कोल, आयरन ओर, लाईम स्टोन एवं फूड ग्रेन्स
7.		मेसर्स पारस पाँवर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम - घुटकू, तहसील - तखतपुर	कोल
8.		मेसर्स फिल मिनरल्स बेनिफिकेशन एण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - घुटकू, तहसील - तखतपुर	कोल
9.		जांजगीर-चांपा	मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - कन्हाईबंद, तहसील - जांजगीर
10.	कोरबा	मेसर्स मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माईन , रेल्वे साइडिंग एसईसीएल कोरबा एरिया, जिला-कोरबा	कोल
11.		मेसर्स एसीबी, इंडिया लिमिटेड, रेल्वे साइडिंग, ग्राम-कुचैना, पोस्ट-भैरोताल, तहसील-कटघोरा	कोल
12.		मेसर्स इंडस रेल्वे साइडिंग, ग्राम जमनीपाली, तहसील-करतला	कोल
13.	रायपुर	मेसर्स गोदावरी पाँवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-मांढर, रायपुर	कारगो हैंडलिंग
14.		मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्राम- सिलयारी, ब्लॉक- धरसीवां	कोल, आयरन ओर, मैग्रीज,बॉक्साईट, स्पंज आयरन, आयरन ओर फाईन्स, फर्टिलाईजर, कोक, लाईम स्टोन, डोलोमाईट, सीमेंट, जिप्सम, क्लिंकर, क्वाटर्ज, पिग आयरन, ऑल स्टील प्रोडक्ट्स एंड कन्टेनर्स आदि एवं राँ राइस
15.		मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड, खसरा क्रमांक- 391, रकबा- 5.977 एकड़, मंदिरहसौद, तहसील-आरंग	राँ मटेरियल्स


अ. रा. च. व.
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

16.		मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड, ग्राम-निपनिया, तहसील-भाटापारा	क्लिकर स्टोरेज, कोल स्टोरेज, जिप्सम स्टोरेज
17.	बलौदाबाजार- भाटापारा	मेसर्स रियल इस्पत एण्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- सेमराडीह एवं धौराभाठा, तहसील-भाटापारा	कोल, आयरन ओर, मैग्रीज ओर, स्पंज आयरन, आयरन ओर फाईन्स, कोक, लाईम स्टोन, डोलोमाईट, पिग आयरन, ऑल स्टील प्रोडक्ट्स
18.		मेसर्स रायपुर हैण्डलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- हथबंद, सिमगा	क्लिकर, सीमेंट, आयरन ओर, कोल, बाक्साईट, जिप्सम, स्लैग, टी0एम0टी0 बार्स, पिग आयरन, पेटकोक
19.	महासमुंद	मेसर्स बेलसोण्डा रेल्वे साईडिंग ग्राम- बेलसोण्डा	स्लैग एण्ड क्लिकर एवं कोल, आयरन ओर
20.		मेसर्स इस्ट कोस्ट रेल्वे ग्राम- लुकुपाली, बागबाहरा	क्लिकर
21.		मेसर्स विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- भूपदेवपुर, तहसील-खरसिया	कोल, आयरन ओर, स्पंज आयरन, मैग्रीज, बाक्साईट, डोलोमाईट, लाईम स्टोन, सीमेंट, क्लिकर, क्वार्टज, आल आईप ऑफ फर्टीलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, आल टाईप ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स
22.		मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, ग्राम-चितापाली, तहसील-धरमजयगढ़	कोल
23.		मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, ग्राम-घरघोड़ा, तहसील- घरघोड़ा	कोल
24.		मेसर्स छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड, धरमजयगढ़ रेलवे स्टेशन, ग्राम- बायसी	कोल
25.	रायगढ़	मेसर्स छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड, भालूमुड़ा स्टेशन बिल्डिंग, ग्राम-डोलेसरा, तह.-तमनार	कोल
26.		मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम- कोलानबहा	कोल, आयरन ओर, मैग्रीज, स्पंज आयरन, इंगाट्स/बिलेट्स, पैलेट, स्ट्रक्चरल्स, टी.एम.टी. बार्स, आयरन ओर फाईन्स, कोक, लाईम स्टोन, डोलोमाईट, क्वार्टज, ऑल स्टील प्रोडक्ट
27.		मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड/साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, ग्राम-कोरीछापर, तहसील-घरघोड़ा	कोल
28.		मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर, ग्राम-उच्चभिठी, किरोड़ीमल नगर	कोल, सीमेंट, लाईम स्टोन एण्ड रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट एण्ड बाई प्रोडक्ट
29.		मेसर्स वेदांता वाशरी एंड लॉगिस्टिक सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तह.-खरसिया	आयरन ओर, फर्टिलाइजर, अदर फूड प्रोडक्ट्स, सीमेंट क्लिकर्स, कोल, बाक्साईट रॉ
30.	कोरिया	मेसर्स कटोरा रेलवे साईडिंग, एस.ई.सी.एल. कटकोना सब एरिया, ग्राम कटोरा, कटकोना रेलवे स्टेशन के सामने, तहसील बैकुंठपुर	कोल



छत्तीसगढ़ शासन
अवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


31.		मेसर्स चरचा रेलवे साइडिंग, एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर क्षेत्र, बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के सामने, तहसील बैकुंठपुर	कोल
32.	राजनांदगांव	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खसरा नं.- 417, 419, रेलवे साइडिंग, ग्राम-मुढीपार, तहसील -राजनांदगांव	ऑयरन ओर एवं कोयला।
33.	राजनांदगांव	मेसर्स क्रस्ट स्टील एंड पावर (प्रा.) लिमिटेड, खसरा नं.- 1181, 1182, 1259/4, पटवारी हल्का नं.-16, ग्राम-जोरातराई, पोस्ट-मनगट्टा, तहसील -राजनांदगांव	कोल, ऑयरन ओर / पैलेट।
34.	बालोद	दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मेसर्स कुसुमकसा गुड्स शेड, खसरा नं . 1007, ग्राम-कुसुमकसा, तहसील डौण्डी	कार्टजाईट, सीमेण्ट
35.	बालोद	दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मेसर्स गुदुम गुड्स शेड, खसरा नं. 212, 213, 214, 231 एवं 232 ग्राम-गुदुम, तहसील डौण्डी	ऑयरन ओर
36.	बालोद	दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मेसर्स बालोद गुड्स शेड, खसरा नं. 104/1, बालोद, तहसील -बालोद	फुड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेण्ट एवं गनी बेग्स
37.	दुर्ग	दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मेसर्स एस.क्यू.टी., भिलाई मार्सलिंग यॉर्ड, खसरा नं. 217, ग्राम- देवबलोदा तहसील-पाटन	कोल


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित रेलवे साइडिंग के विरुद्ध की गयी कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	रेलवे साइडिंग का नाम एवं पता	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	बिलासपुर	मेसर्स नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-उदगम, पोस्ट आफिस - दगोरी, तहसील - बिल्हा	एन.जी.टी. एवं सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण से संबंधित नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए बिलासपुर जिले के ग्राम दगोरी में जलाशय एवं नहर के समीप निजी कंपनी द्वारा बनाये गये रेलवे साइडिंग पर कार्यवाही करने के संबंध में (शिकायत प्राप्ति दिनांक 14/06/2023)	उद्योग का दिनांक 15/06/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमी पाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत दिनांक 13/07/2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा नोटिस जारी किया गया। पुनः दिनांक 12/09/2023 को निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	मेसर्स रायपुर हैण्डलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- हथबंद, सिमगा	प्राइवेट रेलवे साइडिंग, रायपुर हैण्डलिंग इंफ्रा, लिमिटेड हथबंद का पर्यावरण सम्मति की सघन जांच कर रद्द कराने बाबत एवं ततसंबंध में आवश्यकतानुसार जलआंदोलन/माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कराये जाने की सूचना।	दिनांक 14.11.2022 को निरीक्षण के समय क्लिंकर लोडिंग के दौरान फ्यूजिटिव उत्सर्जन, बेल्ट कन्वेयर के ट्रांसफर प्वाइंट फ्यूजिटिव उत्सर्जन, आंतरिक मार्गों मंय डस्ट का जमाव तथा अन्य कमियां पाई गई। अतः इकाई को पत्र दिनांक 26.09.2022 के माध्यम से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर द्वारा नोटिस जारी किया गया। दिनांक 02/12/2022 को निरीक्षण के दौरान सूधार हेतु कार्यवाही किया जाना पाया गया।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - तिरालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1615) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में महासमुंद जिले में स्थापित अति प्रदूषणकारी प्रकृति (लाल श्रेणी)
उद्योगों का निरीक्षण का विवरण

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण का दिनांक
1.	मेसर्स बी.के.इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स कालिन्दी पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड), ग्राम-तुमगांव, जिला-महासमुंद	28.04.2022
		28.07.2022
		18.10.2022
		28.02.2023
		30.06.2023
		24.07.2023
		22.08.2023
2.	मेसर्स बालाजी पॉवर (ए यूनिट ऑफ हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड) ग्राम- बेलसोण्डा, तहसील व जिला-महासमुंद	18.10.2022
		28.11.2022
		08.02.2023
		27.05.2023
		22.08.2023
3.	मेसर्स डी.एम.के. इंटरप्राईस, प्लॉट न.-105, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	07.12.2022
		08.02.2023
		27.05.2023
		05.10.2023
		16.10.2023
4.	मेसर्स ए.एस.जी. इंटरप्राईस, प्लॉट न.-104, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	07.12.2022
		08.02.2023
		05.10.2023
5.	मेसर्स ग्लोबल ग्रीन ऐनर्जी (पूर्व नाम श्री धाम इंडस्ट्रीज) प्लॉट न.-237 (पार्ट), औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	07.12.2022
		05.10.2023




अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - चवालोस
अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1702) की जानकारी


प्रपत्र

क.	अवधि	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन			वितरित वन अधिकार पत्र		
			व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग
1	वर्ष 2022-23	डौण्डी	19	11	30	19	11	30
2	वर्ष 2023-24 (31 दिसंबर, 2023 तक)	डौण्डी	3	0	3	3	0	3
		योग	22	11	33	22	11	33


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित ज्ञाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसले)

वर्ष	मौसम	जिला का नाम	तहसील का नाम	लाभांवित कृषक संख्या	
				बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान प्राप्त कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6
2022	खरीफ	बालोद	डोंडी	12165	2256
			डोंडी लोहारा	33275	3457
खरीफ वर्ष 2022 योग				45440	5713
2022-23	रबी	बालोद	डोंडी	22	22
			डोंडी लोहारा	361	85
रबी वर्ष 2022-23 योग				383	107
वर्ष 2022-23 कुल योग				45823	5820
2023	खरीफ	बालोद	डोंडी	13117	दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			डोंडी लोहारा	14527	
			मरी बंगला देवरी	18717	
खरीफ वर्ष 2023 योग				46361	
2023-24	रबी	बालोद	डोंडी	79	
			डोंडी लोहारा	207	
			मरी बंगला देवरी	164	
रबी वर्ष 2023-24 योग				450	
वर्ष 2023-24 कुल योग				46811	



 (अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सहो/-
 संचालक कृषि
 छ.ग.रायपुर

प्रपत्र-ब

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसलें)

क्रमांक	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	तहसील का नाम	बीमित कृषक संख्या	वितरित दावा राशि	
						कृषक संख्या	दावा राशि (रु. लाख में)
1	2022	खरीफ	बालोद	डौंडी	43	43	4.57
				डौंडी लोहारा	66	65	13.75
खरीफ 2022 योग					109	108	18.32
2	2022-23	रबी	बालोद	डौंडी	48	42	2.46
				डौंडी लोहारा	65	42	2.76
योग रबी 2022-23					113	84	5.22
योग वर्ष 2022-23					222	192	23.54
3	2023	खरीफ	बालोद	डौंडी	42	खरीफ टमाटर हेतु दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के आवरण अवधि की समाप्ति उपरांत बीमा दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	
				डौंडी लोहारा	26		
				मर्री बंगला देवरी	35		
खरीफ 2023 योग					103		
4	2023-24	रबी	बालोद	डौंडी	76	अधिसूचित उद्यानिकी फसलों की आवरण अवधि समाप्त होना शेष है। आवरण अवधि की समाप्ति उपरांत दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	
				डौंडी लोहारा	24		
				मर्री बंगला देवरी	23		
रबी 2023-24 योग					123		
योग वर्ष 2023-24					226	0	0
महायोग (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24)					448	192	23.54


 (अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 उत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सही/-
 संचालक
 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.


पारोशेष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1932) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसले)

जिला का नाम	वर्ष	फसल का नाम	बीमित रकबा (हे.में)
1	2	3	4
राजनांदगांव	खरीफ 2021	धान सिंचित	56754.540
		धान असिंचित	211459.865
		अरहर	28.401
		सोयाबीन	12753.602
	रबी 2021-22	चना	115656.024
		अलसी	2941.429
		गेहूँ सिंचित	4414.855
		गेहूँ असिंचित	82.834
	खरीफ 2022	धान सिंचित	56585.703
		धान असिंचित	209473.304
		अरहर	23.887
		सोयाबीन	9856.252
	रबी 2022-23	चना	120098.733
		अलसी	3425.457
		गेहूँ सिंचित	4588.578
		गेहूँ असिंचित	58.670
	खरीफ 2023	उड़द	8.046
		कोदो	29.264
		धान सिंचित	28557.821
		धान असिंचित	116780.616
अरहर		127.525	
सोयाबीन		788.082	
रबी 2023-24	चना	44899.047	
	अलसी	19.212	
	राई-सरसों	161.027	
	गेहूँ सिंचित	2168.142	
	गेहूँ असिंचित	1066.928	
खैरागढ़	खरीफ-रबी 2021-22	जिला खैरागढ़ मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2021-22 से 2022-23 में जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं था अपितु योजनांतर्गत जिला राजनांदगांव में	
	खरीफ-रबी 2022-23		
	खरीफ 2023	उड़द	26.633
		कोदो	31.699
		धान सिंचित	28297.720
		धान असिंचित	41791.174
		अरहर	99.285
	रबी 2023-24	सोयाबीन	6110.714
		चना	64125.992
		अलसी	185.793
		गेहूँ सिंचित	480.829
		गेहूँ असिंचित	306.573


 (जामत कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर


संचालक कृषि
 छ.ग. रायपुर

प्रपत्र-ब

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसले)

क्रमांक	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.मै)
1	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	केला	183	354.10
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	बैंगन	157	108.92
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	अमरुद	2	3.14
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	पपीता	47	81.33
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	टमाटर	3087	3462.45
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	मिर्च	87	75.28
	2021-22	खरीफ	राजनांदगांव	अदरक	16	30.08
योग खरीफ 2021-22					3579	4115.29
2	2021-22	रबी	राजनांदगांव	बैंगन	182	171.87
	2021-22	रबी	राजनांदगांव	आलू	55	38.10
	2021-22	रबी	राजनांदगांव	टमाटर	1957	2710.13
	2021-22	रबी	राजनांदगांव	पत्तागोभी	22	15.58
	2021-22	रबी	राजनांदगांव	फूलगोभी	89	90.66
	2021-22	रबी	राजनांदगांव	प्याज	52	33.67
योग रबी 2021-22					2357	3060.00
योग वर्ष 2021-22					5936	7175.30
2	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	केला	95	184.58
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	बैंगन	94	93.52
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	अमरुद	3	3.06
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	पपीता	66	142.24
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	टमाटर	4542	4526.57
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	मिर्च	64	48.74
	2022-23	खरीफ	राजनांदगांव	अदरक	6	2.12
योग खरीफ 2022-23					4870	5000.82
3	2022-23	रबी	राजनांदगांव	बैंगन	187	174.32
	2022-23	रबी	राजनांदगांव	आलू	74	35.21
	2022-23	रबी	राजनांदगांव	टमाटर	3210	4320.69
	2022-23	रबी	राजनांदगांव	पत्तागोभी	43	21.59
	2022-23	रबी	राजनांदगांव	फूलगोभी	87	67.38
	2022-23	रबी	राजनांदगांव	प्याज	65	34.15
योग रबी 2022-23					3666	4653.35
योग वर्ष 2022-23					8536	9654.17
4	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	केला	51	66.57
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	बैंगन	31	13.57
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	अमरुद	2	0.31
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	पपीता	38	48.73
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	टमाटर	3160	1791.36
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	मिर्च	9	5.17
	2023	खरीफ	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	अदरक	1	0.74
योग खरीफ 2023 खैरागढ़ छुईखदान गड़ई					3292	1926.44

क्रमांक	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.में)
5	2023	खरीफ	राजनांदगांव	केला	55	104.61
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	बैंगन	34	25.41
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	अमरूद	0	0.00
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	पपीता	15	26.16
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	टमाटर	726	769.76
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	मिर्च	56	31.14
	2023	खरीफ	राजनांदगांव	अदरक	2	0.42
योग खरीफ 2023 राजनांदगांव					888	957.50
6	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	बैंगन	23	2.63
	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	आलू	6	3.79
	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	टमाटर	1028	695.69
	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	पत्तागोभी	2	1.61
	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	फूलगोभी	2	0.49
	2023-24	रबी	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	प्याज	4	2.82
योग रबी 2023 खैरागढ़ छुईखदान गड़ई					1065	707.02
7	2023-24	रबी	राजनांदगांव	बैंगन	62	38.75
	2023-24	रबी	राजनांदगांव	आलू	8	7.16
	2023-24	रबी	राजनांदगांव	टमाटर	1155	1114.17
	2023-24	रबी	राजनांदगांव	पत्तागोभी	13	6.31
	2023-24	रबी	राजनांदगांव	फूलगोभी	45	23.91
	2023-24	रबी	राजनांदगांव	प्याज	27	10.85
योग रबी 2023 राजनांदगांव					1310	1201.14
योग 2023-24					6555	4792.12
महायोग (2021-22 से 2023-24)					21027	21621.58


 (आमत कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालक
 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
 नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - सैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1933) की जानकारी

प्रपत्र

जिला	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान कृषक संख्या	असफल/लंबित कृषक संख्या	दावा भुगतान असफल/लंबित होने का कारण	दावा भुगतान असफल/लंबित होने की स्थिति में विभगा द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
राजनांदगांव	2021	खरीफ	203032	108892	293	बैंक खाता क्रियाशील नहीं।	खाता विवरण सत्यापन पश्चात् भुगतान संभव होगा।
	2021-22	रबी	91569	68841	90		
	योग		294601	177733	383		
खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2021	खरीफ	जिला खैरागढ़ मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2021-22 में जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं था, अपितु योजनांतर्गत जिला राजनांदगांव में शामिल था।				
	2021-22	रबी					
	योग						
वर्ष 2021-22 योग			294601	177733	383		
राजनांदगांव	2022	खरीफ	208920	22424	190	दावा भुगतान भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में डिजी क्लैम माड्युल के माध्यम से किया जा रहा है। पोर्टल में अत्यापित/विफल से सत्यापित होने के बाद बीमा कंपनी के बकेट में आने के बाद बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।	
	2022-23	रबी	101026	75892	1682		
	योग		309946	98316	1872		
खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2022	खरीफ	जिला खैरागढ़ मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2022-23 में जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं था, अपितु योजनांतर्गत जिला राजनांदगांव में शामिल था।				
	2022-23	रबी					
	योग						
वर्ष 2022-23 योग			309946	98316	1872		
राजनांदगांव	2023	खरीफ	56946	दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।			
	2023-24	रबी	48882				
	योग	105828					
खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2023	खरीफ	120594	दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।			
	2023-24	रबी	40588				
	योग	161182					
वर्ष 2023-24 योग			267010				


7/2/24
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन कल्याण
 कृषि विकास एवं किसान
 एवं वैद्यकीय विभाग
 मंत्रालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

सही/-
 संचालक कृषि
 छ.ग.रायपुर

पॉरीशेष्ट - अङ्गतालीस
अताराङ्केत प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1947) की जानकारी

प्रपत्र

क	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	वितरित वन अधिकार पत्र		
			व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	नगरी	68	478	546
2	2022-23		19	0	19
3	अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023		30	0	30
योग:-			117	478	595
1	2021-22	मगरलोड	7	41	48
2	2022-23		0	0	0
3	अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023		0	0	0
योग:-			7	41	48
महायोग:-			124	519	643


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

परीशेष - उन्नास

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1948) की जानकारी


प्रपत्र

जिला धमतरी अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों में कोचिंग, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं रख-रखाव पर व्यय की जानकारी
(राशि लाख में)

क्र०	छात्रावास/आश्रम का नाम	वर्ष 2021-22						वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर 2023 तक)						कुल योग
		कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग		कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०धमतरी	0	0	0.143	0.50	0.643	0.135	0	0.119	10.57	10.824	11.467		
2	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०धमतरी	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	1.00	1.119	1.762		
3	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०अरौद	0	0	0.143	5.52	5.663	0	0	0.119	1.50	1.619	7.282		
4	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०डाही	0	0	0.143	6.75	6.893	0	0	0.119	0.50	0.619	7.512		
5	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०अकलाजोगरी	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0.50	0.619	0.762		
6	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०धमतरी	0	0	0.143	1.00	1.143	0	0	0.119	8.03	8.149	9.292		
7	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०धमतरी	0	0	0.143	1.49	1.633	0	0	0.119	11.35	11.469	13.102		
8	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०धमतरी	0.09	0	0.143	3.35	3.583	0.135	0	0.119	1.50	1.754	5.337		
9	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०धमतरी	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0	0.119	0.262		
10	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०धमतरी	0	0	0.143	1.00	1.143	0	0	0.119	0.50	0.619	1.762		
11	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०धमतरी	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0	0.119	0.762		
12	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०कुरुद	0	0	0.143	2.49	2.633	0	0	0.119	1.00	1.119	3.752		
13	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०कुरुद	0	0	0.143	1.98	2.123	0	0	0.119	15.25	15.369	17.492		
14	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०कुरुद	0	0	0.143	0.49	0.633	0	0	0.119	0.50	0.619	1.252		
15	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०भखारा	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	2.40	2.519	2.662		
16	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०कुरुद	0	0	0.143	0.99	1.133	0	0	0.119	0	0.119	1.252		
17	प्री०मे०अनु०जा०क०छा०भखारा	0	0	0.143	1.99	2.133	0	0	0.119	0	0.119	2.252		
18	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०मगरलौड	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	2.00	2.119	2.262		
19	प्री०मे०अनु०जा०बा०छा०मगरलौड	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.00	1.119	1.262		

क्र०	छात्रावास/आश्रम का नाम	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर 2023 तक)					कुल योग
		कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग	कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०सिंगपुर	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0.50	0.619	1.262
21	प्री०मे०अनु०ज०बा०छा०सिंगपुर	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.00	1.119	1.262
22	प्री०मे०अनु०ज०जा०क०छा०मगरलौड	0.135	0	0.143	3.98	4.258	0.135	0	0.119	0	0.254	4.512
23	प्री०मे०अनु०ज०क०छा०सिंगपुर	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0	0.119	0.262
24	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०नगरी	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0.50	0.619	0.762
25	प्री०मे०अनु०ज०बा०छा०नगरी	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.00	1.119	1.262
26	पो०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०नगरी	0	0	0.143	1.00	1.143	0	0	0.119	5.58	5.699	6.842
27	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०कैरेगांव	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.50	1.619	1.762
28	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०दुगली	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	1.50	1.619	2.262
29	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०गट्टासिल्ली	0	0	0.143	7.03	7.173	0	0	0.119	1.00	1.119	8.292
30	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०बेलरगांव	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0.50	0.619	1.262
31	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०उमरगांव	0	0	0.143	0.49	0.633	0	0	0.119	1.00	1.119	1.752
32	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०सिहावा	0	0	0.143	7.15	7.293	0	0	0.119	1.50	1.619	8.912
33	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०सांकरा	0	0	0.143	1.00	1.143	0	0	0.119	1.00	1.119	2.262
34	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०सियारीनाला	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0	0.119	0.262
35	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०कुकरेल	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0	0.119	0.762
36	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०रिसगांव	0	0	0.143	0.99	1.133	0	0	0.119	0.50	0.619	1.752
37	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०टांगापानी	0	0	0.143	2.14	2.283	0	0	0.119	2.44	2.559	4.842
38	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०बेलरबाहरा	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0.50	0.619	0.762
39	प्री०मे०अनु०ज०जा०बा०छा०घुटकेल	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0.50	0.619	1.262
40	प्री०मे०अनु०ज०जा०क०छा०नगरी	0.09	0	0.143	2.90	3.133	0	0	0.119	2.00	2.119	5.252
41	प्री०मे०अनु०ज०क०छा०नगरी	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.50	1.619	1.762
42	पो०मे०अनु०ज०जा०क०छा०नगरी	0.06	0	0.143	0.50	0.703	0.18	0	0.119	0.50	0.799	1.502
43	प्री०मे०अनु०ज०जा०क०छा०गट्टासिल्ली	0.135	0	0.143	0.49	0.768	0.135	0	0.119	9.25	9.504	10.272
44	प्री०मे०अनु०ज०जा०क०छा०फरसिया	0	0	0.143	0.99	1.133	0	0	0.119	1.00	1.119	2.252
45	अनु० जनजाति बालक आश्रम दुगली	0	0	0.143	1.00	1.143	0	0	0.119	5.30	5.419	6.562

क्र०	छात्रावास/आश्रम का नाम	वर्ष 2021-22						वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर 2023 तक)						कुल योग
		कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग	कोचिंग	प्रशिक्षण	चिकित्सा	रखरखाव	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
46	अनु०ज०जा०बा०आश्रम बिरनासिल्ली	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	0.50	0.619	1.262		
47	अनु०जनजाति बालक आश्रम करैहा	0	0	0.143	0.50	0.643	0	0	0.119	1.50	1.619	2.262		
48	अनु०ज०जाति बालक आश्रम भैंसामुडा	0	0	0.143	0.99	1.133	0	0	0.119	1.00	1.119	2.252		
49	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,सलोनी	0	0	0.143	5.73	5.873	0	0	0.119	1.00	1.119	6.992		
50	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,सिहावा	0	0	0.143	3.06	3.203	0	0	0.119	0.50	0.619	3.822		
51	अनु०जनजाति कन्या आश्रम, कसपुर	0	0	0.143	5.05	5.193	0	0	0.119	7.14	7.259	12.452		
52	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,बोराई	0	0	0.143	1.50	1.643	0	0	0.119	8.56	8.679	10.322		
53	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,घोटगांव	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.00	1.119	1.262		
54	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,गेदरा	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	1.00	1.119	1.262		
55	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,सांकरा	0	0	0.143	2.00	2.143	0	0	0.119	7.81	7.929	10.072		
56	अनु०जनजाति कन्या आश्रम,भोथापारा	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	0	0.119	0.262		
57	अनु०जनजाति कन्या आश्रम, मेचका	0	0	0.143	0	0.143	0	0	0.119	7.82	7.939	8.082		
	योग	0.51	0	8.151	80.04	88.701	0.72	0	6.783	135.5	143.003	231.704		


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2028) की जानकारी

प्रपत्र

जिला महासमुंद के मण्डी समितियों में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 दिनांक 15.01.2024 तक मदवार प्राप्त राशि एवं मदवार खर्च की जानकारी

क्र०.	जिला का नाम	मण्डी का नाम	वर्ष	आय					योग
				मण्डी शुल्क	अनुज्ञापित शुल्क	अन्य आय	कृषक कल्याण शुल्क	निराश्रित शुल्क से आय	
1		महासमुंद	2021-22	73461516	94210	9887580	416250	7495581	91355137
			2022-23	75729495	163110	8919026	6130285	1895945	92837861
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	34266112	66070	23280421	3196498	1501766	62310867
2		बागबाहरा	2021-22	61219062	124500	2908617	105807	6388515	70746501
			2022-23	63555221	123500	2313039	4628830	826588	71447178
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	27052551	41800	1264004	904868	476614	28739837
3	महासमुंद	सरायपाली	2021-22	61143973	67700	21630758	779911	6548266	90170808
			2022-23	65192362	138880	14747396	5340047	749868	86168553
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	28831509	28660	9346244	195387	368865	38770665
4		बसना	2021-22	65924748	199000	12879585	1025059	6828276	86856668
			2022-23	61761157	206500	8111266	5433974	1476742	76989639
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	25831680	21400	9640244	1771474	384904	37649702
5		पिथौरा	2021-22	39992536	68000	298302	0	4038974	44397812
			2022-23	112108971	108500	6892704	7271390	5289535	131671100
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	3919914	107400	4125677	3400158	873192	12426341
वर्षवार योग -			301741835	553410	47604842	2327027	31299612	383526726	
वर्षवार योग -			378347206	740490	40983431	28804526	10238878	459114331	
वर्षवार योग -			119901766	265330	47656590	9468385	3605341	180897412	
महायोग -			799990807	1559230	136244863	40599938	45143631	1023538469	

जिला महासमुंद के मण्डी समितियों में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक मदवार प्राप्त राशि एवं मदवार खर्च की जानकारी

क्र०.	जिला का नाम	मण्डी का नाम	वर्ष	व्यय							कलेक्टर को भेजी गई निराकृत शुल्क राशि	योग
				स्थापना व्यय	निर्माण व्यय	सुरक्षित निधि	आरक्षित निधि	विपणन विकास निधि	अन्य व्यय	0		
1		महासमुंद	2021-22	11058157	1286586	10158745	1851593	37204136	647955	4265000	66472172	
			2022-23	11020196	10706656	0	1309644	37906117	2553983	4000000	67496596	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	9729220	20812947	7589261	2241889	17103921	14413635	1576589	73467462	
2		बागाबाहरा	2021-22	9721611	2577474	0	1995818	33263634	730158	5000000	53288695	
			2022-23	10907198	6556225	0	1907261	24910258	811391	4263000	49355333	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	15815906	6609593	0	1227354	20587929	1320777	0	45561559	
3	महासमुंद	सरायपाली	2021-22	10019706	92909	0	536861	17922873	6940981	3500000	38913330	
			2022-23	8828733	77825	0	1218175	47556226	7864946	310000	65855905	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	9598277	277737	0	664064	14898231	2606540	750000	28794849	
4		बसना	2021-22	9482052	1131127	6264424	1765700	35226395	5618859	7432000	66920557	
			2022-23	7674391	703597	6612375	1256828	30732013	1583090	1334000	49896294	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	7929827	1545816	6196766	3060179	13675658	438403	560000	33406649	
5		पिथौरा	2021-22	8204920	46448	0	1172916	23333457	509549	3808911	37076201	
			2022-23	8523022	123755	0	4725793	60299028	817185	5142839	79631622	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	5317890	3000467	0	894161	17586089	3427286	886378	31112271	
वर्षवार योग -			2021-22	48486446	5134544	16423169	7322888	146850495	14447502	24005911	262670955	
			2022-23	46953540	18168058	6612375	10417701	201403642	13630595	15049839	312235750	
			2023-2024 (15.01.2024 तक)	48391120	32246560	13786027	8087647	83851828	22206641	3772967	212342790	
महायोग -				143831106	55549162	36821571	25828236	432105965	50284738	42828717	787249495	

(Handwritten Signature)

(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

लाल ईट निर्माण की इकाईयों की संख्या, उत्पादन क्षमता की जानकारी

क्र.	उद्योग/इकाई का नाम	पता	उत्पादन एवं क्षमता
1.	मेसर्स दिलीप ट्रेडर्स	ग्राम-कनस्टा, तहसील-नवागढ़	ब्रिक्स अदर-4,85,000 नग/वर्ष
2.	मेसर्स राजा ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज	ग्राम-देवरी, तहसील-पामगढ़	कले ब्रिक्स-10 लाख नग/वर्ष
3.	मेसर्स बी.एस. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज	ग्राम-हडहा, तहसील-पामगढ़	कले ब्रिक्स-10 लाख नग/वर्ष

फलाईऐश ईट निर्माण की इकाईयों की संख्या, उत्पादन क्षमता की जानकारी

क्र.	उद्योग/इकाई का नाम	पता	उत्पादन एवं क्षमता
1.	मे. खण्डेलिया ब्रिक्स	महंतपारा, शिवरीनारायण, तहसील-पामगढ़	30,00,000 नग/वर्ष
2.	मे. श्रेया फलाई ऐश ब्रिक्स	भिलौनी, तहसील-पामगढ़	28,00,000 नग/वर्ष
3.	मे. पूजा फलाई ऐश ब्रिक्स	मुड़पार, तहसील-पामगढ़	30,00,000 नग/वर्ष
4.	मे. निखिल फलाई ऐश ब्रिक्स	ससहा रोड़, तहसील-पामगढ़	30,00,000 नग/वर्ष
5.	मे. सूर्या फलाई ऐश ब्रिक्स	केशला, तहसील-पामगढ़	40,00,000 नग/वर्ष
6.	मे. श्रीवास फलाई ऐश ब्रिक्स	मेउ, तहसील-पामगढ़	40,00,000 नग/वर्ष


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
राजधानी, रायपुर

पारोशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2297) की जानकारी


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसले)

प्रपत्र-अ

जिला का नाम	तहसील का नाम	मौसम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.मै)	फसलवार बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रू.मै)	लाभावित कृषक	कृषक अंश (लाख रू.मै)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
मुंगेली	मुंगेली	खरीफ 2021		9629	13,567.23	49,500	411	134.32	
			धान असिंचित	5154	9,122.47	36,000	0	65.68	
			अरहर	1	0.64	27,500	0	0.00	
			सोयाबीन	24	43.00	33,000	23	0.28	
	मुंगेली तहसील योग				14808	22,733.34	-	434	200.28
	पथरिया	खरीफ 2021	धान सिंचित	6726	10,493.63	49,500	1481	103.89	
			धान असिंचित	6827	10,518.41	36,000	3049	75.73	
			अरहर	13	7.46	27,500	13	0.04	
			सोयाबीन	69	46.70	33,000	69	0.31	
	पथरिया तहसील योग				13635	21,066.20	-	4612	179.97
मुंगेली	मुंगेली	रबी 2021-22	चना	5230	7,688.91	19,800	795	22.84	
			गेंहू सिंचित	66	95.40	19,800	8	0.28	
			गेंहू असिंचित	37	51.14	15,000	0	0.12	
	मुंगेली तहसील योग				5333	7,835.45	-	803	23.24
	पथरिया	रबी 2021-22	चना	631	685.29	19,800	261	2.04	
			गेंहू सिंचित	76	149.82	19,800	64	0.44	
पथरिया तहसील योग				707	835.11	-	325	2.48	
मुंगेली तहसील योग (वर्ष 2021-22)				20141	30,568.79	-	1237	223.52	
पथरिया तहसील योग (वर्ष 2021-22)				14342	21901.31	-	4937	182.45	
कुल योग (वर्ष 2021-22)				34483	52470.10	-	6174	405.97	
मुंगेली	मुंगेली	खरीफ 2022	धान सिंचित	8275	9,983.67	54,000	224	107.82	
			धान असिंचित	5377	8,939.41	39,000	0	69.73	
			अरहर	2	2.17	33,000	0	0.01	
			सोयाबीन	24	32.81	39,600	16	0.26	
	मुंगेली तहसील योग				13678	18,958.06	-	240	177.82
	पथरिया	खरीफ 2022	धान सिंचित	7618	10,483.43	54,000	627	113.22	
			धान असिंचित	6943	9,778.62	39,000	57	76.27	
			अरहर	4	4.60	33,000	4	0.03	
			सोयाबीन	32	28.03	39,600	27	0.22	
	पथरिया तहसील योग				14597	20,294.68	-	715	189.74
मुंगेली	मुंगेली	रबी 2022-23	चना	3972	5,262.44	30,000	1034	23.68	
			गेंहू सिंचित	101	128.01	25,000	5	0.48	
			गेंहू असिंचित	31	35.58	22,000	0	0.12	
	मुंगेली तहसील योग				4104	5,426.03	-	1039	24.28
	पथरिया	रबी 2022-23	चना	511	591.40	30,000	213	2.66	
			गेंहू सिंचित	88	153.26	25,000	41	0.57	
पथरिया तहसील योग				599	744.66	-	254	3.23	
मुंगेली तहसील योग (वर्ष 2022-23)				17782	24,384.09	-	1279	202.10	
पथरिया तहसील योग (वर्ष 2022-23)				15196	21039.34	-	969	192.97	
कुल योग (वर्ष 2022-23)				32978	45423.43	-	2248	395.07	

जिला का नाम	तहसील का नाम	मौसम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.में)	फसलवार बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रू.में)	लाभान्वित कृषक	कृषक अंश (लाख रू.में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
मुंगेरी	जरहागांव	खरीफ 2023	धान सिंचित	1203	1,325.61	58,000	प्रक्रियाधीन	15.38	
			धान असिंचित	2	1.56	41,000		0.01	
	जरहागांव तहसील योग			1205	1,327.17	-		15.39	
	मुंगेरी	खरीफ 2023	मूंगफली	21	14.91	40,000		0.12	
			कोदो	17	11.48	15,000		0.03	
			धान सिंचित	5765	8,162.27	58,000		94.68	
			धान असिंचित	4442	6,960.51	41,000		57.08	
			अरहर	9	2.91	35,000		0.02	
			सोयाबीन	2	0.24	41,000		0.00	
	मुंगेरी तहसील योग			10256	15,152.32	-		151.93	
	पथरिया	खरीफ 2023	मूंगफली	10	4.13	40,000		0.03	
			कोदो	13	9.86	15,000		0.03	
			धान सिंचित	6267	9,180.63	58,000		106.50	
			धान असिंचित	3386	4,740.04	41,000		38.87	
			अरहर	9	2.82	35,000		0.02	
			सोयाबीन	12	12.86	41,000		0.11	
	पथरिया तहसील योग			9697	13,950.34	-		145.56	
	मुंगेरी	जरहागांव	रबी 2023-24	गेंहू सिंचित	12	16.73		26,000	0.07
				गेंहू असिंचित	13	12.06		23,000	0.04
		जरहागांव तहसील योग			25	28.79		-	0.11
		मुंगेरी	रबी 2023-24	चना	3769	5,670.17		31,000	26.37
				गेंहू सिंचित	81	65.38		26,000	0.25
				गेंहू असिंचित	63	66.38		23,000	0.23
		मुंगेरी तहसील योग			3913	5,801.93		-	26.85
पथरिया		रबी 2023-24	चना	265	474.55	31,000	2.21		
			गेंहू सिंचित	103	120.48	26,000	0.47		
			गेंहू असिंचित	96	128.35	23,000	0.44		
पथरिया तहसील योग			464	723.38	-	3.12			
जरहागांव तहसील योग (वर्ष 2023-24)			1230	1,355.96	-	15.50			
मुंगेरी तहसील योग (वर्ष 2023-24)			14169	20,954.25	-	178.78			
पथरिया तहसील योग (वर्ष 2023-24)			10161	14,673.72	-	148.68			
कुल योग (वर्ष 2023-24)			25560	36983.92	-	342.96			
महायोग (वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक)			93021	134877.45	-	8422	1144.00		

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर



(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किराना कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसले)

राशि रूपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

क	वर्ष	मौसम	जिला का नाम	तहसील का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	कृषक अंश	वितरित दावा राशि	
								कृषक संख्या	दावा राशि
1	2021	खरीफ	मुंगेली	मुंगेली	54	86.05	4.03	53	20.13
		रबी	मुंगेली	मुंगेली	32	41.27	1.92	26	3.14
योग वर्ष 2021-22					86	127.32	5.95	79	23.26
2	2022	खरीफ	मुंगेली	मुंगेली	84	81.79	4.83	82	22.26
		रबी	मुंगेली	मुंगेली	36	41.61	2.43	33	2.13
योग 2022-23					120	123.40	7.26	115	24.39
3	2023	खरीफ	मुंगेली	मुंगेली	69	55.45	3.23	खरीफ टमाटर हेतु दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के आवरण अवधि की समाप्ति उपरांत बीमा दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	
		रबी	मुंगेली	जरहागांव	2	1.91	0.08		
		रबी	मुंगेली	मुंगेली	48	33.74	1.45		
योग रबी 2023-24					50	35.65	2.24		
योग 2023-24					119	91.09	5.47		
महायोग (2021-22 से 2023-24)					325	341.81	18.68	194	47.66



 (अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालक
 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
 नवा रायपुर अटल नगर

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसले) अंतर्गत
फसलवार बीमित राशि प्रति हेक्टेयर

राशि लाख में

क्रमांक	वर्ष	मौसम	फसल	बीमित राशि प्रति हेक्टेयर
1	2021-22	खरीफ	टमाटर	1.000
2			बैंगन	0.700
3			अमरुद	0.400
4			केला	1.500
5			पपीता	1.100
6			मिर्च	0.800
7			अदरक	1.300
8		रबी	टमाटर	1.000
9			बैंगन	0.700
10			फूलगोभी	0.600
11			पत्तागोभी	0.600
12			प्याज	0.700
13			आलू	1.000
1	2022-23 एवं 2023-24	खरीफ	टमाटर	1.200
2			बैंगन	0.770
3			अमरुद	0.450
4			केला	1.650
5			पपीता	1.250
6			मिर्च	0.900
7			अदरक	1.500
8		रबी	टमाटर	1.200
9			बैंगन	0.770
10			फूलगोभी	0.700
11			पत्तागोभी	0.700
12			प्याज	0.800
13			आलू	1.200


(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नवा रायपुर अटल नगर

पारोक्ष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2298) की जानकारी


प्रपत्र अ

“अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018” एवं “सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना 2019” के अंतर्गत कृषि ऋण माफी की बैंकों से प्राप्त जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	जिले का नाम	किसानों की संख्या	माफ की गई राशि
1	बालोद	13314	103.34
2	बलौदाबाजार	16951	134.38
3	बलरामपुर	15150	71.43
4	बस्तर	11159	95.66
5	बेमेतरा	20146	204.66
6	बीजापुर	397	1.86
7	बिलासपुर	22240	171.66
8	दन्तेवाड़ा	1113	3.86
9	धमतरी	22918	174.76
10	दुर्ग	17777	182.06
11	गरियाबंद	9217	67.52
12	जांजगीर-चांपा	36010	269.69
13	जशपुर	14070	107.78
14	कबीरधाम	22178	176.31
15	कांकेर	20917	125.13
16	कोण्डागांव	8150	40.19
17	कोरबा	5097	47.16
18	कोरिया	8705	38.84
19	महासमुंद	35612	367.21
20	मुंगेली	19006	166.51
21	नारायणपुर	702	5.08
22	रायगढ़	43041	336.40
23	रायपुर	14010	116.24
24	राजनांदगांव	34170	282.17
25	सुकमा	669	3.90
26	सूरजपुर	17826	86.64
27	सरगुजा	18869	101.74
	योग-	449414	3482.18

टीप :- उपरोक्त में सहकारी बैंक की जानकारी शामिल नहीं है।



 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 नवा रायपुर, अटल नगर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर (छ0ग0)
जिला मुंगेली अन्तर्गत ऋण माफी योजना की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी
अताराकित प्रश्न (क्र.2298)

(राशि लाख में)

क्रं.	विधान सभा क्षेत्र	विकासखण्ड	शाखा	समिति	30.11.2018 पर अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित बकाया ऋण		ऋण माफी		ऋण माफी करना शेष	
					कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
1	मुंगेली	पथरिया	मुंगेली	भटगांव	484	236.50	484	236.50	0	0.00
2	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	420	151.92	420	151.92	0	0.00
3	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	फंदवानी	577	256.86	577	256.86	0	0.00
4	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	टेढ़ाधौरा	419	191.54	419	191.54	0	0.00
5	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	निरजाम	372	167.84	372	167.84	0	0.00
6	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	चकरभाटा	618	282.03	618	282.03	0	0.00
7	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	लालाकापा	253	161.98	253	161.98	0	0.00
8	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	कोदवा	1011	362.57	1011	362.57	0	0.00
9	मुंगेली	मुंगेली	कंतेली	कंतेली	526	219.05	526	219.05	0	0.00
10	मुंगेली	मुंगेली	पंडरभट्टा	पंडरभट्टा	323	142.71	323	142.71	0	0.00
11	मुंगेली	मुंगेली	पंडरभट्टा	नवागांव	332	128.75	332	128.75	0	0.00
12	मुंगेली	मुंगेली	पंडरभट्टा	बुंदेली	377	202.05	377	202.05	0	0.00
13	मुंगेली	मुंगेली	सेतगंगा	सिंगारपुर	365	185.16	365	185.16	0	0.00
14	मुंगेली	मुंगेली	सेतगंगा	छटन	659	300.67	659	300.67	0	0.00
15	मुंगेली	मुंगेली	सेतगंगा	तरवरपुर	437	204.19	437	204.19	0	0.00
16	मुंगेली	मुंगेली	जरहागांव	बरेला	598	183.58	598	183.58	0	0.00
17	मुंगेली	मुंगेली	जरहागांव	पदमपुर	468	146.63	468	146.63	0	0.00
18	मुंगेली	मुंगेली	जरहागांव	भठलीकला	823	254.31	823	254.31	0	0.00
19	मुंगेली	मुंगेली	जरहागांव	जरहागांव	802	282.21	802	282.21	0	0.00
20	मुंगेली	पथरिया	पथरिया	जेवरा	776	289.00	776	289.00	0	0.00
21	मुंगेली	पथरिया	पथरिया	लौंदा	659	253.13	659	253.13	0	0.00
योग (विधान सभा क्षेत्र मुंगेली)					11299	4602.68	11299	4602.68	0	
1	लोरमी	लोरमी	लोरमी	सुरेठा	622	400.60	622	400.60	0	0.00
2	लोरमी	लोरमी	लोरमी	अखरार	599	201.55	599	201.55	0	0.00
3	लोरमी	लोरमी	लोरमी	लोरमी	264	161.13	264	161.13	0	0.00
4	लोरमी	लोरमी	लोरमी	वेकटनवागांव	639	267.61	639	267.61	0	0.00

क्रं.	विधान सभा क्षेत्र	विकासखण्ड	शाखा	समिति	30.11.2018 पर अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित बकाया ऋण		ऋण माफी		ऋण माफी करना शेष	
					कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
5	लोरमी	लोरमी	लोरमी	चंदली	306	136.06	306	136.06	0	0.00
6	लोरमी	लोरमी	लोरमी	डोंगरिया	873	317.38	873	317.38	0	0.00
7	लोरमी	लोरमी	बोड़तरा	बोड़तरा	362	134.61	362	134.61	0	0.00
8	लोरमी	लोरमी	बोड़तरा	खाम्ही	391	142.01	391	142.01	0	0.00
9	लोरमी	लोरमी	बोड़तरा	फुलझर	640	210.84	640	210.84	0	0.00
10	लोरमी	लोरमी	बोड़तरा	खपरीकला	1449	755.03	1449	755.03	0	0.00
11	लोरमी	लोरमी	बोड़तरा	दाउकापा	662	170.03	662	170.03	0	0.00
12	लोरमी	मुंगेली	कंतेली	सिंधनपुरी	728	333.28	728	333.28	0	0.00
13	लोरमी	लोरमी	कंतेली	मनोहरपुर	659	298.98	659	298.98	0	0.00
14	लोरमी	लोरमी	कंतेली	गुरूवाईनडबरी	399	153.42	399	153.42	0	0.00
15	लोरमी	लोरमी	जरहागांव	तेलियापुरान	663	317.80	663	317.80	0	0.00
योग (विधान सभा क्षेत्र लोरमी)					9256	4000.35	9256	4000.35	0	
1	बिल्हा	पथरिया	पथरिया	पथरिया	1113	373.42	1113	373.42	0	0.00
2	बिल्हा	पथरिया	पथरिया	सिलदहा	1013	330.20	1013	330.20	0	0.00
3	बिल्हा	पथरिया	सरगांव	सरगांव	1264	440.67	1264	440.67	0	0.00
4	बिल्हा	पथरिया	सरगांव	बदरा	1054	430.06	1054	430.06	0	0.00
5	बिल्हा	पथरिया	सरगांव	चंद्रखुरी	938	370.86	938	370.86	0	0.00
6	बिल्हा	पथरिया	सरगांव	पीपरलोड	882	366.67	882	366.67	0	0.00
7	बिल्हा	पथरिया	सरगांव	धरदेई	1171	391.73	1171	391.73	0	0.00
योग (विधान सभा क्षेत्र बिल्हा)					7435	2703.62	7435	2703.62	0	
महायोग					27990	11306.65	27990	11306.65	0	


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2309) की जानकारी

पुपत्र - 36

वित्त निर्देश 22/2023

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 428/एफ 2019-53-01932/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02.08.2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :-राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण।

- संदर्भ :-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2015-71-00388 /वित्त/नियम चार, दिनांक 23 सितंबर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31.12.2012.
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 328/एफ-2015-71-00338/वि/नि/चार, दिनांक 24 जुलाई, 2017.
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 336/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार, दिनांक 2 अगस्त 2019.

--0--

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 2 अगस्त 2019 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12(2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत एकमुश्त संविदा वेतन की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतन लेवल के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता है :-


क्रमांक	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	मासिक संविदा वेतन
(1)	(2)	(3)
1.	1	14400
2.	2	14860
3.	3	16615
4.	4	18000
5.	5	20675

6.	6	23350
7.	7	26490
8.	8	32675
9.	9	35165
10.	10	39875
11.	11	45320
12.	12	51780
13.	13	62120
14.	14	73750
15.	15	109375
16.	16	119715

- 2/ कॉलम 3 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता देय नहीं होंगे ।
- 3/ ये दर उन संवर्गों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी ।
- 4/ ये दरें दिनांक 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार



(इन्द्रप्रकाश रात्रे)

अवर सचिव

/


पृ.क्रमांक429/एफ 2019-53-01932/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक02.08.2023
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु



 (इन्द्रप्रकाश रात्रे)
 अवर सचिव

प्रपत्र-ब


क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	राज्य/केन्द्रीय योजना	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त हुआ है	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ है
1	2	3	4	5	6
1	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	संचित निधि	राज्य योजना	7	0
2	जनशिकायत निवारण विभाग	--	--	0	0
3	समाज कल्याण विभाग	--	--	0	0
4	सामान्य प्रशासन विभाग	--	--	0	0
5	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	--	--	0	0
6	संसदीय कार्य विभाग	--	--	0	0
7	सहकारिता विभाग	--	--	0	0
8	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	--	--	0	0
9	ऊर्जा विभाग	बायोफ्यूल कॉम्पलेक्स परियोजना	राज्य योजना	3	0
10	विमानन विभाग	विमानन संचालनालय	राज्य योजना	8	28
11	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	--	--	0	0
12	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	केन्द्रीय योजना	0	2
		नवा बिहान	राज्य योजना	71	0
		मिशन वात्सल्य	योजना	0	519
13	पर्यटन विभाग	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड	राज्य योजना	1	0
14	ग्रामोद्योग विभाग	--	राज्य आयोजना	17	0
15	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	केन्द्रीय योजना	17	0
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	राज्य योजना	12	1
		राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	राज्य योजना	14	1
		सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का सुदृढीकरण	राज्य योजना	13	0
		भवन निर्माण सांख्यिकी योजना	केन्द्रीय योजना	10	0
		राज्य योजना आयोग	राज्य योजना	2	0
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	--	--	0	0
17	ग्रामोद्योग विभाग	--	--	0	0


अनुर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 रायपुर अटल नगर

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	राज्य/केन्द्रीय योजना	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त हुआ है	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ है
1	2	3	4	5	6
18	पशुधन विकास विभाग	—	—	0	0
19	लोक निर्माण विभाग	—	—	2	0
20	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पंजीयन एवं प्रसंस्करण 8443 सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा	राज्य योजना	14	0
		चिड़िया घरों का विकास एवं उन्नयन	राज्य योजना	1	0
		वानिकी एवं वन्य जीवन	राज्य योजना	1	0
		रोजगार उन्मुखी परियोजना	राज्य योजना	50	1
		छ.ग. सर्टिफिकेशन सोसायटी	राज्य योजना	5	0
		औषधि पादक बोर्ड	राज्य योजना	—	1
21	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	—	5	0
		जिला कौशल विकास प्राधिकरण	—	31	0
		लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी	—	0	0
22	विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी	—	—	0	0
23	मछली पालन विभाग	—	—	0	0
24	वाणिज्यिक कर विभाग	—	—	0	0
25	खनिज साधन विभाग	—	—	0	0
26	संस्कृति विभाग	—	—	0	0
27	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	—	—	0	0
28	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	—	—	5	0
29	जल संसाधन विभाग	—	—	0	0


अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 नवा रायपुर अटल नगर

क.	विभाग का नाम	योजना का नाम	राज्य/केन्द्रीय योजना	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त हुआ है	संविदा कर्मचारियों की संख्या जिन्हे लाभ प्राप्त नहीं हुआ है
1	2	3	4	5	6
30	श्रम विभाग	—	—	18	0
31	परिवहन विभाग	—	—	8	0
32	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	—	—	7	0
33	आवास एवं पर्यावरण विभाग	—	—	0	0
34	उच्च शिक्षा विभाग	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	राज्य योजना	18	0
		अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर	राज्य योजना	11	0
		हीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर	राज्य योजना	0	8
		छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी	राज्य योजना	1	0
		छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग	राज्य योजना	3	0
35	कृषि विकास एवं किसान विभाग	—	—	2	0
36	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गांधी नरेगा	केन्द्रीय योजना	2922	0
		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	केन्द्रीय योजना	427	0
		छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन	केन्द्रीय योजना	142	333
		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	केन्द्रीय योजना	158	47
		विकास आयुक्त कार्यालय	—	1	0
		ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	राज्य योजना	30	0
		छ.ग. ग्रामीण संड़क विकास अभिकरण	केन्द्रीय योजना	186	0
		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	—	1	0
		जिला ग्रामीण प्रशासन योजना	राज्य योजना	197	0
कुल योग				4421	941


अनुर सिंह
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2318) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	शासन द्वारा अधिकृत संस्था बीज निगम एवं/मार्कफेड को छोड़कर, अन्य संस्था/सहकारी समितियों को सूक्ष्म तत्व नीदानाशक/कीटनाशक रसायनतथा अन्य आदान सामग्री के भंडारण/प्रदाय में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन के संबंध में	
	अधिकारी का नाम	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	श्री एम. आर. भगत	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
2	श्री एल. पी. अहिवार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
3	श्री एम. के. चौहान	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
4	श्री कपिल देव दीपक	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
5	श्री एल. एम. भगत	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
6	श्री चिरंजीव सरकार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
7	श्री आर. जी. अहिवार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
8	श्री बी.के.बिजरोनिया	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
9	श्री डी. के. रामटेके	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
10	श्री शशांक शिन्दे	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
11	श्री पी. आर. बघेल	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
12	श्री एम.डी.मानकर	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
13	श्री पी.एस. कुसरे	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
14	श्री गयाराम	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
15	श्री डी. के. व्यौहार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
16	श्री एम. आर. तिग्गा	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
17	श्री एन. के.नागेश	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
18	श्री एस. के. प्रसाद	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
19	श्री नागेश्वर लाल	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
20	श्री विनोद कुमार वर्मा	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
21	श्री व्ही पी. चौबे,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
22	श्री एच.एस. भल्ला ,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
23	श्री रियायुद्दीन खान, ,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
24	श्री एच. एस. राजपूत ,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
25	श्री आर. जी. मेहरा उप,(से नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
26	श्री जे. पी. चन्द्रकार ,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
27	श्री आर. पी. सिंह,(से.नि) उप संचालक कृषि	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।

Rg

28	श्री एस. पी. बीरा,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
29	श्री नरहरि दास,(से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
30	श्री जे.एस.काकोरिया, (से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
31	श्री आर. के. गोनकर, (से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
32	श्री राकेश कुमार जोशी, (से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
33	श्री नरसिंह ध्रुव, (से.नि)	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
34	स्व. श्री एम.जी. श्यामकुंवर,	दिनांक 18.08. 2021 को मृत्यु होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
35	श्री एम.एस. केरकेट्टा, (से.नि)	भविष्य के लिए सचेत करते हुए, प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

Rg

कृषि विभाग अंतर्गत अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2318

	अधिकारी का नाम	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	श्री चिरंजीव सरकार, तत्का. उप संचालक कृषि, कांकेर जिले में 1. हरित क्रांति योजनांतर्गत कृषि यंत्रों पर किसानों को मांग के अनुरूप सामग्री प्रदाय न कर, मेक परिवर्तन करते हुए अन्य मेक की सामग्री प्रदाय किए जाने बाबत। 2. वर्ष 2017-18 में कृषि आदान सामग्री क्रय/प्रदाय खुली निविदा पद्धति को पालन नहीं करने के संबंध में।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	श्री विनोद कुमार वर्मा, तत्का. उप संचालक कृषि, बेमेतरा आत्मा योजनांतर्गत भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 का उल्लंघन।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	श्री शशांक शिंदे, तत्का. प्रभारी उप संचालक कृषि, बेमेतरा बीज निगम से खरीदी न की जाकर जिले के बाहर क्रय करना एवं NACOF नामक संस्था से खरीदी करना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Ref

कं.	स्वायल हेल्थ कार्ड योजना वर्ष 2015-16 से 2018-19 में केमिकल खरीदी खुली निविदा पद्धति को न अपनाते हुए सीमित निविदा पद्धति से खरीदी	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
	अधिकारी का नाम	
1.	श्री विनोद कुमार वर्मा, तत्का. उप संचालक कृषि, बेमेतरा	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	श्री शशांक शिंदे, तत्का. प्रभारी उप संचालक कृषि, बेमेतरा	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	श्री पी.एल. परौहा, तत्का. सहायक मिट्टी परीक्षण बिलासपुर,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	श्री जे.एस. काकोरिया, तत्का. उप संचालक कृषि, बिलासपुर	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
5	श्री आर.जी. अहिरवार, तत्का. उप संचालक कृषि, बिलासपुर	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
6	श्री राकेश शर्मा, तत्का. उप संचालक कृषि, बिलासपुर,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
7	श्री के.पी. मिश्रा, तत्का. सहायक मिट्टी परीक्षण बिलासपुर,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Raj

क्रं.	सीवीड/ह्युमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
	अधिकारी का नाम	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	श्री गयाराम	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
2	श्री एम.आर. भगत	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
3	श्री एम.डी. मानकर	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
4	श्री कपिल देव दीपक	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
5	श्री डी.के. ब्योहार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
6	श्री एल.एम. भगत	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
7	श्री एन.के. नागेश	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
8	श्री एम.के. चौहान	03 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
9	श्री शशांक शिंदे	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
10	श्री विनोद कुमार वर्मा	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
11	श्री बी.के. बिजरोनिया	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
12	श्री एम.आर. तिग्गा	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
13	श्री एल.पी. अहिरवार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
14	श्री आर.के. जोशी	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
15	श्री नरसिंह धुव	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
16	श्री अश्वनी कुमार बंजार	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
17	श्री यशवंत केराम	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
18	श्री आर.एल. खरे	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
19	श्री के.एस. पैकरा	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है
20	श्री आर.जी. अहिरवार	कार्रवाई प्रक्रियाधीन
21	श्री एच.एस. भल्ला,(से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
22	श्री व्ही.पी. चौब ,(से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
23	श्री आई.पी.एस. तोमर, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
24	श्री आर.पी. सिंह,(से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
25	श्री आर.जी. मेहरा, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
26	श्री चिरंजीव सरकार	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
27	श्रीमती मनीषा सरकार	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

28	श्री जी.एस. धुर्वे	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
29	श्री एम.एस. केरकेट्टा,, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
30	श्री एम.जी. श्याम कुवर, स्वर्गवास	विभागीय ओदश दिनांक 13.07.2022 द्वारा संबंधित की दिनांक 18.08.2021 को मृत्यु होने के कारण बताओ सूचना पत्र समाप्त किया गया।

Rg

क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	श्री एन.एस. पटेल, तत्का. सहायक संचालक उद्यान, जांजगीर चांपा के द्वारा बीज क्रय, बीज निगम के द्वारा, दर अनुमोदन में नहीं होने के कारण, भंडार क्रय नियम 2002 का उल्लंघन ।	देय पेंशन की राशि में से 5 प्रतिशत की राशि 1 वर्ष के लिए, रोका गया, कार्यवाही पूर्ण ।



ii = &Q

कं.	सीवीड/ह्युमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
	अधिकारी का नाम	अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	श्री सतीश सिंह,	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है
2	श्री तोषण कुमार चन्द्राकर	02 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है
3	श्री व्ही. के. गौतम,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	श्री हितेन्द्र मेश्राम	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
5	श्री कमलेश कुमार साहू,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
6	श्री सी. डी. सिंह,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
7	श्रीमती आकांक्षा सिन्हा,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
8	श्री मोहन साहू,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
9	श्री निधान सिंह कुशवाहा	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
10	श्री आर. एन. पाण्डेय	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
11	श्री नारायण सिंह लावत्रे	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
12	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
13	श्री आर. एस. वर्मा,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
14	श्री पतराम सिंह पैकरा,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
15	श्री डिकलेश कुमार,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
16	श्री कैलाश सिंह,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
17	श्री मनोज कुमार अम्बष्ट,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
18	श्री नीरज कुमार शाहा,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
19	श्री अजय सिंह कुशवाहा	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
20	श्री डी.एस. कुशवाहा,	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
21	श्री एल.एल रात्रे, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
22	श्री आर.एस.ए. भदौरिया, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
23	श्री पी.एन. तिवारी, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।



24	श्री एन.एस. तोमर, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
25	श्री के.के. पाण्डेय, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
26	श्री अरूण कुमार ग्वाल, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
27	श्री विनायक मानापुरे, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
28	श्री रघुराज सिंह चौहान, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
29	श्री एस.आर. एस. यादव, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
30	श्री रामबरन सिंह बघेल, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
31	श्री एन.एस. पटेल, (से.नि)	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
32	स्व. श्री कृष्णकांत मिश्रा,	मृत्यु , कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Raj


पारोशेष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2340) की जानकारी

प्रपत्र- "अ"

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी


क्रमांक	वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना	26	1	25
2		राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना	12	1	11
3		अंत्योदय स्वरोजगार योजना	2	2	0
4		आदिवासी स्वरोजगार योजना	2	2	0
		योग :-	42	6	36
5	2022-23	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना	1	0	1
6		अंत्योदय स्वरोजगार योजना	2	2	0
7		आदिवासी स्वरोजगार योजना	0	0	0
		योग :-	3	2	1
8	2023-24	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	120	120	0
9		आदिवासी स्वरोजगार योजना	3	3	0
		योग :-	123	123	0
		महायोग :-	168	131	37


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“ब”

(लाखों में)

विकासखण्डवार	वर्ग	हित. संख्या	राशि
मालखरौदा	अनुसूचित जाति	32	11.81
डभरा	अनुसूचित जाति	93	9.30
	योग :-	125	21.11
मालखरौदा	अनुसूचित जनजाति	03	0.30
डभरा	अनुसूचित जनजाति	03	8.91
	योग	06	9.21
	महायोग	131	30.32



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर


पारोक्ष - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2343) की जानकारी

प्रपत्र

विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा की सहकारी समितियों में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 05.02. 2024 तक खरीफ एवं रबी मौसम में भण्डारित बीज की वर्षवार, विकासखण्डवार, मौसवार, फसलवार, संस्थावार जानकारी

क.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मौसम	सहकारी समितियों में भण्डारित बीज का विवरण					
				फसल	मात्रा (क्वि. में)	आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम			
1	2021-22	डभरा	खरीफ	धान	9657.30	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.			
				गेहूं	200.00				
			रबी	सरसों	4.80				
				योग	9862.10				
		मालखरौदा	खरीफ	धान	3016.50				
			रबी	गेहूं	20.00				
			योग	3036.50					
		महायोग					12898.60		
		2	2022-23	डभरा	खरीफ		धान	8903.40	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.
							ढेचा	3.70	
अरहर	30.24								
मूंग	0.24								
रबी	गेहूं				300.00				
	चना				5.10				
	सरसों				5.80				
योग				9248.48					
मालखरौदा	खरीफ			धान	2710.50				
	योग			2710.50					
महायोग				11958.98					
3	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 05 फरवरी 2024 तक)	डभरा	खरीफ	धान	7527.30	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.			
				गेहूं	126.80				
			रबी	चना	5.10				
				योग	7659.20				
		मालखरौदा	खरीफ	धान	2164.80				
		योग					2164.80		
महायोग				9824.00					


अवर सचिव

छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - अनठावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2363) की जानकारी

प्रपत्र-अ
राशि रु. (लाख) में

क्र.	जिला	विकासखंड/नगरीय निकाय का नाम	संवाचित गोठान की संख्या	वित्तीय वर्ष	मद	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	गोबर कच के भुगतान की सवित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	धरसीवा	39	2022-23	मनरेगा	7	132.58	112.28	8.11
2		आरंग	39	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
3		अभनपुर	100	2022-23	मनरेगा	8	151.52	101.16	53.02
4		तिल्वा	100	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
5		माना नगर	71	2022-23	मनरेगा	28	530.32	363.75	32.05
6		आरंग नगर	71	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
7		अभनपुर नगर	89	2022-23	मनरेगा	2	38.23	30.26	10.35
8		गोबरानवापारा नगर	89	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
9		कुरा नगर	1	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
10		बिरगांव नगर	1	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
			3	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
			3	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
			3	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
			1	2023-24 31 दिसंबर 2023	अधिसंरचना मद	1	19.11	19.11	0.00
			1	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
			1	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
			1	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
			1	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
			3	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
			3	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
			9	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00

क्र.	जिला	विकासखंड/नगरीय निकाय का नाम	स्थापित गठान की संख्या	वित्तीय वर्ष	मद	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	गोबर क्रय के भुगतान की संवित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		रायपुर नगर	9	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
12		तिल्दा नेवरा नगर	1	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
13	रायपुर	खरोरा नगर	1	2023-24 31 दिसंबर 2023	-	0	0.00	0.00	0.00
14		समोदा नगर	3	2022-23	-	0	0.00	0.00	0.00
15		चंद्रखुरी नगर	1	2023-24 31 दिसंबर 2023	अधोसंरचना मद	1	19.11	19.00	0.00
16		मदिर हसौद नगर	1	2022-23	अधोसंरचना मद	1	19.11	0.00	19.11
		वर्षवार योग	325	2023-24 31 दिसंबर 2023		48	909.98	645.56	122.64
		सहायोग	325	2023-24 31 दिसंबर 2023		48	909.98	645.56	122.64

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

क्र.	जिले का नाम	वि.ख. का नाम	वित्तीय वर्ष	गोठानों में गाय की मृत्यु संख्या
1	2	3	4	5
1	गरियाबंद		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
2	धमतरी		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
3	बलौदाबाजार		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
4	महासमुंद		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
5	रायपुर	रायपुर नगर	2022-23	21
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
6	कबीरधाम		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
7	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
8	दुर्ग		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
9	बालोद		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
10	बेमेतरा		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
11	मोहला-मानपुर-अं.चौकी		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
12	राजनांदगांव		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
13	कोरबा		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0

क्र.	जिले का नाम	वि.ख. का नाम	वित्तीय वर्ष	गोठानों में गाय की मृत्यु संख्या
1	2	3	4	5
14	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
15	जांजगीर चाम्पा	पामगढ़	2022-23	1
		अकलतरा	2023-24 (31 दिसंबर 2023)	37
16	बिलासपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
17	मुंगेली		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
18	रायगढ़		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
19	सक्ती		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
21	कोरिया		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
22	जशपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
23	बलरामपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
24	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
25	सरगुजा		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
26	सूरजपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
27	कांकेर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
28	कौंडागांव		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0

क्र.	जिले का नाम	वि.ख. का नाम	वित्तीय वर्ष	गोठानों में गाय की मृत्यु संख्या
1	2	3	4	5
29	दन्तेवाड़ा		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
30	नारायणपुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
31	बस्तर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
32	बीजापुर		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
33	सुकमा		2022-23	0
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	0
योग			2022-23	22
			2023-24 (31 दिसंबर 2023)	37
वर्षवार				59

(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2373) की जानकारी

प्रपत्र-अ

चिराग योजना अंतर्गत बजट प्रावधान एवं स्वीकृत/आबंटित राशि की वर्षवार जानकारी

(राशि लाख में)

क्रमांक	विवरण	वर्षवार जानकारी					योग
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
1	बजट प्रावधान	700.00	5000.00	15000.00	638.01	20000.00	41338.01
2	स्वीकृत/आबंटित राशि	0.00	0.00	9750.00	0.00	0.00	9750.00



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

चिराग योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से किये गए घटकों का कार्यवार विवरण की जानकारी

(राशि रुपये में)

स.क्र.	घटकवार कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	सामुदायिक सशक्तिकरण और संस्थागत निर्माण	
1.1	सहभागी ग्राम योजना और सामुदायिक संस्था निर्माण	
1.1.1	एकीकृत ग्राम योजना	2,69,54,664
1.1.2	ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी	0
1.2	पारिवारिक खाद्य उपलब्धता एवं पोषण संबंधी व्यवहार	0
	योग (1)	2,69,54,664
2	विविधीकृत, खाद्य और पोषण आधारित कृषि प्रणालियाँ	
2.1	समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
2.1.1	मृदा एवं जल संरक्षण	0
2.2	एकीकृत खाद्य एवं पोषण आधारित कृषि	
2.2.1	कृषि विकास	0
2.2.2	पशुधन विकास	0
2.2.3	मत्स्य पालन विकास	0
2.2.4	कृषि वानिकी	0
2.2.5	प्रदर्शन	0
2.2.6	प्रशिक्षण	2,89,900
2.2.7	कैंडर प्रशिक्षण	0
2.2.8	चक्रीय निधि	0
	योग (2)	2,89,900
3	मूल्य संवर्धन और बाज़ार पहुंच	
3.1	पोषण के लिए मूल्य संवर्धन	
3.1.1	ग्राम स्तर पर फसल कटाई के बाद, प्राथमिक प्रसंस्करण संरचना और ग्रामीण हाट	5,00,000
3.2	मूल्य संवर्धन और लाभदायक बाज़ारों तक पहुंच	
3.2.1	एफ.पी.ओ. प्रमोशन	0
3.2.2	ग्रामीण हाट	0
3.2.3	बाज़ार संवर्धन गतिविधियाँ, IEC और कार्यक्रम	0
3.2.4	बाजार भागीदारी, इंटेलेजेंस, व्यवसाय विकास के लिए मूल्य श्रृंखला टीम	63,76,674
	योग (3)	68,76,674
4	कोविड-19 प्रतिक्रिया	
4.1	आजीविका बहाली और समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	0
4.2	त्वरित फोकस समुदाय और व्यक्तिगत बाढ़ी के माध्यम से पोषण संवर्धन	0
4.3	संचार और जागरूकता	0
	योग (4)	0
5	परियोजना निगरानी और प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन और राज्य क्षमता	
5.1	परियोजना प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और सीखना	
5.1.1	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई - वेतन	3,86,24,845
5.1.2	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई - अन्य ओवरहेड्स	41,64,702
5.1.3	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई	0.00
5.1.4	कार्यालयों को सुसज्जित करना	1,48,20,279
5.1.5	कार्यालय परिचालन लागत	1,08,33,456
5.1.6	एम एंड ई और एमआईएस प्रणाली का कार्यान्वयन	2,08,63,380
5.1.7	कर्मचारियों और प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण	27,93,972
5.2	ज्ञान प्रबंधन और राज्य क्षमता को मजबूत करना	
5.2.1	ज्ञान प्रबंधन, नवाचार निधि (राज्य और जिले) और कर्मचारी क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय भागीदारी	0
5.2.2	जिला नवाचार	0
	योग (5)	9,21,00,634
	योग (1+2+3+4+5)	12,62,21,872



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

कृषि विकास एवं किसान कल्याण


तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2376) की जानकारी

प्रपत्र

जिला का नाम	तहसील	वर्ष	मौसम	लैम्पस के माध्यम से बीमित कृषक संख्या	लैम्पस द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि (लाख रु में)	
1	2	3	4	5	6	
कबीरधाम	बोड़ला	2021	खरीफ	12230	115.00	
	पंडरिया			2167	29.94	
	खरीफ 2021 योग				14397	144.94
	बोड़ला	2021-22	रबी	2881	22.69	
	पंडरिया			1549	12.11	
	रबी 2021-22 योग				4430	34.81
	खरीफ एवं रबी 2021-22 योग				18827	179.75
	बोड़ला	2022	खरीफ	13859	118.25	
	पंडरिया			2698	42.37	
	खरीफ 2022 योग				16557	160.62
	बोड़ला	2022-23	रबी	3577	23.75	
	पंडरिया			1612	16.54	
	रबी 2022-23 योग				5189	40.29
	खरीफ एवं रबी 2022 -23 योग				21746	201.01
	बोड़ला	2023	खरीफ	15552	138.77	
पंडरिया	3657			55.46		
खरीफ 2023 योग				19209	194.24	
महायोग (वर्ष 2021-22 , 2022-23 एवं 2023)				59782	575.00	


(अमित कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

सही/-
 संचालक कृषि
 छ.ग. रायपुर

आडिट रिपोर्ट वर्ष 2003-04 से 2008-09 के कंडिका क्रमांक 38

38 - सीड एवं फल सब्जी ग्रेडिंग मशीन प्लांट का क्रयण मूलदर से कय नही करने पर अधिक भुगतान के फलस्वरूप राशि रु. 3519647.00 की हानि एवं अन्य अनियमितताएं :-

राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर द्वारा राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर से सीड एवं फल सब्जी ग्रेडिंग मशीन प्लांट का कयण अधीनस्थ मंडी समितियों के लिए मूल दर पर कय करने के स्थान पर विक्रय दर से किया जा कर अधिक भुगतान किया गया। जिससे निकाय को राशि रु 3519647.00 की हानि हुई है। जो संबंधित उत्तरदायी से वसूली योग्य है। अधिक भुगतान का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.	पत्र क्र. दि.	राशि	कय दर	मूल दर	अंतर राशि	मशीन संख्या	कुल अंतर राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14/27.10.2005	95,61,654.00	10,62,406.00	95,11,95.00	11,12,11.00	9 एन ओ एस	1000899.00
2	56/12.9.2006	5295415.00	1059083.00	951195.00	107888.00	5 एन ओ एस	539440.00
3	545/18.10.2007	8187493.00	3038716.00	2729164.00	3095520.00	4 एन ओ एस	1238208.00
4	690/27.11.2007	928655.00					
5	27/02.05.2008	3038716.00					
6	252/24.07.2008	6481455.00	3009498.00	2729164.00	280334.00	2 एन ओ एस	560668.00
7	396/24.09.2008	1620363.00	1041411.00	951195.00	90216.00	2 एन ओ एस	180432.00
योग							3519647.00

भंडार कय नियम के नियम 9 के तहत एक विभाग द्वारा अन्य विभाग/उपक्रम से मूल दरों पर कय किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उक्त प्लांट कयण के दौरान राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर बोर्ड की ईकाई के रूप में समाहित/कार्यरत था। इस प्रकार नियम विपरीत प्लांट का कयण मूल दर पर नहीं किये जाने से राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर को राशि रु. 3519647.00 का अधिक भुगतान किया गया इससे बोर्ड को हानि हुई जो संबंधित उत्तरदायी से वसूली योग्य है।


उपरोक्त अधिक भुगतान के अतिरिक्त ग्रेडिंग मशीन कयण में अनियमितताये परिलक्षित हुई है जो इस प्रकार है :-

- (1) मुख्य सचिव छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समिति की बैठक दिनांक 24.01.2008 की कार्यवाही विकास की कंडिका 05 के परिशिष्ट 5 के अंतर्गत 5 नग ग्रेडिंग मशीन प्रति मशीन यूनिट रु. 16 लाख के मान से कुल रु. 80.00 लाख की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने हेतु डी.जी.एस. एण्ड डी. दर अथवा छ.ग. शासन वित्त विभाग की सहमति से कयण की शर्त थी। किन्तु इन शर्तों का पालन नहीं किया गया।

- (2) संचालक मंडल की बैठक दिनांक 30.08.2006 के विषय क्रमांक 3 अनुसार प्रदेश के नौ शहरों में प्रस्तावित फल एवं सब्जी मंडी परियोजना तहत 4 मंडियों हेतु अनुमोदन दिया गया था किन्तु (व्हीट) गेहूँ दरों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
- (3) सीड ग्रेडिंग मशीन मूल्य पर सूची अनुसार क्यण ग्रेडिंग मशीन प्लांट बेस आन व्हील है। जो प्रदेश के मंडियों हेतु तकनीकी दृष्टि से उचित है का तकनीकी अभिमत नस्ती आदि में नहीं पाया गया।
- (4) सीड एवं फल-सब्जी ग्रेडिंग मशीन प्लांट का क्यण राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर के द्वारा मेसर्स ओसाव ईडंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड अंबाला हरियाणा से किया गया किंतु उक्त फर्म का डी.जी.एस.एण्ड डी. में पंजीकृत एवं निर्माता फर्म के रूप में सामग्री सांपत्तिक प्रकृति की होने का प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया।
- (5) क्य समिति से मशीनरी क्यण की अनुशंसा नहीं पाई गई।
- (6) प्रमाणक क्रमांक 1045 दिनांक 31.03.2009 द्वारा 4 नग मशीन का भुगतान रू. 7621452.00 किया गया था। किंतु संचालक मंडल से दरों की पूर्व स्वीकृति एवं अनुबंध किया जाना नहीं पाया गया। अनुबंध के अभाव मशीनरी के संधारण अवधि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई।
- (7) सीड एवं फल-सब्जी ग्रेडिंग मशीन के निरंतर कार्य संचालन संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र मंडियों से प्राप्त किया जाना नहीं पाया गया।

इस प्रकार राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर से ग्रेडिंग मशीनरी प्लांट का क्यण मूल दर से क्य करने पर राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड रायपुर को राशि रू. 3519647.00 की हानि संभावित है जो संबंधित उत्तरदायी से वसूली योग्य है तथा क्यण संबंधी अनियमितताओं के निराकरण अपेक्षित है।

अतः अधिक भुगतान के फलस्वरूप हानि की राशि रू. 3519647.00 की वसूली उत्तरदायी से की जाकर एवं अनियमितताओं के निराकरण से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2383) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 में तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन की जानकारी

इकाई-हेक्टेयर

क्र.	जिला	तिल	राई/सरसों	सोयाबीन	सूर्यमुखी	अंडी	मूंगफली	अलसी	कुसुम	रामतिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	105.29	661.43	15.48	0.00	0.00	85.19	0.00	0.00	0.21
2	बलौदाबाजार	85.43	65.73	226.65	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
3	गरियाबंद	56.24	9.16	0.33	0.00	0.18	186.69	0.00	0.00	1.22
4	महासमुन्द	107.78	8.39	0.00	0.28	0.00	1777.47	0.00	0.00	0.00
5	धमतरी	11.95	1625.10	0.00	0.20	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
6	दुर्ग	48.91	1973.42	2029.39	2.26	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
7	बालोद	62.01	773.79	7.24	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
8	बेमेतरा	60.98	98.94	2831.76	0.15	0.00	802.16	0.00	0.00	0.00
9	राजनांदगांव	54.84	349.05	2131.64	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	मानपुर मोहला	34.19	91.21	6.50	5.40	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
11	खैरागढ़	78.00	12.41	10719.01	0.46	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
12	कबीरधाम	39.13	30.45	6193.88	0.91	0.13	732.75	0.00	0.00	240.81
13	बिलासपुर	17.82	37.69	0.04	0.00	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
14	गौरला पेण्ड्रा मरवाही	146.05	57.73	2.89	0.00	0.00	192.63	0.11	0.00	9.86
15	मुंगेली	20.12	14.39	138.89	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
16	जांजगीर	14.63	1.95	0.00	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
17	सक्ती	11.24	24.50	0.00	0.00	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
18	कोरबा	691.80	10.04	0.00	0.00	0.00	97.54	0.04	0.00	16.01
19	रायगढ़	1748.00	8.71	1.08	0.02	0.00	1909.38	0.47	0.00	77.81
20	सारंगढ़	28.12	4.15	0.00	0.10	0.00	558.76	0.06	0.00	0.59
21	सरगुजा	127.09	22.61	0.00	0.75	0.77	1231.95	1.89	0.00	873.78
22	सूरजपुर	1138.90	167.06	0.00	0.04	0.38	2514.67	1.67	0.00	115.13
23	बलरामपुर	4106.01	4319.82	0.52	0.49	0.00	561.20	2.64	0.68	871.10
24	जशपुर	459.43	36.12	2.84	1.63	8.54	4006.26	9.90	0.66	4710.67
25	कोरिया	203.24	151.08	0.00	0.00	0.00	304.20	0.25	0.55	84.68
26	मनेन्द्रगढ़	791.97	11.73	0.00	0.00	0.00	26.51	0.52	0.00	33.80
27	जगदलपुर	169.54	9.35	1.75	0.05	0.40	3.07	9.64	0.00	1748.41
28	कौडागांव	9.98	6.11	0.30	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	240.35
29	नारायणपुर	2.84	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51
30	दंतेवाड़ा	32.14	35.27	5.59	0.00	0.12	0.45	1.10	0.00	139.49
31	सुकमा	1080.31	3.21	0.00	0.02	0.00	0.80	0.00	0.00	0.30
32	बीजापुर	1.05	0.92	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.41
33	कांकेर	28.90	14.65	5.33	1.39	0.00	0.44	0.06	0.00	80.89
	राज्य योग	11573.93	10636.99	24321.11	15.17	10.52	15914.80	28.35	1.89	9260.06



(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारिशेष्य - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 2398) की जानकारी

प्रपत्र

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

::परिपत्र::

कं. 144 /रा.मं./बिलासपुर

दिनांक: 22.7.2021

माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. राजस्व मण्डल के समक्ष मुद्रांक अधिनियम से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों, संभागायुक्त एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विचाराधीन अधिकांश प्रकरणों के संबंध में कुछ बातें संज्ञान में आई हैं, जो राज्य के राजस्व हितों के अनुकूल नहीं हैं। यथा एक मामले में सचिव, छ.ग. शासन, पंजीयन विभाग ने दलील पेश की, कि उसके जिला पंजीयक, जांजगीर-चांपा द्वारा गाईड लाईन नियमों का उल्लंघन करते हुए औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की दर पर कर दिया गया है।

ऐसी कुछ शिकायतें भी मेरी संज्ञान में आई हैं कि स्वयं को न्यायालय घोषित करते हुए जिला पंजीयक द्वारा कृषि भूमि के विक्रय विलेख पर छूट देकर स्टांप व पंजीयन शुल्क माफ कर दिया गया है अथवा स्टांप अधिनियम के तहत प्राप्त व्यापक अधिकारों के प्रयोग में लोप करते हुए उद्योगों के पक्षकारों द्वारा किए गए मूल्यांकन को बिना बाजार मूल्य निर्धारित किए ही अनुमोदित कर दिया गया है, जबकि ऐसे प्रकरणों में अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वास्तविक प्रतिफल जानने एवं तदनु रूप स्टांप शुल्क लगाने का कर्तव्य जिला पंजीयक व संबंधित कलेक्टर का होता है। एक प्रकरण में जिला पंजीयक द्वारा की गयी त्रुटि से सम्यक स्टांपित होने का प्रमाण-पत्र, स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना, जारी करने के कारण करोड़ों रूपए की राशि विगत 20 वर्षों से न्यायालयों में विवादित थी।

अथ ही स्टांप अधिनियम में अन्य कराधान नियमों की तरह ब्याज का प्रावधान नहीं होने और अपील के पूर्व विवादित कर का जमा किए जाने बाबत कोई प्रावधान नहीं होने के कारण मामले अपील दर अपील व सालों से लंबित रहते हैं और इस शास्ति राशि का इस्तेमाल संबंधित पक्षकारों द्वारा अपने हित में किया जाता है।

पंजीयन विभाग स्टांप अधिनियम के तहत स्टांप विधि व पंजीयन विधि का प्रशासन और राज्य शासन के लिए अधिकाधिक राजस्व संग्रहण का कार्य करता है। किसी भी विभाग का पूरा ढाँचा अपने विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना होता है। अगर उस विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी ही विभाग के नियमों/नीतियों का उल्लंघन करेगा और उस विभाग को अपील करनी पड़े, तो यह स्थिति प्रशासनिक दृष्टि से अच्छी नहीं है। स्टांप विभाग भी आयकर, विक्रय कर विभागों की तरह एक कराधान (राजस्व) विभाग है। अन्य कराधान विधि की तरह स्टांप विधि में कलेक्टर कर निर्धारण अधिकारी होते हैं। स्टांप विधि के तहत मूलतः जिला कलेक्टर, कलेक्टर ऑफ स्टांप है तथा उनके अधीनस्थ कई अधिकारियों यथा जिला पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पंजीयक को कलेक्टर ऑफ स्टांप के अधिकार दिए गए हैं। छ.ग. राज्य में कलेक्टरों द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टांप की शक्तियों का प्रयोग समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। यह राज्य के राजस्व की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश प्रकरणों का निराकरण जिला पंजीयकों द्वारा ही कलेक्टर की शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है।

यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि स्टांप अधिनियम की शक्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टांप विधि के प्रयोग हेतु कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी हैं। यह भी एक तथ्य है कि स्टांप अधिनियम की कुछ धाराओं जैसे धारा 31, 33, 35, 40, 47—क जिनमें जाँच तथा साक्ष्य आवश्यक है, में कलेक्टर को अर्धन्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले का निपटारा करने की शक्ति निहित है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि प्रशासनिक प्राधिकारी होने का अर्थ न्यायालय होना नहीं है। कलेक्टर ऑफ स्टांप किसी भी विधि या अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नहीं है। स्टांप अधिनियम के अधीन कलेक्टर, भू-राजस्व संहिता का कलेक्टर नहीं होता, बल्कि राजस्व वसूली के लिए जिला पंजीयकों को राजस्व अधिकारी की शक्तियाँ दी गयी हैं।

स्टांप अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्ति प्रयोग करने वाले अधिकारियों को जाँच का व्यापक अधिकार दिया गया है, ताकि वे किसी लिखत के संबंध में सही-सही प्रतिफल या बाजार मूल्य की गणना करें, ताकि राजस्व का अपवंचन न हो। लेकिन अगर ऐसी शक्तियों के


बावजूद वे प्रतिफल की राशि या सही बाजार मूल्य का अवधारण करने में असफल रहते हैं, तो यह राजस्व हित के प्रतिवूल है। वर्ष 2000 तक कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के लिए गाईड लाईन मार्गदर्शिका (जिसे सर्कल रेट, कलेक्टर रेट आदि के नामों से जाना जाता था) जारी किया जाता था, जिसका कोई विधिक महत्व नहीं था तथा प्रकरण विशेष में बाजार मूल्य निर्धारित करते समय कलेक्टर अपने द्वारा जारी बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से बाध्य नहीं था, किंतु वर्ष 2000 में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क और धारा 75 का प्रयोग करने हेतु राज्य शासन द्वारा "बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों और उसका पुनरीक्षण नियम 2000" बनाया गया, जो वैधानिक प्रभाव रखता है। विधायन का मान्य सिद्धांत है कि *Later will prevel over earilier*. इस नियम में मानक बाजार मूल्य निर्धारित करने और विधिक आधार पर उसका पुनरीक्षण करने के लिए उपखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर विभागीय कमेटियाँ बनाने का प्रावधान है। बाजार मूल्य नियम 2000, पूर्व के न्यून मूल्य निवारण नियम 1975 पर अध्यावरोही प्रभाव रखता है। अतः उच्च प्राधिकारी विधि की प्रक्रिया का पालन कर तथा न्यून मूल्य निवारण नियम की कंडिका 5 के प्रावधानों को भी विचार में लेकर, निर्धारित किए गए बाजार मूल्य पर, अधीनस्थ अधिकारी इसी कंडिका 5 के तहत पुनः विचारण नहीं कर सकता।

इसके बाद इसी नियम 5 के तहत निर्धारित बाजार मूल्य का अनुमोदनकर्ता अधिकारी के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी किसी स्थान विशेष के बाजार मूल्य में हो सकने वाले विचलनों को ध्यान में रखकर केंद्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा उपबंध बनाया गया है। किसी संपत्ति की विशेष स्थिति को देखते हुए गाईड लाईन दर में कमी या वृद्धि की जा सकती है, किंतु विधि अनुसार। यदि कलेक्टर को लगता है कि किसी स्थान विशेष में गाईड लाईन दर में कोई कमी या वृद्धि किया जाना उचित होगा, तो ऐसा वह स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क के तहत विधि की प्रक्रिया से विभाग द्वारा बनाए गए उपबंध के दायरे में रहकर ही कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल संभावित है तो उपबंध के प्रावधान का उपयोग कर, वह भूमि का बाजार मूल्य 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है या कोई भवन बहुत पुराना या जर्जर प्रतीत होता है तो उपबंध के दायरे में रहकर उसका लाभ भी दे सकता है।

उपबंध का उल्लंघन करते हुए अनुपातहीन छूट देकर बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी यदि कलेक्टर को लगता है कि यदि कोई बाजार मूल्य नियमों के तहत निर्धारित मूल्य, उपबंधों के प्रयोग के बाद भी अतार्किक, असंगत एवं अनुचित है, तो वह बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत नियम की कण्डिका 11 का पालन करेगा और विसंगति को सक्षम अधिकारी अर्थात् महानिरीक्षक, पंजीयन के संज्ञान में लाएगा जो ऐसे प्रकरण में ऐसी विसंगति को दूर करने में सक्षम है। अतः बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत बनाई गई गाईड लाईन दर का उल्लंघन कलेक्टर या किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह गंभीर कदाचरण, निर्देशों, नियमों का उल्लंघन व अनुशासनहीनता है।

भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 56 (1) की शक्तियों के प्रयोग में माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल के आदेशानुसार।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)




सचिव

छ.ग. राजस्व मण्डल
बिलासपुर

कं. 144A / रा.मं. / बिलासपुर
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 22-7-2024

1. सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य कर, पंजीयन विभाग को आपके अधीनस्थ भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्ति रखने वाले समस्त अधिकारियों की ओर भेजने हेतु।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को आपके क्षेत्राधिकार में समस्त पंजीयन अधिकारियों की ओर भेजने हेतु।
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़।



सचिव

छ.ग. राजस्व मण्डल
बिलासपुर

पारोशष्ट - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 2407) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

आबंटन/अंतरण की शर्तें तथा दर की जानकारी

1. आबंटन/अंतरण की शर्तें:-

➤ अनुमानित परियोजना लागत

1. अनुमानित परियोजना लागत = भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गफीट में) x अधिकतम एफ.ए.आर. x निर्माण लागत
2. निर्माण लागत 1865 रु. प्रति वर्गफीट मानी जायेगी।

➤ न्यूनतम तकनीकी अर्हताएँ:

1. पिछले 5 वित्तीय वर्षों में निविदाकार द्वारा एलिजिबल सेक्टर्स में अनुमानित परियोजना लागत के बराबर राशि (तकनीकी सीमा क्षमता) के विकास/निर्माण हेतु व्यय किया गया हो या राजस्व अर्जित किया गया हो।
2. एक परियोजना हेतु विकास/निर्माण में व्यय अथवा राजस्व तकनीकी सीमा क्षमता के 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

➤ न्यूनतम वित्तीय अर्हताएँ:

1. निविदाकार का नेटवर्थ पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमानित परियोजना लागत का न्यूनतम 25 प्रतिशत होना चाहिए।


➤ रिजर्व प्रीमियमदर/बेसरेट (रु. प्रति वर्गमीटर)

स. क्रं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल	बेस रेट (रु.प्रति वर्ग.मी.)
1	आमोद-प्रमोद	0 से 1 एकड़ तक	4167
2		1 से 5 एकड़ तक	3700
3		5 से 10 एकड़ तक	3283
4		10 से 20 एकड़ तक	2867
5		20 से 50 एकड़ तक	2450
6		50 एकड़ से अधिक	730

➤ भुगतान की शर्तें एवं निर्माण समय-सीमा

1. आबंटिती द्वारा आबंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस के भीतर 25 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर शेष 75 प्रतिशत प्रीमियम राशि हेतु बैंक गारंटी जमा किया जाना अथवा 100 प्रतिशत प्रीमियम राशि का किया जाना अनिवार्य होगा।
2. बैंक गारंटी जमा किये जाने पर शेष 75 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान 03 वर्ष में 04 किश्तों में (10 प्रतिशत + 20 प्रतिशत + 20 प्रतिशत + 25 प्रतिशत) में 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जाना होगा।
3. आबंटिती को अनुबंध तिथि से 1 वर्ष के भीतर सभी अनुज्ञाप प्राप्त करना होगा।
4. आबंटिती को अनुबंध तिथि से 03 वर्ष के भीतर अधिकतम बिल्ट-अप एरिया के 30 प्रतिशत का निर्माण किया जाना होगा।
5. आबंटिती को अनुबंध तिथि से 05 वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आबंटिती को अनुबंध तिथि से 05 वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।


2. सफल निविदाकार का चयन: उच्चतम निविदात्त दर वाले निविदाकार को सफल निविदाकार माना जायेगा।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र 'ब'

प्राधिकरण के द्वारा आमोद-प्रमोद की भूमि में से वर्ष 2019 से 2023 तक आबंटित भूमि तथा दर की जानकारी

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023			
आबंटिती	कोई आबंटन नहीं	कोई आबंटन नहीं	मेसर्स बारबरीक प्रोजेक्ट्स लि.	कोई आबंटन नहीं	मेसर्स बंसल इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	मेसर्स बारबरीक प्रोजेक्ट्स लि.	मेसर्स मोशवर्य इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	मेसर्स मोशवर्य इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
भूखण्ड क्षेत्रफल (एकड़ में)			10.82		8.56	13.35	3.20	2.17
आबंटन दर			2710		4158	2721	5918	5272


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 2408) की जानकारी

प्रपत्र-अ

1 जनवरी 2019 से 30 नवम्बर 2023 तक 'रिक्त पदों पर सीधी भर्ती' करने के संबंध में विभागवार जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	पदों की श्रेणीवार पद संख्या				
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	गृह विभाग	6	1098	6359	145	7608
2	जेल विभाग	0	0	66	17	83
3	परिवहन विभाग	0	0	150	19	169
4	विमानन विभाग	12	0	6	0	18
5	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	0	20	48	0	68
6	बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0
7	वित्त विभाग	0	8	141	35	184
8	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	0	1	105	0	106
9	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन)	0	0	42	15	57
10	वाणिज्यिक कर विभाग (जी.एस.टी.)	0	12	152	42	206
11	संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	0	0	0	0	0
12	पर्यटन विभाग	2	4	1	0	7
13	समाज कल्याण विभाग	0	12	18	3	33
14	श्रम विभाग	0	6	129	64	199
15	महिला एवं बाल विकास विभाग	0	0	695	21	716
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0	13	212	6	231
17	लोक निर्माण विभाग	0	0	162	0	162
18	जल संसाधन एवं आयाकट विभाग	0	51	362	0	413
19	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	214	2221	2	2438
20	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	1	0	58	15	74
21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	0	29	23	6	58
22	नगरीय प्रशासन विभाग	0	0	0	0	0
23	आवास एवं पर्यावरण विभाग	0	2	19	0	21
24	संसदीय कार्य विभाग	0	0	1	0	1
25	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	0	0	1033	365	1398
26	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	0	651	4167	1565	6383
27	चिकित्सा शिक्षा विभाग	18	171	3364	3093	6646
28	उच्च शिक्षा विभाग	113	121	424	951	1609
29	जनसंपर्क विभाग	0	0	30	12	42
30	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग	0	0	307	0	307
31	स्कूल शिक्षा विभाग	0	3177	20702	0	23879
32	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, जनशक्ति नियोजन विभाग	61	0	486	33	580
33	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0

क्र.	विभाग का नाम	पदों की श्रेणीवार पद संख्या				
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल योग
34	कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	0	226	1155	309	1690
35	मछलीपालन विभाग	0	0	52	14	66
36	पशुधन विकास विभाग	0	0	150	100	250
37	सहकारिता विभाग	0	0	0	0	0
38	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	9	362	21	392
39	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	0	0	0
40	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0
41	जनशिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0	0
42	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुर्नवास विभाग	0	2	89	51	142
43	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	0	0	0	0
44	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	0	0	0	0	0
45	ग्रामोद्योग विभाग	0	2	58	32	92
46	खनिज साधन विभाग	0	25	77	5	107
47	ऊर्जा विभाग	0	4	42	10	56
48	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0	0
	योग-	214	5858	43468	6951	56491

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 नवा रावपुर, अटल नगर

1 जनवरी 2019 से 30 नवम्बर 2023 तक 'नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति' के संबंध में
विभागवार जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	पदों की श्रेणीवार पद संख्या				
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	गृह विभाग	89	146	11361	68	11664
2	जेल विभाग	0	22	107	17	146
3	परिवहन विभाग	0	0	3	0	3
4	विमानन विभाग	1	0	0	0	1
5	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1	1	5	2	9
6	बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0
7	वित्त विभाग	14	19	121	46	200
8	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	6	3	99	0	108
9	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन)	0	0	0	0	0
10	वाणिज्यिक कर विभाग (जी.एस.टी.)	2	12	46	47	107
11	संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	0	0	0	0	0
12	पर्यटन विभाग	0	6	3	0	9
13	समाज कल्याण विभाग	1	3	10	8	22
14	श्रम विभाग	0	5	10	5	20
15	महिला एवं बाल विकास विभाग	0	6	134	11	151
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	6	1	63	14	84
17	लोक निर्माण विभाग	8	15	95	30	148
18	जल संसाधन एवं आयाकट विभाग	9	9	87	35	140
19	वन एवं जलवायु परिवर्तन	13	202	99	36	350
20	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	2	3	61	3	69
21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	13	18	84	34	149
22	नगरीय प्रशासन विभाग	0	0	0	0	0
23	आवास एवं पर्यावरण विभाग	3	7	4	0	14
24	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0
25	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	120	52	520	204	896
26	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	213	261	1265	371	2110
27	चिकित्सा शिक्षा विभाग	864	450	2061	7	3382
28	उच्च शिक्षा विभाग	283	1619	1438	864	4204
29	जनसंपर्क विभाग	16	8	32	5	61
30	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग	5	5	47	6	63
31	स्कूल शिक्षा विभाग	6	3342	3803	497	7648
32	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, जनशक्ति नियोजन विभाग	156	1	664	13	834

क्र.	विभाग का नाम	पदों की श्रेणीवार पद संख्या				
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल योग
33	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0
34	कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	73	308	779	141	1301
35	मछलीपालन विभाग	0	6	16	25	47
36	पशुधन विकास विभाग	1	25	89	158	273
37	सहकारिता विभाग	0	0	0	0	0
38	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	7	24	7	38
39	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	0	0	0
40	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0
41	जनशिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0	0
42	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुर्नवास विभाग	21	147	792	187	1147
43	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2	5	12	3	22
44	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	8	0	20	10	38
45	ग्रामोद्योग विभाग	0	0	0	0	0
46	खनिज साधन विभाग	0	6	35	18	59
47	ऊर्जा विभाग	2	1	1	0	4
48	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0	0
	योग-	1938	6721	23990	2872	35521




विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर, जटल नगर

पॉरीशेए - छेसठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 54 (क. 2412) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	संचालित योजना का नाम	वर्ष में लाभान्वितों की संख्या	
		2021-22	2022-23
1.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	62,348	66,629
2.	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (प्रयास)	498	589
3.	संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010	01	00


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर


पारिशेष - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 2429) की जानकारी

प्रपत्र-अ

उर्वरक के अमानक पाए गए नमूनों की जानकारी
वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2024 तक

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	सहकारी/ शासकीय	निजी	अमानक पाए गए नमूनों का विवरण		
					उर्वरक का नाम	उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनी का नाम	विक्रय केंद्र के विरूद्ध की गई कार्यवाही
7		3	4		7	73	12
1		खैरागढ़	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भूलाटोला	-	एस.एस.पी.	अरिहंत फर्टिलाइजर एंड केमिकल इण्डिया लिमिटेड (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
2		छुईखदान	छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. राजनांदगांव खाद संग्रहन केंद्र, गंडई	-	एस.एस.पी.	श्री गणपति फर्टिलाइजर लिमि., चितौरागढ़, राजस्थान	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
3	2021-22	छुईखदान	छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. राजनांदगांव खाद संग्रहन केंद्र, गंडई	-	एस.एस.पी.	श्री गणपति फर्टिलाइजर लिमि., चितौरागढ़, राजस्थान	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
4		छुईखदान	सेवा सहकारी समिति, बकरकट्टा	-	एस.एस.पी.	बी.ई.सी. फर्टिलाइजर, बिलासपुर	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
5		छुरिया	छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छुरिया	-	एस.एस.पी.	एग्रोफॉस इण्डिया लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
6		मानपुर	-	मेसर्स महामाया कृषि केंद्र ईतवारी बाजार खैरागढ़	28280	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड आंध्र प्रदेश	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
7		छुईखदान	सेवा सहकारी समिति मेढा, डोंगरगढ़	-	एस.एस.पी.	कृष्णा फास्फेट लिमिटेड	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
8		छुईखदान	सेवा सहकारी समिति गंडई, छुईखदान	-	एस.एस.पी.	आरिहंत केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
9	2022-23	खैरागढ़	सेवा सहकारी समिति बरबसपुर, छुईखदान	-	एस.एस.पी.	आरिहंत केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
10		खैरागढ़	-	मेसर्स चू पाख कृषि केंद्र विजलदेही वि.ख. खैरागढ़	20/200/13	पारादीप फास्फेट लिमिटेड ओडिसा	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
11		मानपुर	-	गुप्ता कृषि वस्तु भंडार, खडगाव, मानपुर	एस.एस.पी.	ओसवाल केमिकल	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध
12	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	डोंगरगढ़	-	मेसर्स श्रुति त्रिवेदी वार्ड न.1 नाकापारा, डोंगरगढ़	सॉल्यूबल फर्टिलाइजर 0:52:34	कामधेनू काप साईस एग्रो केमिकल बी-119 फेस न 02 जीआईडीएस वडोदरा गुजरात	संचालक के विरूद्ध उर्वरक निरीक्षक द्वारा कोतवाली थाना में एफ. आई.आर. दर्ज कराया गया।
13		डोंगरगढ़	-	मेसर्स श्रुति त्रिवेदी वार्ड न.1 नाकापारा, डोंगरगढ़	सॉल्यूबल फर्टिलाइजर 19:19:19	कामधेनू काप साईस एग्रो केमिकल बी-119 फेस न 02 जीआईडीएस वडोदरा गुजरात	



अवर सचिव
छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र - ब

कीटनाशकों के अमानक पाए गए नमूनों की जानकारी
वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2024 तक

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	विक्रय केन्द्र का नाम एवं पता (जहाँ से नमूना लिया गया)		अमानक पाए गए नमूनों का विवरण			विक्रय केन्द्र के विरुद्ध की गई कार्यवाही
			सहकारी / शासकीय	निजी	कीटनाशक का नाम	कंपनी / संस्था का नाम	7	
1	2021-22	छुरिया	-	एन.के. कृषि केन्द्र बम्हनी चारभाठा	प्रोफेनोफास 40% + साइपरमेथ्रिन 4% इ.सी.	जेनिथ एग्रोजोन प्राइवेट लिमिटेड, बीरकोनी, महासमुंद	जिले में भण्डारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
2	2022-23	छुरिया	-	जय बंजरग कृषि केन्द्र	क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% इ.सी.	भारत क्रापकेयर दिल्ली		
3	2022-23	राजनांदगांव	छ.ग. राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम लि. राजनांदगांव	-	प्रोफेनोफास 40% + साइपरमेथ्रिन 4% इ.सी.	वीणा एग्रो इण्डस्ट्रीज, 291 मालवी नगर कलाडिया रोड इंदौर (म.प्र.)		
4	2022-23	राजनांदगांव	-	सिन्हा कृषि केन्द्र रामपुर	क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% इ.सी.	ग्रोसेफ कैमिकल्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 991 एम.पी. नगर भोपाल		
5	2023-24 (13 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	डोंगरगढ़	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.खं. डोंगरगढ़ (छ.ग. राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम लि. राजनांदगांव द्वारा भंडारित)	-	प्रोफेनोफास 40% + साइपरमेथ्रिन 4% इ.सी.	मोदी एग्रो प्रोडक्ट गोविंदपुरा भोपाल		
6	2023-24 (13 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	छुरिया	-	लक्ष्मी कृषि केन्द्र, छुरिया	क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% इ.सी.	मोती इनसेक्टसाईड प्रा. लि. वि.-धरमगढ़, पानीपथ रोड, सफीदन, हरियाणा	जिले में भण्डारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
7	2023-24 (13 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	राजनांदगांव	-	नवीन कृषि केन्द्र, सिदाई राजनांदगांव	क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% इ.सी.	यूनाइटेड प्रेस्टीसाईड रायपुर		
8	2023-24 (13 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	राजनांदगांव	-	अन्नपुरा कृषि केन्द्र इंदिरानगर, राजनांदगांव	पायरी प्रोक्सीमिथेन 10% + बाइफेन्ट्रीन 10% इ.सी.	क्राप राइस एग्रोकेस लिमि. मुंबई		
9	2023-24 (13 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)	डोंगरगढ़	-	साई फर्टिलाइजर केन्द्र ढारा, डोंगरगढ़	क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% इ.सी.	सी. सी.बा क्रापसाईस सिकंद्राबाद		


अवर सचिव
छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

बीज के अमानक पाए गए नमूनों की जानकारी
वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2024 तक

क्रं.	वर्ष	विकासखण्ड	विक्रय केन्द्र का नाम एवं पता (जहाँ से नमूना लिया गया)			अमानक पाए गए नमूनों का विवरण		
			सहकारी / शासकीय	निजी	फसल (बीज) का नाम	कंपनी / संस्था का नाम	विक्रय केन्द्र के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2021-22	खैरागढ़	-	अवती कृषि केन्द्र, इतवारी बाजार, खैरागढ़	सोयाबीन	अमित सीड्स, आन्ध्रप्रदेश	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
2		राजनांदगांव	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	-	उड़द	संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करवाना, जिला-हरदा (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
3		राजनांदगांव	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	-	उड़द	संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करवाना, जिला-हरदा (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
4		खैरागढ़	-	जघेल कृषि केन्द्र, खैरागढ़	उड़द	महागुजरात सीड्स, प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
5	2022-23	छुईखदान	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड-छुईखदान (छ.ग. राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम लि. राजनांदगांव द्वारा भंडारित)	-	उड़द	संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करवाना, जिला-हरदा (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
6		मोहला	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड-मोहला (छ.ग. राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम लि. राजनांदगांव द्वारा भंडारित)	-	उड़द	संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करवाना, जिला-हरदा (म.प्र.)	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
7		राजनांदगांव	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	-	धान	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	

क्रं.	वर्ष	विकासखण्ड	विक्रय केन्द्र का नाम एवं पता (जहाँ से नमूना लिया गया)			अमानक पाए गए नमूनों का विवरण		
			सहकारी / शासकीय	निजी	फसल (बीज) का नाम	कंपनी/संस्था का नाम	विक्रय केन्द्र के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8		राजनांदगांव	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	-	धान	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
9	2022-23	राजनांदगांव	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	-	धान	बीज प्रबंधक, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, राजनांदगांव	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
10		राजनांदगांव	बीज प्रक्रिया केन्द्र, राजनांदगांव	-	चना	बीज प्रक्रिया केन्द्र, राजनांदगांव	जिले में भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध	
11	2023-24 (1अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)							

निरंक


अवर सचिव
छ.ग.शासनकृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोक्ष - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 2437) की जानकारी


प्रपत्र-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा संपादित परफॉर्मेंस ऑडिट (दक्षता संपरीक्षा)

क्र.	वित्तीय वर्ष	दक्षता संपरीक्षा हेतु प्रस्तावित विषय	प्रशासकीय विभाग	संपादित दक्षता संपरीक्षा	दक्षता संपरीक्षा का संपादन(संचालनालय / क्षेत्रीय कार्यालय)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	इंदिरा प्रियदर्शिनी पथ प्रकाश योजना	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	इंदिरा प्रियदर्शिनी पथ प्रकाश योजना	समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा	-
		मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम	समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा	-
		जीवन दीप समिति	स्वास्थ्य विभाग	जीवन दीप समिति	समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा	-
2	2021-22	डॉ भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	डॉ भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग	-
		नगर पालिक निगम रायपुर के सीमा क्षेत्र में स्वीकृत विज्ञापन प्रकाशन बोर्ड/होडिंग	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	नगर पालिक निगम रायपुर के सीमा क्षेत्र में स्वीकृत विज्ञापन प्रकाशन बोर्ड/होडिंग	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर - 1	-
		प्री-फेब्रीकेटेड सामुदायिक चलित बायो शौचालय	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	प्री-फेब्रीकेटेड सामुदायिक चलित बायो शौचालय	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	-
		पंचायती राज संस्थाओं में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंचायती राज संस्थाओं में सोलर स्ट्रीट लाईट	क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव	-
		पंचायती राज संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंचायती राज संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	-

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
ना रायपुर, अटल नगर

क्र.	वित्तीय वर्ष	दक्षता संपरीक्षा हेतु प्रस्तावित विषय	प्रशासकीय विभाग	संपादित दक्षता संपरीक्षा	दक्षता संपरीक्षा का संपादन(संचालनालय / क्षेत्रीय कार्यालय)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
		स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	-
		कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीन	कृषि विभाग	कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित ग्रेडिंग मशीन	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर - 2	-
3	2022-23	छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं में श्रद्धाजलि योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं में श्रद्धाजलि योजना	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	-
4	2023-24	छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था पर विद्युत प्रभार	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था पर विद्युत प्रभार	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	मुद्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
		नवीन भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार नवनिर्मित भवनों पर संपत्तिकर निर्धारण एवं निर्धारण से प्राप्त आय	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	दक्षता संपरीक्षा कार्य जारी है।	समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा	-
5	2024-25	पंचायत राज संस्थाओं में राजस्व/कर अपवंचन	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	दक्षता संपरीक्षा कार्य प्रारंभ किया जाना है।	समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा	-



 अरुण सिंह
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय
 रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - उनहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 2449) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	मद का नाम	खरीदी गई सामग्री का नाम	यदि निविदा जारी की गयी तो दिनांक	क्या नियमों का पालन किया गया है,
1	2	3	4	5
2021-22				
1	सामग्री पूर्ति तथा अन्य व्यय	लोहा पलंग	—	हां, छ.ग. शासन भण्डार कय नियम 2002 यथा संशोधित 2004 का पालन किया गया है।
2		डस्टबीन	—	
3		मच्छरदानी	—	
4		ऐन्नाल रेक	—	
5		स्टुडेण्ट डेस्क	—	
6		स्टुडेण्ट बेन्च	—	
7		कुर्सी	—	
8		टेबल	—	
9		बड़ा बाक्स	—	
10		अनाज कोठी	—	
11		विजिटर चेयर	—	
12		तकिया	—	
13		फिनाइल 35 लीटर	—	
14		पंखा	—	
15		दर्दी 15 मीटर	28.02.2022	
16	टाटपट्टी	28.02.2022		
17	लोहा पलंग	—		
18	सामग्री पूर्ति तथा अन्य व्यय	पानी ड्रम	—	
19		थाली	—	
20		थाली	—	
21		ग्लास	—	
22		स्टील पानी जग	—	
23		ट्यूबलाइट	—	
24		बल्ब	—	
25		कडाही	—	
26		कुकर	—	
27		कडाही	—	
28		आलमारी	—	
29		गद्दा	—	
30		लोहा बाल्टी	—	

क्र.	मद का नाम	खरीदी गई सामग्री का नाम	यदि निविदा जारी की गयी तो दिनांक	क्या नियमों का पालन किया गया है,
1	2	3	4	5
31		सेनेट्राइजर	—	
32		हैण्डवास	—	
2022-23				
33	सामग्री पूर्ति तथा अन्य व्यय	फिनाईल 5 लीटर	—	हां, छ.ग. शासन भण्डार कय नियम 2002 यथा संशोधित 2004 का पालन किया गया है।
34		टेबल	—	
35		कुर्सी	—	
36		तखत	—	
37		मच्छरदानी	—	
38	सामग्री पूर्ति तथा अन्य व्यय	गद्दा	—	
39		तकिया	—	
40	डी.एम.एफ मद	सेनेटरी पेड	—	
41		खेल सामग्री	—	
42		म्यूजिक सामग्री	—	
2023-24				
43	सामग्री पूर्ति तथा अन्य व्यय	गद्दा	—	हां, छ.ग. शासन भण्डार कय नियम 2002 यथा संशोधित 2004 का पालन किया गया है।
44		तकिया	—	


अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 2451) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक) में उद्यानिकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के देय भुगतान की योजनावार, एजेन्सीवार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एजेन्सियों/फर्मों को भुगतान का विवरण			रिमार्क
					एजेन्सी/फर्म का नाम	एजेन्सी/फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				नये बगीचों की स्थापना सब्जी क्षेत्र विस्तार पुष्प क्षेत्र विस्तार मसाला क्षेत्र विस्तार संरक्षित खेती जैविक खेती उद्यानिकी यंत्रीकरण इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	-	-	-	कृषकों के प्रकरण देयक प्राप्त होने के बाद एकीकृत के माध्यम से भुगतान किया गया।
		योग	9			0		
1	2021-22	राज्य पोषित योजना	1	आम विभागीय योजना	शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	1.178	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी भाटापारा	0.418	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	0.304	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी कसडोल	4.712	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी विलाईगढ	0.418	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	12.20	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी भाटापारा	4.63	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	3.09	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी कसडोल	3.96	31.03.2022	-
					शासकीय उद्यान रोपणी विलाईगढ	2.99	31.03.2022	-
		हाईटेक नर्सरी वि.खं. बलौदाबाजार			1.75	31.03.2022		

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एजेंसियों/फर्मों को भुगतान का विवरण				रिमार्क
					एजेंसी/फर्म का नाम	एजेंसी/फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		राज्य पोषित योजना	1	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीजोत्पादन	शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	2.27011	21.04.2021	-	
			1		शासकीय उद्यान रोपणी माटापारा	2.60655	21.04.2021		
			1		शासकीय उद्यान रोपणी खरीबिलारी कसडोल	1.0993	21.04.2021		
			1		शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	1.16087	21.04.2021		कृषकों के प्रकरण देयकों के आधार पर डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया गया।
		योग :-	5			42.7823			
		पुरनगठित मौसम आधारित फसल बीमा	1	अधिसूचित फसलो की बीमा	बजाज एलायंस	24.61	08.12.2021 15.12.2023 24.02.2022 15.12.2023		
	2021-22	योग	1			24.61			
					अलंकार बीज मंडार बिलासपुर	1.60425	01.04.2022		
					मां अम्बे दुर्गा एजेन्सी रायपुर	4.67484	01.04.2022		
					मा आदि शक्ति सीड्स एण्ड बायोटेक	3.2598	01.04.2022		
					आचार्य कृषि सेवा केन्द्र कसडोल	0.27888	04.01.2022		
					हर्ष नर्सरी माटापारा	0.4276	22.07.2021		
					ईश्वर मटेरियल सप्लायर कसडोल	1.276	01.04.2022		मजदूरी की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया गया है।
		मनरेगा	1	बीजू पौध एवं अन्य पौध उत्पादन कार्य	जागृति बीज मंडार पलारी	1.31144	01.04.2022		
					कृषि सेवा केन्द्र पलारी	0.09519	30.06.2023		
					हर्ष टेडर्स पलारी	0.58498	02.09.2022		
					महावीर कृषि सेवा केन्द्र सिमगा	0.73255	02.09.2022		
					खान टासपोर्ट सिमगा	0.0846	20.03.2022		
		योग :-	1		महामाया टेडर्स अमनपुर	0.791	20.03.2022		
						15.12113			

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एंजिसियों/ फर्मों को भुगतान का विवरण				रिमाक
					एजेंसी/ फर्म का नाम	एजेंसी/ फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				250 महिला स्वसहायता समूह को पॉवरवीडर वितरण	छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि.	100.8	08.07.2022		
				31 गौठान ग्रामों में स्व सहायता समूह को मसाला ग्राइंड वितरण	छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि.	67.25574	15.06.2022		
			3	31 गौठान ग्रामों में स्व सहायता समूह को मसाला ग्राइंड वितरण	आदित्य इंटरप्राइजेस रायपुर	7.7495	19.04.2022		
				100 गौठान ग्रामों में पॉवरवीडर एवं पल्परग्राइजर वितरण कार्य	ए.एम. इंटरप्राइजेस, सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस एवं आदित्य इंटरप्राइजेस रायपुर	3.11	19.04.2022		
	2021-22				छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि.	21.7	19.04.2022		
			3			123.0	13.07.2022		
						323.6			
			19			406.13	0		
				ओपन पॉलीनेटेड फसल (पब्लिक सेक्टर) धनिया बीजोत्पादन	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	7.00	03.03.2023		
				नये बगीचों की स्थापना	-	-	-		
				सब्जी क्षेत्र विस्तार	-	-	-		
				पुष्प क्षेत्र विस्तार	-	-	-		
				मसाला क्षेत्र विस्तार	-	-	-		
				संरक्षित खेती	-	-	-		
				उद्यानिकी यंत्रिकरण	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	221.07	15.11.2022		
				मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	11.85867	05.10.2023		
2	2022-23	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	8	इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट					कृषकों के प्रकरण देयक प्राप्त होने के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया।
			8			239.93			

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एंजिनियर्स/फर्मों को भुगतान का विवरण				रिमार्क
					एंजिनी/फर्म का नाम	एंजिनी/फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	1.37	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी भाटापारा	1.33	03.02.2023		
			1	आम विमागीय योजना	शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	1.52	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी कसडोल	1.52	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी बिलाईगढ	1.25	03.02.2023		
					हाईटेक नर्सरी वि.खं. बलौदाबाजार	0.91	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	15.34	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी भाटापारा	3.11	03.02.2023		
			1	पोषण बाड़ी	शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	4.42	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी कसडोल	3.53	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी बिलाईगढ	2.09	03.02.2023		
					सहायक संचालक उद्यान बाना	1.18	03.02.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी सिमगा	4.5376	29.03.2023		
					शासकीय उद्यान रोपणी भाटापारा	5.05659	29.03.2023		
			1	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीजोत्पादन	शासकीय उद्यान रोपणी खर्शीबिलारी कसडोल	2.25512	29.03.2023		
			1	सामुदायिक फेंसिंग योजना	शासकीय उद्यान रोपणी पलारी	2.29377	29.03.2023		
			1	नदी कछार योजना					कृषकों के प्रकरण देयकों के आधार पर डी.डी. के माध्यम से भुगतान किया गया ।
			5	योग :-		51.72			
			1	अधिसूचित फसलो की बीमा	बजाज एलायंस	29.27	15.09.2022 13.04.2023 11.01.2023 13.04.2023 15.12.2023		
			1	योग		29.27			

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एंजिसियों/ फर्मों को भुगतान का विवरण				रिमाक
					एंजिसी/ फर्म का नाम	एंजिसी/ फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		मनरेगा	1	बीजू पौध एवं अन्य पौध उत्पादन कार्य	वर्मा कृषि केन्द्र बलौदाबाजार	1.263	15.05.2023	मजदूरी की राशि डी. बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया गया है।	
		योग :-	1		सहायक संचालक उद्यान बलौदाबाजार	9.4835	02.09.2022		
					पटेल कृषि केन्द्र कसडोल	3.8307	03.04.2023		
					आचार्य कृषि सेवा केन्द्र कसडोल	1.9148	21.09.2023		
					छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	16.49			
				22 गौठान ग्रामों में ड्रिप प्रतिस्थापन कार्य	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	58.23	13.07.2022		
				84 गौठान ग्रामों में मल्टिप्लिटीविटी सेंटर विकसित करने के लिए 79 पल्वराइजर और 209 पावरवीडर वितरण कार्य	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	196.25	29.11.2022		
				100 महिला स्वसहायता समूह एवं 3 कृषकों को 143 नग पावरवीडर एवं पल्वराइजर वितरण कार्य	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	358.33	14.03.2023		
		डी.एम.एफ.	4	गौठान ग्रामों में मल्टिप्लिटीविटी सेंटर विकसित करने के लिये मशीन वितरण कार्य	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	53.59	13.07.2023		
		योग :-	4		आदित्य इंटरप्राइजेंस रायपुर	43.85	13.07.2023		
		कुल योग	19		ए.एम. इंटरप्राइजेंस, रायपुर	20.15	13.07.2023		
				(नर्सरी उन्नयन)		730.40			
						1067.81			
					शासकीय उद्यान रोपणी खरीबिलारी कसडोल	10.00	10.10.2023		
				सब्जी क्षेत्र विस्तार		-	-		कृषकों के प्रकरण देयक प्राप्त होने के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया।
				पुष्प क्षेत्र विस्तार	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	16.00	21.09.2023		
				मसाला क्षेत्र विस्तार		-	-		कृषकों के प्रकरण देयक प्राप्त होने के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया।
				संरक्षित खेती		-	-		
				उद्यानिकी यंत्रीकरण	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	210.00	14.12.2023		
				मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2.51422	20.11.2023		
				इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट		-	-		कृषकों के प्रकरण देयक प्राप्त होने के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया।
		योग :-	8			238.51422			

3
2023-24
(दिसम्बर 2023 तक)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

योग :-

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य हेतु एजेंसियों/ फर्मों को भुगतान का विवरण			रिमाक
					एजेंसी/ फर्म का नाम	एजेंसी/ फर्म का भुगतान की राशि रु. (लाख में)	भुगतान दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				199 एफ.आर.ए. हितग्राहियों को आजिवीका गतिविधियों से जोड़ने एवं जीविकोपार्जन हेतु आय में वृद्धि के लिये अन्य विभागों के अभिसरण से बीज एवं सामग्री वितरण कार्य	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	39.05169	14.06.2023	-
		डी.एम.एफ.	2	लघु एवं सीमांत कृषकों के उन्नत खेती हेतु 44000 वर्ग मीटर में शेडनेट निर्माण कार्य	-	-	-	कृषकों के प्रकरण देवकों के आधार पर डी.बी.टी के माध्यम से भुगतान किया गया ।
		योग :-	2			39.1		
		कुल योग	17			317.9		
		महायोग :-	55			1791.81		


(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - इकहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 2460) की जानकारी

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. विनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2022 — वैशाख 21, शक 1944

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना, जो राज्य शासन की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि./नि./चार/04, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 01-11-2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये लागू की गई थी, के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हैं, तथा

योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा:-

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है।
2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती, दिनांक 01-04-2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।
4. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।
5. एनएसडीएल से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को, भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को, पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।
6. शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर, दिनांक 01-11-2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
7. दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक/परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय

सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे ।

8. योजना के अर्न्तगत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे ।
9. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही, वित्त विभाग द्वारा की जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2022

NOTIFICATION

No.F-2016-04-03289.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, reinstates old pension scheme in place of a newly defined contribution based pension scheme which was implemented for all the employees appointed in the pensionable establishment of the State Government on or after 1-11-2004, State Government's vide Notification No. 977/C-761/F/R/04, dated 27th October, 2004, and

The scheme will be implemented as follows:-

1. In place of New Contributory Pension Scheme, Old Pension Scheme is reinstated again with effect from 01-11-2004.
2. The 10% deduction for monthly contribution from the salary of government servants under the New Contributory Pension Scheme will be abolished from 01-04-2022 and a minimum of 12 percent of the basic salary (emoluments) will be deducted as per the General Provident Fund rule.
3. Chhattisgarh General Provident Fund Accounts of all government servants appointed under the new Contributory Pension Scheme will be with the Directorate, Treasury, Accounts and Pensions under the control of the Finance Department instead of the Accountant General's office (up to the time of establishment of the new Directorate of Pension and Provident Fund).
4. A separate Directorate, Pension and Provident Fund will be established for maintenance of the Chhattisgarh General Provident Fund Accounts and all works related to Pension.
5. The amount of government contribution received from NSDL and interest earned on it will be kept in a separate fund under the Public Account, in future for the payment of pensionary liabilities and an amount equal to 4 percent of the pensionary liabilities of the previous year will be invested in the pension fund every year.
6. The principal amount of government servant's contribution will be transferred to Chhattisgarh General Provident Fund and interest will be paid from 01-11-2004 as per instructions issued by the State Government from time to time regarding the rate of interest under the Chhattisgarh General Provident Fund Rules.
7. In case of employees who are retired/dead in between the date of implementation of old pension scheme and 01-11-2004, benefits will be payable as per rules to the eligible government servants / families according to the old pension scheme. For such government servants, who have received retirement benefits after retirement in the new Contributory Pension Scheme or in case of death of a government servant to their families, then guidelines will be issued separately to determine the benefit according to the old pension scheme.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मई 2022

682 (1)

8. Detailed guidelines regarding accounting, regulation and procedure under the scheme will be issued separately.
9. In place of the new Contributory Pension Scheme, the execution of all the works related to restoration of Old Pension Scheme and other ancillary action will be done by the Finance Department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“(1)(क) ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों, जो दिनांक 01-11-2004 को या उसके पश्चात् राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये हैं और जो पेंशन योग्य स्थापना में धारित हैं, चाहे स्थाई हो या अस्थायी, को लागू होंगे।”
2. अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (2) के खण्ड (जी) का लोप किया जाये ।

यह संशोधन, दिनांक 01-11-2004 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2022

NOTIFICATION

No.F-2016-04-03289.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After sub-rule (i) of rule 2 of Chapter-I, the following shall be added, namely :-
“(i)(a) These rules shall apply to all Government Servants appointed on or after 01-11-2004, to services and posts in connection with the affairs of the State and who are borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent.”
2. Clause (g) of sub-rule (ii) of rule 2 of Chapter-I shall be omitted.

This amendment shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the date of 01-11-2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.


पारोक्ष - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 2479) की जानकारी

प्रपत्र

कोरबा में फ्लाई ऐश अपवहन की जांच एवं की गयी कार्यवाही बाबत जानकारी

उदयोग का नाम व पता	भू-भराव स्थल का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	जांच में पायी गयी स्थिति	की गयी कार्यवाही
मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	ग्राम- कटबितला, जिला- कोरबा	क्षेत्रीय अधिकारी व कनिष्ठ वैज्ञानिक	11.09.2023	फ्लाई ऐश भराव स्थल पर पर्याप्त मिटटी की परत न बिछाया जाना/ फ्लाई ऐश नियमों का उल्लंघन होना पाया गया	मंडल के पत्र क्रमांक 967 व दिनांक 15.09.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,25,000/- अधिरोपित की जा कर वसूली की गयी।
	ग्राम- तरदा, जिला- कोरबा	क्षेत्रीय अधिकारी व कनिष्ठ वैज्ञानिक	11.09.2023	फ्लाई ऐश भराव स्थल पर पर्याप्त मिटटी की परत न बिछाया जाना / फ्लाई ऐश नियमों का उल्लंघन होना पाया गया	मंडल के पत्र क्रमांक 963 व दिनांक 15.09.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,25,000/- अधिरोपित की जा कर वसूली की गयी।


 सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


पारोक्ष - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 2480) की जानकारी


प्रपत्र

वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2024 तक की अवधि में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पाई गई अनियमितता पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई अनियमितता	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स प्रोग्रेसिव एंजिनिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 950-55, सेक्टर 'डी', औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	04.04.2022	जल प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत नोटिस दिनांक 08.04.2022 को जारी किया गया।
		26.05.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स लक्ष्मीरूप प्रा. लिमिटेड, यूनिट-3 (पूर्व नाम-मेसर्स रियल इस्टाट एंड पावर लिमिटेड) प्लॉट नं. 262, 312-321, 356-363, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	06.04.2022	जल प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत नोटिस दिनांक 08.04.2022 को जारी किया गया।
		26.05.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
3.	मेसर्स भरत भाई पटेल प.ह.नं.-101, खसरा नं.-217/20 (पार्ट), बीरगांव, जिला - रायपुर	20.05.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 23.05.2022 को जारी किया गया।
		23.06.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
4.	मेसर्स ग्रेविटी ट्रेकिंग प्रा. लिमिटेड ग्राम अछोली, औद्योगिक क्षेत्र उरला के समीप, जिला - रायपुर	06.06.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 08.06.2022 को जारी किया गया।
		05.07.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
		26.12.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 27.12.2022 को जारी किया गया।
		10.01.2023	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
		26.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 27.12.2023 को जारी किया गया।
		12.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
5.	मेसर्स गणपति इस्पात (प्रोप. गणपति स्पंज आॅयरन प्रा. लिमिटेड) सेक्टर 'सी', उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला - रायपुर	09.06.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया।
		20.06.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।



 अ. व. श. व.
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

6.	मेसर्स एस. प्यारेलाल इस्पात प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 96, 97, 143, 145, 148(पी), 159(पी), सेक्टर 'सी', उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला - रायपुर	09.06.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया।
		20.06.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
7.	मेसर्स सुरेश क्रशिंग प.ह.नं.-101/29, खसरा नं.-438/(1 क, ख), उरला, बीरगांव, जिला - रायपुर	12.07.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 13.07.2022 को जारी किया गया।
		25.08.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
8.	मेसर्स प्रेम इण्डस्ट्रीज़ मेटल पार्क, फेज़-2, रावांभाठा, जिला - रायपुर	02.08.2022	जल प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत नोटिस दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया।
		06.09.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
9.	मेसर्स किशन मूर्ति वायर्स प्लॉट नं. 69, सेक्टर ए, मेटल पार्क, फेज़-2, रावांभाठा, जिला - रायपुर	02.08.2022	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया।
		17.08.2022	अपेक्षित सुधार की कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण दिनांक 19.08.2022 को उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
10.	मेसर्स ए.वी. स्टील्स (यूनिट-2) प्लॉट नं. 8-ए, मेटल पार्क, फेज़-1, रावांभाठा, जिला - रायपुर	02.08.2022	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया।
		18.08.2022	अपेक्षित सुधार की कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण दिनांक 18.08.2022 को उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
11.	मेसर्स शिल्फी स्टील्स प्रा. लिमिटेड ग्राम सरोरा, आर.आई. सर्किल- धरसीवा-1, तहसील एवं जिला - रायपुर	25.11.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 29.11.2022 को जारी किया गया।
		09.12.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
12.	मेसर्स 3-डी इनोवेशंस प.ह.नं.-101, खसरा नं.-298/1, 299/2, ग्राम उरला, जिला - रायपुर	02.12.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 05.12.2022 को जारी किया गया।
		14.12.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अव्वास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

13.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स श्री बजरंग मेटेलिक्स एंड पावर लिमिटेड) ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स, जिला - रायपुर	20.02.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 21.02.2023 को जारी किया गया।
		15.03.2023	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
14.	मेसर्स सैटर्न फेरो एलायज़ प्रा. लिमिटेड (यूनिट-2) प्लॉट नं. 278, 279, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला - रायपुर	20.02.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 21.02.2023 को जारी किया गया।
		15.03.2023	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
15.	मेसर्स मॉ परमेश्वरी इंजीनियरिंग प.ह.नं.-101/29, खसरा नं.-451/9 उरला, जिला - रायपुर	01.08.2022	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया।
		08.09.2022	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
		15.05.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 16.05.2023 को जारी किया गया।
		08.06.2023	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
		20.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत नोटिस दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया।
		16.01.2024	सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 30.01.2024 को जारी किया गया। वर्तमान में उद्योग बंद है।
16.	मेसर्स प्रकाश रिफ़ेक्ट्रीज़ एंड मिनरल्स प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं.-41, 42, इण्डस्ट्रीयल स्टेट भनपुरी, जिला - रायपुर	07.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 12.12.2023 को जारी किया गया।
		15.02.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
17.	मेसर्स राजेश्वरी प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं.-499/ए, शेड नं.-34, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला - रायपुर	11.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 12.12.2023 को जारी किया गया।
		30.12.2023	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
18.	मेसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज़ रिंग रोड नं.-2, ग्राम गोंदवारा, जिला - रायपुर	11.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 12.12.2023 को जारी किया गया।
		29.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।

19.	मेसर्स आलोक फेरो एलायज़ लिमिटेड, प्लाट नं.-458/1, 459, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला - रायपुर	21.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया।
		02.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
20.	मेसर्स श्री एस.एस. स्टील प्लाट नं.-108, मेटल पार्क, फेज़-2, रावाभाठा, जिला - रायपुर	26.12.2023	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया।
		11.01.2024	अपेक्षित सुधार की कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण दिनांक 15.01.2024 को उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
21.	मेसर्स विनायक वायर प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि. प.ह.नं. 100/28, खसरा नं. 24/1, 26/4, ग्राम अछोली, तहसील एवं जिला - रायपुर	26.12.2023	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत उद्योग को उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया।
		15.01.2024	अपेक्षित सुधार की कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण दिनांक 15.01.2024 को उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
22.	मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्रा. लिमिटेड (यूनिट-2) खसरा नं. 40/(10-12), ग्राम अछोली, उरला, जिला - रायपुर	26.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 27.12.2023 को जारी किया गया।
		11.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
23.	मेसर्स विकास कास्टिंग एंड फोर्जिंग इण्डस्ट्रीज़ प्लाट नं.-1 (पार्ट), ग्राम सोनडोंगरी, रिंग रोड नं.-2 के पास, जिला - रायपुर	28.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 29.12.2023 को जारी किया गया।
		09.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
24.	मेसर्स गोयंका राकवूल इंडिया प्रा. लि., रिंग रोड नं.-2, सोनडोंगरी, जिला- रायपुर	28.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 29.12.2023 को जारी किया गया।
		09.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
25.	मेसर्स सतीश स्टील इण्डस्ट्रीज़ रिंग रोड नं.-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया सोनडोंगरी, जिला - रायपुर	28.12.2023	वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस दिनांक 29.12.2023 को जारी किया गया।
		09.01.2024	उद्योग के द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।


 अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - चौहत्तर

C


अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 2556) की जानकारी

Documents To be uploaded by Applicant		
Sr. NO.	Name of the Document	
T&CP		
1	Layout as per CG.BhumiVikasNiyam 1984, Development plan's provisions and Zoning Regulations (Softcopy)	Mandatory
2	Registration Form and declaration by Engineer/Architect for designing Layout (Remark : आवेदन के साथ अभिन्यास तैयार करने वाले यथा-स्थिति अनुज्ञापत वास्तुविद/योजनाकार संरचना इंजीनियर/इंजीनियर छः गः भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 28 में उल्लेखित पात्रता के अनुसार का प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र पर संलग्न है।)	Mandatory
3	Location map	Mandatory
4	Survey Map (Remark : 1:500/1:1000 स्केल पर भूमि के इर्द-गिर्द उपयोग के सर्वेक्षण रेखांक जिसमें प्रश्नगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए, 200 मीटर त्रिज्या का खसरा मानचित्र मुख्य पहुंच मार्ग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों के, जैसे-चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा, पेट्रोल पंप, प्राकृतिक विशिष्टता एंजैसे-नाला, जलाशय, वृक्ष, ढलान, समोच्च रेखांक-5 अथवा 10 के अंतर से 200 मीटर की दूरीतकभूमि की समीपस्थ भूमि से होकर जाने वाली विभिन्न वोल्तता लाईन (हाई टेंशन लाईन), मार्ग का अधिकार दर्शाने वाले विद्यमान मार्ग तथा रेल्वेलाईन, उनके विशेष विवरण सीमाओं सहित, विद्युत तथा दूरभाष खम्भों की स्थिति और अन्य ऐसी बातें जिसका कि समीपस्थ क्षेत्रों से समन्वय किये जाने की आवश्यकता हो, दर्शायेगा और प्रस्तावित भूमि जो लालरंग से दर्शाई गई है की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती खसरा को वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाते हुए संलग्न करेगा।)	Mandatory
5	Service Plan	Mandatory
6	Landuse Certificate (if applicable)	optional
7	Satelite Map(from Bhuvan or any other agency)	Mandatory
8	If Multistoried Construction([Checkbox] if yes)	optional
	(A) Parking Plan	
	(B) Soil Test Report	
	(C) Structural Stability report and certificate of structural design as per Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules 1984 Rule 17	
9	Partnership deed and MoAA	
10	Colonizer Registration certificate	
11	Details of financial resources for the establishment of the colony (Describe the network)	
NAGAR NIGAM		
12	Location plan of proposed EWS land (With Land Details)	Mandatory



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

13	Affidavit in prescribed format for cases in which fees is to be deposited in "Services to the poor fund" account.	optional	
Revenue Department			
14	KhasraIntegration – Integrating all Khasras for colony into a single Khasra (khasra integration order)	Mandatory	
15	Seemankan of Integrated Khasra – Signed by Tehsildar alongwith Total Station Survey.	Mandatory	
16	B-I, PII , Khasra Map of Integrated Khasra	Mandatory	
17	Registry Documents, Details of all khasras used to make integrated khasra, if will inheritance then mutation order	Mandatory	
18	PanchshalaKhasra of last 12 years for all khasras applied for diversion	Mandatory	
19	Integrated Khasra layout super imposed	Mandatory	
20	Affidavit in prescribed format	Mandatory	
21	Allotment letter of government land between road and Proposed Site. (If applicable)	optional	
22	Other documents	optional	
NOC in Model Format from various departments (as per required)			
1	PWD/URBAN LOCAL BODY/RES		
2	MGNREGA, CEO Janpad Panchayat(offline)		
3	Tehsildar Noc for Kuccha Road (Road Should be mark in PII column no.12)		
4	NHAI(offline)		
5	PMGSY		
6	CSEB/CSPDCL		
7	ENVIRONMENT DEPARTMENT		
8	PHED		
9	Water Resource Department		
10	Development Authority (NOC from Various SADA)		
11	Gram Panchayat NOC with minutes of meetings in case of land in Rural Area.		
12	TehsildarNOC in case of nala near the site		
13	Fire NOC		


 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर